राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 4] चौदहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का सत्ताइसवां दिवस [संख्या : 16

सोमवार,

23 मार्च, 2015

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल। श्री मोहन लाल गुप्ता।

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में विद्युत बचत हेतु सी एफ एल का वितरण

311. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वर्ष 2009 से 2013 तक विद्युत बचत के लिए अभियान चलाकर घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को सी एफ एल बल्ब का वितरण किया गया है? यदि हां, तो प्रत्येक उपभोक्ता को कितने-कितने सी एफ एल दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सी एफ एल बल्ब किन-किन फर्मों से किस-किस दर पर क्रय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जिन फर्मों से सी एफ एल क्रय किये गये, उनके द्वारा निविदा में जिन सी एफ एल का उल्लेख किया गया था, उसके स्थान पर घटिया किस्म के सी एफ एल सप्लाई किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो उक्त फर्मों के विरुद्ध सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, ऊर्जा (श्री पुष्पेन्द्र सिंह): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। राज्य में वर्ष 2013 में ऊर्जा की बचत के उद्देश्य से लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दो-दो सी एफ एल के हिसाब से सी एफ एल मुफ्त वितरित किये गये, जिनका विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

(2) उक्त अवधि में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने तीनों वितरण कम्पनियों के लिए राज्य में नि:शुल्क वितरण हेतु कुल 1.25 करोड़ सी एफ एल एक समान दर रुपये 107/- से निम्नलिखित कम्पनियों से कुल राशि रुपये 13,375 लाख के क्रय किये गये:-

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	आदेशित मात्रा (नग लाखों में)	राशि (रुपये लाखों में)
1.	मैसर्स सूर्या रोशनी लिमिटेड, दिल्ली	35.5	3,798.50
2.	मैसर्स हैलोनिक्स लिमिटेड, नोएडा	27.0	2,889.00
3.	मैसर्स क्राम्पटन ग्रीव्ज लिमिटेड, दिल्ली	25.5	2,728.50
4.	मैसर्स विप्रो लिमिटेड, दिल्ली	17.0	1,819.00
5.	मैसर्स बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, दिल्ली	20.0	2,140.00
	कुल मात्रा	**125.00**	**13,375.00**

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन का यह बहुत बड़ा उदाहरण है। जहां बिजली कम्पनियां हजारों करोड़ रुपयों के घाटे में चल रही हैं, वहां वोटों को खरीदने के लालच में इन्होंने अन्तिम समय में 133 करोड़ रुपये की सी एफ एल बांटीं। वोट भी नहीं मिले और सरकार को चूना भी लग गया। सी एफ एल दिये हैं, उनमें घटिया क्वालिटी की सी एफ एल, और जो बची हुई सी एफ एल हैं, उनमें अशोक जी गहलोत की और तत्कालीन बिजली मंत्रीजी की फोटो लगी हुई सी एफ एल आज भी बची हुई हैं। (व्यवधान) जिस प्रकार से लूट मचाई, जाते-जाते कम्प्यूटर, लैपटॉप और बिजली कम्पनियां घाटे में, कंगाली में आटा गीला किया है। कंगाली में आटा गीला किया है। इस प्रकार से ऐसा-ऐसा काम किया है। इन सी एफ एल को बांटने की जरूरत क्या थी? इन कम्पनियों को ही कहते कि बिजली की बचत होगी, हम डिस्काउंट पर देंगे। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): यह जवाब है? यह भाषण है, या पूरक प्रश्न है? पूरक नहीं है, भाषण है। ये भाषण दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप भाषण मत करो, पूरक प्रश्न पूछो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): कांग्रेस के लोग किस प्रकार से कार्यवाही कर रहे हैं। देश को लूटा है, वोटों को खरीदने का प्रयास किया है। वोट बिकने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं, या भाषण दे रहे हैं? भाषण मत झाड़ो, बन्द करो, पूरक प्रश्न पूछो। भाषण की जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): वोट को खरीदा नहीं जा सकता है। भारतीय लोकतंत्र मजबूत है, वोटों को इस प्रकार से खरीद नहीं सकते हैं।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सत्य को स्वीकार करो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह माननीय मंत्रीजी का जवाब है, कोई सी एफ एल नहीं बचा हुआ है, कोई शिकायत नहीं आई। कोई शिकायत नहीं है, यह मंत्रीजी का जवाब है। किससे पूछ रहे हो? यह मंत्रीजी का जवाब है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आ रहा हूं; आ रहा हूं। आप बीच में न बोलें। यह वोटों की खरीद का मामला है। 133 करोड़ रुपये की खरीद की। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भाषण दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, मैंने इनको इजाजत दी है। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): सी एफ एल बांटीं; क्यों बांटीं मुफ्त में? इसका आधार क्या था? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 118 रुपये में खरीदी, 118 रुपये में आज भी मिल रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल पूछने दीजिए इनको। ये भाषण क्यों दे रहे हैं? सवाल पूछो।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): इतना लम्बा पूरक प्रश्न होता है क्या? भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): भाषण दे रहे हैं यहां पर। बिजली पर चर्चा होगी, तब भाषण दे लें। बाकी सवाल पूछो, सप्लीमेंट्री जो पूछना है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपको क्या दिक्कत हो रही है? अगर मैं भाषण दे रहा हूं तो आपको क्या दिक्क्त हो रही है?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): 'कंगाली में आटा गीला', क्या कह रहे हैं यहां पर?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको यहां चिढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो पाप किया है उसको बताना तो पड़ेगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कोई पाप नहीं किया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अभी किया है।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): पाप किया, पाप किया, घोर पाप किया। आपकी फोटो लगाकर सी एफ एल बांटी हैं। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, बांटे, वोटों के लिए बांटे; आपको इसकी जो जांच करानी है कराओ।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आपको जरूरत क्या थी सी एफ एल देने की? क्या जरूरत थी सी एफ एल देने की? इससे कम में तो बाजार में ही मिल रही हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): मंत्रीजी कह रहे हैं कि कोई शिकायत नहीं है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने कल ही कहा, बिजली बचाने के लिए जयपुर में सौ करोड़ रुपये की एल ई डी लगा रहे हों। जवाब दिया जाए कि जयपुर में एल ई डी लगाएंगे, काहे के लिए लगा रहे हैं एल ई डी? क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हैं एल ई डी का?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ...(व्यवधान) और मैं आपको कह रहा हूं कि आपने गहलोत साहब की फोटो क्यों लगाई उस पर? बिजली कम्पनियों के नाम क्यों दे दिये? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप हर चौराहे पर मुख्य मंत्री की फोटो लगा रहे हों, क्यों?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एल ई डी बल्ब पर भी फोटो लगाओ। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपके भामाशाह कार्ड पर फोटो लगा मुख्य मंत्री का। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जिसका राज होगा, वह अपना फोटो लगाएगा। (व्यवधान) ये राजेन्द्र जी की स्वाइन फ्लू के प्रोग्राम के पोस्टर में फोटो लगी हुई थी, चौराहे, चौराहे पर।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह समझ में नहीं आया कि इन सबको क्या हो गया? इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसको सुनो तो सही। इतना तो माद्दा तो रखिए। आप लोगों ने कितना गबन किया है, कितना भ्रष्टाचार, यह जवाब में आ जाएगा। आप सबको क्यों मिर्चियां लग रही हैं? आप इतनी जोर से बोल रहे हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आपके मंत्री कह रहे हैं कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, यह जवाब में लिखा हुआ है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): एक बार आप सुन लीजिए। आप सुन तो लीजिए। बीच में आप क्यों बोलते हैं। यह माननीय अध्यक्ष महोदय का काम है, वे व्यवस्था करेंगे। आप अध्यक्ष की जवाबदेही खुद क्यों ले रहे हैं? उनको खुद को व्यवस्था देने दीजिए। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 300 करोड़ के घाटे के नाम पर कम्पनियां बना दीं और 135 करोड़ रुपये के इन्होंने सी एफ एल बांट दिये। 300 करोड़ के कारण से तो कम्पनियां बनाईं। ये वित्त मंत्री थे, पुराने, उस समय। गहलोत साहब ने 19 जुलाई को यहीं कहा था कि 300 करोड़ का घाटा सहन करके बिजली कम्पनियां बना रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का यह जवाब है कि कोई शिकायत नहीं सी एफ एल में। आपकी सरकार का जवाब है यह। (व्यवधान)

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 300 करोड़ के घाटे के लिए कम्पनियां बनाईं पांच और 300 करोड़ से 7,700 करोड़ का घाटा कर दिया। फिर भी काहे को बोल रहे हैं ये? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप जांच करा लो। आप जांच करा लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सीधा सवाल पूछिए। सीधा सवाल पूछिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जब सी एफ एल की परचेजिंग का आपने काम किया, उस वक्त एल ई डी को कंसिडर क्यों नहीं किया? एल ई डी क्यों नहीं बांटीं, अगर बांटनी थीं, तो? नम्बर दो।

श्री अध्यक्ष: आप इधर देखिए। उधर सवाल मत कीजिए, इधर देखिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका बिजली की बचत का क्या अनुमान था और उसके आधार पर 133 करोड़ रुपये खर्च करने के बाद बिजली की कितनी बचत हुई? रिप्लेसमेंट के लिए कितने लोग आये?

श्री अध्यक्ष: बस, जवाब आने दीजिए। फिर और पूछ लीजिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): फिर एक और पूछूंगा।

श्री अध्यक्ष: हां, वह तो है आपका। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 125 लाख सी एफ एल वितरण कर, प्रत्येक उपभोक्ता को दो-दो सी एफ एल देनी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक सी एफ एल 20 वाट का था। अनुमान यह था कि उसकी रोशनी लगभग 100 वाट की होगी, जिसमें प्रत्येक यूनिट पर लगभग 80 वाट की बचत करने जा रहे थे हम। आज यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रति दिन हम नये कनेक्शन देते हैं, इससे बिजली की खपत और ज्यादा बढ़ती है। इसलिए हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कितनी सेविंग हुई है।

सरकार ने इसके तहत 1 करोड़ 19 लाख सी एफ एल वितरित किये थे और उसमें बची हुई सी एफ एल थीं, वे 5 लाख 43 हजार थीं, जिसका भुगतान वितरण कम्पनियों द्वारा नहीं किया गया है, जो लगभग 5 करोड़ 81 लाख था। 65,723 ऐसी सी एफ एल थीं जो परिवहन के तहत, या जांच के टाइम उनको खराब माना गया, या टूट गईं। उनको हमने इन कम्पनियों से रिप्लेसमेंट करा लिया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि आपने सी एफ एल की जगह एल ई डी क्यों नहीं खरीदी? एल ई डी से ज्यादा बचत होती है। उसका असेसमेंट किया है? क्या आप असेसमेंट की घोषणा करना चाहते हैं? एल ई डी क्यों नहीं खरीदी गयी? पहली बात तो यह

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

है, बेसिकली ये खरीदनी ही नहीं चाहिए थीं। अगर आपने खरीदी हैं, वोटों के लालच में खरीदी हैं, तो आपका टेक्निकल असेसमेंट यह कहता है कि एल ई डी से ज्यादा बचत होती है। (व्यवधान) दूसरी बात यह है...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने दें, मेरा प्रश्न है। इनको बिठाइये आप। मैं बोलूंगा जरा, इनको बिठाइये आप।

श्री अध्यक्ष: आप भूमिका मत बांधिये, सीधा सवाल कीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि 118 रुपये में आज भी वे एम आर पी रेट पर मिल रही हैं, मेक्जिमम रिटेल प्राइस। 107 में इन्होंने खरीदी हैं। आज भी, अध्यक्ष महोदय, आप जाइये, 20 परसेंट डिस्काउंट कराकर ले आइये, आपको 100 एल ई डी मिल जाएंगी। 1.25 करोड़ सी एफ एल इन्होंने खरीदीं, क्या आंखें बंद करके खरीदीं?

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय सदस्य, एल ई डी आपकी सरकार खरीद रही है। किसको कह रहे हों आप? एल ई डी आपकी सरकार खरीद रही है। सवाल सी एफ एल का कर रहे हों, अब एल ई डी पर आ गये आप। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, एल ई डी का जवाब दें, और कितनी शिकायतें आयी हैं रिप्लेसमेंट की? जो शिकायतें आयी हैं, सी एफ एल खराब पड़ी हैं, उनको वापस करने की आपकी क्या व्यवस्थाएं हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि आपकी मार्केट प्राइस इसकी 118 रुपये है और हमने 107 रुपये में इनको दी है, जो लगभग 1 करोड़ 25 लाख सी एफ एल हम वितरित करने जा रहे थे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि Directorate General of Supplies & Disposals गवर्नमेंट आफ इण्डिया की एक संस्था है; सरकार कोई भी सामग्री खरीदती है तो उसकी रेट वहां तय होती है। उसके तहत उसकी रेट वहां 117 रुपये थी। उसको नेगोशिएशन करते हुए, हमने 107 रुपये में इसको खरीदी है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एल ई डी क्यों नहीं खरीदी?

श्री अध्यक्ष: अब नहीं। वह ठीक है। जवाब आ गया। (व्यवधान) जवाब आ गया, जो आ गया।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, सरकार का जवाब ठीक नहीं है। मैं संतुष्ट नहीं हूं सरकार के जवाब से। सरकार के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं। आप विराजिए। यह नहीं। आप चाहो जैसा जवाब नहीं आएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): गलत है यह। गलत है।

श्री अध्यक्ष: पहले आप बैठो। देखिये, आपके हिसाब से जवाब आये, यह आवश्यक नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो और...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): इसका जवाब तो नहीं आया। मेरे प्रश्न का जवाब नहीं आया कि आपने एल ई डी क्यों नहीं खरीदीं?

श्री अध्यक्ष: नहीं आया तो नहीं आया। नहीं खरीदी, तो नहीं खरीदी।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): मेरे पूरक प्रश्न का जवाब तो दें। एल ई डी क्यों नहीं खरीदीं? इसका असेसमेंट क्या है?

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे कहा था, मैं पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: आपके पहले डोटासरा जी, पूरक प्रश्न एक। आप भी भूमिका मत बांधना। आप भी भूमिका मत बांधना। इनके बाद आप। (व्यवधान) आप बैठो जी। दूसरा पूरक प्रश्न आपका।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि जो एल ई डी सरकार द्वारा बांटी गयीं...(व्यवधान) सी एफ एल बांटी गयीं, उसमें प्रति माह सी एफ एल लगाने के बाद में कितनी बिजली की बचत हुई? और दिनांक 1.1.2014 से लेकर अब तक कितनी एल ई डी की शिकायत आने पर आपकी सरकार द्वारा किसान को गारंटी पीरियड में होने से वापस दी गयी?

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छा सवाल है। बैठिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह कहना चाहूंगा कि जो सी एफ एल लगाते हैं, तो उससे निश्चित रूप से बिजली की बचत होती है। आज उसके 4 महीने में, जो माननीय सदस्य बता रहे हैं, लगभग राजस्थान में 1 लाख 19

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

हजार कनेक्शन हुए हैं, जो नये कनेक्शन हुए हैं। अभी नये कनेक्शन होने के बाद, कितनी बचत हुई, उसकी एग्जेक्ट पोजिशन हम ला नहीं सकते कि कितनी बचत हुई है, पर निश्चित रूप से 100 वाट की रोशनी वाला बल्ब है और 20 वाट की सी एफ एल है, उसकी रोशनी बराबर है। निश्चित रूप से बिजली की बचत हुई होगी। इसका अनुमान हम अभी लगा नहीं सकते।

दूसरा आपने यह कहा कि ऐसी कितनी सी एफ एल खराब हुई हैं जो गारंटी पीरियड में हैं? जनवरी, 2015 तक इनका गारंटी पीरियड था। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसी कोई सूचना अभी तक आयी नहीं, जिसमें गारंटी पीरियड में कोई ऐसी हमारे पास सूचना फील्ड लेवल से आयी है कि हमारी खराब है। फिर भी जनवरी से पहले किसी की खराब हो गयी है, गारंटी पीरियड से पहले, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उसको बदला दूंगा। अगर वह गारंटी पीरियड के अन्दर है, जनवरी पहले से उन्होंने सहायक अभियन्ता या कनिष्ठ अभियन्ता के वहां अगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करा दी कि हमारी सी एफ एल खराब हो गयी है जनवरी, 2015 से पहले, तो निश्चित रूप से हम उसको चेंज करवा देंगे; अन्यथा उसकी जो हमारे पास बी.जी. गारंटी है, उसका आज भी हमारे पास 13 करोड़ 37 लाख रुपये जमा है, उसमें से हम उसके पैसे काट लेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़। (व्यवधान) आपका जवाब आ गया, दोनों का आ गया। नहीं, नहीं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि डिस्कम्प की तीनों कम्पनियां कम्पनी एक्ट के तहत चलती हैं, किस एक्ट के तहत इन्होंने सी एफ एल बांटने का निर्णय लिया? कृपया वह बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय। (व्यवधान) आपसी चर्चा नहीं करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, कम्पनी एक्ट में कोई बार ही नहीं है। कम्पनी एक्ट में कोई बार नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजाखेड़ा के विधायक। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह इलेक्शन एक्ट था।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, धौलपुर से आने

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

वाले माननीय सदस्य ने मुझे गलत इशारा किया है। इनका यह इशारा ठीक नहीं है। इतने सीनियर मोस्ट आदमी हैं, आखिर हम इनसे प्रेरणा लेते हैं, कृपा करके आप इस प्रकार का काम न करें।

श्री अध्यक्ष: आपकी दोस्ती है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, विराजें। यह आपकी दोस्ती का प्रकटीकरण कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। (व्यवधान) आपका जवाब आ रहा है, जवाब दीजिए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): राठौड़ी में बांटी है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी कोई मेरे जैसे की ओर इशारा करते तो कोई तकलीफ नहीं होती। ये मोहन लाल जी जैसे छोटी उम्र के लोगों को इशारा करें तो बड़ी मुश्किल बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह अंतरंग बातें आपको कैसे मालूम कि इशारा इनको गलत किया और आपको करते तो सही होता? इतनी घनिष्ठता है?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इतनी घनिष्ठता है।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष जी, ये मोहन लाल जी पर क्यों मोहित हुए?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए, बैठिए। आपने सवाल कर लिया, इसका जवाब आ रहा है। माननीय मंत्री महोदय, मदन जी राठौड़ का जवाब दें। फिर बाबूसिंह जी सवाल करेंगे, और कोई नहीं करेगा। तीन पूरक प्रश्न हो गये। (व्यवधान) नो, नो, बैठिए। तीसरा सवाल होगा। आप जवाब दीजिए। पूरक प्रश्न तीन होते हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, फर्मों को अभी तक 127.94 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जिसमें 120 करोड़ रुपये राज्य सरकार द्वारा दिये गये हैं। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये वितरण कम्पनियां हैं, हमको बिजली की बचत करनी थी और वितरण कम्पनियां फील्ड में काम करती हैं। उपभोक्ता के स्तर पर, तहसील लेवल पर, गांव लेवल पर ये वितरण कम्पनियां काम करती हैं। यही एक माध्यम था जिसके तहत सी एफ एल बांटने का काम वितरण कम्पनियों को दिया गया। कोई एक्ट के तहत नहीं है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये। जवाब जितना देना था, दे दिया। आप चाहें जैसा जवाब आये, यह सम्भव नहीं है। (व्यवधान) नो, नो। बाबूसिंह जी को बुला लिया मैंने। यह आखिर होगा। तीसरा पूरक प्रश्न है, इसके आगे पूरक प्रश्न नहीं होंगे। कृपया विराजिए। व्यवस्था है। विराजिए। आप कीजिए।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि सी एफ एल खरीद होने के बाद जोधपुर डिस्काम के गोदाम में आज भी सी एफ एल पड़ी हुई हैं? क्या उनको वितरित करने का विचार है? आपने खरीदा, उस समय रेट 107 थी, आज मार्केट रेट 20 रुपये है। इस डिफरेंस की जांच कराने का आप विचार रखते हैं? जो गोदामों में पड़ी हुई हैं, इनको वितरित करने का विचार रखते हैं या नहीं? इसको स्पष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब दीजिए आप, फिर अगला प्रश्न लूंगा।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, 4.4.2014 में हमने सभी फर्म थीं, जिन्होंने हमें ये सी एफ एल दी थीं, उनको हमने लिखकर दे दिया कि सी एफ एल के 5 लाख 43 हजार बाकी हैं, वे वापस उनको उठवा दें। उन्होंने अक्टूबर के महीने में सब सी एफ एल, जो गोदामों में पड़ी थीं, वे वापस लेकर चले गये, जिसका पैसा हमने उनको दिया नहीं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। डाक्टर जसवन्त सिंह। (व्यवधान) नहीं, नहीं, तीन पूरक प्रश्न से आगे नहीं जाएंगे। खड़े होने का सवाल नहीं है, तीन पूरक प्रश्न की निर्धारित व्यवस्था है। डाक्टर जसवन्त सिंह। (व्यवधान) माननीय विधायक, जवाब आ रहा है।

राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़ का क्रमोन्नयन

312. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़ को वर्ष 2013-14 में 100 बेड में क्रमोन्नत किया गया था? उक्त में अब तक कितना विस्तार हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त अस्पताल में डाक्टर, मेल नर्स व पैरा-मेडिकल स्टाफ पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

(3) क्या सरकार उक्त अस्पताल में आई.सी.यू. वार्ड, वेंटिलेटर, सोनोग्राफी मशीन, अल्ट्रा साउण्ड मशीन व उक्त के लिए स्टाफ लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त अस्पताल में 100 बेड के अनुरूप भवन की व्यवस्था करने व स्टाफ लगाने तथा अन्य व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री राजेन्द्र राठौड़): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 25.9.2013 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़ (अलवर) को 50 से 100 शय्याओं में क्रमोन्नत करने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी तथा मापदण्डानुसार अतिरिक्त स्टाफ के पद सृजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नगर विकास न्यास, भिवाड़ी के द्वारा 50 शय्याओं के वार्ड का कार्य निर्माणाधीन है।

(2) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़ में चिकित्सक, नर्सिंग एवं पैरा-मेडिकल स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़ में चिकित्सकों के सभी स्वीकृत पद भरे हुए हैं।

नर्सिंग अधीक्षक-प्रथम एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के पदों को पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

नर्स श्रेणी-द्वितीय, सहायक रेडियोग्राफर एवं दंत टेक्निशियन के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती के समय अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(3) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बहरोड़ में आई.सी.यू. खोलने एवं भवन निर्माण की विभाग द्वारा स्वीकृति जारी नहीं की गई है। आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यकतानुसार उपकरण एवं स्टाफ उपलब्ध करवाने के प्रयास किये जाएंगे। उपकरण उपलब्ध होने पर संचालन हेतु स्टाफ लगाने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। उपलब्ध उपकरणों की सूची परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(4) जी हां। उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 100 शय्याओं वाले स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ के पद सृजित करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आगामी वित्तीय वर्षों में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकरण उपलब्ध करवाने हेतु समुचित वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवश्यकतानुसार उपकरण उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जाएंगे।

(विवरण व सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अध्यक्ष: पहला पूरक प्रश्न।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष जी, पिछली सरकार ने 2013 में 100 बेड के लिए पी.एच.सी. से सी.एच.सी. की घोषणा की। इसमें लोगों की तो कोई गलती नहीं थी। जब बजट नहीं था तो घोषणाएं नहीं होनी चाहिए थीं और घोषणा होती है तो बजट होना चाहिए था। अब पिछली सरकार ने तो जो खिलवाड़ की घोषणाएं कर दीं, बजट था नहीं, पर लोगों को तो उम्मीद हो गई कि हमारे यहां 100 बेड का हास्पिटल खुल गया, हमारे यहां पी.एच.सी. खुल गई, सी.एच.सी. खुल गई।

अब मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह तो निश्चित है कि वहां 100 बेड के हास्पिटल की बहरोड़ के अन्दर आवश्यकता थी और जनता को तो सुविधा चाहिए, सरकार का भी दायित्व है कि जनता के जीवन की रक्षा करे। अब अगर हम यही कहते रह गये कि वित्तीय संसाधन होंगे, वह सरकार गलती कर गई और डेढ़ साल से हमने एक रुपया भी उसमें लगाया नहीं....

श्री अध्यक्ष: यह पूछिये आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): डेढ़ साल से हमारा एक रुपया लगा नहीं। 100 बेड की घोषणा हुई और जो जवाब मुझे मिल रहा है पदों के बारे में, वह 50 बेड का मिल रहा है। तो इसको 100 बेड का खोलने की प्रक्रिया को मानें, या मंजूरी को मानें, या नहीं मानें, क्योंकि जवाब तो 50 बेड का है और बाकी 50 बेड के तो सारे ही पद खाली हैं। तो आप ये पद कब तक भर देंगे?

श्री अध्यक्ष: यह हुआ सवाल।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक, आप इंस्ट्रूमेंट कब तक अवेलेबल करा देंगे? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से, मंत्री महोदय से एक स्पेसिफिक पूछना चाहता हूं कि इस 100 बेड के हास्पिटल को कब तक वर्किंग पोजिशन में ले आएंगे और चालू हालत में आ जाएगा, जिससे लोगों का जीवन बच सके?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आप वित्तीय संसाधनों की बात मत करिये, यह जवाब मत दीजिये कि जब वित्तीय संसाधन होंगे कि जब वित्तीय संसाधन होंगे तब खुलेगा। वह तो, पता नहीं, फिर कब होंगे। लोगों को तो बचाना है।

श्री अध्यक्ष: आर्ग्यू मत कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि वर्ष 2013-14 के अन्दर तत्कालीन सरकार ने 1,000 शय्याओं की वृद्धि की घोषणा की थी। अध्यक्ष महोदय, बजटीय घोषणा होने के पश्चात् भी 1,000 में 450 शय्याओं की तो वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी और 550 शय्याएं बिना स्वीकृति के, बिना बजटीय प्रावधान के, बिना वित्तीय स्वीकृति के छोड़कर चले गये। यह सही है कि इन 550 शैय्याओं की जो पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की थी, उसमें बहरोड़ भी शामिल था। इसलिए बहरोड़ के बारे में घोषणा ही पूर्ववर्ती सरकार ने की, लेकिन न तो वित्तीय प्रावधान किये और न ही उसमें स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार अतिरिक्त स्टाफ, जिसमें चिकित्सक और पैरा-मेडिकल स्टाफ लगेंगे, इसके लिए कोई वित्तीय प्रबन्धन किया, और न ही उसकी बिल्डिंग के लिए कुछ किया।

इसी तरह से आपने पूछा कि पी.एच.सी., सी.एच.सी., यह सही है कि 125 सी.एच.सी. की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने वर्ष 2013-14 के बजट में की थी। अध्यक्ष महोदय, एक पैटर्न बना हुआ है कि पहली सबसे छोटी इकाई उप-केन्द्र है, जो 3 हजार से 5 हजार की जनसंख्या के स्तर पर खोलते हैं, फिर 20 से 25 हजार की जनसंख्या पर हम पी.एच.सी. खोलते हैं; और उसके बाद एक लाख की जनसंख्या पर हम सी.एच.सी. खोलते हैं। पिछली सरकार ने उदाहरण प्रस्तुत किया और 50 ऐसे सब-सेंटर थे जिनको सीधा सी.एच.सी. में घोषित करके चले गये। यह नहीं सोचा कि वहां बिल्डिंग है, या नहीं है; यह नहीं सोचा कि वहां एक कमरे के अन्दर यह सी.एच.सी. कैसे चलेगी। इस प्रकार 600 के लगभग पी.एच.सी. भी खोलकर चले गये।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, अगर इसकी जो 100 बेड की घोषणा की है, उसके अनुसार हम कार्यवाही करें तो हमें 63 नये पद सृजित करने पड़ेंगे और उसके लिए एक साल के अन्दर 169 लाख रुपये का अतिरिक्त बजटीय प्रावधान करना पड़ेगा, क्योंकि, अध्यक्ष महोदय, हमारा अलग-अलग पैटर्न बना हुआ है कि कितनी शय्याओं पर कितना बजट हो। 26.02.2004 को एक राजस्थान हैल्थ सिस्टम डवलपमेंट प्रोजेक्ट और इनके विशेषज्ञों के साथ बैठकर तत्कालीन सरकार ने तय किया था कि कितने बेड पर कितना स्टाफ रहेगा। उनके अनुसार 63 नये पदों का सृजन करने का काम करेंगे।

हां, यह सही है कि यू.आई.टी., भिवाड़ी ने इसके लिए आवश्यक 75 लाख रुपये की स्वीकृति 24.7.2013 को की थी और उनके अनुसार वहां आई.सी.यू. और वहां का 50 बेडेड अतिरिक्त, उसके लिए निर्माणाधीन है।

आपने पूछा कि कितने पद स्वीकृत हैं, तो बहरोड़ में चिकित्सकों के जितने पद हैं वे सारे भरे हुए हैं और पैरा-मेडिकल स्टाफ के जो पद हैं, उसमें जो स्वीकृत पद हैं उनमें से खाली पद 19 हैं। इन 19 पदों के लिए, आज हमने पहली बार लगभग 10 हजार से ज्यादा नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति का, आपने अख़बार में भी पढ़ा होगा, वर्षों के बाद, लम्बे समय के बाद हमने निकाला है और जो आपके रिक्त पद हैं उनको इसमें भरने की कोशिश करूंगा। परन्तु जो पिछली सरकार ने बिना बजटीय प्रावधान के काम किया, उसके बारे में निवेदन कर दिया।

इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया है कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर इस पर गुणावगुण के आधार पर निश्चित तौर पर विचार किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार से लोगों को केवल घोषणा की ही उम्मीद थी; आप से लोगों को उम्मीद यह है कि आप लोगों के जीवन को बचाने के लिए तुरन्त प्रभाव से प्रभावी तरीके से काम करेंगे। अगर हम फाइनेंशली बात करते रहेंगे, तब तो ये हास्पिटल कभी बनने नहीं हैं। इसलिए मैंने आपसे यह पूछा है कि हम इसको कब तक पूरा कर देंगे? जो सी.एच.सी., पी.एच.सी. हैं, उनकी बिल्डिंग बना देंगे और कब तक स्टाफ की

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

भर्ती कर देंगे, डाक्टरों की भर्ती कब तक कर देंगे? कोई टाइम बाउण्ड प्रोग्राम है, या नहीं है? या फिर खाली फाइनेंस की ही बात करते रहेंगे? हमें तो लोगों का जीवन बचाना है और आपसे लोगों को उम्मीद है कि आप तुरन्त प्रभाव से इस काम को एग्जीक्यूट करेंगे। तो मेहरबानी करके मुझे यह बता दीजिये कि कब तक यह सारा काम पूरा हो जाएगा?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय। श्रवण जी, नहीं-नहीं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप हमेशा घुमाते हों; कहो। ये, साहब, हमेशा घुमाते हैं, इनकी आदत है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। घुमाने दो। आप विराजो। अपन सब यहां एक-दूसरे को घुमाते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा संस्थान ऐसे संस्थान हैं कि वास्तविक रूप से अगर घोषणा करें और वह चालू नहीं हो, तो निश्चित तौर पर जनता को भी तकलीफ होती है और जन-प्रतिनिधियों को भी तकलीफ होती है। अध्यक्ष महोदय, अब अगर इसको हम चालू करते हैं तो हमें 92 लाख रुपये तो उपकरण खरीदने के लिए चाहिए और 169 लाख 72 हजार रुपये चाहिए। हमें हर साल के स्टाफ को एन्हांस करना पड़ेगा, स्टाफ पैटर्न के अनुसार इनकी पोस्टें अलग से क्रीयेट करनी पड़ेंगी, 63 पद सृजित करने पड़ेंगे।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहूंगा, सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसी वित्तीय वर्ष के अन्दर हम आवश्यक संसाधन कहीं से भी उपलब्ध करायें, पर जनता और आपकी मांग को देखते हुए निश्चित तौर पर इसी वित्तीय वर्ष में स्वीकृत करेंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): स्वास्थ्य मंत्री महोदय, आपका धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री हबीबुर्रहमान। बहरोड़ के बारे में है पूरक प्रश्न?

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): जनरल है। एन आर एच एम के तहत ए एन एम का कब कर रहे हो?

श्री अध्यक्ष: नो जनरल। बैठिये। श्री हमीर सिंह भायल। पूरक प्रश्न बहरोड़ के बारे में है?

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): नहीं, बहरोड़ के बारे में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: नहीं है, तो बैठिये। चन्द्रकांता मेघवाल। नहीं, बैठिये। अगला प्रश्न ले रहा हूं। श्री जोगाराम पटेल।

प्रश्न संख्या-313

श्री जोगाराम पटेल।

(अनुपस्थित: कृपया आगे देखें)।

फिर अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं। श्रीमती अलका सिंह।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

314. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में पद के दुरुपयोग के व अनियमितताओं के गत पांच वर्षों में मुकदमे दर्ज हुए हैं? यदि हां, तो कब-कब, क्या-क्या व किन-किन के विरुद्ध? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मंत्री (श्री गुलाबचन्द कटारिया): (1) जी हां। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में पद के दुरुपयोग व अनियमितताओं के गत पांच वर्षों (2010 से 2014 तक) में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध 18 मुकदमे दर्ज हुए हैं। विवरण परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है।

(2) उक्त 18 मुकदमों में की गई कार्रवाई की वर्तमान स्थिति परिशिष्ट “अ” के अंतिम कालम में अंकित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह मालूम करना चाहती हूं, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं बात नहीं कर रही लेकिन ये सीनियर आफिसर्स हैं, अगर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है तो नीचे के लेवल पर ढीलापन आ जाता है, भ्रष्टाचार बढ़ता है और दोषी हैं, वे बच जाते हैं और जो निर्दोष हैं, उन पर तलवार लटकी रहती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह मालूम करना चाहती हूं कि क्या कोई टाइम-फ्रेम सरकार ने निश्चित कर रखा है, इस

(श्रीमती अलका सिंह)

तरह के केसेज में कार्रवाई के लिए? अगर कर रखा है तो कितना है, और अगर नहीं है तो क्या इस बारे में सरकार कुछ विचार रखती है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने यह जानने का प्रयास किया कि जो मुकदमे दर्ज होते हैं, विशेषकर अधिकारियों के ऊपर, उन पर कार्रवाई समय पर होती है, या नहीं होती। मैं तीन वर्षों में, जिसके लिए डी ओ पी कार्रवाई करती है, जो अधिकारी वर्ग में आते हैं, वर्ष 2012 में 48 लोगों पर हमने चालान किया, 2013 में 37 पर किया और इस साल हमने 57 अधिकारियों का चालान किया है। यही नहीं, जो सक्षम न्यायालय में हमारे चालान पेश हुए हैं, उनकी संख्या के आधार पर भी अगर आप देखेंगे तो 2012 में 253, 2013 में 346 और इस साल हमने 408 लोगों का चालान किया है।

यह जरूर है कि डी ओ पी के थ्रू जिन पर चालान की परमिशन मिलती है, उनमें साधनों के दुरुपयोग या पद के दुरुपयोग के कारण जो केस बनते हैं, उनकी जांच में और उनकी प्रक्रिया में समय लगता है। जो ट्रैप होता है, उस केस में तो हमको एविडेंस तुरन्त कलेक्ट हो जाती है, लेकिन पद का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से धन का अर्जन किया है, उस केस के अन्दर हमको उसकी एविडेंस और उसके सारे कागज बनाने में विलम्ब जरूर होता है।

लेकिन आपको यह संतोष होगा कि केवल 18 मुकदमे हैं और 18 में से भी अगर आप देखेंगे तो केवल नौ अधिकारी हैं। उनमें से भी एक ही अधिकारी पर, जो अभी लास्ट में हुआ है लालचन्द असवाल, इसी पर छह प्रकरण हैं। 18 में से छह तो केवल इन्हीं पर हैं और इन 18 में से भी पांच में एफ.आर. हैं, 10 अभी अनुसंधान में हैं, दो में हमने चालान भी कर दिया है। ऐसा नहीं है कि इन बड़े अधिकारियों का चालान नहीं करते हैं। हम कोशिश करते हैं, जो भी नियमों की पूर्ति करते हुए डी ओ पी से परमिशन लेते हैं और अभी भी 18 में से 10 प्रकरण इसमें हैं जो अनुसंधान के अन्दर लम्बित हैं। हमने उनको रिजेक्ट नहीं किया है।

तो यह निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि राजस्थान की ए सी बी ने जिस प्रकार का रिकार्ड इन पिछले वर्षों में बनाया है, वह आपको और मुझे भी संतोष देता होगा। हनुमानगढ़ में अभी जिस ए डी एम को ए सी बी की टीम ने पकड़ा है, दो एस.पी. को ट्रैप में जिन्होंने पकड़ने का प्रयास किया है,

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

और, मैं सोचता हूं, फर्जी डिग्री के मामले में जिस प्रकार से किया है, तो प्रयास तो किया है। मैं कह सकता हूं कि राजस्थान में सामान्य श्रेणी के कर्मचारी के साथ-साथ बड़े से बड़े अधिकारी को भी ट्रैप करने में, या उनके विरुद्ध केस बनाने में, किसी प्रकार की कोताही नहीं की। जहां से जो एविडेंस हमको मिली है, हमने उसके आधार पर कार्रवाई की है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न दूसरा। नहीं, मानिकजी, बैठिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि कई केसेज में अनुसंधान की धीमी गति होती है, उस बारे में भी सरकार क्या कोई कार्रवाई करना चाहेगी? मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है कि कई मामलों में अधिकारियों के खिलाफ फाइनेंशल, वित्तीय अनियमितताओं के मामले होते हैं। तो क्या जैसा कि कई पड़ोसी राज्यों में इस तरह की व्यवस्था है कि इस तरह के अधिकारियों की सम्पत्ति को सीज कर लिया जाता है और राज्य हित में उन सम्पत्तियों को प्राइमरी स्कूल्स या अस्पताल के लिए काम में लिया जाता है, तो क्या इस तरह की कोई व्यवस्था करने की सरकार की मंशा है?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): अभी तक राजस्थान में जो हमको कानून के तहत अधिकार प्राप्त है, उसमें इस प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। आपने जो कहा है, हम कोशिश करेंगे, किन-किन राज्यों में किस-किस प्रकार के कानून बनाकर इस सम्पत्ति का उपयोग किया जाता है; अगर हमें उससे आधार मिलेगा तो आपकी मंशा के अनुसार हम कार्रवाई करने में कहीं नहीं चूकेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री सुखरामजी। पूरक प्रश्न।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्षजी, 18 में से 5 मुकदमों में एफ.आर. दे दी, एफ.आर. दी है, उन अधिकारियों के खिलाफ आपके विभाग की कोई कार्रवाई पेंडिंग है, या उन अधिकारियों को आप कोई फील्ड पोस्टिंग देना चाहते हैं, या कोई महत्वपूर्ण पद पर लगाना चाहते हैं? आपकी क्या मंशा है जिन पांच मुकदमों में ए सी डी ने एफ.आर. दी है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): जो पांच प्रकरण हैं 18 में से, पांच में हमने एफ.आर. दी है, उनमें से एक प्रकरण में हमने एफ.आर. दी

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

लेकिन कोर्ट ने अभी भी स्वीकार नहीं की है, तो वह एक तरह से पेंडिंग ही है। श्री पी.सी. किशन के बारे में, जो पद के दुरुपयोग के बारे में था, उसकी हमने एफ.आर. दी है। इसी तरह से रविशंकर प्रसाद, इनके भी खिलाफ था, उसमें एफ.आर. दी है। इसी प्रकार रविकुमार का फिर दूसरा केस है, उसमें भी एफ.आर. दी है। ये सारे जांच करने के बाद ऐसा कोई एविडेंस हमारे पास नहीं आया, जिनके भी बयान लिये हैं, क्योंकि ये सब सम्पत्ति के हैं, उसके कारण जो मिलना चाहिये था, वह हमको नहीं मिल पाया। तो उनके खिलाफ नहीं। श्री अतुल गर्ग के खिलाफ आई ए एस अधिकारी होते हुए भी हमने चालान किया है। असवाल के खिलाफ भी एक केस में हमने चालान किया है।

फिर भी मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि अधिकारी छोटा हो या बड़ा हो, कानून में किसी के साथ में कोई हमदर्दी रखने का सवाल ही नहीं। अगर कहीं विलम्ब भी है तो उसको तुरन्त कार्रवाई करने के लिए प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रद्युम्न सिंह जी। हो गया। माननीय मानिकजी।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्षजी, मैं यह जानना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय से कि लालचन्द असवाल के खिलाफ जितनी एफ आई आर हैं, उनमें से कुछ में तो आपने चालान कर दिया है; या इतने प्रकरण कौन से हैं जिनमें अभी उनका चालान नहीं हुआ?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): लालचन्द असवाल के विरुद्ध जिनमें अभी अनुसंधान लम्बित हैं, एफ आई आर संख्या 337/14, 23.9.2014; ये सारे के सारे प्रकरण एक ही दिन के हैं; 338/14, 339/14, 340/14, 341/14 और ये जो सारे प्रकरण हैं, ये एक ही दिन के, विभिन्न प्रकार के अलग-अलग सेक्टर में, जिस प्रकार की फाइलों के कारण से जो गड़बड़ हुआ। मुकदमा वही है लेकिन अलग-अलग सेक्टर के अन्दर होने के कारण से अलग-अलग मुकदमे बने। ये सब अनुसंधानाधीन हैं। लालचन्द असवाल के विरुद्ध 277/14, 11.8.2014 के दिन जो बना था, अपराध अन्तर्गत धारा 8, 13(1)(डी)(ई), पी सी एक्ट 1988 एवं 120-बी प्रमाणित पाये जाने पर चालान माननीय न्यायालय में दिनांक 21.11.2014 को पेश किया जा चुका है और कुछ उसमें और भी 173 के तहत लम्बित हैं। और प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने के बाद एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट और उसके बाद पेश की जायेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री निर्मल कुमावत। तीसरा पूरक प्रश्न है ये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये बड़े प्रशासनिक अधिकारियों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, उनका अनुसंधान होता है, क्या सरकार इस पूरी प्रक्रिया की पुन: समीक्षा करना चाहती है कि जिस कैडर के अधिकारी की जांच हम कर रहे हैं, उसी कैडर के बेस पर हमारा अनुसंधान अधिकारी है या नहीं है? कहीं वह जांच में प्रभावित होगा या नहीं होगा? कहीं भविष्य में वह बहाल हो जाता है, तो उसको अपने डर की वजह से, या उसके डर की वजह से, कहीं वह फेवर नहीं कर ले? क्या यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी है, या सरकार इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय लेना चाहती है, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है, क्योंकि यह बात सच है कि हमारी इस यूनिट में जो जांच अधिकारी हैं वो सी.ओ. से लेकर, एडिशनल एस.पी. से लेकर, एस.पी. से लेकर के ऊपर के अधिकारी हैं। लेकिन अधिकांश जांच जो करते हैं, वह वास्तव में एडिशनल एस.पी. और एस.पी. के लेवल पर होता है। मैं आज सदन को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि इस प्रकार के जो हायर रैंक के अधिकारी हैं, आई.ए.एस. और आई.पी.एस. हैं, इनकी जांच के लिए इनके स्तर से एक कदम ऊपर का जो अधिकारी होगा, वह उसकी जांच करेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री मानिक चन्द सुराणा।

प्रदेश में लघु उद्योगों की स्थापना से रोजगार के अवसर

315. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) लघु उद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग विभागों द्वारा प्रदेश में उत्प्रेरक एवं उद्यम सहायक की भूमिका निभाते हुए दिसम्बर, 2013 से नवम्बर, 2014 तक कितने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों की अभिस्वीकृतियां जारी की गई हैं? जिलेवार लघु उद्योग एवं ग्रामोद्योग की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृतियों के फलस्वरूप प्रदेश में कितनी राशि का पूंजी निवेश हुआ व कितने व्यक्तियों को सीधे रोजगार प्राप्त हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह): (1) उद्योग विभाग द्वारा राज्य में उत्प्रेरक एवं उद्यम सहायक की भूमिका निभाते हुए दिसम्बर, 2013 से नवम्बर, 2014 तक 22,451 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापनों की अभिस्वीकृतियां जारी की गई हैं। एम.एस.एम.ई. उद्योगों की जिलेवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृतियों के फलस्वरूप 2,876.29 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश हुआ है व 1,14,606 व्यक्तियों/उद्यमियों को सीधे रोजगार प्राप्त हुआ है। सूची परिशिष्ट-। पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने जवाब में हमें माइक्रो के 21,170, स्माल इण्डस्ट्री के 1,238 और मीडियम के 43 उद्योगों के रजिस्ट्रेशन और उसके कम्प्लीशन की बात कही है। खण्ड-2 में आपने कहा है कि 2,876 करोड़ का पूंजी निवेश हो गया और 1,14,606 व्यक्तियों/उद्यमियों को सीधे रोजगार प्राप्त हुआ है। मैं यह जानना चाहता हूं, मंत्रीजी, ये जितनी संख्या आपने दी है 29 हजार की माइक्रो, स्माल की और मीडियम की, क्या ये सब उद्योग चालू हो गये हैं? क्या ये उत्पादन में आ गये हैं? या इनमें से आधे से अधिक अभी बैंकों से ऋण सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया में हैं?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्टवाइज मैंने जो ब्रेकअप आपको दिया है, उसके अन्दर आपके माइक्रो के अन्दर आपके टोटल है 21,170, 1,238 स्माल और 43 मीडियम, यानी कि 22,451 दिसम्बर, 2013 से लेकर नवम्बर, 2014 तक चालू हो चुके हैं। दूसरा, जो एम्प्लायमेंट के बारे में आपने पूछा था, उसमें माइक्रो के अन्दर 90,930 लोगों को एम्प्लायमेंट मिला है, स्माल इण्डस्ट्री के अन्दर 20,794 और मीडियम के अन्दर 2,882 लोगों को रोजगार मिला है; यानी कि कुल टोटल 1 लाख 14 हजार 606 लोगों को मिला है। इसके अतिरिक्त, ये सब अण्डर-प्रोडक्शन हैं। आपने इन्वेस्टमेंट का भी जो पूछा है, माइक्रो में आपके टोटल 1,075 करोड़, स्माल 1,319 करोड़ और मीडियम में 481 करोड़, यानी, टोटल 2,876 का आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। They are in production.

(श्री गजेन्द्रसिंह)

ये जो फीगर्स हैं, ये ई एम-2 के बेसिस पर हैं, खाली आवेदनों के बेसिस पर नहीं हैं, ये ई एम-2 है, उसकी प्रक्रिया के बेसिस पर हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि ये जो आपने उद्यम सहायक और उद्यम उत्प्रेरक हमने खास तौर से सवाल में यूज किया है, क्या यह सही है कि खादी और ग्रामोद्योग के बारे में आपने कोई सेपरेट लिस्ट नहीं है? जबकि स्पेसिफिक क्वेश्चन है, लघु उद्योग, खादी तथा ग्रामोद्योग विभागों द्वारा प्रदेश में उत्प्रेरक एवं उद्यम सहायक की भूमिका निभाते हुए। तो यह खादी और ग्रामोद्योग भी क्या इस माइक्रो में शामिल है? यह बताने की कृपा करें और इसका जवाब सेपरेट नहीं देने का क्या कारण रहा?

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खादी और ग्रामोद्योग जो हैं, ये दोनों माइक्रो में आते हैं और आप जो प्रश्न उठा रहे हैं, वह इस प्रश्न के दायरे के अन्दर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न, श्री संदीप शर्मा। आपका हो गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सवाल को देखें, खादी का मैंने स्पेसिफिक पूछा है। इन्होंने माइक्रो में उसको डाल दिया है। तो अलग से देने या न देने की तो कोई बात ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अलग से दे देंगे आपको। सूची दे देना इनको।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसके अन्दर बेसिकली इन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा है। इन्होंने पूछा है कि एम्प्लायमेंट कितनी है; इन्होंने पूछा है कि माइक्रो, स्माल कितने हैं; और उसके अलावा, रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछा है। यह सब बता दिया है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। पूरक प्रश्न, श्री संदीप शर्मा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उद्योग मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा, क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई थी? यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कोटा शहर में कितने युवाओं को स्व-रोजगार हेतु न्यूनतम ब्याज दर एवं सुलभ शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया गया?

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): उनमें से कितने उद्योग वर्तमान में सफलतापूर्वक चल रहे हैं? विगत दो वर्षों में राज्यों में कितनी लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हुई है? ऐसे जिले जहां उद्योगों के लिए पूरी उपलब्धताएं हैं, जैसे कोटा जिले में औद्योगिक महत्व को दृष्टिगत रखते हुए...,

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न से सम्बन्धित सवाल पूछिए। इसका जवाब नहीं आएगा, क्योंकि यह जो जानकारी आप चाह रहे हैं, यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न की परिधि में नहीं है। श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। प्रश्न की परिधि में सवाल पूछिएगा। यह प्रश्न पहले पढ़ लीजिए, मानिक जी का प्रश्न है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, लघु उद्योग से सम्बन्धित है, कुटीर उद्योग से सम्बन्धित है। आप भी चुनाव लड़े हैं जालौर से, जालौर के पास में लेटा गांव है जहां पर खेसले बनाने की कम से कम 1 हजार यूनिट थीं। आज सिर्फ, मात्र, केवल 100 से भी कम रह गई हैं। मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन है कि उद्योग विभाग की, आपके विभाग की, अकर्मण्यता के कारण ये लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों के प्रति एक नकारापन जो है, जिसके कारण गांवों से ये खेसले बनाने वाले कुटीर उद्योग गायब होते जा रहे हैं, इस बात की आप चिंता करके क्या कदम उठाना चाहेंगे? यह आप बता दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह एक तो प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है, इसके बावजूद मैं माननीय विधायक महोदय से इसके बारे में पूरी जांच करके और आपको मैं सही जवाब दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कितने उद्योग मेलों का आयोजन किया गया?

श्री अध्यक्ष: यह इस प्रश्न की परिधि में नहीं आता है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): दूसरा, मैं यह पूछना चाहता हूं कि माइक्रो को बढ़ावा देने के लिए टाटा कम्पनी से जो समझौता किया है ... (व्यवधान) उद्योग में ही पूछ रहा हूं मैं, माइक्रो उद्योग के बारे में ही कह रहा हूं

(श्री धर्मपाल चौधरी)

कि माइक्रो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो टाटा कंपनी से समझौता किया है, क्या टाटा कंपनी ने इसमें काम चालू कर दिया है?

श्री अध्यक्ष: विराजिए। विराजिए। जवाब है? नहीं है तो आप ना कर सकते हैं।

श्री गजेन्द्रसिंह (उद्योग मंत्री): टाटा कम्पनी के बारे में मेरे पास कोई दस्तावेज नहीं है लेकिन माइक्रो इण्डस्ट्री को आर आई पी एस-2014 के अन्दर बहुत-बहुत बेनिफिट्स हैं। मैं माननीय सदस्यों को उन बेनिफिट्स की लिस्ट दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रहलाद गुंजल।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष जी, मेरा यह एक पूरक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, तीन हो गये हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष जी, मैंने बटन दबाया था।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बटन दबाने से मतलब नहीं है। तीन हो गये हैं। बटन दबाने से क्या होता है? बटन तो दस के दबे हुए हैं, मुझे तीन ही साइन करना है।

अगला प्रश्न। श्री प्रहलाद गुंजल।

कोटा नगर विकास न्यास को बूंदी जिले के गांवों की भूमि का हस्तांतरण

316. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बूंदी जिले के कितने पटवार हलकों/ग्रामों की भूमियों एवं राजस्व रिकार्डों का हस्तांतरण नगर विकास न्यास, कोटा को किया गया है? हस्तांतरण की पूर्ण शर्तों एवं इस विषय में की गई समस्त कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नगर विकास न्यास, कोटा को हस्तांतरित की गई भूमियों की राजस्व कार्यवाहियों हेतु किस जिले एवं उपखण्ड को कार्यवाही के लिए अधिकृत किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, राजस्व (श्री अमराराम): माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) बून्दी जिले के पांच पटवार हलकों के 11 ग्रामों को नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 2.2.2010, 13.08.2010 एवं 4.09.2013 के द्वारा नगरीय क्षेत्र कोटा में शामिल करने हेतु अधिसूचित किया गया है, जिनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। उक्त ग्रामों की भूमियां व राजस्व रिकार्ड नगर विकास न्यास, कोटा को हस्तान्तरित नहीं हुआ है। उक्त 11 ग्रामों की सिवाय चक एवं राजकीय भूमियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-92 सपठित धारा 102 के अन्तर्गत आरक्षित कर नगर विकास न्यास, कोटा को स्थानान्तरित करने हेतु नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा जिला कलक्टर, बूंदी को पत्र प्रेषित किया गया है।

राजस्व विभाग के परिपत्र संख्या प.6(9) राज./6/96/11 दिनांक 29.07.2003 एवं 02.06.2009 के अन्तर्गत हस्तान्तरित की गई सिवाय चक व राजकीय भूमियों को लगान की 40 गुणा राशि जमा कर हस्तान्तरण की कार्यवाही की जानी है।

(2) नगरीय क्षेत्र कोटा में बून्दी जिले के तालेड़ा उपखण्ड के सम्मिलित किये गये 11 ग्रामों की भूमियों सम्बन्धी राजस्व कार्यवाहियां, अर्थात् कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण हेतु नगर सुधार न्यास, कोटा के उप सचिव को अधिकृत किया हुआ है। उक्त 11 ग्रामों की सिवायचक एवं राजकीय भूमियों के हस्तान्तरण की कार्यवाही जिला कलक्टर, बूंदी के द्वारा की जाएगी।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न एक।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं, खण्ड-1 में जवाब दिया है कि 4.9.2013 के द्वारा नगरीय क्षेत्र कोटा में शामिल करने हेतु अधिसूचित किया है; माननीय अध्यक्ष महोदय, नगरीय विकास विभाग ने गांवों को यू आई टी, कोटा में शामिल करने के लिए जो अधिसूचना जारी की, उसकी क्या राजस्व विभाग से परमिशन ली? क्या कलेक्टर, बूंदी के यहां जन सुनवाई हुई? गांवों से आपत्तियां मांगी गईं? सीधे ही, बिना किसी जन सुनवाई के, राजस्व विभाग से आपत्ति मांगे, नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना जारी करके और कोटा, यू आई टी में गांवों को शामिल कर लिया। राजस्थान

(श्री प्रहलाद गुंजल)

में ऐसे कितने जिले हैं जहां एक जिले का गांव दूसरे जिले की यू आई टी में है?

श्री अध्यक्ष: दूसरी जगह का नहीं। आप अपने यहां से रेलेवेंट पूछिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): इसी से रिलेटेड पूछ रहा हूं। वह ही पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, मि. गुंजल, होशियार एम एल ए हो, बूंदी के बारे में पूछिये। राजस्थान का नहीं आएगा जवाब।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): बूंदी के बारे में पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, बूंदी के बारे में पूछिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): रेवेन्यू विभाग से गांव से जन-सुनवाई करके आपत्ति नहीं मांगी गई और उसके कारण परेशानी यह हो रही है कि बूंदी जिले का वह टेल क्षेत्र का वह गांव जो कोटा के तो निकट है, 8 हजार बीघा सिवायचक भूमि पर कम से कम 2 हजार परिवार दस-दस पीढियों से बैठे हुए हैं। पिछली सरकार के मंत्रीजी की भूमाफिया की तरह निगाह गड़ी और उन्होंने कोटा के दलालों से कह दिया कि इन गांवों को मैं कोटा यू आई टी में ले रहा हूं, आप यहां आस-पास जमीनें खरीद लो। परिणाम यह हो गया कि आज उनकी जमीनें अगर भू-परिवर्तन कराते हैं तो यू आई टी, कोटा में जाओ और भूपरिवर्तन करा के नामान्तरण कराने अगर तहसील तालेड़ा में आते हैं, तो बोलते हैं कि राजस्व विभाग की कोई अधिसूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष: सवाल पूछिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): हम भू-नामान्तरण नहीं करेंगे, इस विसंगति के बारे में क्या कहना है आपका?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बून्दी जिला और कोटा जिला, दोनों अलग-अलग हैं और 11 गांव कुल, वैसे यू आई टी के तहत 119 गांव हैं जिनमें 108 कोटा के हैं और बूंदी के 11 गांव हैं, इन गांवों को लिया गया है और अधिसूचना के द्वारा अब इनमें जन सुनवाई नगरीय विकास विभाग द्वारा करवाई जाएगी और उसी के अनुसार, यह जन सुनवाई करने के बाद में आगे की कार्यवाही की जाएगी।

(श्री अमराराम)

वैसे अभियान के दौरान ऐसे गांव, जिनमें जमीन को यू आई टी में दिया गया, उनमें हमारे जो बसे हुए भाई हैं, जिनके बाड़े बने हुए थे, जिनके मकान बने हुए थे, उनको ग्राम पंचायत के जन सुनवाई के दौरान पट्टे दिये गये हैं। लेकिन उसके बाद में जब गांवों में अभियान बंद हो गये, उसके बाद ये यू आई टी को अधिकार दे दिया गया और जो हमारी कृषि को अकृषि भूमि के अन्दर परिवर्तन करना और इसके अलावा, चालीस गुणा रुपये उसे देकर के यू आई टी यह जमीन लेगी।

इसकी पूरी सुनवाई करायेंगे, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

श्री अध्यक्ष: दूसरा पूरक प्रश्न।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का बिलकुल सीधा-सा जवाब मैं मांगना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: वह मांगिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आपने कह दिया कि यू आई टी जन सुनवाई करेगी, नगरीय विकास विभाग, और आपने मान लिया, ट्रांसफर कर दिया उन गांवों को यू आई टी को; यू आई टी ने भू-उपयोग परिवर्तन करना भी प्रारम्भ कर दिया लेकिन आपकी तहसील नहीं मानती कि हमारे पास राजस्व विभाग की कोई अधिसूचना नहीं है, हम नामान्तरण नहीं करेंगे। अगर आप मान रहे हैं कि नगरीय विकास विभाग ही सब कुछ करेगा, तो अधिसूचना जारी करिये। नगरीय विकास विभाग के फैसलों के आधार पर आप नामान्तरण करें, या फिर आप तय करें कि रेवेन्यू की आठ हजार बीघा सिवायचक जमीन पर जो किसान बैठा है और हजारों बीघा जो खातेदारी है, हम पहले उनके साथ न्याय करेंगे, उसके बाद इस बारे में विचार करेंगे। क्या राजस्थान में पहले कभी किसी जिले में इस प्रकार का प्रकरण हुआ है?

श्री अध्यक्ष: विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, यह अधिसूचना 2010 एवं 2013 में जारी की गई थी और उस दौरान के प्रकरण की जांच कार्यवाही की जाकर, हम यह कोशिश करेंगे, इस सारे प्रकरण को इसकी जांच करके और माननीय सदस्य के कहे-अनुसार पूरी जन सुनवाई करके हम न्याय करेंगे। यह मैं आपको आश्वासन देता हूं।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): मेरा प्रश्न यह है कि आज जो दुविधा हो गयी...

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आपका आ गया। आप जांच करके सारा करेंगे।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न स्पष्ट है। नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बैठिये।

श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर): आज यू आई टी ने भू-उपयोग परिवर्तन कर दिया, तहसील उसका नामान्तरण नहीं खोल रही है। सीधा-सा प्रश्न है। उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया, सारा प्रकरण जांच करके निर्णय लेंगे। आ गया आपका।

श्री अशोक डोगरा।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ कह दिया कि इस प्रकरण की जांच करवा करके, और पूरी जांच करके, उन लोगों के साथ में, जिनकी भूमि अधिग्रहण होगी, उनके साथ हम न्याय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का ही मामला है। यह गलत रूप से, पूर्व सरकार में जो एक माननीय मंत्री थे, उन्होंने गलत निर्णय करके, बूंदी जिले के गांवों को कोटा यू आई टी में मिलाया। अभी मंत्रीजी कह रहे हैं कि उनके पट्टे इश्यू किये जा रहे हैं; एक महीने के अन्दर-अन्दर, कम से कम तीस मकानों की मेरे पास लिस्ट है, जिनको कोटा यू आई टी ने आकर के, अवैध रूप से, बिना कोई नोटिस दिये, तोड़ दिया। यह निर्णय ही गलत था।

मैं तो मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि यह जो गलत निर्णय हुआ, पहले तो इन्होंने जवाब ही गलत दिया, ये 11 गांव नहीं हैं, ये 13 गांव हैं, और उन 13 गांवों को, गलत रूप से बूंदी जिले के गांवों को कोटा यू आई टी में मिलाया गया है। अपनी सरकार उस निर्णय को बदलकर उन 13 गांवों को बूंदी जिले में वापस देने का विचार रखती है, या नहीं?

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): आपने बताया कि ये 13 गांव हैं लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है उसमें 11 गांव हैं। मैं आपको पढ़ कर के सुना दूं, अगर आप बोलो?

श्री अध्यक्ष: आ गये नाम।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): ये गोविन्दपुर बावड़ी, हेमापुरी...

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): आप तो ये बतायें कि वापस बूंदी जिले में जोड़ रहे हो कि नहीं? गांवों का तो पता है मुझे।

श्री अध्यक्ष: ये जवाब दे दीजिये आप तो; 11 हैं, 13 हैं, वह हो जाएगा।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि ये जो गांव यू आई टी के द्वारा ...।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): आप तो सीधा बताओ कि कांग्रेस के पापों को आप धो दोगे क्या?

श्री अध्यक्ष: आप चुप रहिये।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): इन्होंने क्या किया, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता। मैं तो इतना ही कहूंगा कि मैं इसकी जांच कराऊंगा। आपने जो बात कही है, इसकी पूरी जांच कराऊंगा और जांच करा कर के, प्रकरण के बारे में पुन: जो कुछ होगा...(व्यवधान) जो जन सुनवाई होकर के और आप लोगों को वापस...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): जब तक जांच होगी, तब तक आप इसको स्टे कर दीजिये। जांच तक आप इसको स्टे कर दीजिये, बूंदी जिले का पार्ट ही रहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। श्री नरपत सिह राजवी।

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): अगर इस प्रकार की कोई भी समस्या पैदा हुई है और आप मानते हो, तो इसकी जांच करा करके और पूरी कार्यवाही जल्दी से जल्दी ...(व्यवधान) स्टे कर देंगे, अगर कोई पट्टे जारी हो रहे हैं। यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं

(श्री नरपतसिंह राजवी)

आपके माध्यम से एक चीज निवेदन करना चाहता हूं कि 15.10.55 को टीनेन्सी एक्ट लागू हुआ है और डिस्ट्रिक्ट कलक्टर रिकार्ड आफ राइट्स रखने का अधिकारी है। यू आई टी में कैसे सीधी-सीधी कोटा में चली गई? सेट अपार्ट कर दी क्या? बूंदी कलक्टर सेट अपार्ट करेगा, उसके बाद में यू आई टी में जाने का निर्णय हो सकता है। बूंदी कलक्टर ने सेट अपार्ट नहीं किया है। यह पूरी प्रक्रिया ही गलत है।

(12.00 बजे)

श्री अमराराम (राज्य मंत्री, राजस्व): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह साफ कह दिया कि बूंदी कलक्टर को कोटा कलक्टर...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 1955 के बाद में एक गांव भी छोड़ा है क्या? एक गांव भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त। प्रश्न काल समाप्त।

श्रद्धांजलि

अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि

माननीय सदस्यगण, कृपया शांत रहें। माननीय सदस्यगण, महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर यह सदन उनकी शहादत को नमन करता है।

लाहोर षड्यंत्र केस के लिए अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दिनांक 23 मार्च, 1931 की मध्य रात्रि को लाहोर सेंट्रल जेल में क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी चर चढा दिया गया। देश की आजादी के लिए हंसते-हंसते फांसी पर चढ़े क्रांतिकारी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानी ने देश की जनता में आजादी का ऐसा शंखनाद किया, जो अन्तत: स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिगुल बजने तक गूंजता रहा। तीनों अमर शहीदों की शहादत ने देशवासियों में आजादी की वैचारिक क्रांति को बुलंद कर दिया। भगतसिंह का भी कहना था कि 'पिस्तौल और बम कभी इन्क़लाब नहीं लाते, बल्कि इन्क़लाब की तलवार विचारों की सान पर तेज होती है।'

(श्री अध्यक्ष)

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से देश की आजादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ ही आजादी के आंदोलन में शहीद हुए हजारों शहीदों की शहादत के प्रति नमन करता हूं।

इस अवसर पर कवि हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा, जो प्रासंगिक हैं:-

'सुदूर शुभ्र स्वप्न सत्य आज है, स्वदेश आज पा गया स्वराज्य है,
महाकृतघ्न हम बिसार दें अगर, कि मोल कौन आज का गया चुका
गिरा कि गर्व देश का तना रहे, मरा कि मान देश का बना रहे
जिसे खयाल था कि सिर कटे मगर, उसे न शत्रु पांव में सके झुका
रुको प्रणाम इस जमीन को करो, रुको सलाम इस जमीन को करो,
समस्त धर्म-तीर्थ इस जमीन पर, गिरा यहां लहू किसी शहीद का।

यह मैंने आपके सामने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि देने के लिए पढ़ा है। मैं सोचता हूं कि सारा सदन इससे सहमत होगा।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

1. श्रीमती सोना देवी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से महिलाओं की पोस्टिंग नीति अमानवीय एवं क्रूर होने एवं महिलाओं का मातृत्व अवकाश कम से कम 6 माह करने की आवश्यकता के सम्बन्ध में।
2. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, सदस्य की ओर से सीकर के सबसे बड़े अस्पताल श्री कल्याण अस्पताल की लेबोरेटरी में खून एवं अन्य जांचों में हो रही गड़बडियों से मरीजों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।
3. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से नागौर के भांवता गांव में बदमाशों से मुकाबला करते हुए वीरगति को प्राप्त कांस्टेबल फैज मोहम्मद को शहीद का दर्जा देने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्री रामहेत सिंह यादव, सदस्य की ओर से जिला अलवर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।
2. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से राज्य की विद्युत कम्पनियों को घाटे से उबारने के लिए कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में।
3. श्री अभिषेक मटोरिया, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में डिग्गी निर्माण कार्य जल्दी शुरू करवाने के सम्बन्ध में।
4. श्री अर्जुन लाल जीनगर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कपासन की कतिपय सड़कों की मरम्मत करवाने एवं चौड़ाई बढ़ाने के सम्बन्ध में।
5. डा. प्रेम चन्द बैरवा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू की मौजमाबाद तहसील के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में।
6. श्री शंकर लाल शर्मा, सदस्य की ओर से राज्य की सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।
7. श्री हीरालाल नागर, सदस्य की ओर से जिला झालावाड़ की भवरासा कालीसिंध परियोजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।
8. श्री रामचन्द, सदस्य की ओर से जिला झालावाड़ के चौमहला में मल्हारगंज से तलावली रोड पर आर ओ बी एवं बाइपास बनाने के सम्बन्ध में।
9. श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से जयपुर से सीकर के मध्य सड़क का सर्वे करवाकर आवश्यकतानुसार पुल, सर्विस सड़क व डिवाइडर बनाने के सम्बन्ध में।
10. श्री तरुण राय कागा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन की सड़क एवं आवागमन की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

11. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से बाड़मेर शहर की सीवरेज योजना का कार्य समय पर एवं गुणवत्तापूर्वक करने के सम्बन्ध में।

12. श्री दलीचन्द डांगी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मावली के बागोलिया बांध को भरने के लिए उदयसागर बांध की बायीं मुख्य नहर की चेन 480 से बागोलिया बांध तक फीडर का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

आज दिनांक 23 मार्च, 2015 को शून्य काल में बोलने हेतु 58 पर्चियां प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका द्वारा चार पर्चियां निकाली गईं, जो निम्नांकित हैं :-

1. श्री कंवर लाल- विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में पेयजल योजना में अव्यवस्था के सम्बन्ध में;

2. श्री फूलसिंह मीणा- झील विकास प्राधिकरण, उदयपुर मुख्यालय व देवास व आहड का सौंदर्यीकरण करने के सम्बन्ध में;

3. श्रीमती अलका सिंह, जयपुर शहर स्थित रिहायशी इलाकों में चलने वाले कोचिंग संस्थाओं व छात्रावासों के नियम-विरुद्ध संचालन के सम्बन्ध में; एवं

4. श्री गोरधन, सीकर जिले में बोर्ड व कालेज की परीक्षाओं के दौरान बिजली की हो रही कटौती के सम्बन्ध में।

श्री रामहेत सिंह।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने जो व्यवस्था दी है, उसका हम सम्मान करते हैं...

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने जो व्यवस्था दी है, हम उसका सम्मान करते हैं लेकिन एक ही मरीज का पहले ए-पोजिटिव बताना सीकर हास्पिटल की लेबोरेटरी में...

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप विराजें। नहीं, बैठिए आप। नोट मत कीजिए। आपकी हमेशा यह आदत पड़ गई है कुछ न कुछ बोलने की।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

अलवर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को रोजगार में प्राथमिकता

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख।

महोदय, अलवर जिले में औद्योगिक क्षेत्र खुशखेड़ा, भिवाड़ी, चौपानकी, नीमराणा, शाहजहांपुर एवं बहरोड़, आदि क्षेत्रों में लगभग 3,000 उद्योग स्थापित है। राज्य सरकार के द्वारा किसानों की कृषि भूमि कौड़ियों के भाव में अवाप्त कर उद्योगपतियों को रियायती दर पर उद्योग लगाने हेतु दी गई तथा बहुत से टैक्स व अन्य छूटें भी दी गई। उक्त क्षेत्र का नौजवान व किसान इस बात पर आश्वस्त था कि उन्हें स्थानीय उद्योगों में रोजगार मिलेगा, परन्तु उद्योगपतियों द्वारा जन-विरोधी नीति अपनाकर स्थानीय नौजवानों को रोजगार न देकर बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। उक्त क्षेत्र के किसानों की कृषि भूमि अवाप्त होने से कृषि कार्य पूर्णतया समाप्त हो गया है जिसके कारण किसान अपने परिवार की आजीविका चलाने में असमर्थ है और स्थानीय बेरोजगार नौजवान दर-दर की ठोकर खा रहा है। उक्त उद्योगों में श्रम कानूनों का उल्लंघन कर ठेकेदारों के माध्यम से बाहरी लोगों की नियम-विरुद्ध भर्तियां की जाती हैं। उक्त उद्योगों में भारी मात्रा में जल दोहन किया जा रहा है, और निकलने वाले गंदे पानी को बोरिंगों द्वारा वापस डाला जा रहा है जिसके कारण उक्त क्षेत्रों का पीने का पानी भी खराब हो गया है। उक्त क्षेत्र में बसे गांवों में वायु, जल व ध्वनि प्रदूषण फैलता जा रहा है जिसके कारण स्थानीय लोगों का जीना दूभर हो गया है। इन कारणों से आम जनता में व्यापक आक्रोश फैला हुआ है।

अत: मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि उक्त सभी समस्याओं का निराकरण कर स्थानीय रोजगार कार्यालयों द्वारा स्थानीय बेरोजगार नौजवानों को प्राथमिकता से रोजगार उपलब्ध करावें जिससे कि उक्त क्षेत्र के लोग अपने परिवार की आजीविका आसानी से चला सकें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: दो वरिष्ठ सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें। आपस में बातचीत नहीं करें। आपस में बातचीत नहीं करें। सब अपने-अपने स्थानों पर

(श्री अध्यक्ष)

जाएं। दो वरिष्ठ सदस्य, आपसे भी निवेदन हैं। प्रद्युम्न सिंह जी, आपस में बातचीत नहीं करें, आप अपनी सीट पर पधारिए।

डाक्टर फूलचन्द भिण्डा।

राज्य की विद्युत कम्पनियों के बढ़ते जा रहे घाटे की जांच

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान में 19 जुलाई, 2000 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अधिनियम के माध्यम से बिजली बोर्ड को पांच भागों में बांटकर पांच कम्पनियां बना दीं। कम्पनी बनाने के जो कारण दिये गये, उनमें से मुख्य रूप से गुणवत्ता एवं बिजली बोर्ड का 300 करोड़ रुपये का घाटा बताया गया था।

श्री अध्यक्ष: कृषि मंत्रीजी, आप यहां बातचीत मत कीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कम्पनियां बनने के बाद 14 वर्ष में ही ऊर्जा क्षेत्र को दिवालियापन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। सम्पूर्ण राजस्थान में पिछले 14 वर्ष में सरकार बजट प्रावधान अर्थात् सम्पूर्ण योजनामद में ऋण की मात्रा इतनी नहीं बढ़ी, जितनी ऋण की मात्रा ऊर्जा में बढ़ी। 2000 से 2003 तक घाटा घटने के स्थान पर, कम्पनी बनाने वाली कांग्रेस सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल में ही घाटा 300 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,000 करोड़ रुपये हो गया। 2004-08 में ऋण की मात्रा में आंशिक वृद्धि हुई, परन्तु 2009-13 के पांच वर्ष में कांग्रेस सरकार ने ऊर्जा घाटा बढ़ाकर 16,000 करोड़ से 77,000 करोड़ रुपये कर दिया। यह 61,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त ऊर्जा घाटा महत्वपूर्ण है जिसकी विशेष जांच की आवश्यकता है तथा बिजली कम्पनियों की गुणवत्ता बढ़ने के स्थान पर अव्यवस्था ज्यादा रही है।

पांच वर्ष के 61,000 करोड़ रुपये के घोटाले के लिए मुख्य रूप से, हर कार्य गतिविधि में ठेका पद्धति; फीडर सुधार, कार्यक्रम; इलेक्ट्रोनिक मीटर के नाम पर मीटर खरीद; ठेके पर मीटर रीडिंग देना, जबकि कम्पनियों के हजारों मीटर रीडर बैठे-बैठे वेतन ले रहे हैं; फीडर सुधार के कार्यक्रम का करोड़ों का सामान जमा न होना; मनमानी दरों पर विद्युत की खरीद, यह ऐसे उदाहरण हैं जब उसी दिन खरीद की गई तथा उसी दिन बिक्री भी की गई, का खेल चला;

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

ठेकेदारों को फर्जी बिलों का भुगतान हुआ; अभियंताओं तथा तकनीकी कर्मचारियों द्वारा विद्युत चोरी में सहयोग करने…

श्री अध्यक्ष: किरण जी, आप आपस में बातचीत मत कीजिए। बार-बार कहने की बात नहीं है।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सिंगल फेज की अलग लाइनें डाला जाना; 5,10,16 के बी की सिंगल फेज डी पी लगाने की स्कीम लाना जिनके हजारों ट्रांसफार्मर जले…..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, शायद इनको आपके अधिकार मालूम नहीं हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): …जिनको हजारों की संख्या में पुन:स्थापित किया जाना; हजारों की संख्या में डी पी चोरी होना; विविध प्रकार से सामान की खरीद में मात्रा एवं दरों में घोटाला; बिना भौतिक सत्यापन किये कार्य आदेश एवं कार्य भुगतान होना, इसके लिए कई कम्पनियों के खिलाफ जांच होकर मुकदमे दर्ज होना; कई अभियन्ताओं की सह-ठेकेदारों के साथ अघोषित साझेदारी; खरीद, वितरण तथा अंतिम छोर (फील्ड) पर लगाये गये सामान का कभी भी अंकेक्षण न होना; कुल खरीद तथा फील्ड में लगाये सामान का सत्यापन न होना; सहायक अभियंता कार्यालयों का अंकेक्षण नहीं होना, आदि।

मैं सरकार का ध्यानाकार्षण करते हुए मांग करता हूं कि ठेकेदारों के भुगतान, भौतिक सत्यापन, खरीद एवं फील्ड में भौतिक सत्यापन, सहायक अभियंता कार्यालयों का अंकेक्षण, खरीद दरों, बिजली खरीद-बिक्री की ए सी डी या सी बी आई से जांच करवाई जावे तथा व्यवस्था परिवर्तन तथा घाटे से उबारने के लिए कार्य-योजना बनाई जावे। साथ ही, एक साथ 15-20 प्रतिशत दर वृद्धि करके गरीब गांव एवं कृषक उपभोक्ताओं पर क्षमता से ज्यादा भार है, इसे कम किया जाए; वी सी आर के माध्यम से सिविल लाइबिलिटी अतिदण्डनीय प्रावधान को समाप्त किया जाए; जलस्तर गिरने से किसानों की क्षमता शेष नहीं रही है। यह भी जांच की जावे कि 61,000 करोड़ रुपये के कर्ज से कितनी सम्पदा का कहां-कहां निर्माण हुआ।

अत: गांव, गरीब, किसानों के हित में नई ऊर्जा नीति शीघ्र घोषित की जाए। वी सी आर के मामले से ग्रामीण जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

जो लोग शत-प्रतिशत चोरी करते हैं, उनको मौके पर चोरी पकड़कर राशि लेकर नियमित कनेक्शन देने से राजस्व में बढ़ोतरी होगी। निलम्बित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण किया जाए तथा घाटे से जुड़े उच्च प्रबंधकों की जिम्मेदारी तय करने के लिए उच्च प्रबन्धक से जुड़े लोगों को कम्पनियों की जिम्मेदारी से हटाकर जांच की जाए। धन्यवाद।

व्यवस्था

सदन में आपसी चर्चा से व्यवस्था में बाधा

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे अफसोस है कि मुझे बार-बार यह कहना पड़ता है कि यहां पर आपस में चर्चा नहीं करें। मैं मंत्रिमण्डल के सारे सदस्यों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि उन सबको इस परिसर में कक्ष उपलब्ध हैं। अगर किसी भी माननीय विधायक को मंत्री से कोई चर्चा करनी है तो उनके कक्ष में जाकर करें, यहां से भी उनको अपने कक्ष में ले जाएं लेकिन यहां पर जिस तरह की आपसी बातचीत होती है, वह व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करती है, सुचारु व्यवस्था में।

इसलिए मेरा एक बार फिर निवेदन है कि यहां पर आपस में बातचीत नहीं करें। जो भी आपको बातचीत मंत्रियों से करनी है, उनके कक्ष में जाकर करें, उनको यहां से ले जाएं, सदन के बाहर।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): कक्ष में मंत्री मिलते नहीं, तब यहां करते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री अभिषेक। कक्ष में, सब कक्ष में। ले जाओ वहां।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

हनुमानगढ़ एवं गंगानगर में डिग्गी निर्माण कार्य

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मैं आपका ध्यान हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में डिग्गी अनुदान तथा फसल प्रदर्शन पर हुए खर्च विवरण पर दिलाना चाहूंगा।

गत तीन वर्षों में हनुमानगढ़ जिले में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत डिग्गी/फार्म पोंड का निर्माण किया गया है। वर्ष 2014-15 में फसल प्रदर्शनों

(श्री अभिषेक मटोरिया)

पर माह फरवरी तक 2,902.08 लाख रुपये खर्च किये गये हैं। इन प्रदर्शनों पर खर्च की गई राशि डिग्गी निर्माण पर खर्च की हुई होती, तो किसानों को वर्षों तक पानी की बचत होती और उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि होती। नहरी क्षेत्रों में सिंचाई जल की कमी के कारण कृषकों के बीच आपस में हो रहे लड़ाई -झगड़े एवं समय-समय पर सरकारों के विरुद्ध हो रहे किसान आंदोलनों की समस्या से निपटने के लिए तथा पर-ड्राप-मोर-क्राप की अवधारणा को हकीकत में बदलने के लिए नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है।

फार्म पोंड/डिग्गी पर फव्वारा स्थापित करने से पानी की बचत होती है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि डिग्गी निर्माण पर अनुदान राशि 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की जाए; जिले में अभी तक 6,014 फार्म होल्डिंग्स पर डिग्गियां निर्मित हुई हैं, किसानों को सार्वजनिक डिग्गी नहीं देकर निजी डिग्गी दी जाए; विभिन्न योजनाओं के तहत फसल प्रदर्शनों व कृषि रसायनों पर खर्च हो रही सम्पूर्ण राशि डिग्गी निर्माण पर खर्च की जाए। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 11.12.2014 के अनुसार शत-प्रतिशत राशि इन्फ्रास्ट्रक्चर (आधारभूत संरचना) डिग्गी पर खर्च की जा सकती है।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि डिग्गी निर्माण कार्य जल्द से जल्द शुरू करवाया जाए ताकि काफी वर्षों से किसानों की डिग्गी सम्बन्धी जो समस्या है, उससे किसानों को छुटकारा मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुनलाल जीनगर।

कपासन की कतिपय सड़कों की मरम्मत

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र कपासन में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 625 किमी. डामर की सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों से सड़कों को ठीक करने का काम नहीं करने के कारण लगभग 340 किमी सड़कें नान पैचेबल हो गई हैं। सड़कें तो डामर की हैं लेकिन डामर कहीं नजर नहीं आता है। ग्रामीण सड़कों, जिला सड़कों पर 1 फीट से 2 फीट तक के बड़े-बड़े, गहरे खड्डे हो गये हैं।

(श्री अर्जुन लाल जीनगर)

मेरे क्षेत्र में दो सड़कें करोई से कपासन सड़क 40 किलोमीटर व कीर की चौकी से फतहनगर वाया आकोला सड़क 45 किलोमीटर पी पी पी माडल से स्वीकृत की गई हैं। इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त दोनों सड़कों को बनाने के लिए कोई भी प्राइवेट व्यक्ति तैयार नहीं होगा। अतः उक्त दोनों सड़कों को राज्य बजट से स्वीकृति प्रदान कराएं।

मेरे क्षेत्र में बनी हुई सभी ग्रामीण सड़कों को 5 मीटर व जिला सड़कों को 7 मीटर की चौड़ाई में बनवाने की स्वीकृति प्रदान कराएं।

मेरे क्षेत्र में बहने वाली नदियां, बेडच, बाकली, बनास पर बनी हुई पुलियाओं को चौड़ा करने व उनकी ऊंचाई बढ़ाने की आवश्यकता है।

मैं माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करवा रहा हूं। अतः सकारात्मक परिणाम दिलाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: डा. प्रेम चन्द बैरवा।

मौजमाबाद तहसील (दूदू) के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नति

श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र दूदू की मौजमाबाद तहसील में काफी लम्बे समय से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहा है। गांव की आबादी लगभग 20 हजार है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का प्रतिदिन का आउटडोर लगभग 200-250 का रहता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के पास भवन तो पर्याप्त उपलब्ध है परन्तु स्टाफ एवं अन्य सुविधाओं का अभाव होने एवं मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण क्षेत्र की जनता को उपचार हेतु बाहर जाना पड़ता है।

अतः मेरा आपसे निवेदन है कि क्षेत्र की आबादी को ध्यान में रखते हुए उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करवाने का कष्ट करें, ताकि क्षेत्र की जनता को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री शंकरलाल शर्मा।

सहकारी संस्थाओं की निर्णय प्रक्रिया

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत

(श्री शंकर लाल शर्मा)

मैं सहकारी समितियों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं, जो निम्न प्रकार से है:-

1. सहकारिता से सम्बन्धित 97वें संविधान संशोधन द्वारा सहकारी संस्थाओं को काम-काज में स्वायत्तता प्रदान की गई है। सहकारी संस्थाओं के संचालक मण्डल एवं आम सभा के अधिकारों में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है, लेकिन संविधान की भावना के अनुरूप संचालक मण्डल और आम सभा को सशक्त नहीं किया गया है। साथ ही, पहले की तरह ही निर्णय प्रक्रिया एक या दो व्यक्तियों तक सीमित होकर रह गई है, जिससे समितियों में वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाई है। अनेक समितियों द्वारा आम सभा को केवल औपचारिकता बना दिया गया है और समिति के पड़ोसी तक को आम सभा की खबर नहीं होती है। इसके साथ ही, समितियों में ऋण वितरण में मनमर्जी और अनियमितताओं की शिकायतों में भी बढ़ोतरी हो रही है। चूंकि सरकार द्वारा बजट घोषणा के अनुसार कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्याज-मुक्त फसली ऋण योजना चलाई जा रही है जिसमें करोड़ों रुपये की सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। अत: राज्य के बहुमूल्य संसाधनों का अपव्यय और दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए समितियों के नियमित रूप से निरीक्षण की व्यवस्था सहकारिता विभाग के स्तर से करवाया जाना आवश्यक है जिसमें विशेष तौर पर स्वायतता की आड़ में सहकारी कानून की अवहेलना को रोका जा सके।

लवाण में क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन

2. जिले में हाल ही में लवाण पंचायत समिति का गठन किया गया है। नई पंचायत समिति दौसा जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर है और वहां के किसानों के हित में तथा लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को ध्यान में रखते हुए लवाण में नई क्रय-विक्रय सहकारी समिति का गठन किया जाये। क्रय विक्रय सहकारी समिति के लिए नि:शुल्क भूमि का आबंटन प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाये ताकि आगामी खरीफ सीजन में किसानों को लवाण मुख्यालय पर ही न केवल खाद, बीज और कीटनाशक मिल सकें, बल्कि किसान अपनी कृषि जिन्सों का बेचान भी निकट स्थान पर ही कर सके।

(श्री शंकर लाल शर्मा)

दौसा में खाद का रैक पाइंट

3. जिले में किसानों को इस रबी सीजन में खाद के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था, जिसको ध्यान में रखते हुए उचित होगा कि आगामी सीजन के लिए जिले में ही खाद के लिए रैक पाइंट बनाया जाये। वर्तमान में जो रैक पाइंट हैं, वे जिले के बाहर जैसे अलवर, करौली, जयपुर व भरतपुर में है, जिससे जिले की आवश्यकता के समय खाद की उपलब्धता में परेशानी होती है।

जिले की सहकारी संस्थाओं (दवा) की बकाया राशि का भुगतान

4. जिले की विभिन्न सहकारी संस्थाओं ने मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत मुख्य मंत्री दवा वितरण केन्द्रों (डी.डी.सी.) का संचालन किया था। कुछ समय बाद सहकारी संस्थाओं द्वारा संचालित दवा वितरण केन्द्रों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्भाल लिया गया था। लेकिन लगभग दो साल के बाद भी जिले की सहकारी संस्थाओं की डी.डी.सी. संचालन पेटे लगभग एक करोड़ रुपये की राशि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर बकाया चल रही है। इस राशि के बकाया रहने से संस्थाओं की कार्यशील पूंजी नकारात्मक रूप से प्रभावित हुई है और संस्थाओं की आर्थिक स्थिति डांवाडोल हो गई है। अत: सहकारी संस्थाओं को बकाया चल रही राशि का शीघ्र भुगतान करवाया जाये ताकि सहकारी संस्थाएं किसानों के हित में अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकें।

सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण

अत: मैं माननीय सहकारिता मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिले की सभी सहकारी संस्थाओं की क्षमता वृद्धि के लिए, प्रधान मंत्रीजी की डिजिटल इंडिया योजना के अनुरूप, सहकारी संस्थाओं का कम्प्यूटरीकरण किया जाये ताकि कम्प्यूटर की एक क्लिक पर ही लाभान्वितों को पूरा विवरण प्राप्त हो सके और सहकारी संस्थाओं के कामकाज में पारदर्शिता में वृद्धि हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हीरालाल नागर।

झालावाड़ की भंवरासा-कालीसिंध परियोजना के द्वितीय चरण की स्वीकृति

श्री हीरालाल नागर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री हीरालाल नागर)

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट में कालीसिंध परियोजना के द्वितीय चरण की सिंचाई हेतु 228 करोड़ रुपये रखे गये थे, जिनकी केन्द्रीय स्वीकृति के पश्चात आगामी वर्षों में कार्य प्रारम्भ किया जाना था। कालीसिंध परियोजना के द्वितीय चरण में सिंचाई हेतु 39.15 मिलियन घन मीटर जल का प्रावधान रखा गया है जिसमें झालावाड़ जिले के झालरापाटन तहसील के 37 गांव एवं कोटा जिले के कनवास व सांगोद तहसील के 63 गांवों की 14,478 हेक्टेयर भूमि सिंचित करने की सुविधा रखी गई थी। कालीसिंध परियोजना के द्वितीय चरण की प्राथमिक रिपोर्ट को केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिनांक 22.04.2013 को अनुमति दी जा चुकी है।

कालीसिंध सिंचाई परियोजना की ऊंचाई, जो कि क्षेत्र की जलभराव क्षमता से काफी कम है, अगर जल भराव की ऊंचाई को ई एल 316 मीटर से, ई इएल 319.25 मीटर, कुल 3.25 मीटर पर जल भण्डारण क्षमता बढ़ा दी जाये तो 1,320 मेगावाट विद्युत उत्पादन निगम, झालावाड़ एवं झालावाड़ स्थित एग्रो फुड पार्क, होर्टीकल्चर पार्क के उपयोग के पश्चात् भी, 14,478 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई हेतु एवं 100 गांवों को पेयजल का अतिरिक्त पानी उपलब्ध रहेगा। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि यदि विद्युत उत्पादन निगम आधुनिक तकनीक से प्रति मेगावाट कम पानी की खपत करेगा तो सिंचाई हेतु और भी अधिक क्षेत्र सिंचित किया जा सकेगा।

परियोजना के प्रथम चरण के निर्माण के समय परिचालनों के सिविल एवं मेकेनिकल सम्बन्धी सभी कार्य बांध की ऊंचाई 319.25 मीटर मानते हुए किये गये थे। अत: केवल गेटों की ऊंचाई बढ़ाने से ही वांछित भराव क्षमता सम्भव हो जायेगी। इस परियोजना की ऊंचाई बढ़ाने हेतु सारा विनिमय पूर्व में भी किया जा चुका है।

कालीसिंध नदी से निकलने वाली हरिशचन्द्र सागर नहर परियोजना केवल वर्षा ऋतु पर आधारित हो गई है। उक्त बांध के पानी का उपयोग इस पूर्व निर्मित नहरी तंत्र से जोड़कर संचालित कर दिया जाये तो सरकार को जमीन का अधिग्रहण भी नहीं करना पड़ेगा। पूर्व में निर्मित नहरी तंत्र का सुदृढ़ीकरण कर सिंचाई की जा सकेगी। हरिशचन्द्र सागर नहर परियोजना में

(श्री हीरालाल नागर)

प्रस्तावित सिंचित क्षेत्र 17,978 हेक्टेयर है, जिसमें कुल 66 गांवों में सिंचाई सुविधा प्रस्तावित है, जिसमें खानपुर तहसील के 15 गांव एवं सांगोद तहसील के 51 गांव सम्मिलित हैं। इस परियोजना में वर्ष 2013-14 में खानपुर तहसील के 15 गांवों में कुल 3,600 हेक्टेयर एवं सांगोद तहसील के 19 गांवों में 310.67 हैक्टेयर, कुल 5,725.99 हेक्टेयर सिंचाई प्रदान की जा रही है, जबकि दोनों तहसीलों में लगभग 12,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होनी शेष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार को न तो बांध बनाना पड़ेगा, केवल 3.25 मीटर गेटों की ऊंचाई बढ़ानी है, न ही नया नहरी तंत्र विकसित करना है। पूर्व से जर्जर नहरी तंत्र को सुदृढ़ कर उपयोग में लेना है। मैं माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय से आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ आग्रह करता हूं कि इसी बजट में इस योजना को शामिल कर कार्य प्रारम्भ करने का आश्वासन आप सदन में दें, ताकि इस महती योजना का लाभ जनता को मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामचन्द्र।

झालावाड़ के चौमहला में मल्हारगंज से तलावली रोड पर आर.ओ.बी. का निर्माण

श्री रामचन्द्र (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के अन्तर्गत निवेदन है कि झालावाड़ जिले के गंगधार उप खण्ड का प्रमुख शहर चौमहला (राजेन्द्रपुर मंडी उर्फ कोलवी) एक ऐतिहासिक शहर है, जो कि व्यावसायिक दृष्टि से तथा प्रदेश की सीमाओं को जोड़ने वाला शहर है। इस शहर के हृदय से दिल्ली-मुम्बई रेलवे के लिए एक बड़ी लाइन निकल रही है, इस शहर का यह आवागमन का मुख्य रास्ता है। इससे लगे हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानें, स्कूल, उपखण्ड कार्यालय, तहसील कार्यालय, कृषि मंडी, तहसील कार्यालय के साथ-साथ बड़े स्कूल, जिससे होता हुआ यह मार्ग गुजर रहा है, हर पांच मिनट में यहां से रेल का आवागमन होता है और हर 24 घण्टे में 150-200 रेलगाड़ियां निकलती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह शहर ग्रामीण क्षेत्र का मुख्य बाजार रखता है, जिसमें कृषि जिंस बिकने आता है, तथा विश्वविख्यात मंदिर महाकाल जो उज्जैन में स्थित है, पार्श्वनाथ भगवान का उन्हेल तथा मंदसौर में

(श्री रामचन्द्र)

भगवान पशुपति नाथ का मंदिर है, यही एक मुख्य मार्ग है जो एम.पी. से जोड़ता है। यहां से बड़ी मात्रा में बजरी का विक्रय मध्य प्रदेश में होता है। ट्रैक्टरों की और अन्य छोटे-बड़े वाहनों की लम्बी कतारें लग जाती हैं। मेरी आपसे विनती है कि यह इस शहर की मुख्य सड़क है, इसमें अत्यन्त अवरोध होता है, आमजन परेशान रहता है।

अतः, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करते हुए आग्रह करता हूं कि यह शहर आराम से सांस ले सके, इसलिए एक नया बाई-पास बनाकर, बाहर ही मल्हारगंज से सीधा तलावली होते हुए, उस रोड पर आर.ओ.बी. का निर्माण हो ताकि इस शहर में आर.ओ.बी. बन जाने से आम जन को राहत हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

जयपुर-सीकर मार्ग पर सड़क सुविधाओं की वास्तविक स्थिति

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर जयपुर से सीकर के मध्य फोर लेन सड़क का निर्माण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर जयपुर से सीकर के मध्य फोर लेन सड़क का निर्माण जिस कम्पनी के द्वारा किया गया, उसके द्वारा निर्माण में इतनी अनियमितता बरती गई, जिसका खामियाजा लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है। उक्त सड़क पर जिन गांवों में पुल बनना चाहिए, वहां पर पुल नहीं बनाया गया तथा जहां पर आवश्यकता नहीं थी, वहां पर कुछ लोगों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए पुलों का निर्माण किया गया, जिससे आये दिन इस हाइवे पर दुर्घटनाएं घटित हो रही हैं।

ग्राम जैतपुरा, राधास्वामी बाग, भोजलाखा, उदयपुरिया मोड़, हाड़ौता, आदि स्थानों पर पुल निर्माण अत्यन्त आवश्यक था लेकिन इन स्थानों पर पुलों का निर्माण नहीं किया गया। इसके अलावा, कई स्थानों पर सर्विस लाइन सड़क बनाना नितांत आवश्यक था, लेकिन वहां पर सर्विस रोड भी नहीं बनाई गयीं, जिससे गलत दिशा में वाहन चलाते हुए दुर्घटनाएं घटित होती हैं। इनमें

(श्री रामलाल शर्मा)

राधास्वामी बाग़, वीर हनुमान मार्ग, हाड़ौता, बलेखन, ढोढ़सर, आदि स्थानों पर सर्विस सड़क नहीं बनाई गयी। इसके अलावा, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक स्थान है ताहेड़ा मोड, वहां पर जो डिवाइडर बनाया गया है, वह इतना गलत बना हुआ है कि इस पर अब तक 15-20 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 8-10 व्यक्तियों की मौत भी हो चुकी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, इस एन.एच. 11 पर जो टोल प्लाजा टांटियावास पर लगाया गया है, वहां पर कार्यरत कर्मचारियों का व्यवहार इतना खराब है कि उनके द्वारा विधान सभा के कई माननीय सदस्यों एवं मंत्रियों के साथ भी अभद्रता की गयी है। जयपुर विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी आनन्द लोक पर भी अवैध टोल बूथ लगा रखा है एवं कालोनी में आने-जाने वाले लोगों के साथ भी अभद्रता की जाती है।

अत: मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जयपुर से सीकर के मध्य सड़क का वास्तविक सर्वे करवाकर आवश्यकतानुसार पुल, सर्विस सड़क व डिवाइडर बनाने का श्रम करें तथा अवैध टोल वसूली को तत्काल बंद किया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री तरुण राय कागा।

चौहटन में आवागमन की विविध समस्याओं का समाधान

श्री तरुण राय कागा (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान सड़क एवं आवागमन की समस्या की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतें भौगोलिक दृष्टि से नजदीक होने के बावजूद सड़क की दृष्टि से आपस में काफी दूर पड़ती हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लम्बी सड़क दूरी के माध्यम से घुमावदार चक्कर लगाकर निकालना पड़ता है।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र के कई गांवों में अभी आवागमन के माकूल बंदोबस्त नहीं होने की वजह से रेतीले धोरों के बीच पैदल सफर करना पड़ता है और पांच-दस किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर सड़क मार्ग पकड़ना पड़ता है।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र में चौहटन व सेड़वा दो उप-खण्ड मुख्यालय

(श्री तरुण राय कागा)

होने के बावजूद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा मात्र बाड़मेर जिला मुख्यालय जाने के लिए ही उपलब्ध है।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से अपने आप में एक विशाल क्षेत्र है और यहां नवीन सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत पर बजट आबंटन क्षेत्र के अनुपात से न्यून रहता है। ऐसी दशा में इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है और अतिरिक्त विशेष बजट आबंटन की दरकार है।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र की कुछ सड़कें तो इतनी जर्जर हो चुकी हैं कि उन पर मरम्मत कार्य भी बेअसर रहता है। गौड़ा से ओगाला, कोनरा फांटा से ईटादा, बिसारणिया फांटा से बिसारणिया गांव, नेतराड फांटा से बामणोर, इत्यादि सड़कें विशेष रूप से दुर्गति की शिकार हैं। ऐसी स्थिति में, वहां पर पुरानी सड़क को खुदवा कर नवीन सड़क निर्माण हेतु बजट आबंटन की दरकार है।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न गांवों के बीच कम दूरी के कटाण रास्तों पर मिसिंग लिंक रोड निर्माण की आवश्यकता है ताकि लम्बी दूरी के चक्कर से मुक्ति मिल सके। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से विभिन्न राजस्व गांवों तक सड़क सुविधा का विस्तार किया जाना अपेक्षित है तथा सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों को रोडवेज सुविधा से जोड़ा जाए और ग्रामीण रोडवेज बस सेवा का विस्तार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर शहर की सीवरेज योजना के कार्य की अव्यवस्था

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये आपका ध्यान अत्यन्त ही जन हित के मुद्दे पर आकर्षित करना चाहता हूं बाड़मेर शहर में सीवरेज का कार्य करने वाली एजेंसीज द्वारा पिछले एक वर्ष से अधिक समय से अनियमितता एवं लापरवाही से बाड़मेर शहर की सड़कों को खोदकर छोड़ दिया गया है जिसके कारण पूरे शहर में जगह-जगह गड्ढे, टूटी सड़कों से आम जन बेहद परेशान हैं।

बाड़मेर शहर में तीन एजेंसीज द्वारा सीवरेज का कार्य किया जा रहा है, जिनमें आर.यू.आई.डी.पी., टी.सी.आई.एल. कम्पनी एवं कच्ची-बस्तियों में

(श्री मेवाराम जैन)

नगर परिषद द्वारा सीवरेज का कार्य किया जा रहा है। इसमें आर.यू.आई.डी.पी. का कार्य बहुत ही घटिया एवं निम्न स्तर का है। आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा जगह-जगह सड़कों को खोद दिया गया है। न तो सड़क का वापस रिपेयर किया जाता है और कोई पैचवर्क किया भी है तो बहुत ही घटिया कार्य किया गया है। कई बार आर.यू.आई.डी.पी. के अधिकारियों को कहने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इससे भी बुरा हाल दूसरी एजेंसी टी.सी.आई.एल. कम्पनी का है। उसका तो थोड़ा कार्य करने के बाद, पिछले कई महीनों से इनका कार्य बंद पड़ा है।

इस प्रकार इन कम्पनियों ने लापरवाही-पूर्वक कार्य कर पिछले एक वर्ष से बाड़मेर शहर की दुर्गति कर दी है। बाड़मेर शहर का जो मुख्य बीच का इलाका है, जहां सीवरेज की मुख्य आवश्यकता थी, इस इलाके को तो सीवरेज प्रोजेक्ट में शामिल भी नहीं किया गया है। नगर परिषद बाड़मेर के 5 करोड़ रुपये पिछले कई महीनों से रूडिफको से बकाया चल रहे हैं। इसको लेकर कई बार नगर परिषद द्वारा सरकार को लिखा गया लेकिन अब तक नगर परिषद को यह राशि प्राप्त नहीं हुई है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि बाड़मेर शहर में सीवरेज का कार्य करने वाली इन कम्पनियों को सख्त पाबंद करें कि यह कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक तरीके से किया जाए, अन्यथा इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए, एवं रूडिफको से नगर परिषद के बकाया चल रहे 5 करोड़ की राशि को अतिशीघ्र परिषद को दिलाने का श्रम कराएं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री दलीचन्द डांगी।

मावली के बागोलिया बांध के लिए फीडर निर्माण

श्री दलीचन्द डांगी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मावली की ग्राम पंचायत बडियार स्थित बागोलिया तालाब सिंचाई हेतु एक अति महत्वपूर्ण तालाब है। यह विगत 25 वर्षों में केवल एक बार ही भरा है। बागोलिया बांध के लगातार खाली रहने से गरीब किसानों को सिंचाई का पानी नहीं मिलने से उनमें हताशा का भाव है। वे चाहते हैं कि यह तालाब भरा जाए ताकि उनके जीवन स्तर में भी सुधार हो

(श्री दलीचन्द डांगा)

सके। किसान वर्ग इस तालाब को भरे जाने के सम्बन्ध में लगातार आवाज उठाते रहे हैं तथा यह मेरे क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं में से एक है।

बागोलिया बांध बनास बेसिन की बेड़च नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। उक्त बांध की कुल भराव क्षमता 686 मिलियन घन फीट है। मावली तहसील के बागोलिया बांध को भरने के लिए उदयसागर बांध की बायीं मुख्य नहर की चेन-480 से बागोलिया बांध के जल प्रवाह नाले तक लगभग 28 किलोमीटर लम्बी फीडर का निर्माण कर गुरुत्व प्रवाह से बागोलिया बांध में जल अपवर्तन किया जा सकता है। फीडर निर्माण से बागोलिया बांध से मावली तहसील के गांवों की 3,676 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सम्भव हो सकेगी एवं कमाण्ड क्षेत्र के कृषक लाभान्वित हो सकेंगे। साथ ही, भूजल स्तर में वृद्धि होगी। साथ ही, बागोलिया बांध भरने से ग्राम सालेराकलां, बिरधोलिया, खेमली, मांगथला, खरताणा एवं पलानाकलां के तालाब भी भरे जा सकते हैं। इससे भूजल की वृद्धि होगी एवं किसानों को सिंचाई हेतु सुविधा मिल सकेगी।

मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बागोलिया बांध को भरने के लिए उदय सागर बांध की बायीं मुख्य नहर की चेन 480 से बागोलिया बांध तक फीडर निर्माण कार्य जारी करने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: पर्ची के माध्यम से, श्री कंवरलाल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

मनोहरथाना क्षेत्र में जल प्रबंधन की अव्यवस्था

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): धन्यवाद, अध्यक्षजी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में इन्द्रदेव की कृपा से और प्रकृति के वरदान से पानी की कोई कमी नहीं है। प्राकृतिक स्रोत बहुत अच्छे हैं और 2003-04 और 2004-05 में वसुन्धराजी ने पूरे प्राकृतिक स्रोतों में, नदी में एनिकट बनाकर, डैम बनाकर छापी डैम, कालीखाड़ गुलंडी जावर प्रोजेक्ट से कम से कम 60 परसेंट गांव, मेरे विधान सभा क्षेत्र के, पानी से जोड़े हैं और लगभग सभी गांवों में शुद्ध पानी मिलना शुरू हो गया था। जैसे ही कांग्रेस सरकार आई, जो कम्पनी उनका संचालन करती थी, उनके माध्यम से ऐसी अव्यवस्था फैला दी कि अभी तक उन गांव में पानी ठीक से आता नहीं है और आता है तो टूंटियां टूट रही हैं। उस माध्यम से पूरा पानी व्यर्थ बहता रहता है। वसुन्धरा जी ने प्रत्येक गांवों में पानी की टंकी के साथ-साथ पशुओं के

(श्री कंवर लाल)

पीने के लिये खेळ भी बनवाई है और खेळों में उस समय बहुत अच्छा पानी आता था। पीने के लिए भी शुद्ध पानी मिलता था, जानवरों को भी पीने का पानी मिलता था। अभी 70 प्रतिशत खेळें टूटी हुई हैं और एक भी गांव में ठीक से पानी नहीं आता। कई तो टूंटियां टूटी हुई हैं और जहां नहीं टूटी हुई हैं तो प्रभावशाली लोगों ने अवैध रूप से कनेक्शन करके अपने खेतों में, जो पीने का शुद्ध पानी है, उसको खेतों में ले जाकर उससे खेती की जा रही है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मिलीभगत करके कर्मचारी और कम्पनी के कर्मचारी, दोनों ने ऐसा तालमेल बिठा रखा है। हमारे कई बार शिकायत करने के बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। उदाहरण के तौर पर, मेरे खुद के गांव में न तो पीने का पानी आया उस योजना से, और न ही एक भी पशु ने उस खेळ में पानी पिया।

मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे जो टूटी हुई टूंटियां हैं, वे टूटी हुई जो खेळ हैं, वह कब तक ठीक करने की मंशा रखते हैं?

वहां से झालावाड़ जिले भी छापी डैम से पानी आता है, बकानी में भी पानी आता है। बहुत सारे गांव, योजना बनाते समय ऐसी कमियां रख दी हैं अधिकारियों ने कि पीने के शुद्ध पानी का जो पाइप जा रहा है, उस पाइप के पास में ही स्कूलें, कोई धार्मिक स्थान हैं, कोई छोटे-मोटे गांव हैं, उनको उस पाइपलाइन से नहीं जोड़ा गया, जबकि आराम से स्कूल के पास से पाइपलाइन निकली है, चाहे पीछे से पाइप लाइन निकली है, चाहे पीछे से निकली है, चाहे साइड से निकली है, चाहे आगे से निकली है। इस त्रुटि का सुधार करते हुए, क्या उन स्कूलों को भी, क्या उन छोटी ढाणियों को भी, क्या उन धार्मिक स्थानों को भी जोड़ने की मंशा रखते हैं? और जो बकानी के गांव भी उसमें जुड़े हुए हैं, उनको जोड़ने की मंशा रखते हैं? रखते हैं तो कब तक रखते हैं?

श्री अध्यक्ष: श्री फूलसिंह मीणा।

श्री कंवर लाल (मनोहरथाना): जवाब दे रही हैं, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: सारी। फूलसिंह जी, विराजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मंत्रीजी का जवाब होने दो।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मनोहरथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपनी बात कही, उसमें उनके यहां पर जो योजनाएं चल रही हैं, वे योजनाएं पिछले 2003 से 2008 का हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी का जो पूर्व कार्यकाल था, उस कार्यकाल से ये योजनाएं शुरू हुई थीं। उनकी प्राब्लम यह है कि जो ओ.एड.एम. दिया हुआ है, वह सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। जो पिछली सरकार ने ओ. एंड एम. की सर्विसेज के लिए जो टेण्डर्स किये और जो ओ.एड.एम. दिये गये, उसमें जिन लोगों को दिया गया, वे लोग बराबर से सही काम नहीं कर रहे हैं।

इन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, तो निश्चित रूप से मैं उनको विश्वास दिलाती हूं कि उन्होंने पशुओं के लिए खेळी कहा, जल के लिए बनवाई गईं, उनमें 70 प्रतिशत, उनका जैसा कहना था, टूटी हुई हैं; या पी.एस.पीज. जो हैं, जो पी.एस.पी. कनेक्शन नहीं दिये गये थे, पी.एस.पी. से अनधिकृत रूप से लोगों ने पाइप खींच लिये और उसकी वजह से सारा प्रेशर पानी का कम हो रहा है। इसमें हम लोग यह करेंगे कि जो पी.एस.पी. के अनधिकृत कनेक्शंस उन लोगों ने ले रखे हैं, उनको सबको हटवायेंगे; एफ.आई.आर. लाज करानी होगी, तो एफ.आई.आर. लॉज करवायेंगे; जो खेळियां टूटी हुई हैं, उन खेळियों को भी ठीक करवायेंगे, और एक महीने के अन्दर-अन्दर इन सारी चीजों को करवायेंगे। यह मैं आश्वस्त करती हूं।

श्री अध्यक्ष: फूलसिंह मीणा।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): पाइंट आफ इन्फार्मेशन।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये। कोई पाइंट आफ इन्फार्मेशन नहीं। विराजिये।

सूचना

चित्तौड़ में बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह से फैल रही दहशत

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): एक निवेदन एक सेकण्ड के लिए है। चित्तौड़ जिले में बच्चों को उठाने वाला एक गिरोह, अपहरण करने वाला एक गिरोह चल रहा है। आये-दिन समस्याएं आ रही हैं। रोज की समस्या यह हो रही है।

श्री अध्यक्ष: आप गुलाब जी से मिल लीजिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): छोटे-छोटे बच्चों का अपहरण हो रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: गृह विभाग का मसला है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): अभी दो-तीन केस भी दर्ज हुए। पकड़े भी हैं एक पेट्रोल पम्प के ऊपर। रोज ये घटना घट रही हैं...

श्री अध्यक्ष: गृह विभाग का मसला है।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन): और दहशत फैली हुई है पूरे इलाके में। यह मुझे निवेदन करना है।

श्री अध्यक्ष: आप गुलाब जी के चैम्बर में मिल लीजिये।

श्री फूलसिंह मीणा।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

झील विकास प्राधिकरण मुख्यालय की उदयपुर में स्थापना

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हाल ही झील विकास प्राधिकरण विधेयक सदन में पारित हुआ है, मैं सरकार से गुजारिश करना चाहता हूं कि झील विकास प्राधिकरण का मुख्यालय उदयपुर में होना चाहिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, उदयपुर शहर राजस्थान में ही नहीं, वरन् पूरे देश में अधिकतम झीलों तथा इनके नैसर्गिक सौन्दर्य की वजह से जाना जाता है। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर की पिछौला, उदयपुर की फतेहसागर झील, उदयसागर झील, विश्वविख्यात मीठी जयसमंद झील, राजसमंद झील उदयपुर सम्भाग में अवस्थित हैं। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर की पिछौला एवं फतेहसागर झील के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा संरक्षण योजना के अन्तर्गत 140 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं एवं तीन वर्षों में झील संरक्षण का, सौन्दर्यीकरण का काम चालू है।

अध्यक्ष महोदय, इन सब तथ्यों के मद्देनजर राजस्थान झील संरक्षण और विकास प्राधिकरण के मुख्यालय के लिए उदयपुर से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है तथा इस प्राधिकरण का मुख्यालय उदयपुर में बनाया जाना हर दृष्टि से उपयुक्त है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: निवेदन करना चाहता हूं कि मेवाड़ की जयसमंद झील एशिया की मीठे पानी की झील,

(श्री फूलसिंह मीणा)

पिछौला, फतेहसागर, राजसमंद, जयसमंद, उदयसागर, गोवर्धन सागर जैसी विश्वविख्यात झीलों सहित ऐसे कई जलाशय मेवाड़ क्षेत्र में स्थित हैं। अहम बात यह भी है कि झील विकास प्राधिकरण का पहली बार प्रस्ताव भी मेवाड़ से ही तैयार होकर राज्य सरकार के पास आया था। अध्यादेश के अनुसार मुख्यालय कहां बनना है, इसको लेकर अभी राज्य सरकार के स्तर पर निर्णय होना है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे में सदन व राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि प्राधिकरण का मुख्यालय उदयपुर में ही बनाया जाये।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों माननीया मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी राजे उदयपुर यात्रा पर आई थीं, तब जन-प्रतिनिधि व वहां के झील प्रेमी लोगों ने मुख्य मंत्रीजी को मिलकर प्राधिकरण का मुख्यालय उदयपुर में बनाने का आग्रह किया था।

आयड़ नदी की दशा में सुधार की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय, इस क्रम में राजस्थान सरकार का ध्यान उदयपुर शहर के बीचों-बीच से गुजर रही आयड़ नदी की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, आप भी भली-भाति परिचित हैं कि प्राचीन आयड़ सभ्यता का केन्द्र उदयपुर का आहड़ क्षेत्र रहा है तथा यह प्राचीन आयड़ नदी के किनारे विकसित हुई आयड़ नदी एक मात्र नदी है, जो बीच शहर से गुजर रही है। विश्व के सुन्दरतम शहर नदी के किनारों पर विकसित हुए हैं। उदयपुर को भी वेनिस शहर के समतुल्य माना जाता है। इसके बाद भी हाल यह है कि लोगों ने देखरेख के अभाव में अपने-अपने हिसाब से नदी के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण कर लिया है। इससे भी गम्भीर बात यह है कि गंदे पानी के नाले गिरने से हमारी आयड़ नदी एक गंदे पानी का नाला बनकर रह गयी है। उदयपुर-वासियों की भावना है कि आयड़ नदी खूबसूरत नदी बने, यह मांग वर्षों से हो रही है, मगर आयड़ की दशा नहीं सुधरी।

हाल ही में यू.आई.टी. व जिला प्रशासन ने आयड़ नदी के विकास के लिए 24 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बनाकर भारत सरकार को भेजा है। ऐसे में मेरी सरकार से गुजारिश है कि इस प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए आयड़ विकास के लिए बजट उपलब्ध कराएं। मेरा सरकार से यह आग्रह है। आयड़ के बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के क्रम में इसे बड़े अभियान के रूप में चलाया जाए, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाए। इसके साथ ही, नदी के बहाव क्षेत्र में कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाए।

(श्री फूलसिंह मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि उदय सागर को भरने में आयड़ नदी का ही एक मात्र योगदान रहता है। ऐसे में जब तक आयड़ साफ नहीं होगी तब तक उदय सागर झील को प्रदूषण से मुक्त करना सम्भव नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? आप हमारे उदयपुर के निवासी हैं और इस उदयपुर और आयड़ को सुन्दर बनाने के लिए आपका भी इसमें योगदान चाहता हूं।

देवास परियोजना का संचालन

इसके साथ ही, देवास की जो फर्स्ट और सेकण्ड योजना बनी थी, उससे हमारी झीलें छह वर्षों से लगातार भरी हुई हैं। पानी की कमी नहीं है। माननीय गृह मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी का आशीर्वाद मिला और हमारी झीलें अब बराबर, कंटिन्यू भरी रहती हैं। थर्ड और फोर्थ का प्रोजेक्ट अभी बाकी है, मगर हमारे उदयपुर में पानी की कमी नहीं है।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आयड़ नदी को सौन्दर्यीकरण में लाने के लिए मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रोजेक्ट को मद्देनजर रखते हुए इस बजट में प्रावधान रखकर कार्य को संचालित करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

आप रेस्पोंड करेंगे? बहुत अच्छे। बहुत अच्छे।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान झील संरक्षण का जो बिल 21.03.2015 को सदन ने पास किया है, उस अधिनियम की धारा 8(7) के अनुसार, "The headquarters of the Authority shall be at Jaipur or at such other place as the State Government may notify." मोटे तौर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्टेट लेक अथोरिटी पूरे प्रदेश के लिए है। निश्चित रूप से उदयपुर में कई झीलें हैं, सुरम्य स्थान है लेकिन लेक कन्जर्वेशन और लेक प्रोटेक्शन के लिए जिस प्रकार के विशेषज्ञों की सुविधाएं चाहिए, उसी के हिसाब से फिलहाल जयपुर को उसका हैडक्वार्टर बनाने का एक्ट में ही उल्लेख है।

आपने आयड़ नदी की बात की, यह बात सही है, आयड़ नदी पुरानी नदी है, आयड़ के यहां पर सभ्यता पैदा हुई और इसीलिए उसके सौन्दर्यीकरण के लिए 180 करोड़ की लागत से नेशनल लेक कन्जर्वेशन प्रोग्राम, एन.एल.सी.पी. के तहत एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की गयी। डिटेल्ड

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने 24.12.2014 को एन्वायरनमेंट डिपार्टमेंट में भेज दी, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद में उसकी मीटिंग भी हो गयी। मीटिंग के अन्दर एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अन्दर कुछ रिविजंस के लिए कहा है। उन रिविजंस के लिए डी.पी.आर. भेज दी, वापस भेज दी। हमने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अन्दर रिविजंस जो एन्वायरनमेंट डिपार्टमेंट चाहता था, वे रिविजन कर दिये हैं।

इसी बीच, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एन.एल.सी.पी. प्रोग्राम है, यह टर्मिनेट कर दिया गया और इसकी जगह नया प्रोग्राम आया नेशनल प्लान आन कन्जर्वेशन आफ एक्वेटिक इको सिस्टम, जो शुरू किया गया है, लेकिन इसकी भी मोटे तौर पर कोई रूपरेखा तैयार नहीं हुई। ज्यों ही इसकी रूपरेखा तैयार हो जाती है और एन.एल.सी.पी. प्रोग्राम के तहत जिन प्रोजेक्टों को लिया जाना था, उनको इस प्लान के तहत लिया जा सकेगा, यह तय हो जाएगा, तब ही हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसको हमने रिवाइज किया है, वह रिविजन, 180 करोड़ की योजना हम निश्चित रूप से वहां भेज देंगे और इसके माध्यम से उसको पास कराने की कोशिश करेंगे।

जहां तक देवास परियोजना की बात की है, यह सही है कि उदयपुर की झीलों में हमेशा पानी लबालब रहे, इसकी चिंता हम सब लोग बहुत लम्बे समय से कर रहे हैं। इसलिए देवास परियोजना का फेज-वन पूरा हो गया है और, माननीय अध्यक्ष महोदय, फेज-टू का 98 प्रतिशत काम हो चुका है। आकड़ोदा में बांध बन गया है और सुरंग भी बन गयी है। तीसरे फेज के लिए हमने 379 करोड़ की लागत से तीसरे फेज की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। यह तीसरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद निश्चित रूप से पिछौला और आसपास की झीलों के अन्दर लगातार पानी बना रहे और जो लेक अथोरिटी हमने बनायी है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वह भी इस दिशा में काम करेगी कि किस प्रकार से उदयपुर के इलाके की झीलें सुरम्य बनें, साफ बनें और झील हमेशा पानी से लबालब रहें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अलका सिंह।

जयपुर के रिहायशी इलाकों में कोचिंग संस्थाओं व छात्रावासों का नियम-विरुद्ध संचालन

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में

(श्रीमती अलका सिंह)

रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से कोचिंग संस्थान चल रहे हैं, छात्रावास चल रहे हैं। जनरली होता क्या है कि लोग एक मंजिल में खुद रहते हैं और ऊपर दो-चार मंजिलें चढ़ा देते हैं और उनको किराये पर दे देते हैं। इस वजह से उनमें बिजली और पानी का जो कनेक्शन होता है, वह भी घरेलू ही काम में लिया जाता है। बिजली, पानी का जब घरेलू कनेक्शन होगा तो राज्य को उससे राजस्व हानि भी होती है।

इसके अतिरिक्त, इन संस्थानों में या छात्रावासों के लिए पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं होती है, जबकि हाई कोर्ट की रूलिंग है कि अगर 40 फीट से कम कोई रोड है तो वहां व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त, कई संस्थानों में अग्निशमन यंत्र भी नहीं हैं। कई जगह पर अण्डरग्राउण्ड में ये संस्थान चलते हैं, सिक्योरिटी हैजार्ड हो जाता है। पिछले ही साल बापू नगर के एक कोचिंग संस्थान में इसी तरह का वाकया हुआ था, वहां अग्निशमन यंत्र नहीं था, आग लग गयी थी और समय रहते बच्चे बाहर आ गये, इसलिए कोई जन हानि नहीं हुई।

इनके लिए कोई बाईलाज नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करना चाहूंगी कि जिस तरह आपने विवाह स्थलों के लिए बाईलाज बनाये हैं तो क्या इस तरह के कोचिंग संस्थानों के लिए बाईलाज नहीं बनाये जा सकते?

सिक्योरिटी के हिसाब से भी, अपराधियों के लिए भी एक तरह से ये शरण-स्थली बने हुए हैं, क्योंकि कोचिंग संस्थानों को सिर्फ अपनी फीस से मतलब होता है। छात्रावासों में भी यही स्थिति है। कोई भी व्यक्ति वहां जाता है, ना तो उनकी डिग्री देखी जाती है, ना उनको वेरिफाई किया जाता है कि वे कहां के रहने वाले हैं, कहां से आ रहे हैं। सिर्फ फीस से इन संस्थानों को मतलब होता है। कोई भी आता है, एडमिशन ले लेता है और चला जाता है। तो इस चीज की क्या गारंटी है कि वहां अपराधी नहीं रहेंगे? कालोनीज में इस तरह के संस्थान चल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, पिछले ही सत्र में 31 जुलाई, 2014 में मैंने इस पर एक ध्यानाकर्षण लगाया था। माननीय गृह मंत्री महोदय ने उसमें रिप्लाई दिया था और आपने बताया था कि जे.डी.ए. की धारा 32 के अन्तर्गत इस तरह के

(श्रीमती अलका सिंह)

कोचिंग संस्थानों को नोटिस दिये जाते हैं और अगर वे नियम विरुद्ध हैं तो धारा 34 के अन्तर्गत उनको सीज किया जाता है। उसमें इन संस्थानों की संख्या 21 ही बतायी थी, जबकि, अध्यक्ष महोदय, मैं 400 से 500 ऐसे संस्थानों के आपको एड्रेस बता सकती हूं जो नियम-विरुद्ध चल रहे हैं और इस तरह के छात्रावास हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने उस समय अपने जवाब में कहा था, मैं पढ़ कर सुनाना चाहूंगी, ''कोचिंग संस्थान संचालन के लिए वर्तमान में कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं हैं, यह प्रदेश के सभी बड़े शहरों की समस्या है। अत: इसमें नीति निर्धारण की आवश्यकता है जिसके लिए नगरीय विकास विभाग आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करेगा।'' अब इस 'तुरन्त' की डेफिनेशन क्या है? क्योंकि एक साल हो चुका है और यह 'तुरन्त' अभी तक नहीं आया है।

इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह भी कहा था कि 40 फीट से कम पर जो गतिविधियां हो रही हैं, उन कोचिंग संस्थानों के बारे में हम नीति निर्धारित करेंगे और यह व्यवस्था करेंगे कि पार्किंग की व्यवस्था इन संस्थानों में जरूर हो, जिससे कि ऐसी जगहों पर ये संस्थान संचालित नहीं हों, जहां ये नियम-विरुद्ध चल रहे हैं। आवासीय कालोनी में रहने वाले लोगों को, कालोनी के कई संस्थान ऐसे हैं जो बिलकुल कालोनी के फर्स्ट हाउस में ही हैं, आप कालोनी के अन्दर ही नहीं जा सकते। अगर आप सुबह निकल गये तो ठीक है, बाद में आपको गाड़ी बाहर पार्क करनी पड़ेगी, क्योंकि अन्दर कोचिंग संस्थान के लोगों की मोटर साइकिल्स खड़ी होती हैं, गाड़ियां खड़ी होती हैं।

अब यह जन हित का मुद्दा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे फिर संरक्षण चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार जब मैंने यह मुद्दा उठाया था तो एक बहुत बड़े अख़बार ने लिखा था कि मेरा निजी हित है। विधायक होने के नाते जन हित के जो मुद्दे हैं, जो सारी जनता को प्रभावित करते हैं, क्या हम उनको उठाने का अधिकार नहीं रखते हैं? तो अगर फिर कुछ ऐसी बात आती है तो आपके संरक्षण की मुझे दरकार है।

(13.00 बजे)

मैं गृह मंत्री महोदय से और नगरीय विकास मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में जवाब चाहूंगी कि क्या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह की जगहों पर

(श्रीमती अलका सिंह)

नहीं आएं, उसके लिए कोई वेरिफिकेशन की व्यवस्था करने की कोई मंशा सरकार रखती है? नगरीय विकास मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगी कि सिर्फ 21 संस्थानों की लिस्ट सरकार को दी गई है। ऐसे 400-500 संस्थान हैं उनके विरुद्ध क्यों कार्यवाही नहीं की गई है और क्यों बाय-लाज अभी तक नहीं बनाये गये हैं, जिससे कि आपराधिक प्रवृत्ति पर भी रोक लगे? और जो रिहायशी कालोनियों में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, एंटी-सोशल लोग भी इसका फायदा उठाते हैं। तो रिहायशी इलाके में आम जन शांति से रह सकें, ऐसी व्यवस्था हो सके, यह मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगी।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि जयपुर ही नहीं, राजस्थान के कई शहरों में कोचिंग की गतिविधियां चल रही हैं। गत बार 131 के मोशन के तहत भी जब बांदीकुई से आने वाली माननीय सदस्या ने यह मामला उठाया था, तब सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि जल्दी ही हम इस दिशा में कार्यवाही करेंगे। कई कोचिंग सेंटर्स को उसके बाद में सील भी किया गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोचिंग सेंटर के लिए मानदंड तय करने का काम नगरीय विकास विभाग का नहीं है। नगरीय विकास विभाग ने कोचिंग सेंटर्स के मानदंड तय करने के लिए शिक्षा विभाग को दो बार लिखा है। मैं समझता हूं कि शिक्षा विभाग जल्दी ही इसके मानदंड तय कर देगा।

जहां तक कोचिंग सेंटर और गेस्ट हाउसेज या हास्टल के बारे में बाय-लाज की बात है, होस्टल के लिए बाय-लाज पहले से जे डी ए के अन्दर निर्धारित हैं। उन बाय-लाज के माध्यम से ही हास्टल की बिल्डिंगों का निर्माण सम्भव हो पाता है। लेकिन कोचिंग संस्थान के नाम से कोई बाय-लाज नहीं बनाये। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कल ही नगरीय विकास विभाग की मांगों के दरमियान कहा था कि हम बाय-लाज को रिव्यू करेंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हास्टल्स के लिए तो बाय-लाज पहले से बने हुए हैं, कोचिंग संस्थान के लिए भी निश्चित रूप से बॉय-लाज बनेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि कई इलाकों में इस प्रकार की गतिविधियां चल रही हैं। कई इलाकों में कोचिंग संस्थानों को सीज किया गया, कहीं पर एक्शन लिया गया।

(श्री राजपाल सिंह शेखावत)

माननीय अध्यक्ष महोदय, धारा 34-क, जिसकी चर्चा माननीय सदस्या ने की है, उसमें 16 प्रकरणों के अन्दर जयपुर विकास प्राधिकरण ने एक्शन लिया है, 14 प्रकरणों के अन्दर चालान पेश कर दिया गया है और जो भी अनलाफुल एक्टिविटी हैं, उनको खतम करने की कोशिश की गई है। यह भी सही है कि कई जगह पर अग्निशमन यंत्र नहीं होते हैं, उसके लिए नगर निगम ने कई बिल्डिंगों को सीज किया है, कोचिंग सेंटर्स को सीज किया है। जब उन्होंने अग्निशमन के उपकरणों की व्यवस्था कर दी, तब उनकी सील खोली गयी है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह छोटी समस्या नहीं है, कोई इलाके में केन्द्रित समस्या नहीं है, यह बहुत विस्तृत समस्या है जिसके निदान के लिए निश्चित रूप से शिक्षा विभाग उसके मानदंड तय करेगा और नगरीय विकास विभाग उसके लिए बाय-लाज आने वाले 2-3 महीनों में तैयार कर लेगा। आपके माध्यम से मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: थैंक यू। श्री गोरधन।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सवाल और पूछूंगी, मैंने माननीय गृह मंत्रीजी से वेरिफिकेशन के लिए पूछा था। उनसे जवाब और दिलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप मिल लेना। अच्छा, बोलें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उस दिन जो जवाब दिया था, नगरीय विकास मंत्री के जिम्मे जो मुझे काम सुपुर्द किया गया था, उसके आधार पर किया, क्योंकि सामूहिक जिम्मेदारी है मंत्रिमंडल की। जैसा उन्होंने जवाब दिया बाय-लाज जरूर बनने चाहिए। वहां जो रहने वाले लोग हैं, उनको परेशानी है। उस समय अधिकारियों से जो राय बनी, वही मैंने वक्तव्य यहां दिया था। उसका पालन हो, इस बात की चिंता है।

श्री अध्यक्ष: श्री गोरधन।

श्री गोरधन (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से बोलने का समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

श्री संजीव कुमार (भादरा): सेटिंग से पर्ची खुली है।

श्री गोरधन (धोद): नहीं, नहीं, कोई सेटिंग से नहीं खुली है। 58 पर्चियां

(श्री गोरधन)

निकली हैं। मैं लगभग एक महीने से पर्ची डाल रहा हूं, आज निकली है पर्ची। ऐसा थोड़े ही होता है कोई।

एक माननीय सदस्य: सेटिंग से तो पहले निकलती थी।

श्री गोरधन (धोद): सेटिंग से तो पहले ही निकल जाती। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सेटिंग सम्भव नहीं है। सेटिंग सम्भव नहीं है विधान सभा की प्रक्रिया में।

एक माननीय सदस्य: अब नहीं है, पहले थी।

श्री संजीव कुमार (भादरा): ये माननीय सदस्य वहीं विराजते हैं, इसलिए कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजो। (व्यवधान)

सीकर में परीक्षाओं के मध्य जारी विद्युत कटौती

श्री गोरधन (धोद): मैं ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि वैसे पूरे राजस्थान में ही परीक्षाएं हो रही हैं, लेकिन विशेष रूप से सीकर जिले में और सीकर जिले में भी विधान सभा क्षेत्र धोद में...

श्री अध्यक्ष: पुष्पेन्द्र सिंह जी, आपके विभाग का मामला है।

श्री गोरधन (धोद): अधिकतर जनसंख्या गांवों में है और गांव में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं। वहां पर इस समय बिजली की बार-बार कटौती हो रही है। यदि एक घंटे की भी कटौती होती है तो भी पढ़ने वाले बच्चों के लिए बड़ी दुविधा होती है। वह कटौती दिन में की जा सकती है लेकिन रात्रि के समय कटौती नहीं की जाए।

इसी के साथ में मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि किसानों की भी अभी फसल पकाव पर है, चाहे गेहूं की फसल हो, चने की फसल हो। इसमें दिन में लाइट देते हैं। तो उससे फव्वारे का जो पानी है, वह सही जगह पर नहीं पड़ता है, क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है। बिजली का जो समय है, वह दिन का होता है। वह सुबह 5 बजे से दिया जाए, तो इससे किसानों को भी काफी राहत मिल सकती है।

घरेलू जो कनेक्शन हैं बिजली के, उन कनेक्शनों के लिए त्वरित कार्यवाही करते हुए, जो आबादी क्षेत्र में आते हैं या आबादी क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में आते हैं, उनको भी ये कहते हैं कि आबादी क्षेत्र में नहीं हैं। लेकिन 500 मीटर की जो दूरी होती है, उसको आबादी मानते हुए उनका

(श्री गोरधन)

कनेक्शन भी जल्दी दिया जाए। जो 5 के ग्रुप में आवेदन किये गये थे, उनको भी त्वरित गति से कनेक्शन दिये जाएं तो मैं सोचता हूं कि जनता को काफी राहत मिल सकती है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड करेंगे?

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): हां, हां।

श्री अध्यक्ष: यस।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): माननीय अध्यक्ष महोदय, धोद से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि पिछले 3-4 दिन से बिजली की कटौती रात को चल रही है, यह बात बिलकुल सही है। राज्य में सूरतगढ़, छबड़ा, अड़ाणी, ये जो थर्मल पावर स्टेशन हैं इनकी 2,320 मेगावाट क्षमता की इकाइयां बंद पड़ी थीं। पिछले हफ्ते जिस तरह से बारिश हुई और जो ओलावृष्टि पूरे राजस्थान में हुई। उससे बिजली की खपत कम होने के कारण ये जो थर्मल पावर स्टेशन थे, इनको बंद किया था।

मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही बिजली की खपत बढ़ने लगी, तो हमने थर्मल पावर स्टेशंस को वापस शुरू करा दिया है। कल तक हमने 1,160 मेगावाट की इकाइयां शुरू कर दी हैं और आज शाम तक छबड़ा 500 मेगावाट क्षमता की इकाइयां, जो बंद पड़ी थीं, उनको भी हम शुरू कर देंगे।

पिछले 2 दिन में हमने लगभग 42 लाख यूनिट बिजली खरीदी है, जिसे 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से खरीदा है।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आज शाम से किसी प्रकार की कोई बिजली की कटौती पूरे राजस्थान में नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री राजेन्द्र राठौड़।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अधिसूचना संख्या : प.16(5)चिस्वा/2/99-पार्ट दिनांक 16 मार्च, 2015, जिसके द्वारा नैदानिक

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: नन्दलाल जी मीणा अभी तो थे। नन्दलाल जी मीणा, उनकी मांगों का, अच्छा, आप रखेंगे। ठीक। मैं बुला लेता हूं।

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016, द्वितीय अवस्था। अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री नन्दलाल मीणा।

अनुदान की मांग

मांग संख्या 30–जनजाति क्षेत्रीय विकास की प्रस्तुति

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) (श्री नन्दलाल मीणा के स्थान पर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 93,68,23,80,000/- (तिरानवे अरब अड़सठ करोड़ तेइस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 30 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

श्री अध्यक्ष: श्री अरुण चतुर्वेदी।

मांग संख्या 33–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की प्रस्तुति

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,65,58,91,000/- (साठ अरब पैंसठ करोड़ अट्ठावन लाख इक्यानवे हजार) तक की राशि प्रदान की जावे।

(मांग संख्या 33 पर कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

श्री अध्यक्ष: आज की इस बहस का प्रारम्भ फूलसिंह मीणा करेंगे। फूलसिंह मीणा

(अनुपस्थित)

श्री सुशील कटारा।

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की स्थापना 1975 में हुई। देश आजाद होने के बाद में, जहां पांच जिले जनजाति क्षेत्र में और 23 पंचायत समितियां आती हैं, लगभग साढ़े पांच हजार गांव उनमें आते हैं और वर्तमान में साठ लाख के आसपास में वहां की आबादी है। जनजाति क्षेत्र, जाति का नाम 1975 में नया विभाग बनने के बाद पड़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ग्रंथों में और इतिहासकारों ने यह लिखा है कि आदिवासियों आदिकाल से इस धरती पर जन्म लिया और आदिकाल से इस धरती पर हैं। समय के साथ में, आदि जाति का नाम आदिवासियों, वनवासी और जनजाति और अब तो कोर्ट के माध्यम से मीणा और मीना उसमें लड़ाई चल रही है। तो समय के साथ परिवर्तन होता आया है, पर जिन शब्दों का परिवर्तन हुआ है, देश आजाद होने के बाद में 55 से 57 साल तक कांग्रेस का राज रहा लेकिन उस जनजाति क्षेत्र में जनजाति लोगों का परिवर्तन नहीं हुआ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग की आज मांग है और इतने वर्षों तक कांग्रेस का राज रहा। मैं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अरबों रुपया इस जनजाति क्षेत्रीय विकास में आता है और पिछली सरकार की निरंकुशता की वजह से पिछली सरकार ने, जितना भी बजट केन्द्र का या राज्य आयोग का जितना मिलता था, उसका पूरा का पूरा उस क्षेत्र के लिए, लोगों के लिए उपयोग नहीं किया। मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि 2011-12 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत कुल 8 हजार 179 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान रखा था और खर्च कितना किया, मात्र 4,680.10 करोड़ रुपया; मतलब, आधा पैसा। जो पैसा उस क्षेत्र के जनजाति लोगों के लिए आ रहा है, उस पैसे का पूरा उपयोग ही पिछली सरकार नहीं कर पाई।

तो मेरा, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन है कि इस 55-60 साल तक कांग्रेस का राज रहा तथा वर्षों से केन्द्र और राज्य में इनकी सरकार रही, तो आधा-आधा पैसा हर बार लेप्स होता आया है। माननीया

(श्री सुशील कटारा)

हमारी राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, हमारे उस क्षेत्र के और सरकार के हमारे गृह मंत्री महोदय, उन्होंने बार-बार, जब भी भैरोंसिंह जी का समय हो, या वसुंधरा जी का समय हो, जब-जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पूरी की पूरी शत-प्रतिशत राशि वहां पर खर्च हुई है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय परिवर्तित योजना, आयोग का जो पैसा आता है, वहां पर भी पिछली सरकार को 2012-13 में 3,815.30 करोड़ रुपया मिला था और खर्च कितना कर पाये, मात्र 1,580.12 करोड़ रुपया। मतलब, आधे से भी कम राशि उस क्षेत्र के लोगों के लिए कांग्रेस सरकार ने खर्च की। जबकि वहां के क्षेत्र के लोगों का, पूर्ववर्ती कांग्रेस के समय, उन लोगों का उत्थान करने का, जहां जनजाति के लोगों को वे बार-बार कहते रहे कि गरीब हमारे साथ में हैं, एस.सी, एस.टी के लोग हमारे साथ में हैं, ऐसा बार-बार कहते आये।

तो इस बार माननीया वसुंधरा जी के नेतृत्व में उस मेवाड़ और जनजाति क्षेत्र में 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके दीं और उस क्षेत्र की जनता ने कांग्रेस के पूर्व के कार्यकाल का करारा जवाब दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस क्षेत्र में सभी वर्ग के लोग रहते हैं पर ज्यादा बाहुल्य जनजाति के लोगों का है और जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और वहां के जनरल, ओ बी सी या एस.सी. या एस.टी. वर्ग के सभी लोगों की कद-काठी एक जैसी है; सबकी जमीन-जायदाद एक जैसी है। उस क्षेत्र में न उद्योग हैं, न ऐसे बड़े डैम हैं, न ऐसी कोई व्यवस्था है जिसकी वजह से वहां के लोग स्थानीय आधार पर रोजगार ढूंढ सकें, अपनी बेरोजगारी को दूर कर सकें। वहां के लोग हमेशा गुजरात के ऊपर डिपेंड रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र जी मोदी हमारे जनजाति क्षेत्र के बिलकुल पड़ोस में रहते हैं और जब-जब भी वे जब मुख्य मंत्री थे, उस क्षेत्र में आते, तो कहते हैं कि हमारे गुजरात का जितना भी काम है, जो हाथों द्वारा होता है वह दक्षिणी राजस्थान के जनजाति क्षेत्र के लोग यहां पर आकर मजदूरी करते हैं और हमें उसका पूरा का पूरा लाभ लोगों को मिलता है, उसका फायदा भी वहां के लोगों को मिलता है।

मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जनजाति मंत्री महोदय यहां विराज रहे हैं, जनजाति क्षेत्र का बहुत ज्यादा पैसा राजस्थान

(श्री सुशील कटारा)

सरकार का और केन्द्र सरकार का आता है। वहां के लोगों की कोई बड़ी आवश्यकता नहीं है, वहां के लोग ऐसा नहीं चाहते कि हमको बहुत कुछ मिल जाए, पर जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उस क्षेत्र की, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीया वसुंधराजी के इस कार्यकाल में और पहले के कार्यकाल में, जब पिछली बार 2007-08 में चुनाव हो रहे थे, माननीय हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदीजी मेरे चौरासी क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान पधारे थे, उस समय उन्होंने कहा था, और उस कार्यकाल की बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान में जितने भी एस.टी.सी. और बी.एड. किए हुए छात्र-छात्राएं थीं, उन सबको 2005-06 और 2006-07 में सर्विस दी थी। इस बार भी कहा है कि हम सरकारी और गैर सरकारी 15 लाख नौकरियां देंगे और पांच साल का वादा किया है। निश्चित रूप से वे मिलेंगी, हमें पूरा विश्वास है।

(13.19 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, पिछली बार 2007-08 की मैं बात बता रहा था, माननीय मोदीजी ने उस पचास हजार की सभा में, जहां जनजाति क्षेत्र के सभी लोग बैठे थे, उन सब आम जनता को पूछा था कि वसुंधराजी के इस पांच साल के कार्यकाल में यहां बैठे हुए जितने भी लोग हैं, अगर कोई भी एक व्यक्ति हाथ खड़ा करके कहे कि उनके बेटा या बेटी एस टी सी या बी एड किया हुआ कोई बैठा हो, तो हाथ खड़ा करो। अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति ने भी हाथ खड़ा नहीं किया, क्योंकि वसुन्धराजी ने उस पांच साल के कार्यकाल में जनजाति क्षेत्र के सभी लोगों को नौकरियां दी थीं। समय के साथ में परिवर्तन भी हुआ है। आज बेरोजगारी जनजाति क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का तो 1975 में जन्म हुआ, तब से लेकर आपको भी बहुत-सा अनुभव है और दो-तीन बार आप जनजाति मंत्री भी बने हैं, जितना उस क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर रोजगारों का सृजन करेंगे तो निश्चित रूप से वहां के युवाओं को लाभ मिलेगा।

सभापति महोदय, उस क्षेत्र में छोटी-छोटी जोत हैं, लोगों के पास बहुत कम जमीनें हैं। उदाहरण के तौर पर, मैं स्वयं का उदाहरण बताऊं तो मेरे

(श्री सुशील कटारा)

दादाजी के पिताजी के पास 100 बीघा जमीन हो, मैं इसलिए कह रहा हूं कि वहां युवाओं को रोजगार देने की आवश्यकता है, उनके पास अगर 100 बीघा जमीन हो और उनके चार पुत्र हों तो उनमें जमीन बांट दी जाती है। एक के हिस्से में 25 बीघा आयी। फिर उन चार पुत्रों के भी अगर दो-दो पुत्र हुए तो एक के हिस्से में 12.5 बीघा जमीन आयी। फिर उन चार के भी दो-दो हुए तो 6-6 बीघा के आसपास आयी। इतने बड़े काश्तकार नहीं हैं हमारे वहां पर। जनजाति के एक व्यक्ति के पास में कम से कम डेढ़ से दो बीघा जमीन है और ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 बीघा जमीन होगी। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं, ऐसी किन चीजों का उत्पादन कर सकते हैं, उसके ऊपर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सरकार कोई भी रही हो, पर प्रशासन के द्वारा हमेशा उस जनजाति क्षेत्र की योजनाएं बनती हैं, वे जयपुर में ए सी रूम में बैठकर बनती हैं। धरातल पर जाकर उन योजनाओं की क्रियान्विती हो तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा लाभ मिल सकता है।

माननीय सभापति महोदय, लोकतांत्रिक देश की इस अर्थव्यवस्था में उस जनजाति के लोग काफी पिछड़े हुए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के अनुसार आजीविका का अवसर मिले, प्रत्येक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा हो सके, ऐसा प्रयास हो। सरकार उस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ करना चाहती है, मुझे माननीय जनजाति मंत्री पर पूरा विश्वास है, हमारे क्षेत्र में शिक्षा के लिए बहुत सारे छात्रावासों का निर्माण भी किया है, पर अभी भी बहुत आवश्यकता है। कई वर्षों से छात्रावासों का निर्माण तो होता आया है, पर वह व्यवस्था ऐसी नहीं हो पायी है, या कहीं न कहीं गुणवत्ता में बहुत कमी रही है, इसलिए वे आज जर्जर अवस्था में हैं; मरम्मत के लायक भी नहीं हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी अपने छात्रावास हैं, उन छात्रावासों का सही निर्माण हो। पिछली सरकार तो जितना भी पैसा छात्रावासों की मरम्मत या सुधार के लिए मिला था, उतनी राशि वह व्यय ही नहीं कर पायी। 2012-13 में छात्रावासों की मरम्मत के लिए 43.50 करोड़ रुपया मिला था, उसमें से 16.79 करोड़ रुपया ही खर्च कर पाये। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जहां पिछली सरकार ने जो राशि मिली, उसका पूरा उपयोग उस क्षेत्र के लिए नहीं किया।

आनन-फानन में जब 2002 में इनकी सरकार थी, उस जनजाति क्षेत्र

(श्री सुशील कटारा)

के, उस टी एस पी क्षेत्र के लोगों को भी इन्होंने बांटने का काम किया, ए पी एल, बी पी एल, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा। उस समय हमारे अनपढ़ और अशिक्षित लोग यह समझ बैठे कि सरकार की कोई बहुत बड़ी योजना आ रही है। उस ए पी एल, बी पी एल के चक्कर में आज तक उस बात को वे भुगत रहे हैं। उसमें नम्बर मिल रहे थे कि आपके घर में इतने पशु हैं, आपके इतने जोड़ी कपड़े हैं, आपके जमीन इतनी है, उसके आधार पर पाइंट्स दिये जाएंगे। उन्होंने सोचा कि अगर हम पशु ज्यादा बताएंगे तो सरकार हमको घास उपलब्ध कराएगी; हम कपड़े ज्यादा बताएंगे तो शायद साबुन गेहूं की तरह से आएगा। उनके पास 2 भैंस व 2 बैल हैं तो उन्होंने 4-4, 8-8 बता दिये और उनके नम्बर बढ़ गये। बी पी एल सर्वे की दुबारा उस क्षेत्र में आवश्यकता है, यह मैं कहना चाह रहा हूं।

आज परिस्थिति यह हमारे सामने आती है कि उनको गेहूं या राशन या अन्य सामग्री जो राशन डीलर सरकार की तरफ से उपलब्ध कराता है, वे सारी सुविधाएं नहीं मिल पातीं। मैं जनजाति मंत्री महोदय और माननीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया से जनजाति क्षेत्र में, उस टी एस पी क्षेत्र में, सभी जिलों में ए पी एल, बी पी एल का वापस सुचारु रूप से सर्वे हो तो उस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा; नहीं तो, जिसके पास फार्च्यूनर गाड़ी है वह तो बी पी एल में है और जिसके पास दो पहिये की साइकिल नहीं है, वह ए पी एल में है। तो कहां न्याय होगा हमारे उन लोगों के साथ?

आज गांवों में बैठकों में जाते हैं, गांवों में मीटिंग्स में जाते हैं तो वहां के लोग कहते हैं; अभी हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पूरे सम्भागों के सभी जिलों में सरकार व सभी मंत्रियों को भेजा; डूंगरपुर जिले में भी कई सारी एप्लिकेशंस आयीं, उनमें से 70 परसेंट आवेदन यही आये होंगे कि हमको बी पी एल में ले लिया जायं, हमको ए पी एल से हटा दिया जायं। वह वास्तविक मांग है। उस क्षेत्र की गरीब जनता की मांग है कि बी पी एल व ए पी एल का वापस सर्वे किया जाय ताकि जो आंकड़ा सही है, वह आएगा। जिसके मकान पर केलू नहीं है, जिसके पास एक बीघा जमीन नहीं है, जिसको दोनों वक्त की रोटी नहीं मिलती है, उसको ए पी एल में डाल रखा है। इसलिए उसको राशन का गेहूं भी नहीं मिलता।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, उस

(श्री सुशील कटारा)

जनजाति क्षेत्र में 200-400-500 साल से रहने वाले लोगों को आज भी खातेदारी अधिकार नहीं मिले हैं; उनको अभी तक पट्टा आबंटित नहीं हुआ है। जनजाति क्षेत्र के लोग संविधान के कानून को अभी तक नहीं समझ पाये हैं। हम बैठे-बैठे विधान सभा में नियम और अधिनियम तो बनाते हैं, पर उनका ज्ञान उनको नहीं है। समय-समय पर सरकार चरागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने की बात कहती है, बिला नाम भूमि पर अतिक्रमण हटाने की बात कहती है। मेरे गांव में कई लोग ऐसे होंगे जिनके चरागाह भूमि पर आज से 200 साल पहले से मकान बने हुए होंगे। आज अगर उनको हटाने के लिए कह दें तो वे कहां जाएंगे? क्योंकि वे अभी भी अपने खाते की जमीन उसको मान रहे हैं। यदि उस घर में कोई सर्विस वाला हो गया, या आर्थिक रूप से सक्षम हो गया, तो उसने वहां 25 लाख का मकान भी बनाया होगा, उसने 10 लाख का कुआं भी वहां खोदा होगा। इसका वापस परीक्षण कराया जाय कि उस क्षेत्र में वन विभाग या चरागाह भूमि पर या बिला नाम भूमि पर जितनी भी आबादी वहां निवास करती है, उनको खातेदारी अधिकार दिये जायं, उनको आबादी का पट्टा दिया जायें, सरकार की तरफ से नि:शुल्क दिया जाय। यह आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है।

सभापति महोदय, बिजली विभाग के क्वेश्चन-आंसर में करोड़ों का घोटाला, करोड़ों का घाटा, ऐसी बात चली थी, परन्तु हम तो लाइट के लिए ही बरसों से तरस रहे हैं। जब पहाड़ी से हम उधर देखते हैं, जहां पास में गुजरात है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 20 वर्षों से है और वहां पर हमारे रिलेशन हैं, हम पहाड़ी पर खड़े होकर देखते हैं तो रात को उधर दिन के उजाले जैसा दिखता है और उधर से अगर हम रात को खड़े होकर राजस्थान की तरफ देखें तो पूरा समुद्र की तरह काला अंधेरा छाया रहता है। आज भी पूर्ववर्ती द्वारा सी एफ एल बल्ब बांटने की बात कही, पर हमारे वहां तो लाइट के तार ही नहीं हैं। तो आप कहां पर सी एफ एल बल्ब देंगे? किसको दिये, कहां दिये? वहां पर खम्बा ही नहीं लगा हुआ तो फिर बल्ब कहां लगायेंगे? आज भी 70 प्रतिशत उस जनजाति क्षेत्र में, उस आबादी में बी.पी.एल. परिवार हों, या अन्य परिवार हों, माननीय सभापति महोदय, जनजाति की ही बात नहीं है, अन्य वर्ग के लोग भी, जो दूर पहाड़ी क्षेत्र में सामूहिक छोटे-छोटे कस्बे हैं, वहां पर भी पूर्ण रूप से हमारे लाइट नहीं पहुंच पाई। आज भी केरोसीन मिलेगा तो बच्चा रात को बोर्ड का एग्जाम देगा लालटेन लगाकर, और अगर उसको

(श्री सुशील कटारा)

केरोसीन भी नहीं मिला तो अगले दिन बोर्ड के एग्जाम में 0/0 ही नम्बर आयेंगे उसके। आज हम इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम आसमान छूने की बात करते हैं, पर जिस क्षेत्र में हम निवास करते हैं, वहां आज भी केरोसीन के आधार पर लालटेन या चिमनी जलाकर बच्चे अध्ययन करते हैं और हमारी माताएं शाम को रोटियां बनाती हैं।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने अभी पण्डित दीनदयाल बस्ती विद्युतीकरण योजना निकाली और उसमें पूरे टी एस पी क्षेत्र को लिया है। निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले इन दो-तीन वर्षों में ज्यादा नहीं, तो प्रत्येक बी पी एल परिवार को एक घरेलू कनेक्शन मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, सोलर लाइट की योजना, पूर्व में जो हमारे ऊर्जा मंत्री गजेन्द्र सिंहजी थे, उन्होंने उसमें जोड़ा है कि सोलर ऊर्जा के माध्यम से भी उस क्षेत्र में जहां पर दूर-दराज पहाड़ियों में लाइन के खम्बे ले जाने में हमको व्यय ज्यादा होता है, वहां पर सोलर ऊर्जा के माध्यम से भी लाइट का कनेक्शन करा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, नरेगा योजना में डूंगरपुर जिला 2002, 2004, 2005 में पूरे राजस्थान में प्रथम आया था और आज उसकी स्थिति बहुत नीचे चली गई है, विकट हो गई है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदया और माननीय मंत्री महोदय को यह निवेदन है कि वहां अरबों रुपया उस जनजाति क्षेत्र में लगा है, अगर एक-एक परिवार को 25-25 लाख रुपया हाथ में दे दिया होता तो प्रत्येक परिवार में पैसा होता, इतनी राशि वहां खर्च हुई पर उतना विकास नहीं हो पाया है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस जनजाति क्षेत्र के विकास का पैसा तो आप लगा ही रहे हैं, पर सरकार से यह भी निवेदन है कि 60:40 का भले ही रेश्यो हो लेकिन वहां सार्वजनिक और निजी कुएं जो लोगों के खुदे हुए हैं, हम टी ए डी विभाग से ब्लास्टिंग का पैसा तो देते हैं पर उसमें भी सैंक्शन निकलते-निकलते बरसात का समय आ जाता है, जुलाई आ जाती है, जिससे फायदा नहीं होता। माननीय सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में हमने मुख्य मंत्री महोदया से भी निवेदन किया है, टी एस पी क्षेत्र के सभी विधायकों

(श्री सुशील कटारा)

ने भी निवेदन किया है। जनजाति मंत्री भी बैठे हुए हैं, हमारे गृह मंत्री महोदय भी उस मेवाड़ क्षेत्र के हर गांव-गांव से वाकिफ हैं और उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि टी ए डी का अपना बजट है, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, लाइट के लिए या अन्य पशुधन के लिए या कृषि के लिए तो लगाते ही हैं, पर नरेगा का जो केन्द्र सरकार से हमको अरबों रुपया जिले में मिलता है, या उस टी एस पी क्षेत्र में मिलता है, अगर उसमें कुओं के लिए भी, जो ओपन वेल होते हैं, उनके लिए भी जोड़ा जाए, तो निश्चित रूप से वह जो दो बीघा, ढाई बीघा या चार बीघा, पांच बीघा वहां के काश्तकार के पास में जमीन उपलब्ध है, उस जमीन से वह सब्जी उगाकर भी अपने परिवार का भरण-पोषण कर सकता है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय और सरकार से निवेदन है कि नरेगा में उसको जोड़ा जाए।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री आवास, इंदिरा आवास, हमेशा उस क्षेत्र में मिलते रहे हैं, पर वह राशि इतनी कम है। पिछली बार हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो 20 हजार इंदिरा आवास के थे, उसको बढ़ाकर 50 हजार रुपये उस क्षेत्र में किये। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, केलू पांच रुपये का आता है और सब अपेक्षा रखते हैं कि एक कमरा मिले; पर सरकार के मापदण्ड भी ऐसे रहते हैं कि पूरा एक हवामहल बनाकर दे। तो 50 हजार रुपये में तो उसका कमरा या मकान नहीं बनने वाला है। लेकिन मुख्य मंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना में जो अभी 70 हजार रुपये या 50 हजार रुपये मिल रहे हैं, अगर नरेगा से भी उसको जोड़ दिया जाए और यह राशि भी दी जाए और टी ए डी विभाग से भी अगर उनको अनुदान दिया जाए और लगभग 3-4 लाख रुपया उनको दिया जाए, तो उनका परमानेंट एक अच्छा केलूफेस मकान बन सकता है। जब कभी आपदा हो जाती है, या ओले गिर जाएं, या हवा इतनी तेज चलती है, तो केलू या सागवान की लकड़ी होती है वह भी उड़ जाती है। तो उसको जीवन-यापन करने में काफी परेशानी आती है। माननीय सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र में बहुत ज्यादा लोग बहुत सक्षम हैं, ऐसा नहीं है। सुबह वे निकलते हैं और शहर में, या पास के गांव में, या गुजरात की तरफ जाते हैं और शाम को कमाकर लाकर अपने बच्चों का भरण-पोषण करते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इंदिरा आवास और मुख्यमंत्री आवास की राशि को, जनजाति

(श्री सुशील कटारा)

विभाग भी इसमें अनुदान देकर बढ़ाए, तो उस क्षेत्र के लोगों को ज्यादा लाभ मिल पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्र में ऐसे कोई बड़े उद्योग या इण्डस्ट्री नहीं हैं जिनसे स्थानीय आधार पर लोगों को रोजगार मिल सके, स्थानीय आधार पर रोजगार सृजन कर सकें। इसलिए उद्योग लगाने की आवश्यकता है। मेरा माननीय जनजाति मंत्री महोदय से निवेदन है कि अरबों रुपया आपके पास आता है, पी.पी.पी. मोड पर भी, जिस तरह हमारी सरकार कह रही है, अगर उस क्षेत्र में, माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले में एक मात्र सिन्टेक्स मिल है और वहां पर भी कारीगरों के प्रशिक्षण के अभाव में यू.पी. और बिहार के लोग आकर वहां रोजगार प्राप्त करते हैं। मुश्किल से पांच परसेंट लोग स्थानीय होंगे, क्योंकि उनको उन मशीनों के बारे में जानकारी नहीं है। इसलिए उनकी कार्य कुशलता के लिए टी ए डी विभाग से ऐसा हो और उद्योग भी लगें, तो उस क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो पाएगा।

माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग की भी आज मांग संख्या 33 है। माननीय सभापति महोदय, वहां पर पोस्ट आफिस के माध्यम से वृद्धों को और विकलांगों को पेंशन मिलती है। कई बार विधान सभा में मौका भी मिला है पेंशन के बारे में बोलने का कि उस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हों, पर 4-4, 5-5 माह तक वहां पर पेंशन नहीं मिलती है, क्योंकि इतने सारे लोगों के बैंकों में खाते नहीं हैं। वहां पर पोस्ट आफिस में खाते हैं और पोस्ट मास्टर सरकार को बदनाम करते हैं कि आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है, पेंशन आएगी तो देंगे। एक-एक गांव में, उदाहरण के तौर पर, 2-2 लाख रुपये पेंशन माह की आती है और 4-4 महीने तक वह पोस्ट मास्टर अगर पेंशन नहीं आई है, नहीं आई है, ऐसे घुमाता रहता है और वह 8 लाख रुपया खुद ही उठा लेते हैं पोस्ट आफिस में अंगूठा लगाकर। जब कुछ लोग समझदार हों और ज्यादा विरोध करते हैं तो वह लास्ट वाले माह की पेंशन दे देता है। ऐसा पूरे टी एस पी क्षेत्र में हो रहा है। इसलिए मेरा समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन है कि कोई ऐसी व्यवस्था करें सरकारी या प्राइवेट बैंकों के माध्यम से कि कम से कम वे वृद्धजन को, जो पूरे माह यह आस लगाकर बैठता है कि मुझे 500 रुपये, 700 रुपये, 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी, वह पेंशन बैंक के माध्यम से मिले, तो उन लोगों को उसका लाभ मिले।

सभापति महोदय, राजनीतिक क्षेत्र में आये हुए मुझे भी 15 साल हो

(श्री सुशील कटारा)

गये, समाज कल्याण के हास्टल उस टी एस पी क्षेत्र में बरसों पहले बने होंगे, उसके बाद में उनकी मरम्मत का पैसा या उनके जीर्णोद्धार का पैसा कभी मिला नहीं है। हमारे समाज कल्याण मंत्री बहुत ऊर्जावान हैं, यशस्वी हैं। जनजाति के हास्टल तो उस क्षेत्र में ऐसे ही हैं। जनजाति मंत्री महोदय वहां पर देख भी रहे हैं, परन्तु समाज कल्याण के हास्टलों की भी व्यवस्था ठीक हो। अम्बेडकर छात्रावास के जितने होस्टल हैं, उनकी मरम्मत के बारे में, उनकी जर्जर अवस्था के बारे में, मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, मैं एक-दो मिनट ही लूंगा ज्यादा से ज्यादा।

मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि विकास तो समय के साथ होगा, पर उस क्षेत्र में जितनी रिक्तियां हैं, उसके लिए बार-बार हम निवेदन भी करते हैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से और माननीय सभी मंत्रियों से भी। हमारे क्षेत्र में, चाहे शिक्षा विभाग हो, या चिकित्सा विभाग हो, बहुत सारे नये छात्र-छात्राएं शिक्षा की ओर अग्रसर हैं और उनको कहीं संविदा के आधार पर, या कहीं सरकारी नौकरियां भी मिली हैं, पर वह नागौर, बाड़मेर, जैसलमेर, या सीकर, झुंझुनूं, या कोटा, वहां पर उनकी पोस्टिंग है। जनजातीय क्षेत्र में लोगों को उनका लाभ मिले। पति तो झुंझुनूं में नौकरी कर रहा है और पत्नी जोधपुर में नौकरी कर रही है और हमारे वहां पर पोस्टें खाली हैं, भले शिक्षा विभाग की हैं, चाहे चिकित्सा विभाग की हैं।

माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय ने चिकित्सा विभाग में अभी 8,000 लोगों को परमानेंट करके उनको नौकरी देने की लिस्ट नेट पर जारी भी कर दी है। तो जितने भी हमारे लोग उस जनजाति क्षेत्र के बाहर सर्विस करते हैं, छोटी-मोटी नौकरी, चाहे अध्यापक हों, या पटवारी हों, या हैण्डपम्प मिस्त्री हों, उनको टी एस पी क्षेत्र में ही लगाया जाये और जो इधर सर्विस कर रहे हैं, जो 5-10 सालों से हैं और वहां पर पहले जनजाति क्षेत्र में बाहर के जिलों के कई अध्यापक आकर लगे भी हैं, या दूसरी सर्विस में भी लगे हैं और प्रतिबन्धित जिले होने के कारण वे इधर नहीं आ रहे हैं; मेरा तो सरकार से यही आग्रह है कि वे अगर अपने क्षेत्रों में चले जायें तो वहां हमारी रिक्तियां होंगी, नये लड़के भर्ती होंगे। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जितनी भी भर्तियां हों, हमारे स्थानीय, उस क्षेत्र में जो वहां के निवासी हैं, उनको वहीं लगाया जायें।

(श्री सुशील कटारा)

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी से हमारे क्षेत्र के लिए इस बार बहुत अच्छा बजट दिया है और पिछली बार भी दिया था। उससे उस क्षेत्र के लोगों का अच्छा उत्थान हो, उस क्षेत्र के लोगों का अच्छा विकास हो और जनजातीय मंत्री महोदय से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक, नई ऊर्जा के साथ में, जितना आपका अनुभव है, उसके आधार पर उस क्षेत्र में पहले से जो चलता आ रहा है, उससे कुछ परिपाटी नई करें; नहीं तो जो आंकड़े, प्रतिवेदन, जो 2011-12, 2012-13, 2013-14 या उससे पहले के भी, मतलब, जो शब्दावली यूज की है, वह वही शब्द चल रहे हैं, खाली आंकड़े ही बदलते आ रहे हैं। उस क्षेत्र के लोगों का परिवर्तन हो, उसके लिए कुछ आप बहुत अच्छा करें, ऐसा मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सूचना

कोटा के चिकित्सालयों में वित्तीय अनियमितताएं

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत कोटा के चिकित्सालयों में हो रही अनियमितताओं के विषय में एक मिनट में अपनी बात कहना चाह रहा हूं। जांचों और रक्त में संविदाकर्मी, एन जी ओ कर्मी पैसे खा रहे हैं। मरीजों से पैसा आ रहा है और कम्प्यूटर में शून्य और फ्री दिखाकर अपनी जेबों में पैसे रख रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन है कि इस विषय में कठोर कार्रवाई हो, साहब, जांच हो। वर्षों से यह लूटपाट चल रही है और इस विषय में कल कोटा के पूरे अखबारों में छपा है। मेरा आपसे निवेदन है, साहब, चिकित्सा मंत्रीजी इस विषय में जांच करके कठोर कार्रवाई करें।

श्री सभापति: श्री फूलसिंह मीणा।

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 व 33 पर बोलने के लिए मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता

(श्री फूलसिंह मीणा)

हूं कि जनजाति क्षेत्र में, आदिवासी एरिया में, चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, जनजाति एरिया के लिए लाखों-करोड़ों रुपये आते हैं, मगर जनजाति एरिये के नाम से 30 प्रतिशत पैसा भी खर्च नहीं हो पाता है और पता नहीं, वह पैसा कहां जाता है। अनपढ़ जनता से दस्तखत भी करा लेते हैं, पैसे भी उठा लेते हैं और बजट खतम कर देते हैं। सभापति महोदय, जनजाति के नाम से हजारों एजेंसीज चल रही होंगी और विदेशों से भी एन जी ओ के मार्फत पैसे ला रहे हैं; जनजाति के नाम से उनका आफिस, उनका कार्यालय, या तो कहीं है ही नहीं, कागजों के अलावा, और है तो उनके बंगलों में है या उनके आफिस में कार्यालय चलते हैं।

सभापति महोदय, जनजाति मंत्री महोदय बहुत अनुभवी हैं और ये हमारे एरिये से बिलकुल वाकिफ हैं। जिस विधान सभा से मैं जीतकर आया हूं, हमारे मंत्री महोदय वहां के विधायक रह चुके हैं और इनको भली-भांति मालूम है कि आदिवासी एरिये की जनता कितनी दु:खी है। सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि आज भी जनजाति एरिये के परिवार ऐसे हैं जिनके पास न तो घर है, न ही नौकरी है और न ही उनके पास कोई ऐसा साधन है। उनको बी पी एल से नहीं जोड़ा गया है। अभी मेरे से पहले भाई सदस्य ने बताया कि 2011 में भी सर्वे हुई है और उससे पहले भी सर्वे हुई है मगर हकीकत यही है कि जनजाति परिवार आधे से भी ज्यादा आज बी पी एल से वंचित हैं। मैं मंत्री महोदय से गुजारिश करता हूं कि हमारे आदिवासी एरिये के लिए बी पी एल की सर्वे दुबारा करवाई जाये और उन परिवारों को जोड़ा जाये। वास्तव में, आज उनके पास न तो कच्चा मकान है और न उनकी नौकरियां हैं। वे आज वंचित हैं, एक टपरी बनाकर वे रह रहे हैं। उन परिवारों को बी पी एल में जोड़ने की ऐसी योजना बनायें; दुबारा सर्वे करवाकर उनको जोड़ा जाये।

सभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्रीजी, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो मकान बनाने के लिए पैसा व मजदूरी व लोन, यह सुविधा वास्तव में मिलने वाली है, उसको खाते से जोड़कर यह प्रक्रिया चालू की है। उससे बीच की दलाली खतम होगी। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी और सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में नाम किसका है और साइन कौन कर रहा है। ये आदिवासी परिवारों को, बेचारों को गुमराह करके पेमेंट उठा लेते हैं।

(श्री फूलसिंह मीणा)

इसके लिए मैं सरकार का, सभापति महोदय, आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसी योजना बनाकर हमारे आदिवासियों का यह ध्यान रखा।

सभापति महोदय, हमारा आदिवासी परिवार कहीं लोन लेने जाता है, या कोई गारंटर की जरूरत होती है बैंक खाते में, या कहीं पर भी, तो यह कहते हैं कि सरकारी नौकरी वाले की जमानत लेकर आओ। गांवों के अन्दर अगर आज भी सर्वे करवायें तो मेरे कम से कम 60-70 गांवों में एक भी कर्मचारी सरकारी नौकरी में नहीं है। इसलिए इस प्रावधान में भी ऐसा रास्ता निकालें जिससे बेचारे गरीब आदिवासी भाई को लोन मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जनजाति छात्रावास के वार्डन वहां पर आधे समय रहते हैं और आधे समय, पता नहीं, वे कहां चले जाते हैं। माननीय मंत्रीजी ने सख्ती कर रखी है, पर इस पर और ध्यान देने की जरूरत है। माननीय मंत्रीजी, जो जमे हुए वार्डन हैं उनको वहां से बदला जाएं या उनको वापस जहां से आये हैं सरकारी अध्यापक बनकर, वहां पर उनको भेजें और ऐसे कर्मचारियों को लगाएं जो आदिवासियों का ध्यान रख सकें, बच्चों का ध्यान रख सकें, बराबर उनको खाने-पीने की व्यवस्था भी सुचारु रूप से कर सकें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी एरिये में आवासीय छात्रावासों की भी जरूरत है। ऐसी जगह चिह्नित करके आदिवासी छात्रावास और खोलने का मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करता हूं कि यह भी व्यवस्था करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनजाति एरिया है और जनजाति के लोगों को कई लोग धर्म-परिवर्तन के लिए लोभ-लालच देते हैं और वे आदिवासी जनता का छोटे से लोभ-लालच में धर्म-परिवर्तन करते हैं। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि जो जनजाति से धर्म परिवर्तन करते हैं, उनको जनजाति का जो लाभ मिलता है सरकारी तौर पर, उससे उन्हें वंचित किया जाए ताकि धर्म परिवर्तन पर रोक लग सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर की पेरिफेरी में जो आदिवासी बसे हुए हैं, उनको

(श्री फूलसिंह मीणा)

विभागीय योजनाओं का लाभ पूर्णत: नहीं मिल रहा है। उनको आवासीय पट्टे, सड़क, पानी, बिजली, आदि आधारभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उनको सुव्यवस्थित ढंग से बसा कर, उनको गृह उद्योग लगाकर, लाभांवित किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्तमान में उदयपुर शहर में निवास कर रहे ज्यादातर आदिवासी मजदूरी का ही कार्य कर रहे हैं। उनका सर्वाधिक शोषण हो रहा है। उनके पास कृषि भूमि नहीं है। इसलिए उन्हें अच्छी ट्रेनिंग देकर रोजगार से जोड़ा जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सम्भाग में जनजाति विद्यार्थियों के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस), राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं, आई आई टी, मेडिकल, डाक्टर हेतु कोचिंग सेंटर की स्थापना उदयपुर मुख्यालय पर की जाए। वहां पर टी एफ सी क्षेत्र के एस टी विद्यार्थियों को नि:शुल्क कोचिंग, नि:शुल्क रहने व नि:शुल्क रहने की व्यवस्था की जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आश्रम छात्रावास खोला जाए। वह बाई व छोटी उन्दरी में अति आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों के लिए आश्रम छात्रावास की जरूरत है, कृपया इस बजट में लेकर हमारे को लाभ दिलाएं। माननीय सभापति महोदय, आश्रम छात्रावासों की व्यवस्था हेतु स्थानीय जन-प्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों की समिति बनाकर उनके माध्यम से प्रभावी निरीक्षण की कार्यवाही की जाए। माननीय सभापति महोदय, आश्रम छात्रावास में जो रसोइया और चौकीदार संविदा पर लगे हुए हैं, उनका मानदेय बढ़ाया जाकर नियमित भुगतान की कार्यवाही की जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि वन अधिकार के पट्टे के जो प्रकरण हमारी ग्राम सभा एवं वन विभाग की प्रति-टिप्पणी के बाद निरस्त कर दिये गये हैं, उनका पुन: सर्वे करवाकर आदिवासियों को नियमानुसार अधिकार पत्र दिये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, जनजाति विभाग का अलग से कैडर बनाया जाकर जनजाति विभाग द्वारा भर्ती की जाए, जिससे आश्रम छात्रावास व

(श्री फूलसिंह मीणा)

आवासीय स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पद भरे जा सकें। वर्तमान में आवासीय छात्रावासों में अंग्रेजी, गणित, विज्ञान विषय के पद भरे नहीं होने से परीक्षा परिणाम प्रभावित होते हैं। माननीय सभापति महोदय, कोई भी सरकारी अध्यापक वहां जाने से घबराता है। इतनी बढ़िया अटल बिहारी वाजपेयीजी ने रोड बना दी और जाने का साधन चालू कर दिया, उसके बाद भी वहां नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसा प्रावधान भी लाना चाहिए जो कम से कम वहां पांच साल तक वहां रहकर बच्चों को शिक्षा दे सकें।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को मैं यही कहूंगा कि आप हमेशा आदिवासी एरिये के बारे में सोचते रहते हैं कि कैसे उनका उत्थान हो, तो मेरी ये छोटी-छोटी मांगें, जो प्रस्ताव में दी हैं, इन पर कार्यवाही की जाए। मुझे विश्वास है कि हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी आदिवासियों के लिए अच्छा करने की सोच रही हैं और माननीय मंत्रीजी भी इन पर ध्यान देकर हमारे सुझावों पर अमल करेंगे।

आपने बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नवनीतलाल नीनामा।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 30 व 33 पर बोलने का समय दिया, उसके लिए आपको आदर।

माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, 'जनजाति' शब्द का अर्थ जो मैं समझ पाया हूं, वह मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहता हूं। जब मनुष्य जन्मता है, 'जन' यानी मनुष्य; यानी मनुष्य जन्मा तब से 'जन' शब्द का उपयोग किया गया है। तो जनजाति आदिवासी भारत की संस्कृति एवं संसार में जन्म हुआ है मनुष्य का, तो उसे मनुष्य का रूप दिया गया है। उसमें जाति, उप-जाति, यह जो बंटवारा किया गया है, धंधे के आधार पर, बंटवारे के आधार पर, वातावरण को देखते हुए; हमारे देश में, हमारे भारत में जब विदेशी आक्रमणकारियों को तकलीफ दे रहे थे, कई राजा-महाराजाओं को भी विदेशी लोगों ने हमारे क्षेत्र में कई तरह की अव्यवस्थाएं फैलाई थीं और इन जनजाति आदिवासियों को डरा-धमका कर बेगार लेने की योजना बनी। इसलिए आज उप-योजनाएं बनीं; वह सुधार की बात अब याद आई।

(14.00 बजे)

तो मेरा ऐसा आग्रह है कि जब देश आजाद हुआ, उस वक्त यह

(श्री नवनीत लाल)

नारा दिया गया था हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे और इनके सहयोगी नेताओं, दादा भाई नौरोजी, पण्डित जवाहर लाल नेहरू हो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, इन्होंने ऐसा निर्णय लिया, जन साधारण की पीड़ा समाप्त करने के लिए यह आजादी लाई गई थी लेकिन अन्य समझदार समाजों ने उस आजादी का उपयोग किया। साधारण जनता का अब बी पी एल, ए पी एल का सर्वे होना, चाहे सरकारें किसी भी दल की रही हों लेकिन गरीब की योजना बनाने का अब याद आया। तो मेरा ऐसा आग्रह है कि आजादी आई किसके लिए थी? आजादी का क्या कारण था?

मेरा ऐसा निवेदन है कि यह अभी राज्य सरकार के द्वारा बी पी एल और ए पी एल की छंटनी की जा रही है और नरेगा नाम का काम चलाया जा रहा है केन्द्र और राज्य से। मेरा ऐसा आग्रह है कि मजदूरी खोलना एक मौसमी रिवाज था। आज की तारीख में किसी व्यक्ति का मकान जल जाता है तो सरकार उसका सर्वे करके छह महीनों के लिए अनाज की व्यवस्था करती है। तब तक अगली फसल आ जाए। तो यह जो मजदूरी की व्यवस्था की परम्परा लागू की गई है, तो ये मजदूर कब तक मजदूरी ही करते रहेंगे? अगर मजदूर मजदूरी करता है और एक सम्पन्न व्यक्ति मजदूर को ले जाकर के अपने घर पर काम कराता है। तो उस व्यक्ति को जब बी पी एल, ए पी एल का शब्द लागू कर दिया, तो ये बी पी एल, ए पी एल के बराबर कब आएंगे, यह हमारी सरकारें क्यों नहीं विचार कर रही हैं? यह कब तक बी पी एल शब्द लागू रहेगा? मेरा ऐसा आग्रह है कि बी पी एल को ए पी एल बनाने के लिए जैसे व्यक्ति परम्परागत खेती करके, या अपना धन्धा करके जो काम करता है, उनकी योजना पर विचार किया जाना चाहिए। खेत किनारे कुआं दो, खेत पर सही व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए, तभी तो वह बी पी एल, ए पी एल आ सकेगा। यह किलो गेहूं या शक्कर या सस्ते अनाज की लड़ाई कब तक इस देश में चलती रहेगी? यह भारत की संस्कृति का वातावरण जो है, खेती करके व्यक्ति या धन्धा करके ऊपर बराबरी में लाने की योजना सरकार नहीं बनाये, तो यह मजदूर वर्ग की प्रक्रिया बढ़ रही है।

वनों में रहने वाला आदिवासी जब वन थे, उस वक्त पानी बरसता था, खेती बढ़िया हुआ करती थी; जंगलों में घास होती थी; पालेदार पेड़ थे; गाय और भैंसें दुधारू पशु पाला करते थे। उस वक्त जंगल में रहने वाला, पशु

(श्री नवनीत लाल)

धन पालने वाला व्यक्ति गांवों में धनाढ्य कहलाता था। वह रीति आज समाप्त होती चली जा रही है।

हमारे देश में आजादी आई। सन् 1960 में माननीय पण्डित जवाहर लाल नेहरूजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो देश में पेड़े-पौधे लगाने की योजना शुरू की गयी; मान्यवर मेरा ऐसा आग्रह है कि पेड़-पौधे लगाने की योजना में अगर उस वक्त पालेदार पेड़ लगाये गये होते और पशुओं को खाने लायक अच्छे पेड़ लगाने की योजना बनी होती, तो आज यह स्थिति मिलावटी घी, मिलावटी दूध का वातावरण नहीं होता। लेकिन हिन्दुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं को तो, मालूम नहीं, पूर्व क्षेत्र के गांवों में अधिकारियों ने क्या-क्या नियम बना लिये; पेड़ लगाये तो हमारे देश में बबूल के पेड़ लगाये। हमारे बाप-दादाओं की कहावत है कि बोये पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाय? पूरे देश में बबूल बो दिये गये और जंगल में रहने वाले शेर, जंगली जानवर भाग-भाग कर के गांव और खेतों में आते हैं, ये स्थिति बना दीं। इसलिए मेरा ऐसा आग्रह है कि देश में पेड़ों की जो रीति बनाई और यह भी एक निर्णय हुआ था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी प्रधान मंत्री थे, उस वक्त देश में प्रस्ताव पास हुआ था कि ये जो देश में बबूल लगा दिये गये, उसका निकाल दिया जाएं। अब हमारी वागड़ी में एक कहावत है कि काम करो, भई, काम करो, तो क्या करो; खाटलो सूलीज वाण परो।

श्री सुशील कटारा (चौरासी): इसको हिन्दी में भी बतायें।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): यानी, कोई काम नहीं है, तो एक व्यक्ति था, मुखिया था, रावत, तो उसके घर में मेहमान आ गये। पानी बरसने लगा, जा नहीं रहे थे तो...

श्री गोरधन (धोद): हिन्दी में क्या कहते हैं? यह जो कहावत कही है, उसको हिन्दी में क्या कहते हैं?

श्री नवनीत लाल (घाटोल): हिन्दी में ही तो बोल रहा हूं; अंग्रेजी तो मैं बोलता भी नहीं हूं।

मान्यवर, जो काम करो, तो खाटलो खुलान सूलीज बाण परो। तो, यानी, जो काम है, उसी को बिखेरो और वापस करवाओ। खाट हैं न खाट-बाण, उसको खोलो और वापस भरो। यह रीति हो गई हमारे देश में।

तो मेरा ऐसा आग्रह है कि ये जनजाति उप-योजनाएं बनाई हैं, दक्षिणी

(श्री नवनीत लाल)

राजस्थान के उदयपुर सम्भाग में कार्यालय खोला गया है, तो मेरा माननीय मंत्री महोदयजी से आग्रह है कि दक्षिणी राजस्थान में और जहां पर पानी का अभाव है, पानी सही नहीं है, तो आपके द्वारा यह सर्वे करवाया जाए और जहां नदी-नाले बह रहे हैं, पानी बह करके जा रहा है, वहां एनिकटों का निर्माण कराया जाएं, और जो बी पी एल-ए पी एल है, बी पी एल हैं, उनको ए पी एल में लाने की योजना में उस किसान के, उस व्यक्ति के खेत किनारे कुआं हो, ताकि सही ढंग से खेती कर सकें।

यह गरीब-गरीब पुकार जो चलाई है, आदिवासी गरीब नहीं है, उसको गरीब बनाये जाने की योजना बनाई थी लोगों ने। गरीब नहीं है आदिवासी। जितनी गर्मी पड़ती है, ठंड पड़ती है, बरसात होती है, वह अपने खेत में काम करता चला जाता है। जंगल में रहता है; न डर है न धमकी है, न किसी प्रकार की चिन्ता है। लेकिन उन्हें गरीब की उपाधि दी। मैं मांग करता हूं कि आदिवासी के लिए जो गरीब शब्द कहा गया है, उसको रोका जाए। आदिवासी गरीब नहीं है लेकिन गरीब योजना के रूप से मान्यता दी जा रही है। अत: मेरा आग्रह है कि इस पर विशेष विचार करना चाहिए और यह बी पी एल को ए पी एल में लाने के लिए सही ढंग से काम हो।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की एक जानकारी माननीय मंत्री महोदयजी को देना चाहता हूं। सन् 1966 से लेकर 1980 तक बांसवाड़ा जिले में माही डैम नाम का एक तालाब का निर्माण किया गया, जहां पर पानी भराव से 112 गांव उठ गये, विस्थापित हो गये। उन गांवों के आदिवासियों को अन्य तहसीलों में जमीन आबंटन की गई लेकिन मौके पर अधिकारियों ने बिना जानकारी लिये पेपर अलाट कर दिया। पेपर अलाट करने के बाद, वहां पर किसान मौके पर समय पर पहुँच नहीं पाया, न उसने जमीन को देखा। जब किसान, जिसकी जमीन अलाट हुई है आदिवासी के; वह उस गांव में गया; जो सर्वे के बाद पट्टा दिया गया था, उसी सर्वे पर उसी मूल गांव का किसान खेती कर रहा है। कुआं बना हुआ है, मकान बना हुआ है। अब वहां दोनों किसानों के बीच टकराव हो गया। सरकारी अधिकारियों ने उसकी जांच नहीं की। 112 गांव उठे, इन्हीं में से करीब ढाई सौ से ऊपर किसान आज भी भटक रहे हैं। इनको कोई पट्टा मिला नहीं। मान्यवर, अभी सरकार-आपके-द्वार प्रोग्राम हुआ, इसमें उन किसानों ने अपनी पुकार प्रस्तुत की, अधिकारियों के द्वारा उसकी जांच भी की गई, लेकिन उसका सही निर्णय अभी तक नहीं हो

(श्री नवनीत लाल)

पाया है। अत: मेरा आग्रह है कि इस निर्णय को मौके पर व्यवस्थित ढंग से हलका पटवारियों को, तहसीलदार को और अधिकारियों को सही ढंग से आदेश दिया जायें ताकि उनका काम व्यवस्थित रूप से हो सके।

मान्यवर, केन्द्र सरकार के द्वारा यह निर्णय हुआ है कि विस्थापित किसानों को चरागाह भूमि और वन विभाग की भूमि जहां है, उसको देखकर आबाद किया जायं। ऐसा केन्द्र सरकार का आदेश है। इस आदेश की दो लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूं कि सभी वनों के पुराने आवासों सर्वेक्षण ग्रामों और अन्य ग्रामों के बसने और परिवर्तन के अधिकार चाहे वह राजस्व गांव हों या ... (व्यवधान) हों, जानकारी लेकर उन्हें बसाया जाये, उनकी रीति-नीति के अनुसार, लेकिन आज वह हो नहीं रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में पासलवासा और मोवड़ीपाड़ा, ये दो-तीन गांवों के व्यक्तियों की जमीन तहसील घड़ी में अलाट हुई थी, लेकिन वहां पर वे किसान जमीन पर कब्जा नहीं कर सके क्योंकि मौके पर दूसरे किसान बैठे हुए हैं। आज दिन तक उन किसानों का सर्वे नहीं किया गया। मेरे पास इन पट्टों की नकल भी है। करीब 36 किसान पट्टा लेकर घूम रहे हैं। सुबह मेरे यहां आकर बैठ जाते हैं, हमारा कोई न्याय हो। हमने तहसीलदार साहब को कहा, तहसीलदार साहब ने कलक्टर साहब को लिखा, कलक्टर साहब ने वन अधिकारियों को कहा, वन अधिकारियों ने सर्वे करके रिपोर्ट कलक्टर साहब को भी भेज दी, लेकिन अभी तक उसका निर्णय नहीं हो पाया है। अत: मेरा आग्रह है कि आप आदेश करें माननीय जनजाति मंत्री महोदयजी को और जिले के कलक्टर साहब को कहें कि इस प्रकार का सर्वे करके, जानकारी लेकर, जो बेघर किसान भटक रहे हैं, उन्हें मौका जांच करके बसाया जायें। वहां जगमेर जोगीमाल नाम का वन है, उसकी जमीन देने का निर्णय हुआ था। निर्णय के अनुसार वे किसान उस जमीन पर आज बसे हुए हैं लेकिन सरकार ने उसको नाजायज कब्जा माना है। इसलिए मेरा आग्रह है कि कुवानीया गांव में बसे आदिवासी किसानों को मौका जांच करके सही ढंग से बसाया जाये।

मान्यवर, जनजाति मंत्री महोदयजी को बी पी एल, ए पी एल को ऊपर लाने के लिए अपनी जनजाति मद से तालाबों की योजना के नाम से मैंने पत्र भी लिखा है। मेरा ऐसा आग्रह है कि पीपलखूंट क्षेत्र में वड़लीखेड़ा नाम के नाले पर तालाब का सर्वे हो चुका है, अधिकारियों द्वारा उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को भेज दी गयी है। भूराकोण नाम का नाला बह रहा है, वहां से पानी बहकर

(श्री नवनीत लाल)

चला जाता है और पैसावाला खोरा नाम का जामली गांव में पानी बह रहा है। उस जगह पर तालाबों का सर्वे करवाया जाये और छोटे तालाब बनाये जायें ताकि उस क्षेत्र के पशुओं की पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके। हैंडपम्पों में पानी की कमी, कुओं में पानी की कमी की जो दिक्कत है, वह छोटे तालाब बन जाने से, वहां के जनजाति लोगों का आधार बने, ऐसा मेरा आपके माध्यम से आग्रह है।

मान्यवर, एक रिपोर्ट और मेरे पास आई है कि तहसील बांसवाड़ा और तलवारा के पास में मानगढ़ धाम पर जो सन 1913 में अंग्रेजों द्वारा गोली चलाई गई, उसमें माननीय गुवन गुरुजी के नेतृत्व में किसान मारे गये, आदिवासी मारे गये। उनके परिवारों को खदानें अलाट की गई थीं और उन खदानों पर लोगों ने कब्जा किया भी था लेकिन आदिवासियों के पास पैसा कम होने के कारण उन खदानों पर बिना लोन के एकदम कब्जा कर नहीं पाये। 2008-09 और 2011-12 में गत सरकार के द्वारा उन आदिवासियों के पट्टे होने के बावजूद अन्य बड़ी कम्पनियों को मार्बल के पट्टे अलाट कर दिये गये। अत: मेरा आग्रह है कि कोठारा गांव में जिन किसानों को पट्टे की देश के माननीय राष्ट्रपतिजी के द्वारा स्वीकृति मिली थी, लेकिन उनको मान्यता नहीं दी जाकर सरकार ने गरीब आदिवासियों के साथ अन्याय किया है। उसकी जांच होनी चाहिये। ऐसा मेरा आग्रह है।

मान्यवर, एक और बात मैं कहना चाहता हूं कि दक्षिणी राजस्थान में जिला बांसवाड़ा में माही डैम बना, पानी घूम रहा है, लेकिन वहां पर जो पानी घूम रहा है उस पूरे गांव को कमांड घोषित कर दिया; जिस जमीन में पानी नहीं घूमता है उसको भी कमांड मान लिया गया; आधे गांव में पानी गया, उस पूरे गांव की भूमि को कमांड घोषित कर दिया गया। इससे किसानों को बडी तकलीफ है। अत: मेरा आग्रह है, उसका सर्वे करवाया जाये और जिस भूमि पर पानी नहीं जाता है उसे नान कमांड घोषित किया जाये और वहां पर नान कमांड की मान्यता देकर आदिवासी किसानों को कुआं खोदने की स्वीकृति मिले ताकि बी पी एल, ए पी एल का निर्णय सही हो सके। ऐसा मेरा आग्रह है।

आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए आदर।

श्री सभापति: श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): सभापति महोदय, अभी सदन के तीन माननीय विधायक जो जनजाति क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने सदन को जनजाति क्षेत्र की पीड़ा से अवगत कराया है। सभापतिजी, मुख्य बात तो यह है कि यह क्षेत्र सामाजिक, आर्थिक, हर तरह से पिछड़ा हुआ है। इसमें माड़ा का क्षेत्र भी है, इसमें टाड़ा का क्षेत्र भी है। करीब-करीब पूरा उदयपुर सम्भाग और सिरोही, यह टाड़ा क्षेत्र में है। योजना आयोग ने बहुत पहले से यह निर्देश दे रखे हैं कि जनजाति क्षेत्र में और अनुसूचित जाति क्षेत्र में उनकी आबादी के हिसाब से बजट प्रावधानों का और खास तौर से आयोजना के प्रावधानों का बंटवारा किया जाए, आबंटन किया जाए। सभापतिजी, योजना आयोग के इन आदेशों की निरन्तर अवहेलना हुई है।

राजस्थान में 2001 की जनगणना के अनुसार, जनजाति क्षेत्र की जनगणना 70.97 लाख है, जो कि कुल जनसंख्या का 12.56 प्रतिशत है। 2011 की जनगणना में बढ़कर यह प्रतिशत 13.5 हो गया। सभापतिजी, मेरा निवेदन करने का मतलब यह है कि 2001 से 2011 तक तो साढ़े बारह परसेंट बजट, 12.56 की आबादी को देखते हुए, आबंटित होना ही चाहिए था। 2011 के बाद हम जिस डिकेड में हैं, इसमें हमारे बजट का प्रावधान 13.5 प्रतिशत आयोजना की दृष्टि से और पूरे बजट प्रावधानों की दृष्टि से होना चाहिए। मैंने 2007 से लेकर 2014-15 के बजट को और 2015-16 के बजट को देखा तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2007-08 में जनजाति उपयोजना बजट 423.76 करोड़ था, उस वक्त यह बजट 1,380 करोड़ होना चाहिए था और कुल मिलाकर इसमें 956.25 करोड़ की राशि की कमी, जो प्रावधान बना, उसमें रही। 2008-09 में यह प्रावधान 384 करोड़ पर था; मैं और फिगर नहीं बोलता हूं, सिर्फ मूल, फिगर बोल रहा हूं; राज्य का कुल आयोजना बजट आबंटित हुआ, उसके अनुसार और साढ़े बारह परसेंट के अनुसार 1,531 करोड़ रुपये आबंटित होने चाहिए थे। यानी 1,145 करोड़ रुपये का आबंटन होना चाहिए था, वह नहीं हुआ।

सभापति जी, मैं ये फीगर इसलिए कोट कर रहा हूं कि कोई इस भ्रम में नहीं रहे कि बजट प्रावधान, सरकारों का रंग कोई भी हो, बजट प्रावधानों का रंग भी अलग तरह से चलता है। योजना आयोग का निर्देश है कि आबादी के अनुपात में, चाहे अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, आयोजना बजट में उनका उतना हिस्सा रहना ही चाहिए। यह अवहेलना तो हमारे खुद के

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राज में, 2007-08 में जो प्रावधान जनजाति के रहे, उसमें 2,102 करोड़ के प्रावधानों की कमी रही है।

यह बात स्वीकार करते हुए, मैं जब कांग्रेस राज के प्रावधानों को देखता हूं, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13 और 2013-14, सभापतिजी, ये प्रावधान कांग्रेस राज में जनजाति के लिए 6,121 करोड़ रुपये आबंटित होने चाहिए, उससे कम आबंटित हुए। अपने इस राज में, हम आ गये 2014-15 और 2015-16; 2014-15 में जो प्रावधान, हमने जनजाति आयोजना बजट के लिए 4,420 करोड़ रुपये अलाट किये, उसमें से; हमने आबंटित किया उसमें 2,048 करोड़ की कमी रही 2014-15 में। सभापति महोदय, 2015-16 में हमने इस साल आबंटन किया 4,626 करोड़। उसमें भी हमें आयोजना के 57,322 करोड़ को देखते हुए आबंटन करना चाहिए था 7,199 करोड़; हमने मूल आबंटन में 2,572 करोड़ की कसर रखी।

सभापतिजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2007-08 और 2008 -09 में 2,102 करोड़ कम अलाट किये; 2009 से 2013-14 में कांग्रेस राज ने 6,121 करोड़ कम अलाट किये और अब इन दो साल में भी हमने 4,020 करोड़ रुपये कम अलॉट किये हैं। बजट आयोजना के आकार को देखते हुए, यह राशि कुल मिलाकर 2007-08 से 12,843 करोड़ रुपये होती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या जनजाति के लिए कोई सहानुभूति की, संवेदनशीलता की कमी है? मैं नहीं मानता कि कोई कमी है। हम बहुत निष्ठावान, अपने भाषणों में अपने सारे लोग, जनजाति हो या अनुसूचित जनजाति हो, उसके प्रति निष्ठा प्रकट करते हैं, विश्वास प्रकट करते हैं कि यह पिछड़ा समाज है, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक, सभी दृष्टियों से। यह बजट प्रावधान, आखिर किसी मर्ज का इलाज होगा ही। जनजाति के विधायक यह कह रहे हैं कि हमारे पास तो मुश्किल से दो हेक्टेयर, चार-पांच बीघा; दो बीघा का टुकड़ा है, चार-पांच बीघा का टुकड़ा है। कुछ लोगों के पास दस का भी होगा, कुछ लोगों के पास पच्चीस का भी होगा, लेकिन एवरेज 90 परसेंट जनजाति के पास दो हैक्टेयर और चार हैक्टेयर के मध्य ही उनकी कृषि भूमियां हैं।

हमारे गृह मंत्रीजी जनजाति क्षेत्र से आते हैं और गांव-गांव में उनका बहुत अच्छा, व्यापक जन सम्पर्क है; ग्रामीण विकास भी उनके पास रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं और जानना भी चाहता हूं कि क्या बाधा है कि उस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

दो बीघा और चार बीघा के टुकड़े में एक कुआं बन जाए और महानरेगा से बन जाए? 60-40 के रेशो में कुआं नहीं बन सकता, तो जो भी लागत है, स्पेशल कन्सेशन करके, हर खेत में कुआं बनाने की बात, जहां पानी उपलब्ध है, 10, 20 फीट, 30, 40, 50 फीट में हम क्यों नहीं कर सकते? ताकि वह सारी जमीन, चाहे फल उगाए, चाहे सब्जी उगाये, चाहे और कोई बागवानी करे, पर कुल मिलाकर उससे 20, 25, 30, 40 हजार रुपये एक फसल में पैदा हो सकें। क्योंकि कुआं बनेगा तो दो फसल हो जाएगी। जनजाति की आमदनियों को देखने का काम महानरेगा के प्रोविजंस से, आपका जनजाति उपयोजना क्षेत्र का बजट 590 करोड़ या 560 करोड़, जो भी, इस वर्ष है, उससे हम यह काम क्यों नहीं कर सकते? माननीय जनजाति मंत्रीजी से मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें क्या बाधा है? हम महाराष्ट्र पैटर्न को राजस्थान में लागू नहीं कर पा रहे हैं। हमारा सारा बजट अलग-अलग मंत्रियों के पास है। माफ करेंगे, जनजाति मंत्रीजी, जनजाति क्षेत्र के लिए वास्तविक जो बजट प्रोविजन है वह आपकी देखरेख में नहीं है, अन्य मंत्रियों की देखरेख में है। (व्यवधान) हां, मैं माननीय नंदलालजी मीणा साहब को ही कह रहा हूं। सभापति महोदय, मेरी मांग है कि यह महाराष्ट्र पैटर्न लागू हो, या राजस्थान का पैटर्न लागू हो, पर जो पैटर्न हम लागू करवाना चाहते हैं, जिस पैटर्न की हम बात कर रहे हैं, वह पैटर्न यह है कि आखिर जनजाति क्षेत्र का मंत्री जनजाति की योजनाएं, चाहे पेयजल की हों, चाहे सिंचाई की हों, चाहे शिक्षा की हों, स्वास्थ्य की हों, इफेक्टिव इंटरवेंशन,वास्तविक दखलंदाजी करने का अधिकारी बने।

जब हमारे पास सिर्फ एक ही कांग्रेस का जनजाति का विधायक है, मैं अर्ज करना चाहता हूं, सभापतिजी, कौनसा वक्त आयेगा, जब हम इन विधायकों की जानकारियों का सही और वास्तविक उपयोग जनजाति क्षेत्र के विकास में लेंगे? आखिर तो सिर्फ एक के अलावा, सभी विधायक हमारे हैं। माननीय जनजाति मंत्रीजी के मंत्रित्व में यह विधायकों की काउंसिल क्यों नहीं बन सकती? यह संस्थागत परिवर्तन हम क्यों नहीं करना चाहते?

जो आबादी 70 लाख थी, 2011 में जो 90 लाख हो गई, जब हमारी कुल आबादी 6 करोड़ 86 लाख है; तो हम हमारी आबादी के करीब-करीब 1/6 हिस्से को समुचित विकास का मौका, जब बजट प्रावधान हमारे पास हैं, उनको देखते हुए समुचित विकास का मौका... और हमारे पास टेलेंट भी है। डूंगरगढ़ से भाई सुशील कटारा आते हैं, कौनसा क्षेत्र है, चौरासी से, उनकी बात मैंने

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सुनी, घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य की सुनी; उदयपुर ग्रामीण के माननीय सदस्य की बात सुनी; मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस बात पर मूलभूत चिन्तन करे। पहली बात तो यह कि आप बजट प्रोविजन को, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी विराजे हैं, इस बजट प्रोविजन को आप जितनी उनकी आबादी है, उसके प्रतिशत में बनायें। कोई कारण नहीं है कि... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नियंत्रण इन्हीं का हो।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नियंत्रण, मैं कह ही रहा हूं कि महाराष्ट्र पैटर्न में जनजाति मंत्रीजी का हो।

सभापतिजी, कोई यह समझे कि जनजाति मंत्री बड़े पावरफुल हो जाएंगे, बड़े शक्तिशाली हो जाएंगे; नहीं, मुख्य मंत्रीजी अपने पास रखें। मुख्य मंत्रीजी अपने पास रख लें। ऐसा कोई खतरा है भी नहीं; कोई खतरा नहीं है। खाली कोई ऊहापोह की स्थिति और एक एप्रिहेंशन की स्थिति हो, तो अलग बात है। बाकी, सभापतिजी, मैं मांग करता हूं कि यह संस्थागत परिवर्तन हमारे इस राज्य में शीघ्रातिशीघ्र किया जाए और यह जो आक्षेप आ रहा है कि हमने बजट प्रोविजन आबादी के अनुपात में नहीं रखा, वह आक्षेप भी हमसे खतम हो और वह आक्षेप इसलिए खतम हो, ताकि यह हमने दो सालों में 4,620 करोड़ का जो कम प्रावधान किया, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह 13 हजार करोड़ रुपये, क्योंकि 12,800 से ऊपर हैं, करीब 13 हजार, आने वाले छह साल में जो आबंटन आबादी के अनुपात में होना चाहिए, उससे 2 हजार करोड़ का अधिक आबंटन करके, जो बैकलाग हमने खुद ने क्रीयेट किया है, उस बैकलाग को खतम करने की हम कार्यवाही करें। ऐसा होने पर निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन राजस्थान के जनजाति क्षेत्र में आयेगा।

मैं अर्ज करना चाहूंगा कि आप 'मनरेगा' के माध्यम से हर आठ बीघे तक के खेत में, दो हैक्टेयर तक के खेत में, आखिर तो मैंने फिगर्स कोट किये थे कि 62 लाख जो हमारी जोतें हैं, उनमें 31 लाख जोतें एक हैक्टेयर थीं, 11 लाख के करीब जोतें एक हैक्टेयर से दो हैक्टेयर के बीच में; यदि आप सर्वे करवायेंगे तो इनमें 25-30 परसेंट जोतें जनजाति क्षेत्र में ही हमें मिलेंगी क्योंकि वहां जोत का आकार कम है, जोत की सीमा कम है। जैसा कि वह पहाड़ी एरिया है और उसमें समतल जमीनें बहुत कम उपलब्ध हैं, इसलिए

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ऊंची-नीची जमीनों में जो भी उपलब्ध हैं, उनका सुधार करना और उनका विकास करना, यह बहुत आवश्यक है।

सभापतिजी, जो उपयोजना क्षेत्र का बजट है, मैं पीछे की बात नहीं करता, जो हमारा ताजा बजट है 2014-15 का, उसमें जो 560 करोड़ का प्रावधान है, कोई 10-20 करोड़ ऊपर-नीचे हो तो देख लेंगे जनजाति मंत्रीजी, इसमें राज्य योजना का पैसा है 343 करोड़, विशेष केन्द्रीय सहायता है 92 करोड़, संविधान की 8धारा 275(1) का रुपया है 124 करोड़ और केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं का 0.26 है, क्योंकि वे केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाएं अनेक क्षेत्रों में समाप्त हो रही हैं। जब इनके खर्च की स्थिति देखी, सभापतिजी, तो 343 करोड़ में कुल 240 करोड़ रुपये का उपयोग दिसम्बर, 2014 तक किया गया। जो रुपया, माननीय जनजाति मंत्रीजी, आपको उपलब्ध है, या आपको उपलब्ध है सांकेतिक तौर पर, और विभागों को उपलब्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार, यह खर्च की स्पीड, काम करने की स्पीड, और बजट प्रावधान जो अगस्त तक, जुलाई तो क्या, अगस्त-सितम्बर तक नीचे पहुंचते हैं। जो बजट हमने पास कर दिया, पास करने ही वाले हैं, उसके बजट प्रावधान अगस्त-सितम्बर-अक्टूबर तक पहुंचते हैं, फिर खर्चा तो दिसम्बर में इतना ही होगा। इस सारी प्रक्रिया में भी मूलभूत सुधार होते और सारे बजट प्रोविजंस नीचे जून-जुलाई तक पहुंचें, इस बात की भी व्यवस्था, सभापतिजी, करने की सख्त आवश्यकता है; अन्यथा हमारे विभागों का खर्चा दिसम्बर तक, आधे 50-60 परसेंट से आगे जाता ही नहीं है। उसमें भी मूल-भूत रूप से फर्क पड़ेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस 560 करोड़ से हमने क्या-क्या काम किया है। आप गौर से देखें। 3 लाख 28 हजार परिवारों को हमने कृषि विकास कार्यक्रम से जोड़ा है। यह आंकड़ा बहुत अच्छा आंकड़ा है कि 3 लाख 28 हजार को तो हमने कृषि विकास कार्यक्रम से जोड़ा है। पशुपालन में हमने 5,600 परिवारों को जोड़ा है; उद्यानिकी में करीब 4,800 परिवारों को जोड़ा है। इस तरह कुल मिलाकर 3 लाख 39 हजार होते हैं। करीब 75 हजार लोगों को हम किशनगंज-सहरिया क्षेत्र में प्राथमिक में जो पढ़ रहे हैं, उनको भी वजीफा दे रहे हैं, माध्यमिक को वजीफा दे रहे हैं, हायर सेकण्डरी में वजीफा दे रहे हैं, कालेज में वजीफा दे रहे हैं। यह 75-80 हजार छात्रों को भी वजीफा दे रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रावधान आपके पास तो अभी 45 परसेंट उपयोग

(श्री मानिक चन्द सुराना)

में आया है। यदि यह शत-प्रतिशत उपयोग में आयें और समय पर उपयोग में आयें, तो निश्चित रूप से यह जो भी 3 लाख 39 हजार और 75 हजार विद्यार्थियों को जो लाभ है, यह लाभ डेढा-दुगना हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सारी डिटेल की बात है।

घाटोल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो पीड़ा माही डैम के 112 गांवों की बताई, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आखिर वह पीड़ा कब मिटेगी? वह जो भी 300 किसान हों, 400 किसान हों, उनको प्रोपर अलाटमेंट, पेपर अलाटमेंट से हटकर वास्तविक अलाटमेंट, भूमियों का, हमारे राज में नहीं होगा तो कब होगा?

इसलिये यह सोच कर कि हमें कुछ काम करना है, सामाजिक परिवर्तन करना है, आर्थिक परिवर्तन करना है; ये सारे बोटलनेक्स प्रशासन के, जो अफसरों के आधार पर हैं, आपका कोई कमिश्नर होगा, ट्राइबल डवलपमेंट कमिश्नर, मैं अर्ज करता हूं कि यह सब जितने आपके ट्राइबल डवलपमेंट कमिशनर हैं, सबके सब को जनजाति मंत्रीजी के और विधायकों की काउंसिल बनाकर इनके नीचे रखिये। इनकी डेढ़-दो महीने से मीटिंग हो; वे अपने क्षेत्र की विशेष समस्याओं की ओर माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करें; उनका समाधान हो।

बजट प्रोविजन, मैंने तो कहा ही है कि यह 2,000 करोड़ रुपये, जो पीछे सात-आठ साल से, जो 2013 तक, 2014 तक, 2015 तक कम हैं, यह दो-दो हजार करोड़ रुपये अगले बजटों में प्रावधान बढ़ाकर दिये जाएं और आबादी के अनुपात से यह आबंटन जनजाति क्षेत्र के लिए किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस संस्थागत परिवर्तन की बात पर जोर देते हुए और यह विश्वास करते हुए कि सरकार बहुत बड़ा बदलाव लाने की तैयारी में है, तो निश्चित रूप से इसमें संस्थागत परिवर्तन करें और संस्थागत परिवर्तन करके जनजाति क्षेत्र की जो पच्चीसों ज्वलंत समस्याएं हैं, उनका समाधान करें।

आखिर, आपने इस बात को भी देखा है क्या कि आपके आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में कितने जनजाति के लोग हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जनजाति कैडर बनाने की

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बात कही है, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यदि भाजपा सरकार ने हर बी.एड. को नौकरी दी 2005-06 में और 2006-07 में, तो अब कैडर बनाकर उनको राज्य की चाहे आर.ए.एस. की नौकरी है, आर.पी.एस. की नौकरी है, दूसरी नौकरियां हैं, जो पचासों नौकरियां हैं, लेखाकारों की नौकरी है, और इनमें हम इनका समायोजन इनके पिछड़ेपन को, आर्थिक पिछड़ेपन को और आर्थिक-शैक्षणिक पिछड़ेपन को देखते हुए, हम इसके लिए विशेष प्रावधान क्यों नहीं कर सकते? यदि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा और कब करेगा? इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसको भी देखें और कितने विद्यार्थी मेडिकल में हैं, कितने इंजीनियरिंग में हैं, कितने इन्फार्मेशन टेक्नोलोजी में हैं और कितने स्पेशलटीज में हैं, इनका प्रशिक्षण, मुफ्त प्रशिक्षण सिर्फ उदयपुर में ही नहीं, बल्कि जिला हैडक्वार्टर्स पर करवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।

यह संस्थागत परिवर्तन अपन करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनजाति क्षेत्र के विकास में वर्तमान सरकार चार चांद लगा सकेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ, माननीय सभापति महोदय, मैं मेरा स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति: श्री नानालाल अहारी।

सूचना

उद्योग मैदान से किसानों की गिरफ्तारी

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मेरा एक पाइंट आफ इन्फार्मेशन है। उद्योग मैदान पर किसान धरने की अनुमति 10 तारीख को किसानों को मिली थी, किसान महा-पंचायत को अनुमति मिली और आज करीब 25-30 किसानों को जबरन वहां से उठाकर, पुलिस पीटते हुए, गिरफ्तार करके ले गयी। किसान महा-पंचायत...(व्यवधान) एक मिनट, रमेशजी, एक मिनट।

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फार्मेशन उन्होंने मांगा है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, किसान महा-पंचायत को 10 तारीख को अनुमति मिली और 11 को वापस ले ली। उद्योग मैदान पर, माननीय सभापति महोदय, हमेशा धरने लगते रहे हैं और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

किसान महा-पंचायत के नेता रामपाल जाट सरकार को 'सुराज संकल्प यात्रा' में इनके किये वादे याद दिला रहे थे। पिछले चार दिन से 151 के अन्दर उनको गिरफ्तार कर रखा है। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) एक मिनट।

श्री सभापति: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया। आपने इन्फार्मेशन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर दिया है। I cannot allow a debate on this issue.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक सेकण्ड, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, I have honoured your commitment but don't force the Chair to be strict.

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उनको खतरनाक अपराधियों के साथ बैरक में रख रखा है।

श्री सभापति: आपने ध्यान आकर्षित कर दिया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): सरकार ध्यान दे और उनको रिहा करे।

श्री सभापति: सरकार संवेदनशील होकर इस पर जो भी उचित होगा, कार्यवाही करेगी।

श्री नानालाल अहारी।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

व्यवस्था का प्रश्न

सदन को उपाध्यक्ष की आवश्यकता

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री सभापति: आप विराज जाएं। आप एक बार विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 8 की ओर केंद्रित कर रहा हूं। नियम 8 की, पेज नम्बर 6, माननीय सभापति महोदय, इसमें साफ निर्देशित है कि सदन में जो हम बैठते

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हैं, एक स्थान, विपक्ष की तरफ पहला स्थान उपाध्यक्ष के लिए होता है और सदन का पूरा तब बनता है, जब अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, सचेतक, सारा काम हो, तब यह कोरम बनता है। विधान सभा को गठित हुए 15 महीने से अधिक हो गये हैं और पहले दिन हमने अध्यक्ष का निर्वाचन कर लिया था। अब इसमें नियम 8 में पढ़ें हम- '(1) उपाध्यक्ष का निर्वाचन उस तिथि को होगा जो कि अध्यक्ष निश्चित करे और सचिव प्रत्येक सदस्य को उस तिथि की सूचना भेजेगा।' एक। नम्बर दो, इसमें कहा गया है- '(2) इस प्रकार निश्चित तिथि के पूर्व दिन के मध्याह्न से पहले कोई भी सदस्य किसी भी समय इस प्रस्ताव की कि किसी अन्य सदस्य को सदन का उपाध्यक्ष चुना जाए, सचिव को सम्बोधित लिखित रूप से सूचना दे सकेगा और उस सूचना का अनुमोदन एक तीसरा सदस्य करेगा तथा उसके साथ उस सदस्य का, जिसका नाम सूचना में प्रस्थापित किया जाए, यह कथन संलग्न होगा कि निर्वाचित होने पर वह उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने को राज़ी है।'

यह मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि एक तो माननीय सदस्यों के इस अधिकार का हनन हो रहा है कि मुझे यह सूचना देने का अधिकार है, इस सदन के माननीय सदस्यों को सबको यह लिखित में सूचना देने का अधिकार है कि माननीय सदस्य को, उपाध्यक्ष को चुना जाए। यह हमको अधिकार प्राप्त है और वह अधिकार का हनन हमारा हो रहा है। एक।

दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार कहीं नहीं आती है। यह आसन की व्यवस्था है। आसन इस बात की व्यवस्था करेगा कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन किस तिथि को किया जाए। इसलिए आसन को यह तय करना है कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन कब हो।

15 महीने से अधिक का समय निकल गया है। तो यह सदन का जो कोरम है, वह भी पूरा नहीं हो रहा है और एक किसी भी माननीय सदस्य का, जो उपाध्यक्ष होगा, उसके अधिकार का भी हनन है और जो लिखित में सूचना दे और समर्थन करे, उनके अधिकार का भी हनन है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं इतना ही चाहूंगा कि आप व्यवस्था दें, या अध्यक्ष महोदय से आग्रह करें, कि इस सम्बन्ध में वे व्यवस्था दें और उपाध्यक्ष का चुनाव शीघ्र करवाएं ताकि इस सदन का काम पूर्ण हो सके।

श्री सभापति: The Chair will reserve its address on this issue.

मांग संख्या 30 व 33 पर विचार

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30– जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 33- सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज जनजाति विभाग पर हमारे काफी सदस्यों ने चर्चा की और मैं जिस क्षेत्र से आता हूं ...(व्यवधान)

(14.47 बजे)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): इसीलिए उठा रहे थे क्या आप? (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या? राजेन्द्रजी, क्या कह रहे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): मैं तो यह कह रहा हूं कि आसन पर आप विराजे हों, अच्छे लग रहे हों। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, मैं बहुत अच्छा लग रहा हूं, लेकिन यह स्थान आपके लिए सुरक्षित है क्योंकि आपकी जितनी जानकारी किसी को नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप वहां पर विराज जाएं, यह व्यवस्था का प्रश्न आपने इसीलिए उठाया था क्या?

श्री सभापति: अब वह रिजर्व हो गया। (व्यवधान)

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, पूरा क्षेत्र जनजाति क्षेत्र है, 85 परसेंट जनजाति के लोग हमारे विधान सभा क्षेत्र में निवास करते हैं। वहां की जनसंख्या, तीन से साढ़े तीन लाख की जनसंख्या है। आज देश के आजाद होने के बाद 67 साल गुजर चुके हैं, मगर वहां के जनजाति लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी अभी उपलब्ध नहीं हुई हैं। न उनको बिजली मिली है, न उनके पास आने-जाने के लिए सड़क है। कई किलोमीटर दूर वे पैदल चलकर अपनी मूलभूत सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय नन्दलालजी, आप जरा सुनिए। नन्दलालजी, सुनिए। सुनिए आप।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मेरे कान इधर ही हैं। कान से सुन रहा हूं। (व्यवधान)

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: हां, ये कह रहे हैं कि मैं कान से काम कर रहा हूं, आंख से नहीं कर रहा हूं। ठीक है।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि उस जनजाति क्षेत्र का ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ये तीनों चीज से कर रहे हैं, माननीय सभापति महोदया। ये चिंतन-मनन भी कर रहे हैं और चिंतन-मनन करने की अलग-अलग मुद्राएं होती हैं। हमारे ऋषि मुनियों की मुद्रा है, जरा आंख को बंद करके दत्त-चित्त होकर जो चिंतन-मनन करते हैं, ये आत्मसात कर रहे हैं सारी बात।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं चिंतन इस बात का कर रहा हूं कि 67 वर्ष की आजादी के बाद, खैरवाड़ा का राजस्थान के मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व रहा है, वहां पर भी अगर बिजली और पानी नहीं है, तो इसका तो फिर भगवान ही मालिक है।

श्री सभापति: ठीक है। आपके चिंतन-मनन से यह बात निकली है न? ठीक है। चलो।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी जो कह रहे हैं, वास्तविकता बहुत बता रहे हैं, क्योंकि आप एक बार वहां से लोक सभा के सदस्य भी रह चुके हैं और आपको वहां का पूरा अनुभव है। आज हम कहते हैं कि हमने सारा क्षेत्र इलेक्ट्रिफाई कर दिया, सभी को लाइटें दे दीं, मगर देखा जावे तो कोई भी पंचायत, कोई भी गांव इलेक्ट्रिफाइड नहीं है। अगर उसको लाइट दी गयी है, तो गांव के किसी कोने पर ले-जाकर छोड़ दी गयी है। आज 80 से 85 प्रतिशत लोग जनजाति के हैं, वहां अगर सर्वे करवाया जाये तो उसमें से 30 प्रतिशत लोगों को ही लाइट मिली है। पिछली सरकार कह रही थी, हम बल्ब बांट रहे हैं, यह दे रहे हैं, वह दे रहे हैं, मगर मैं आपको कहना चाहूं कि कई ऐसे लोगों को भी बल्ब दे दिये जिनके घर पर

(श्री नाना लाल अहारी)

बिजली का कनेक्शन नहीं था और कई ऐसे लोगों के बिल आये जिनके घर पर मीटर लगा हुआ नहीं था। इस प्रकार का घोर अन्याय हमारे आदिवासी भाइयों के साथ में हो रहा है।

मैं तो मंत्री महोदय से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जैसे आपके मद से हैण्डपम्प की सैंक्शन निकालते हैं, और सैंक्शन निकालते हैं, और एक हैण्डपम्प करीब 50 हजार के आसपास में खुदता है। मेरा तो यह निवेदन है कि आज एक-एक आदिवासी के कई बेटे हो गये, जमीन टुकड़ों में बंट गयी। उस हैण्डपम्प की जगह अगर उसको ट्यूबवेल खोद दिया जावे और उसके मोटर लगा दी जावे, तो उससे आदिवासी भाई का भला होगा; बाकी हैण्डपम्प से भला नहीं होगा। मेरा यह माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है। दूसरा,.. (व्यवधान)

श्री सभापति: यह हैण्डपम्प भी कोई काम तो आता ही है।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): हैण्डपम्प तो एक परम्परा बन गयी है, साहब। आज मैं हुआ, चाहे दूसरा विधायक हुआ, वह देखता है कि यह मेरा कार्यकर्ता है, यह उसका कार्यकर्ता है; चुनाव में अच्छा काम किया, इसको हैण्डपम्प देना चाहिये। पहले इतने हैण्डपम्प नहीं थे। आज एक-एक गली में हैण्डपम्प हो गये। मतलब, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा कि चार किसानों को या दो किसानों को सम्मिलित कर अगर उसका ट्यूबवेल खोदा जाएगा, उस पर मोटर लगा दी जाएगी, उसको कनेक्शन दिया जाएगा, तो कम से कम खेत में वह अपनी सब्जी कर सकेगा, थोड़ा-बहुत खाने का अनाज पैदा कर सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, उसी तरह से समूह बनाकर अगर आदिवासी भाइयों को लोन दिया जावे; बकरी पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, इस प्रकार का अगर लोन दिया जावे, तो उनकी स्थिति और भी सुदृढ़ हो सकती है।

कुओं को गहरा कराया जावे। बीच में 2003 से लेकर 2008 तक नरेगा में माननीया वसुन्धराजी के माध्यम से कई किसानों के कुएं गहरे करवाये और आज वह किसान उन कुओं से अपना खेती का कार्य कर रहे हैं; उससे गेहूं ले रहे हैं, सब्जियां ले रहे हैं; अपना घर का खर्चा आराम से चला रहे हैं।

दूसरा, खेतों में जहां छोटे-छोटे नाले जा रहे हैं, वहां पर मेड़बंदी की

(श्री नाना लाल अहारी)

जावे, ताकि जो कटाव होता है, वह कटाव नहीं होवे। दूसरा, जैसे किसी पंचायत में छोटे-छोटे नाले हैं, छोटे नाके हैं, वहां एक करोड़, दो करोड़ तक के एनिकट भी बनते हैं। उसका छोटा रूप लेकर, उनको बनवाकर, अगर उनकी छोटी नहरें निकाली जावें तो 20-25 किसानों को उस नहर से पानी भी मिल सके, यह भी काम करना चाहिये।

मेरे यहां पर करीब तीन बड़े बांध हैं, जो करीब-करीब दो हजार एम.सी.एफटी. के हैं। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, वहां के आस-पास के लोगों को लोन देकर मछली पालन का अगर काम करवाया जाये तो काफी लोगों को वहां रोजगार भी मिलेगा।

साथ ही, ऐसी कई ढाणियां हैं, कई गांव हैं, जो रेवेन्यू रिकार्ड पर जनसंख्या की दृष्टि से नहीं आये हैं, जो हजारों की संख्या में हैं। उनका भी सर्वे करवाकर सड़कों से जुड़वाया जाये। साथ ही, जहां हमारे जनजाति छात्रावास हैं, छात्रावासों की स्थिति बहुत ही खराब है। उन छात्रावासों को भी देखना पड़ेगा। कहीं उनके वायर टूटे हुए हैं, तो कहीं जालियां टूटी हुई हैं और अधिकांश छात्रावासों में शौचालय नहीं हैं। अगर शौचालय बने हुए हैं तो वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। तो पानी की व्यवस्था के खातिर वे शौचालय भी बंद पड़े हुए हैं।

मीरा गर्ल्स कालेज में हमारी जनजाति की जो बालिकाएं वहां पढ़ने जाती हैं, एडमिशन लेने जाती हैं, तो वहां उनसे 1,800 रुपया शुल्क लिया जाता है। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति की बालिकाओं का वह शुल्क माफ किया जावे।

साथ ही, हास्टलों में बिस्तर, वगैरह जो होते हैं, उनको भी समय-समय पर बदला जावे। बिस्तरों की हालत अगर देखी जावे, तो अपन लोग तो वहां बैठ ही नहीं सकें। यह बिस्तरों की स्थिति है। इसलिए समय-समय पर उन बिस्तरों को बदला जावे। अगर बिस्तरों को अपन नहीं बदलेंगे तो बच्चों के बीमार होने की सम्भावना रहेगी।

दूसरा, आपका हास्टलों में जो बजट जाता है, वह देरी से जाता है। तो उसको भी समय पर भेज दिया जावे।

दूसरा मेरा एक और निवेदन था, जैसे कि शहर के आस-पास में जो विद्यालय हैं, वहां पर काफी संख्या में अध्यापक उपलब्ध हैं, मगर दूरदराज में,

(श्री नाना लाल अहारी)

आपने सागवाड़ा की पाल भी देखी, आपने जाजरी भी देखा, ऐसे गांवों में बहुत ही कम अध्यापक होते हैं। मां-बाप उनको पढ़ने के लिए भेज देते हैं, पर वे घूम-फिरकर वापस आते हैं। जहां 200-300 की संख्या में बच्चे होते हैं, उन पर एक या दो अध्यापक ही रहते हैं। केवल वे अनुशासन ही रखवा सकते हैं। बाकी अनपढ़ बच्चों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। तो मेरा तो आपसे आग्रह है, निवेदन है कि वहां पर अध्यापकों को लगाया जाये। जैसे हमारे चौरासी से आने वाले माननीय विधायकजी ने कहा था कि जो भी अध्यापक हमारे बाहर हैं, उनको हमारे ट्राइबल क्षेत्र में लगाया जावे।

इसी के साथ में मेरी एक पीड़ा भी है...

श्री सभापति: इतनी देर आपने प्रसन्नता की बात की, अब पीड़ा की करें आप।

श्री नाना लाल अहारी (खैरवाड़ा): अब मेरी एक पीड़ा भी है कि तत्कालीन सरकार द्वारा अंतिम बजट सत्र में केसरियाजी, बेणेश्वर धाम और मानगढ़ धाम के लिए बजट में घोषणा की थी। मानगढ़ धाम के लिए 5 करोड़ दिये थे; बेणेश्वर धाम के लिए 5 करोड़ रुपये दिये थे और ऋषभदेव धाम के लिए भी 5 करोड़ रुपये दिये थे। आचार संहिता लगने की वजह से ये लोग काम चालू नहीं कर पाये और ठीक चुनाव के बाद में हम लोगों ने मौके पर काम चालू कर दिया। वहां पर करीब-करीब 80 लाख रुपये का काम हम लोगों ने कर दिया है। माननीय मंत्री महोदय ने उसकी जांच भी करवा ली, क्वालिटी की भी करवा ली, सारा दिखवा लिया। मेरा तो सदन के माध्यम से और, सभापति महोदय, आपके माध्यम से आपसे आग्रह है, निवेदन है कि वह जो भी पेमेंट है, उसको आप रिलीज करेंगे तो मौके पर जो काम अधूरा है, उसको पूरा कर दिया जाएगा।

मांग संख्या 33, माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण में भी हास्टलों की जो स्थिति है, वह सही नहीं है। इसमें मेरा एक निवेदन है कि जो अंशकालीन कर्मचारी हैं, जगह-जगह पर लगे हुए हैं, उनको अलग-अलग तरीके का वेतन दिया जा रहा है। कहीं कम दिया जा रहा है, कहीं ज्यादा दिया जा रहा है।

(15.00 बजे)

तो जो ऐसे अंशकालीन कर्मचारी हैं, आपसे निवेदन है कि इन्हें सरकारी नौकरी दी जाएं।

(श्री नाना लाल अहारी)

साथ ही, सामाजिक न्याय विभाग के छात्रावासों में कई प्रकार की कमियां हैं। उनको भी पूरा किया जावे।

पालनहार में प्रति बालक को एक हजार रुपया प्रति माह दिया जाता है। उसमें केवल दो बच्चों को ही दिया जाता है, उसमें ज्यादा बच्चे हों तो नहीं दिया जाता है। तो इसमें भी संशोधन कर, जितने भी बच्चे हैं, उन सब को पालनहार में दिया जावे। विधवा पालनहार में भी सभी बच्चों को मिलना चाहिए।

विधवा एवं अनाथ बालक-बालिका को सरकारी एवं गैर-सरकारी स्कूलों में नि:शुल्क पढ़ाई करवायी जावे। विधवा विवाह, पुत्री, इसमें योग्यता के आधार पर दो पुत्रियों को पैसा दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि इसमें जितनी भी बच्चियां हैं उन सब को दिया जावे।

इसके साथ ही, जो बालक अनाथ हैं, जिन बालकों को अनाथ आश्रम में बढ़ाया जाता है, पढ़-लिखकर होशियार हो जाते हैं। उनके आगे-पीछे न तो मां-बाप हैं, कोई है नहीं; उनके परिवार के लोग जरूर रहते हैं। तो मेरा इसमें भी माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इनको भी विवाह के रूप में कोई न कोई राशि दी जाए ताकि वे भी अपने घर का गुजारा कर सकें, भरण-पोषण कर सकें।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत -बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद, नाना लालजी।

श्री समाराम जी गरासिया। (व्यवधान) हां, हां, मुझे पता है, उधर बैठे हैं।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति महोदयजी, आपने मुझे मांग संख्या 30 व 33 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति महोदयजी, मैं जनजाति क्षेत्र से आता हूं और हमारी जो पिण्डवाड़ा तहसील है, वह एस.टी. बहुल क्षेत्र होते हुए भी टी.एस.पी. में नहीं है। मात्र आबू रोड की पांच-सात पंचायतें हैं, वे ही टी.एस.पी. में आती हैं और हमारे आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं। मैं अपनी सरकार, यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और मंत्री महोदयजी को धन्यवाद दूंगा कि 51 गांवों को टी.एस.पी. में शामिल करने के लिए भेजा है। हमारे जनजाति के

(श्री समाराम गरासिया)

लोग सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहते हैं, जैसे नौकिरयां नहीं मिलती हैं, जैसे कृषि कनेक्शनों का भी एस.सी. की तरह है, वह भी नहीं मिलता है। इसलिए हर सुविधाओं से वंचित रहते हैं। सभापति महोदयजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि हमारे सारी सुविधाएं टी.एस.पी. जैसी ही की जाएं।

पिण्डवाड़ा तहसील में मात्र तीन माडा में छात्रावास हैं जिनमें पांच साल में पूर्ववर्ती सरकार ने शौचालय नहीं बनाये। जो शौचालय थे, वे जब छात्रावास बने थे, उस समय के हैं। वहां शौचालय की हालत बहुत खराब है, बिलकुल बंद पड़े हैं, खुले में शौच जाते हैं। एक छात्रावास है मोरस में जिसमें 140 लड़के हैं, स्वरूपगंज में 50 लड़कों का है और आपरीखेड़ा में 100 बालिकाएं हैं, जो खुले में शौच जाते हैं। सभापति महोदय जी, मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन किया था, मंत्री महोदयजी ने प्रस्ताव भी दिया है, बजट भी दिया है लेकिन अभी तक डिले है। पांच साल तक छात्रावासों में किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। सभापति महोदयजी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पांच साल कांग्रेस सरकार में सिर्फ जनजाति, एस.सी., एस.टी. को बहला करके केवल मात्र वोट लेते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। अब अपनी सरकार आयी है तो मुझे विश्वास है कि ये सारे काम होंगे।

सभापति महोदयजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारे पिण्ड्वाड़ा में भी एक बालिका छात्रावास खोला जाए। यह भी मेरा आग्रह है।

हमारे सात-आठ पंचायतें आबू रोड तहसील में आती हैं, निचला गढ़, ऊपला गढ़, दोहितरा, भूला, सारे। इनमें एक दोहितरा जनजाति छात्रावास है, वहां मरम्मत की बिलकुल कमी है। सभापति महोदयजी, आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन करूंगा कि वहां मरम्मत के लिए कोई बजट दिया जाए। एक देलदर के अन्दर जो जनजाति बालिका छात्रावास घोषित हुआ है, उसकी भी जल्दी से स्वीकृति दी जाए। सभापति महोदयजी, मुझे विश्वास है अपनी सरकार में।

पूर्ववर्ती सरकार ने जिस प्रकार लोगों को गुमराह किया, पिण्डवाड़ा तहसील में एक भूला है, भूला के अन्दर लीलोरीवरली एक गांव है, वहां पूर्व

(श्री समाराम गरासिया)

मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत एक शहीद स्मारक बनाने के लिए गये थे, वहां इन्होंने घोषणाएं की और मात्र एक शिला लगायी कि यहां हम एक बहुत बड़ा करोड़ों रुपये का स्मारक बनायेंगे, लेकिन वहां एक भाटा का भाटा ही रहा। इन्होंने कई प्रकार की घोषणाएं थोथी कीं। वहां अपनी सरकार में जो एक बालिका छात्रावास की किश्त जारी होनी वाली है और आने वाले समय में साल भर में यह छात्रावास होगा। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं अपनी यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और मंत्री महोदयजी को कि इन्होंने इस प्रकार के अच्छे कदम उठाये।

विद्युतीकरण के लिए भी इन्होंने हमारे जनजाति क्षेत्र में दीनदयाल विद्युतीकरण, जो गांव घोषित किये हैं, इसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि अपनी सरकार में इस प्रकार के काम होंगे, जैसे 2003-04 जब अपनी यशस्वी मुख्य मंत्री और सरकार थी उस समय में भी घरेलू बिजली के कनेक्शन मिलते थे 100 डेज के अन्दर। इस प्रकार जो काम हुए थे, हरेक गांव को विद्युतीकरण से जोड़ा था। पिछली कांग्रेस सरकार में 2009 से 12 तक घरेलू कनेक्शन के लिए ये आबादी का पट्टा मांगते हैं और, सभापति महोदयजी, हम जनजाति क्षेत्र से आते हैं, हमारे किसी का पट्टा नहीं होता है। मैं मंत्री महोदयजी से निवेदन करूंगा कि हमारे जनजाति क्षेत्र में एक-एक घर होता है, एक खेत पर होता है, किसी का पट्टा नहीं होता है। इसलिए वे कनेक्शन किसी को नहीं मिलते हैं। इसमें भी सुविधा की जाए। जैसे मैं 2003-04 में भी विधान सभा का सदस्य रहा हूं, तो मेरे खुद का भी पट्टा नहीं है; आम जनता का पट्टा, किसी का नहीं है। और तो क्या कहूं? इसलिए मैं यह निवेदन करता हूं कि हरेक को घरेलू कनेक्शन दिये जाए। मैं धन्यवाद देता हूं यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और मंत्री महोदय जी को कि कम से कम जो दीनदयाल विद्युतीकरण किये हैं, इसमें सारे काम हो जाएंगे।

निचला गढ़, ऊपला गढ़, इन गांवों के अन्दर एनिकटों की जरूरत है। एनिकट, जैसे छोटे-छोटे नाले हैं, उसमें एनिकटों की व्यवस्था हो जिससे पानी का रुकाव हो जाए छोटे-छोटे गांवों के अन्दर।

हमारा मूल धंधा मजदूरी का है। हमारे जनजाति क्षेत्र के अन्दर छोटी-छोटी खेतीबाड़ी है, कोई इतने बड़े काश्तकार नहीं हैं। मूल धंधा खेतीबाड़ी है और मूर्तिकार भी हैं। हमारी पिण्डवाड़ा तहसील में हमारे वनवासी बंधु सारे

(श्री समाराम गरासिया)

पत्थर गढ़ाई का काम करते हैं। राम मंदिर के पत्थर भी हमारी पिण्डवाड़ा तहसील में ही गढ़े जा रहे हैं। वह ही स्थान है हमारी पिण्डवाड़ा तहसील जो पूरे विश्व में जानते हैं कि पिण्डवाड़ा में पत्थर गढ़ाई का काम होता है।

सभापति महोदयजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदयजी से निवेदन करूंगा कि हमारे यह जो माड़ा क्षेत्र में तीन छात्रावास हैं, उनमें मोरस में 140 हैं, इसकी संख्या बढ़ाकर के कम से कम 200 की जाएं; स्वरूपगंज में मात्र 50 लड़कों का जो छात्रावास है, उनमें 150 की संख्या की जाएं और आपरीखेड़ा में बालिकाओं की संख्या 100 है, इसकी संख्या बढ़ा कर के 200 की जाए।

सभापति महोदयजी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि अनुसूचित जनजाति की छात्राओं को गुणवत्ता तथा उच्च शिक्षा के लिए 52 करोड़ रुपये की लागत से 20 कन्या आश्रम छात्रावास खोले जाने के निर्णय के तहत सभी 20 नवीन आश्रम छात्रावासों हेतु स्थान का चयन कर लिया गया है तथा स्वीकृति दिनांक 29.10.14 को जारी की जा चुकी है। इसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 2 छात्रावास हैं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि आने वाले समय में इससे बालिकाओं को पढ़ाई के लिए अच्छा मौका मिलेगा।

157 छात्राओं को मुफ्त स्कूटी वितरण किया गया; 1,317 जनजाति कृषकों को नि:शुल्क कृषि उपकरण तथा...

श्री सभापति: हां, दे दिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): 5 लाख 96 हजार 347 जनजाति कृषकों को नि:शुल्क खाद वितरित कर लाभान्वित किया गया। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया और मंत्री महोदयजी को कि इन्होंने जनजाति की सुध ली और हमारे आदिवासी और जनजाति क्षेत्र में इस प्रकार के अच्छे कदम उठाएं। सभापति महोदय, जनजाति क्षेत्र में पिंडवाड़ा तहसील के अन्दर इस प्रकार की सारी सुविधाओं से भी जोड़ने का प्रयास करें। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं।

सभापति महोदय, आपको बोलने देने के लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, समारामजी।

श्री अमृतलाल। श्री अमृतलाल।

श्री महेन्द्र जीत सिंहजी मालवीय।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): वे बोल रहे हैं।

श्री सभापति: हां, खड़े हो गये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि पूरा जनजाति क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, वह सम्पूर्ण क्षेत्र पहाड़ी है। वहां बड़ी-बड़ी पहाड़ियां हैं, अरावली पर्वतमालाएं हैं और जंगलों से घिरी हुई बिखरी बस्तियां हैं। इस जनजातिय क्षेत्र में 5 जिले, 23 तहसीलें और सिरोही जिले का आबू रोड, पिंडवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के अरनौद, प्रतापगढ़, पूरे उस एरिये के जनजाति क्षेत्र में जनसंख्या के 73.17 परसेंट जनजाति के लोग निवास करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सुनें। माननीय सदस्य जनजाति क्षेत्र से आते हैं, उनकी बात भी सुनें।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): उसमें देखा जाये तो जितना विकास होना चाहिए था 65-66 साल में, वह नहीं के बराबर है। चौदहवीं विधान सभा है और उस क्षेत्र के जितने भी विकास के कार्य होने चाहिए थे, वे नहीं हुए। उस क्षेत्र में काम करने की सख्त जरूरत है। लोगों को आने-जाने के लिए सड़कें नहीं हैं; एनिकट बनाने जरूरी हैं; फलां ढाणी, मजरों में लाइट की जो समस्या है, वह पूर्ण रूप से करना बहुत जरूरी है।

हमारे माननीय मंत्री भी बहुत अनुभवी हैं, उस क्षेत्र को सम्पूर्ण रूप से, हर फलां ढाणी, मजरे और गांवों को जानते हैं। दुर्भाग्य है इस जनजाति वर्ग का कि जितना बजट आना चाहिए, वह 13 परसेंट सभी अन्य विभागों में विभाजित होने की वजह से, चाहे वह शिक्षा क्षेत्र का हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, जिन-जिन डिपार्टमेंट का जो पैसा है वह विधिवत रूप से जनजाति विभाग में अलाटमेंट होना चाहिए। यह मेरा कहना है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का जो कार्यालय है वह उदयपुर में है। उनकी बहुत लम्बी-चौड़ी अधिकारी, कर्मचारियों की फौज है; देखा जाये तो 266 अधिकारी और कर्मचारी हैं। वही एक गांव का या फले का ले लें तो वह पूरा एरिया विकसित होगा, लेकिन क्या कहा जाये, यह अभी तक तो समझ में नहीं आया है।

(श्री अमृतलाल)

माननीय सभापति महोदय, उस क्षेत्र में जनजाति विभाग की 1975 में स्थापना हुई; उसका मुख्यालय उदयपुर रखा गया। वन क्षेत्र में रहने वाले लोग तमाम मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। वहां न बिजली है, न पानी है, न सड़क है व शिक्षा का भी कई क्षेत्रों में अभाव है। अब इतनी बड़ी फौज इस विभाग की रहने के बाद भी, जब हम इस सदन में चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं, आगे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस प्रकार का यह जो अधिकारियों और कर्मचारियों का तंत्र है, वह सही रूप से काम नहीं कर रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जनजाति क्षेत्र में यह विभाग काम कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में कर रहा है, बग़ीचा लगाने के क्षेत्र में कर रहा है, पशुपालन कार्य में भी कर रहा है, लेकिन उस क्षेत्र में जो जरूरत है, छोटे-छोटे एनिकट बांधने की जरूरत है; सड़कों का निर्माण करने की जरूरत है। वहां एक, दो, तीन बीघा में खेती होती है। मैं खुद जहां से आता हूं, मैं खुद पगडंडी के रास्ते पर चलता हूं। घर जाने के लिए सड़क नहीं है। अगर वहां कोई कमेटी बनाकर के निरीक्षण किया जाये तो मैं अवश्य बताने के लिए तैयार हूं। यह स्थिति वहां पर है।

माननीय सभापति महोदय, वहां महानरेगा के अन्तर्गत कुएं खोदे जाएं ताकि 4 बीघा, 5 बीघा में खेती हो सके।

हमारे जितने भी जनजाति मंत्री रहे, वे मेवाड़ से ही रहे। पहले मालवीयजी थे, सारा धन बांसवाड़ा ले गये। उससे पहले और थे, वे ले गये। अगर इस समाज को ऊपर उठाना है तो सोचना पड़ेगा, इस सदन के माध्यम से सोचना पड़ेगा। हम उस समाज को मूलभूत सुविधाएं देना चाहते हैं, हम उनको गले लगाना चाहते हैं, हमारे साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो जो भी मंत्री रहें, वे अपना बजट सबको अपने हिस्से का बराबर बांटे। यही मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: इन्होंने बांटा नहीं, मालवीयजी ने?

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): हमारे बांटा ही नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में छोटे-मोटे जैसवन जैसा डैम है, सोम कमला अम्बा है, हरचरण है, केजड़ है, ठाया डैम है, वहां पांच-छह महीने पहले मैं और माननीय मंत्रीजी

(श्री अमृतलाल)

साथ में जाकर पांच हजार से अधिक जनजाति भाइयों को जाल देने का काम, नावें देने का काम, सारा किया है। माथाफोड़ी पूरी कर रहे हैं, पर वह उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है अधिकारियों के कारण से। माननीय सभापति महोदय, वहां लिफ्ट योजना शुरू की जाए।

जनजाति क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो नि:शुल्क मक्का का बीज बांटना, खाद देना, यह सारे किये हैं लेकिन उसका अभी सही आकलन किया जाए तो उस क्षेत्र में मात्र 25 परसेंट विकास कार्य हुआ है, 100 में से।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि वहां जितने भी छात्रावास हैं उनकी भी हालत खराब है।

श्री सभापति: आ गया यह विषय।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर): जी। धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री महेन्द्रजीत सिंहजी मालवीय।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 33 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

लम्बे समय से जनजाति क्षेत्र में और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से सम्बन्ध रखने वाले सदस्यों ने अपनी बातें कहीं। इन तमाम बातों को बहुत गहराई से हम सभी सुन रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, देश की आजादी के बाद सरकारें आती रहीं और जाती रहीं। मैं इस अवसर पर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत नमन करता हूं।

जहां पर जनजाति कार्यालय है, वहां पर भी हमारे नेता पैदा हुए जिन्होंने आदिवासी की चिन्ता की है, चाहे वह मोहनलालजी सुखाड़िया हों, चाहे हरिदेवजी जोशी हों, चाहे माणिकलालजी वर्मा हो, चाहे भोगीलालजी पाण्डया हों।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): भीखा भाई को क्यों भूल रहे हो?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): बोल रहा हूं। बोलने तो दो। अभी इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो?

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

आदरणीय हमारे भीखा भाई साहब की बात की, बल्कि उसके आगे भी मैं कह रहा हूं, मामा बालेश्वर दयाल हों, ऐसे कई सन्त और देश की आजादी के दीवाने आये और उसका परिणाम है, आज हमारे विपक्ष के साथी मानें या नहीं मानें, मैं तो अपने आप में मानता हूं कि अगर ये व्यवस्थाएं हमारे लिए नहीं की होतीं, ये अवसर हमारे लिए नहीं होते, तो मैं समझता हूं कि शायद सदन में इस रूप में हम नहीं होते।

आरोप लगाना, प्रत्यारोप हो जाना; किसी को अच्छा दिखाना, किसी को बुरा दिखाना; मानव की एक संस्कृति हो गई है और अभी तमाम सदस्यों से जो बातें निकलकर आ रही हैं कि जनजाति उपयोजना क्षेत्र का बजट उस क्षेत्र में ही उपयोग नहीं हो रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं भी इसी सदन में सरकार का मंत्री रहा हूं, काम मैंने भी किये होंगे, मेरे से भी गलतियां हुई होंगी, क्योंकि पहला एक अवसर था, लेकिन जो मैंने महसूस किया और सदन के हमारे सदस्य भी इस बात को महसूस करते हैं कि क्या हमारी सबकी इच्छा-शक्ति है हमारे समाज को आगे बढ़ाने की? अगर है, तो हमारे सबसे सीनियर सदस्य, सुराणाजी जो बात कह गये, उसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। चाहे भारत सरकार हो या राजस्थान सरकार हो, बजट में हम प्रावधान जरूर कर लेते हैं और जब हम बजट में प्रावधान कर लेते हैं तो उसकी किताबें बहुत बंटती हैं, खूब पढ़ते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं, बुजुर्ग भी पढ़ते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी पढ़ते हैं, राजनेता भी पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन धरातल पर जब उस बजट का उपयोग करने की बात आती है तो हम कहीं न कहीं उसमें कमी छोड़ देते हैं। कमी कई बार छोड़ देते हैं, और कमी कई बार चाह कर भी छोड़ देते हैं। यह कोई पहला सदन तो है नहीं, इसका 1952 में गठन हुआ है, फिर ऐसे क्या कारण रहे? जब तक हम इसकी मूल बीमारी को नहीं पकड़ेंगे, तब तक आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहो, बजट में प्रावधान करते रहो, तालियां पीटते रहो, इसका कोई अन्त नहीं होगा। मैं आज ईमानदारी से कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं भले ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से सदस्य हो सकता हूं सदन का, मैं उस हैसियत से बात नहीं कर रहा हूं,...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यहां जो भी सदस्य बोलते हैं, वे ईमानदारी से ही बोलते हैं। इसलिए किसी भी माननीय सदस्य को बार-बार यह

(श्री सभापति)

रिपीट बिलकुल नहीं करना चाहिए। हम यहां जो भी बोल रहे हैं वह ईमानदारी से ही बोल रहे हैं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): नहीं करेंगे।

मेरा इस अवसर पर एक ही निवेदन है कि जब तक जो भी बजट का प्रावधान हो रहा है, उस प्रावधान के अनुसार बजट खर्च करना है, तो, माननीय मंत्रीजी, मेरा पहला प्रस्ताव है, चाहे मानो या मत मानो, जब तक हमारा डिविजनल कमिश्नर सेपरेट टी ए डी का नहीं होगा, वह पूरे राज्य में भ्रमण नहीं करेगा, अगर हम कोई तालाब बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, एनिकट बना रहे हैं, और हमारा इंजीनियर सेपरेट नहीं होगा, प्रतिनियुक्ति पर नहीं चलेगा हमारा; कहां कोटा, कहां सवाई माधोपुर, कहां अलवर, कहां भरतपुर, और कहां हमारा डिवीजनल कमिश्नर। बल्कि इस अवसर पर हमारा निवेदन है कि डिविजनल कमिश्नर एक ही नहीं, दो होने चाहिए। एक जनजाति विभाग का होना चाहिए सेपरेट और एक टी ए डी वाले का होना चाहिए। आज कहा यह जा रहा है कि डिविजनल कमिश्नर को टी ए डी कमिश्नर बनाने से पांचों जिलों में कलेक्टरों पर नियंत्रण होता है। मैं भी मंत्री रहा हूं, आप भी तीन बार मंत्री रहे हैं,...

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): चार बार रहा हूं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माफ करना, पांचवीं बार भी बनो। कोई बात नहीं है।

आज मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कौन से डिविजनल कमिश्नर ने कौन से जिले में जाकर कब इन आदिवासी भाइयों के सुख-दु:ख की बात की? कितना बजट आपने खर्च किया, कब इसकी समीक्षा की?

माननीय सभापति महोदय, इसलिए निवेदन है कि बजट तो इतना बड़ा है कि पढ़ते-पढ़ते थक जाऊं। मैं भी इन किताबों में उलझते-उलझते थक गया। ये सब किताबें इकट्ठी करके लाया हूं। इतना तो मंत्री था, तब भी नहीं...

श्री सभापति: इतनी मेहनत क्यों की?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): करनी पड़ रही है, माननीय सभापति महोदय, क्योंकि पहले तो हम सरकार में बैठे थे, हमको पता लगता था कि हम मजे मार रहे हैं। (व्यवधान) आप मत बोलिए। मैं तो स्वीकार कर

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

रहा हूं। आप इसकी चिन्ता मत करो। परिवर्तन तो संसार का नियम है। सच्चाई को स्वीकार करो।

इसीलिए हमने माडा-टू और माडा-थ्री का कार्यालय यहां खोला। वह माडा-टू, उदयपुर में बैठता है और माडा-थ्री, जयपुर में बैठना चाहिए था, पद उसका रिक्त पड़ा हुआ है। आज मैं अपने टाइम की बात बता रहा हूं, जब मुझे भी मंत्री का अवसर मिला था। मैंने भी देखा, माननीय नन्दलालजी, मंत्रीजी, 300 करोड़ रुपये आपके टाइम का माडा क्षेत्र में पड़ा हुआ था, जिला परिषद उसको दबा कर बैठी थी और इसी बीच मुझे पंचायती राज मंत्री बनने का मौका मिला, तमाम सी ई ओ से पैसा मंगवाकर वह पैसा उस क्षेत्र में बंटवाया। अगर माडा-थर्ड होता तो वह पैसा आज से दस साल पहले खर्च हो जाता।

आज, माननीय सभापति महोदय, यह सरकार की 2014-15 की किताब मेरे पास है और इस किताब में हम देख रहे हैं कि जो प्रावधान किया गया है कुल 8,659 करोड़ रुपये का और टी ए डी विभाग को मिला है 599 करोड़, और बाकी डिपार्टमेंट को काम करना है 8,060 करोड़ का; 8,060 करोड़ का। माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी और हमारे राठौड़ साहब, और भी मंत्रीगण बैठे हुए हैं, सवाल सिर्फ नन्दलालजी मीणा साहब हमारे टी ए डी मंत्री हैं पर सरकार इस सदन में सुन रही है, हम सब सुन रहे हैं; यह 8,060 करोड़ है, इसमें विभिन्न डिपार्टमेंट के माध्मय से काम होना है, चाहे वह पी डब्ल्यू डी हो, चाहे इर्रिगेशन हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे और कोई विभाग हो। जब इन विभागों के अधिकारियों की बैठक लेंगे और इनसे मन्थली बैठक करेंगे, तब तो काम आपका होने वाला है। मैंने रिकार्ड देखा है, अब तक मात्र 34 प्रतिशत का काम हुआ है। इसके अलावा, 66 प्रतिशत इसका बजट अनस्पेंट है।

इसलिए मेरा प्रस्ताव है और जितने भी जनजाति के सदस्य हैं, उनसे निवेदन कर रहा हूं कि सरकार ने ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का गठन किया है, वह बहुत सोच-समझकर किया है। अगर सरकार की इच्छाशक्ति है तो तमाम विभागों की कार्य योजना में जो हमको टी ए डी के अलावा पैसा दिया जाता है, उसकी कार्य योजना जब तक हमारे टी ए डी मिनिस्टर मंजूर नहीं करें और तमाम अधिकारी वहां के उसका अनुमोदन नहीं करें, तब तक आदिवासियों का विकास आज भी नहीं हो सकता है और कल भी नहीं हो सकता है।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

सभापति जी, इसके अन्दर भी एक बड़ा खेल है। अगर नन्द लालजी मीणा साहब को अधिकारी और तमाम मंत्रालयों का सुप्रीम बना दिया जाय, तो उनके पावर को कोई देखना नहीं चाहता। क्योंकि पी डब्ल्यू डी का मंत्री होते हुए इनके पास जाना पड़ेगा, इरिंगेशन का मंत्री होते हुए इनके पास में जाना पड़ेगा, शिक्षा मंत्री होते हुए इनके पास में जाना पड़ेगा। यह कोई देखना नहीं चाहता।

श्री सभापति: सेक्रेटरी से ही काम चल जाएगा।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): नहीं चलेगा; कभी नहीं चलेगा। अगर यह चल जाता तो पता नहीं, हम कहां से कहां पहुंच जाते। यह नहीं चलने वाला है।

मैं यह बात आज इस सदन में कह रहा हूं, यह आवाज बनने वाली है, यह आवाज बनेगी; आज नहीं तो कल बनेगी। आज इस सदन में हम देख रहे हैं, अभी हमारे माननीय सदस्य सुशीलजी ने कहा कि 27-28 आदमी एस टी के हैं और इससे ऊपर हमारे एस सी के हैं, करीब 60-65 विधायक यहां बैठे हुए हैं; यदि हम खुद कह रहे हैं, खुद सुन रहे हैं और उसके बाद भी अगर हमारा काम नहीं हुआ तो जनता हमें कभी माफ नहीं करेगी।

श्री सभापति: जनता कभी आपको माफ कर देती है, कभी उनको माफ कर देती है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): यह करते-करते यहां तक तो हम पहुंच गये ना। लेकिन मन में दु:ख है, बहुत दु:ख है।

मैं बात को थोड़ी-सी और आगे बढ़ाऊंगा। हमारे 2014-15 के बजट के अन्दर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा, जनजाति विकास के लिए हम एक हजार करोड़ रुपया देंगे। एक हजार करोड़ देने के बाद, दूसरा बजट 2015-16 का आ गया। उस एक हजार करोड़ के बजट के ऊपर एक रुपया भी सरकार नहीं दे पायी; एक सिंगल पाई। मुझे इस बात का दु:ख है। क्या कारण रहे होंगे, वह मैं कुछ कह नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, ...

श्री सभापति: कोई बात नहीं, बोलो आप तो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आप बन जाएंगे।

श्री सभापति: आप तो बोलिये जी। कौन बनता है, कौन जाता-आता रहता है। आप तो बोलो।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आदरणीय सभापति जी, हमारे डिपार्टमेंट को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति जी, यह कैसे हुआ?

श्री सभापति: मैं तो सांवर लालजी वाला सृष्टि का नियम बता रहा हूं, भैया, बैठो आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति जी, आप तो शक्ति के ज्ञाता हो। आजकल तो नवरात्रा चल रहे हैं। यह शक्ति आपने अर्जित कर ली है क्या?

श्री सभापति: इसलिए ज्ञान से कह रहा हूं आपको।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, अमूमन यह कहा जाता है, यह टी ए डी डिपार्टमेंट तो आदिवासी विकास डिपार्टमेंट है। आदिवासी विकास डिपार्टमेंट तो है, लेकिन उसको एरिया डवलपमेंट कहा गया है। उस एरिया में कोई समाज, कोई जाति, कोई धर्म रहता है, कोई भी व्यक्ति रहता है, उन सबका विकास करना है। उसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए पिछली सरकार में हमने 200 करोड़ रुपये का पैकेज वहां के तमाम समुदाय के लिए दिया था, कोई खाद के लिए, कोई बीज के लिए, कोई स्कूटी के लिए, कोई सड़क के लिए, लेकिन, पता नहीं, सरकार में हर बार सुनने में आता है, समीक्षा हो रही है। उस समीक्षा के चक्कर में हमारा 200 करोड़ का पैकेज गया। आज हमारे सामने विडम्बना है, हम सार्वजनिक जीवन में हैं, हमसे लोग प्रश्न करते हैं कि आप तो आदिवासी हैं, इसलिए आपको खाद मिल रहा है। मैं आदिवासी नहीं हूं, उस एरिया का रहने वाला हूं। आप दोनों के खेत पास-पास हैं, मुझे तो खाद-बीज मिल रहा है, आपको खाद-बीज नहीं मिलता। मैं भी अनाज पैदा करके दे रहा हूं, आप भी अनाज पैदा करके दे रहे हो। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी और सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि जो 200 करोड़ का पैकेज है, उसको वापस लागू करो ताकि इस क्षेत्र की जनता का भला हो सके।

माननीय सभापतिजी, राजस्थान में दो परिवार ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, आज भी कुपोषण से बहुत त्रस्त हैं, सहरिया और कथोड़ी। हमारे समय में हमने इनके लिए दो किलो दाल, एक लीटर तेल और देशी घी की व्यवस्था की थी। और किसी की समीक्षा करो, लेकिन गरीबों के तेल-घी में क्या समीक्षा हम कर रहे हैं? इसको बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से इसको वापस स्टार्ट किया है।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी हमारी सरकार में भी चालू है। आप इसको दुबारा उठाकर देख लें एक बार।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं यही कह रहा हूं, मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं।

श्री ललित कुमार (किशनगंज): आप बंद करने की कह रहे हैं।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं यही बात कह रहा हूं।

इसके साथ-साथ में अन्य विभागों की जिम्मेदारी दी गयी है। अगर उस क्षेत्र का विकास करना है तो अन्य विभाग भी इसमें सम्मिलित होने चाहिए, चाहे वह स्वास्थ्य हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

माननीय सभापतिजी, वागड़ और मेवाड़ को लोडी-काशी कहते हैं। उसका मूल कारण एक ही है कि वहां पर हजारों साल पहले बहुत संत-महात्माओं का वास हुआ करता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, हमने वहां पर 70 करोड़ रुपये से वेद विद्यापीठ की स्थापना का प्रावधान किया, पैसा दिया, जमीन अलाट हो गई, लेकिन इसको भी समीक्षा के नाम पर रोक दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे तमाम सदस्यों ने समाज के बारे में खूब चिन्ता की है, हमें भी इसकी चिन्ता है। अगर इन तमाम समस्याओं से निजात पाना है तो हरेक इंसान को शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, आज मैं इस मौके पर माननीय अशोकजी गहलोत, हमारे राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद करता हूं कि देश के पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी के नाम पर वहां पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए 20 करोड़ रुपया दिया। आज तक किराये के भवन में वह महाविद्यालय चल रहा है। (व्यवधान) यह मुझसे आप मत पूछो। आगे की बात आगे करेंगे। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि देश में पहला अवसर होगा कि जनजाति विभाग के फंड से टी एस पी क्षेत्र में हमने एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना की। आज देश और दुनिया कहां जा रही है, साइंस व टेक्नोलाजी का जमाना आ गया है। उन आदिवासियों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है जो दूर जाकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, आप हमारे नेता हों, समाज के नेता हों, इसके बाद सरकार के मंत्री हों, आपका मैं आदर

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

करता हूं, उस पैसे को क्यों रोका? 10 करोड़ रुपया पड़ा है। पी जी में लड़के जाने वाले हैं, अभी जुलाई-अगस्त में पी जी में जाएंगे, वे लड़के कहां बैठेंगे? इनकी लैब की स्थापना कैसे हो पाएगी? वे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इसके लिए प्रबंध करें, पैसा जल्दी से जल्दी दें, ताकि वहां पर भवन का निर्माण हो जाय। इसके अन्दर हमने यह भी व्यवस्था की है कि वहां पर 45 प्रतिशत वहां के आदिवासी लड़कों को एडमिशन मिले। आज वहां पर पावर प्लांट आ रहे हैं, वहां पर रेलवे आ रही है और पिछली सरकार ने 13 जून, 2013 व 16 जून, 2013 को एक नये कैडर की घोषणा की है। आज हमने एक ओर तो राइडर लगा दिया कि बाहर का आदमी आकर वहां पर पढ़ाई नहीं करेगा, नौकरी नहीं करेगा; जब पावर प्लांट आएंगे तो वहां हम मैनपावर कहां से लाएंगे? रेलवे आएगा तो हम मैनपावर कहां से लाएंगे? इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसकी आप जल्दी से जल्दी करें, मैं चाहूंगा कि आज बढ़िया मौका है, आप इसकी घोषणा करेंगे कि इंजीनियरिंग कालेज समय पर पूरा हो जाय।

अभी हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने मानगढ़ व लिलीवडुली के बारे में अपनी कुछ बात कही है। माननीय सभापति महोदय, मैं मानगढ़ क्षेत्र का ही रहने वाला हूं और मानगढ़ की पूरी उस दास्तान को जानता हूं।

श्री सभापति: मैं मानगढ़ गया था, तब आपके घर के सामने से ही गुजरा था।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): जी, बाबूजी, बिलकुल ठीक कह रहे हैं आप।

उस मानगढ़ का एक इतिहास है। अभी सुबह हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय ने 1931 में शहीद हुए भगत सिंहजी के बारे में अपना जिक्र किया था। उसी तरह मैंने नोट किया था। ये शहीद हुए 1931 में और मानगढ़ की घटना घटी थी 1913 में। आप समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजों ने बर्बरता से तोपें चलाई थीं, हमारे दादा-परदादा कहते हैं कि इसके अन्दर बारूद तो डाला ही था लेकिन लोहे के टुकड़े भी डाले थे और जब तोपें चली थीं तो पूरा का पूरा जंगल साफ हो गया था। पहले हमारे 20 फीट से ऊपर से तोप को चलाई, तो पहली वार्निंग; दूसरी वार्निंग भी हमारे सिर के ऊपर से; और तीसरी वार्निंग भी दी हमारे पेट के ऊपर से। डेढ़ हजार लोगों की

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

वहां पर हत्याएं हुईं। महोदय, अंग्रेजों को एक सात फीट की आदिवासी महिला, जिसकी मौत हो गई थी और जो बच्चा जीवित था वह मरी हुई मां का दूध पी रहा था, तब जाकर फायरिंग को रोका था।

आज वहां पर शहीद स्मारक का काम हमने प्रारम्भ किया। आपकी सरकार भी आई, हमारी सरकार भी गई, इसमें हमारी कोई राजनीतिक बात नहीं है, लेकिन जो शहीद स्मारक बन रहा था उसको रोक दिया। क्या शहीदों को हम यही श्रद्धांजलि दे रहे हैं? माननीय मंत्रीजी, क्योंकि आप हमारे समाज से हैं, उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि इसके लिए भी आप काम करेंगे।

इस मानगढ़ के ऊपर गुरु गोविन्द ने जो गीत गाया था कि – मानगढ़ो माथै म्हारे घर है, भूरठिया नहीं मानूं रे, नहीं मानूं; किसको भूरेठ कहा था? अंग्रेज को कहा था कि दिल्ली में हमारी कुर्सी है, अहमदाबाद हमारी जाजम है, भूरठिया नहीं मानूं रे, नहीं मानूं; तो नहीं माना वह आदमी और इस देश को आजाद कराकर ही छोड़ा।

मैं धार्मिक स्थल के बारे में कुछ बातें कहना चाहूंगा। हमारे माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही हैं बेणेश्वर के बारे में, ऋषभदेव के बारे में, घोठिया अम्मा के बारे में, अंधेश्वर के बारे में। ये तीनों-चारों हमारी सरकार के बजट का पार्ट हैं। हमने पैसा दे दिया था, वर्क आर्डर भी हो गये थे लेकिन समीक्षा के नाम पर इनको भी रोका। मैं सिर्फ उस बेणेश्वर धाम के बारे में अपनी बात कहना चाहूंगा और, माननीय सभापतिजी, यह बहुत सुनने वाली बात है, धन्य हो मावजी महाराज, जो साढ़े तीन सौ साल पहले उस संत ने एक भविष्यवाणी की थी कि जो आने वाला वक्त आएगा, वह पानी नाप से पीना पड़ेगा, और आज बोतल से हम पानी नाप से पी रहे हैं; आने वाला समय आएगा कि यह धरती लोहे की तरह तप जाएगी, आज हमारा टेम्परेचर 50-50 डिग्री तक चला गया है; आने वाले वक्त के लिए उस आदमी ने कहा था कि मौका आएगा कि तार से दीया जलेगा, तो तार से आज दीया जल रहा है, वह लाइट के लिए कहा था। उस संत ने कहा था कि वक्त आएगा कि बिना रोड की गाड़ी चलेगी, और आज हवाई जहाज बिना रोड के चल रहा है। उस संत ने कहा था कि बिना बैल के खेती होगी, और हम ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। उस संत ने कहा था कि जाति-पात का भेदभाव खतम होगा, तो वह खतम हो गया, उसका पैसा हमने रोक दिया।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

सभापति महोदय, आपका आदेश हो तो मैं एक गीत भी सुना सकता हूं इसके ऊपर। पूरा सदन सुनेगा, तो सुना देता हूं मैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): लय में सुनाना पड़ेगा।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): लय में सुनाऊंगा और आप ताली बजाओगे। ''मावज नो डंको बज्यो है महाराज,...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन में आम तौर पर; एक मिनट, माननीय सदस्य, मैं बता देता हूं। देखिये, हमारे सदन की कुछ परम्पराएं हैं....

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आगे से कुछ बोलना ही नहीं। सारी, सर।

श्री सभापति: एक मिनट विराजिये आप। हमारे सदन की कुछ परम्पराएं हैं। हम आपस में थोड़ा बहुत हंसी-मजाक, विनोद कर लेते हैं, लेकिन मूल रूप से कहानियां और गीत, जहां अर्थ हो और जहां उसका उद्धरण हो, वहां तक ही सीमित रहना चाहिए। बाकी लोक गीत या अन्य गीत हमारे यहां गाने की परम्परा नहीं है। इसलिए आपने जो उदाहरण दिया, वह बहुत अच्छे लोगों का है, उनके प्रति हम सब श्रद्धावनत हैं।

आप अपनी बात आगे जारी रखें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): माननीय सभापति महोदय, इसी तरह से मैं घोठ्या अम्मा के बारे में निवेदन कर रहा हूं। हजारों साल पहले वहां पर पाण्डव आये थे। साक्षात् जगह है और अभी आज वर्तमान में मेले का कार्यक्रम हो रहा है, हजारों राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश के लोग आये हैं, उसका पैसा निरस्त कर दिया।

अब जो मैंने गीत गाया, उसको आपने रोका। क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, इसलिए गाया।

श्री सभापति: रोका नहीं, मैंने आपको परम्पराएं बताई हैं कि आप उसको बिना लय के बोलते।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): अब मैं एक ही बात इसमें कह रहा हूं कि जो यह मावजी महाराज ने भविष्यवाणी की हैं, इसका चोपड़ा है। इस चोपड़े को पूर्व राष्ट्रपतिजी ने देखा है, देश के प्रधान मंत्रीजी वर्तमान में जो हैं इन्होंने देखा है और देखा ही नहीं, बल्कि इस चोपड़े में, विजिट किया,

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

तो दस्तखत किये हैं। चोपड़ा है, यह देश की धरोहर है और आने वाली पीढियां इसको याद करेंगी। माननीय मंत्रीजी, इसको भी आपने रोक दिया।

हमारे एक अनास नदी बहकर जाती है जो गुजरात में चली जाती है। बागीदौरा और कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की जनता आज नान-कमांड में है, ड्राई एरिया है, उसके लिए 10 करोड़ रुपये मंजूर कराकर लाये थे। उसको भी आपने बन्द कर दिया। आर्टिकल 275 में और राजस्थान सरकार की तरफ से 106 छात्रावास हमने मंजूर किये थे और 17 आपने निरस्त कर दिये। एक आपने और जगह से उठाकर गरासिया परिवार में भेज दिया। तो आप नया स्वीकृत कर देते।

खाद-बीज के लिए भी हमारे सदस्य कह रहे थे कि हमारी सरकार ने किया है। इसलिए सच्चाई को स्वीकार करो कि हमने किया था। हमने 14 करोड़ दिये थे लेकिन आपने इसको 10 करोड़ किया और 10 करोड़ में आपने यूरिया खाद को छोड़ दिया। किसान की वह ताकत नहीं है कि उस हाइब्रिड मक्का को पैदा करने के लिए खुद का यूरिया खरीदकर लाये। अगर 4-5 करोड़ उसका एडिशनल हम जोड़ देंगे तो किसान को इसका फायदा हो जाएगा।

मैं भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वन अधिकार एक नियम बनकर, कानून बनकर आया, हजारों साल से हमारे आदिवासी भाई जो जंगलों में रह रहे हैं, उनके लिए पट्टा देने का कानून बना और हमने इसकी कोशिश करके 60 हजार परिवारों की एप्लिकेशंस इन्वाइट कीं। क्योंकि ग्राम सभा से इसकी स्वीकृति जारी होती है और सिफारिश होती है, डी एफ ओ और कलक्टर के माध्यम से हमने करीबन 43 हजार परिवारों को पट्टे दिये हैं। कभी जंगलात वाले इनको दण्डते थे, कभी पुलिस इनको दण्डती थी। बल्कि यही नहीं, हमने आई डी पी आर, भारत सरकार से 43 हजार मकान बनाने का भी प्रावधान रखा था। अब वर्तमान में क्या हो रहा है, यह मैं नहीं कह सकता हूं।

सभापति महोदय, अभी आदिवासी विकास और कल्याण के लिए एक नई बात आई है वन बन्धु। मुझे बहुत खुशी है कि वन बन्धु आये हैं, लेकिन इसमें मेरा एक एतराज है कि कभी तो हम वन बन्धु कह लेते हैं, कभी आदिवासी कह देते हैं, कभी वनवासी कह लेते हैं, तो यह कितनी भाषाओं में हमको बांटोगे? इसलिए मेहरबानी करके ये वन बन्धु नहीं हैं, आदिवासी बन्धु करो, ऐसा कुछ करो। यह भी इस अवसर पर अपनी बात कह रहा हूं।

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

दो महान संतों के बारे में, हमारे बुजुर्ग और सरकार के मंत्रीजी ने कहा कि आप भीखा भाई की बात भूल गये। भीखा भाई की बात को भूला नहीं हूं मैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जिनको आप वन बन्धु कह रहे हैं न, वे तो वनों की रक्षा के लिए नियुक्त किये जाने हैं। उनको दिया गया है। आपके लिए नहीं कहा है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): कितना मारोगे हमको? कितने जंगल में जाएंगे, पशु लेकर जाओ तो मारना; जमीन पर कब्जा करो तो मारा। हमको आदिवासी भील शब्द है, जो बढ़िया है, वही रहने दो, और छोड़ों इन बातों को। दो महान् आदमियों की बात हुई थी, एक भीखा भाई और दूसरे हरिदेवजी जोशी की। अभी हमारे नवनीत लालजी ने माही के बारे में कहा। आज माही हमारी लाइफलाइन है, यह हमारे वागड़ की जीवन रेखा है। आदरणीय मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं कई बार सुनता रहता हूं कि माही के पानी को हम जयसमन्द तक ले जाएंगे। अगर ले जाओ तो खुशी है, मैं सिंचाई की मांग पर इस बात को बोलना चाहता था, कभी मौका मिलेगा तो व्यक्तिगत मिलकर पानी कैसे आ सकता है वह बात बताऊंगा, आज नहीं कहना चाहता; लेकिन मैं सदन को एक बात निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब हमारा बजट पूरा खर्च नहीं हो रहा है, और हरिदेव जी जोशी तो कैनाल बनाकर चले गये और वह पानी आज हमारा स्टोरेज है और अगर तीन साल तक भगवान हमें पानी नहीं देगा तो हम तीन साल तक फसल पैदा कर सकते हैं, उस माही डैम की इतनी ताकत है, लेकिन जो हमारा 13 परसेंट फंड फ्लो है, क्या उसके माध्यम से हम कैनाल नहीं बना सकते हैं? क्या हम उससे टेल तक पानी नहीं ले जा सकते हैं? क्या इसी तरह से भीखा भाई कैनाल, आज बिना पैसे से अटकी पड़ी है। ठेकेदार ने काम कर दिया लेकिन उसको भुगतान नहीं हो रहा है।

श्री सभापति: संक्षिप्त करें।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): सर, ज्यादा नहीं है। अब सामाजिक अधिकारिता पर भी एक-दो बातें कहूंगा और अपनी बात को समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: आप अच्छे बोल रहे हैं, इसीलिए तो समय दिया है।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): आप पांच मिनट का समय और दे दो, सर।

श्री सभापति: हां, बोलिये-बोलिये।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): साहब, बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। माफ करना मुझको।

श्री सभापति: अजी बोलिये, साहब। आप बोलिये तो सही। रोक कौन रहा है आपको?

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): मैं बोल रहा हूं, सर।

मैं इस अवसर पर, हमारे तमाम मंत्रीगण साथी भी यहां बैठे हुए हैं, सदस्य साथी भी यहां बैठे हुए हैं, अनुसूची 5 में महामहिम गवर्नर साहब को पावर है और इसीलिए उन्होंने अपने कार्यालय में एक सैल खोल रखा है, लेकिन यह सैल क्या करता है? आज बजट की बहुत बुरी स्थिति है। इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से चाहूंगा कि आप कुछ करें तो अच्छा रहेगा।

एक बात के लिए आपको धन्यवाद करता हूं कि 2011 की जनगणना के आधार पर जो हमारा टी एस पी था, माडा था, जो भी था, उसको आपने सम्मिलित किया है। उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। क्योंकि एक गांव के अन्दर दो पार्ट हो गये, एक रिश्तेदार को फायदा मिल रहा है, दूसरे रिश्तेदार को फायदा नहीं मिल रहा था। इसलिए इसके अन्दर हमारी सामाजिक संरचनाएं ठीक नहीं हो रही थीं। कोई कहता था कि आपको तो उसका फायदा मिलता है, इसलिए आपके वहां शादी-विवाह नहीं करेंगे। इस तरीके की बातें होती थीं। आपने एरिया बढ़ा दिया, उसके लिए धन्यवाद।

अब मैं कोई ज्यादा बात नहीं कहूंगा। इसी तरह से थोड़ी-सी सोशल जस्टिस के बारे में भी अपनी बात कहना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं। माननीय मंत्रीजी, आज हम ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं। जिसको भी हम ओल्ड एज पेंशन दे रहे हैं, किसी जमाने में वह बच्चा होगा, फिर जवान हुआ होगा, फिर उसकी शादी हुई होगी और बाद में जाकर बुजुर्ग हुआ होगा।

श्री सभापति: और फिर बच्चा हो जायेगा पुनर्जन्म लेकर।

श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया (बागीदौरा): होगा, साहब। तो इसके लिए धन्यवाद।

अब मेरा यहां पर इतना ही सब्मिशन है, माननीय मंत्रीजी, उस व्यक्ति को हमने पढ़ने का अवसर नहीं दिया। भगवान ने उसको पढ़ने का अवसर नहीं

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

दिया, या उस वक्त पढ़ाई की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वह पढ़ा नहीं। नहीं पढ़ा तो उसने गैंती चलाई, फावड़ा चलाया, सड़क बनाई, तालाब बनाये, एनिकट बनाये, एरोड्रम बनाये, यह सदन बनाया। आज उसकी उम्र हो गई तो हमने सड़क पर छोड़ दिया। हम सभी लोग तनख्वाह ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं। मेरा यहां पर इतना-सा निवेदन है, मैं बांसवाड़ा जिले की बात कर रहा हूं कि इस पेंशन की जांच पुलिस कर रही है। यह पहली बार जीवन में सुनने को मिल रहा है। 17,000 पेंशन बंद कर दीं। आप इसको दिखवा लो। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि कोई बात है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसको आप दिखवा लो, क्या मैटर था यह।

इसी तरह से सब-प्लान है, वह 12,785 करोड़ रुपये का है और आपको जो मूल रूप से पैसा मिला, वह 378 करोड़ रुपये मिला है, जो आपकी किताब कह रही है। अन्य डिपार्टमेंट को जिस तरह से टी ए डी में 13 प्रतिशत फंड-फ्लो में काम करना है, इसी तरह से आपके वहां पर 16 प्रतिशत में करना है और 16 प्रतिशत का टोटली यह ए सी ए के सब-प्लान को हम देखते हैं, तो 12,360 करोड़ रुपये से विभिन्न विभागों को काम करना है। जब टी ए डी की यह स्थिति है तो मैं समझता हूं, वही स्थिति आपके वहां पर भी होगी। बेहतर स्थिति नहीं हो सकती। क्योंकि सरकार तो एक ही है, कर्मचारी और अधिकारी भी वही हैं। इसलिए बहुत बुरी दशा है।

हास्टलों के बारे में अभी हमारे कुछ सदस्यों ने अपनी बात रखी है। काफी हास्टल हैं जो किराये के मकानों में चल रहे हैं। हो सकता है, हमारी भी गलती रही हो; आप तो कुछ करो। कब तक ये बच्चे किराये में रहेंगे?

इसी तरह से प्रतिस्पर्द्धा के अन्दर मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। माननीय मंत्रीजी, हम आई ए एस की परीक्षा में बैठाते हैं, हम आई पी एस की परीक्षा में बैठाते हैं; हम किसी को डाक्टर बनाते हैं, हम किसी को इंजीनियर बनाते हैं। कानून क्या कहता है? कानून में हमने यह व्यवस्था की है कि पास होकर आओगे, तब आपको छात्रवृत्ति हम देंगे। तो उसको पास होने के लायक कम से कम पहले तो हम पैसा दें। कोई अगर आदिवासी लड़का है, या हमारा एस सी का भाई है, वह आई ए एस, आई पी एस की परीक्षा में बैठ रहा है, तो हम उसको एक लाख रुपया पास होने पर देने की बात कर रहे हैं। हम पहले 20-25 हजार रुपया क्यों नहीं देना चाहते? अगर यह प्रक्रिया शुरू

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीया)

करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा काम्पीटिशन में आयेंगे। अभी पिछले समय का मैं रिकार्ड देख रहा था, पिछले समय में हमने बच्चों को एडवांटेज दिया है तो लड़के 1,000-1,200 थे; अगले टाइम आते-आते 159 लड़के रह गये हैं। ऐसी अनेकों बातें हैं।

इसलिए, माननीय सभापतिजी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन फिर वही बात रिपीट करना चाहूंगा। कटारिया साहब, आपको भी धन्यवाद। पिछले टाइम में, जब मैं वहां बैठा था, आपने मुझे कहा था कि 13 प्रतिशत फंड-फ्लो का क्या हुआ? वह बात आज भी मेरे दिमाग में है। आपको उसके लिए धन्यवाद। उस वक्त मैं समझता भी नहीं था कि यह है क्या 13 प्रतिशत। अब पूरी तरह से समझ में आ गई है। इसलिए मैं इस मौके पर यह चाहूंगा कि कौन किसका है, कौन कहां है, इस पर हम नहीं बात करेंगे। इन तमाम समाज को कम से कम विकास की मूल धारा में तो लायें।

अभी हमारे माननीय सदस्य नवनीतजी ने अच्छी बात उठाई, माही के विस्थापित आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज कडाणा क्षेत्र में मेरी खुद की जमीन डूब गई। मुआवजा उस जमाने में डेढ़ हजार रुपये मिला था। आज हमारी जमीन भी डूब में चली गई। मेरी खुद की जमीन नदी किनारे डूब में चली गई। आज उन लोगों को भी जमीनें नहीं मिल रही हैं।

इसलिए मैं, अंत में, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मैंने कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, जो उस क्षेत्र के विकास के लिए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप निश्चित रूप से इनके ऊपर गौर करेंगे।

सभापतिजी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: समाप्त करें। विराजिये। धन्यवाद आपको।

श्री जगसी राम।

श्री जगसी राम (रेवदर): सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 33, जनजाति क्षेत्रीय विकास और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर आज सदन में चर्चा हो रही है।

सभापति महोदय, आज जनजाति क्षेत्रीय विकास के बारे में चर्चा की जा रही है। हमारे वर्तमान मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी ने मिलकर जनजाति

(श्री जगसी राम)

क्षेत्रीय विकास के लिए अनूठे कदम उठाये हैं। मैं मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहूंगा।

मेरे से पूर्व वक्ता लम्बे समय से अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। जनजाति क्षेत्रीय विकास के बारे में केन्द्र की सरकार के माध्यम से राज्य सरकार को सहायता मिल रही है। विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 108.35 करोड़ रुपये का प्रावधान दिया है, जो इस प्रदेश के जनजाति क्षेत्र के भाइयों के लिए बहुत सराहनीय रहेगा। इसी प्रकार, संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत 122.23 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। इसी तरह, जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत निर्बन्ध अनुदान के रूप में 290.92 करोड़ रुपये का प्रावधान; सहरिया विकास की सी सी डी योजनान्तर्गत 14.10 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। सभापति महोदय, जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए 70 करोड़ रुपये का प्रावधान; वन बंधु कल्याण योजना के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान; छात्रावासों का निर्माण एवं नवीनीकरण के लिए 10.23 करोड़ रुपये का प्रावधान हमारी सरकार ने रखा है। इसी तरह, जनजाति क्षेत्र में महाराणा प्रताप पुलिस बटालियन का गठन किया है। ये बहुत सराहनीय है।

मैं इस अवसर पर माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारा सिरोही जिला आबू रोड क्षेत्र ट्राइबल से, ग्रामीण क्षेत्र, जुड़ा हुआ है। अभी मेरे से पूर्व वक्ता साथियों ने कई बातें बताई हैं। मैं मेरी भावना को सम्मिलित करते हुए मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आबू रोड क्षेत्र के अन्दर हमारे लम्बे समय से अधिकारी टाडा-माडा के ट्राइबल क्षेत्र के अन्दर किसी भी रूप से वहां पर लगातार नहीं हैं और मैं समझता हूं, मूल रूप से जनजाति क्षेत्र के अन्दर जो विकास और सुविधाएं मिलनी चाहिये, वे सुविधाओं से वंचित हैं।

मैं इस अवसर पर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे भले ही छात्रावास हैं, या सरकार की कोई योजना है, जैसे मैंने पूर्व में यह बात बताई कि उनको क्रियान्वित करने के लिए वहां मौजूद अधिकारी वहां रहकर, उनका सर्वे करवाकर, उन आदिवासी भाइयों के लिए चिंता जब तक नहीं करेंगे, तो मैं समझता हूं कि इसका सीधा-सीधा फायदा नहीं मिलने वाला है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि भले ही छात्रावास हों, उनमें देखरेख के लिए वहां पर

(श्री जगसी राम)

अधिकारी-कर्मचारी भी नहीं हैं। तो मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन आदिवासी भाइयों को फायदा देने के लिए, जनजाति क्षेत्र को विकास की ओर गति देने के लिए, हमारे अधिकारियों को वहां लगायेंगे, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में पूरे क्षेत्र के अन्दर, हर क्षेत्र के अन्दर, वहां का आदिवासी भाई आगे बढ़ेगा, भले ही शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो।

छोटे काश्तकार आदिवासी भाई, उनको कृषि करने के लिए, वहां पर भूमि को लेवल करने के लिए भी आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता है।

आदिवासी भाई रहते हैं, उनके सीधेपन का लाभ उठा रहे हैं और एक विदेशी मशीनरी सेवा के बहाने धर्मान्तरण का काम कर लेते हैं। उनको रोकने का भी मंत्रीजी से निवेदन है कि प्रयास करना चाहिये।

आदिवासी क्षेत्र के अन्दर जीपों के माध्यम से, या छोटी गाड़ियों के माध्यम से, वे परिवहन करें। ग्रामीण क्षेत्र में आना और जाना पड़ता है शहरों से और आबू रोड से ठेठ सियावास, सूरपगला, जामुडी, अम्बाजी होते हुए आना-जाना उनको पड़ता है। तो वहां पर रोडवेज की गाडियों की सुचारु रूप से व्यवस्था की जाये तो उनको एक प्रकार से फायदा भी मिलेगा।

मैं मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि सोलर लाइट लगाई जाती है, तो जनजाति क्षेत्र के अन्दर अभी छोटी-छोटी ढाणी है, फली हैं, वहां पर यह फेसिलिटी मिलती है तो उनको पढ़ाई के अन्दर फायदा मिलेगा और आने वाले समय के अन्दर जनजाति क्षेत्र का बंधु आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से उसका विकास भी होगा।

(16.00 बजे)

इसी तरह वहां अगर चल चिकित्सा इकाइयों का संचालन किया जाएं, तो वहां भला हो सकता है। क्योंकि वहां पर पन्द्रह, बीस-बीस, तीस-तीस, चालीस-चालीस किलोमीटर से आदिवासी भाई शहर तक, आबू रोड तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए यह सुविधा अगर वहां पर मिल जाए तो उस क्षेत्र का विकास होगा।

इसी तरह से छात्रावासों में और स्कूलों में जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उनमें भी सुधार होना चाहिए। उनका डेली का मेन्यू है, उनमें अधिकारी के

(श्री जगसी राम)

द्वारा समय पर निरीक्षण किया जाए, जिससे वहां जो उस छात्रावास को सम्भाल रहा है उसको भय रहेगा कि कभी भी हमारे यहां आकर देख सकते हैं; निरीक्षण करते हैं। यदि अधिकारी नहीं होंगे और उनके ऊपर कोई भय नहीं रहेगा और उन छात्रावासों की हालत बिगड़ती जाएगी।

मैं आपके इस अवसर पर मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र के अन्दर हमारे गिरवर है, मूंगथला, और हैं, वहां पर जो व्यवस्था है, मैं समझता हूं, वहां पर सुचारु रूप से सही तरीके से नहीं चल रही है। वहां पर अधिकारियों को आप पाबंद करें, उनके ऊपर मानिटरिंग हो ताकि बच्चों को अध्ययन करने में कोई तकलीफ नहीं हो। उनमें सफाई भी व्यवस्थित नहीं है, उनमें पेयजल की भी व्यवस्था सही नहीं है, खाने पीने की भी सही व्यवस्था नहीं है। तो उसमें आप थोड़ा-सा उन्हें नियंत्रित करें जिससे बच्चों का हौसला बुलंद होगा और वे अच्छे ढंग से पढ़ सकेंगे।

वन क्षेत्र के अन्दर हमारे लोग जो मवेशी चराने जाते थे, उन पर 500 रुपये का जुर्माना था और पिछली कांग्रेस सरकार ने वह 500 से बढ़ाकर 25000 रुपये तक का किया था। इससे वहां के आदिवासी भाइयों को कई बार इस तरह का जुर्माना भुगतना पड़ता था। हमारी सरकार आने के बाद में उन्होंने 25 हजार से घटाकर पुन: उसको 500 रुपये पर ले आये। मैं इसके लिए माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में आपने जो कदम उठाया है, वह बहुत सराहनीय है, अच्छा है।

इसी तरह सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों के मैस भत्ते की राशि 1,750 रुपये से बढ़ाकर 1,900 रुपये की जाए तो ठीक रहेगा।

अलवर, चिड़ावा, सेमारी, बग्गड़, आबू पर्वत और अम्बा माता में अनुसूचित जाति के छह छात्रावास भवनों का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए मैं माननीय मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी तरह से, हमारे रेवदर क्षेत्र के अन्दर यदि मण्डार के अन्दर एक छात्रावास खोला जाए तो वहां के बच्चों के लिए बहुत अच्छा होगा।

इसी तरह, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत 645.50 करोड़ का जो व्यय कर 7 लाख 72 हजार 128 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है, यह बहुत ही सराहनीय

(श्री जगसी राम)

कदम उठाया गया है। इंदिरा गांधी आवास योजना के अन्तर्गत 104.27 करोड़ रुपये का व्यय कर 19 हजार 965 अनुसूचित जाति के परिवारों को लाभान्वित किया गया है। मैं मंत्रीजी का और माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

इसी तरह, हमारे प्रदेश में और हमारे आबू रोड क्षेत्र के अन्दर जो सभी आदिवासी भाइयों को वन क्षेत्र के अन्दर पिछली सरकार ने पट्टे आबंटन किये थे, मैं समझता हूं कि उनमें फार्मेलिटी करके उनको छोड़ दिया था। वन अधिकार क्षेत्र के नियम के अन्तर्गत उनको पुन: लागू करके जो वंचित हैं, उन आदिवासी भाइयों को पट्टे दिये जाएं तो मैं समझता हूं कि काफी अच्छा रहेगा और सराहनीय होगा।

मैं मंत्रीजी को पुन: निवेदन करना चाहूंगा कि कम बात में अधिक आप समझकर हमारे आबू रोड क्षेत्र के अन्दर और सिरोही जिले के अन्दर जो जनजाति विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के पद रिक्त हैं, उन अधिकारी और कर्मचारियों को आप समय रहते लगायें तो हमारे जनजाति क्षेत्र के अन्दर बहुत विकास होगा।

इन्हीं आशाओं के साथ में, खूब-खूब धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित। आप इस पर भी बोलेंगे?

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, जब सरकार के हर विभाग को यह अधिकार है कि वह जनजाति विकास के लिए अपने बजट का कुछ हिस्सा उसमें खर्च करने के लिए प्रावधान बनाये और हम अगर इस सदन में आते हैं, सभापति महोदय, तो हमारा दायित्व बनता है कि समाज के चारों दिशाओं में अगर कहीं पर भी कोई छोटा तबका किसी भी सुविधा से वंचित है, तो उनके लिए सुविधाओं की चिंता करना, यह हमारा सामूहिक रूप से इस सदन में दायित्व बनता है। इसलिए मुझे लगा कि मुझे जनजाति पर बोलना चाहिए।

श्री सभापति: नहीं, मुझे भी लगा है।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, एक स्वाभिमानी समाज है। जब रामायण के अन्दर प्रभु श्री राम ने भीलणी के अगर झूठे बेर खा लिये...

श्री हीरालाल (निवाई): जनजाति पर बोल रहे हैं। आपकी संवेदनशीलता पर बहुत-बहुत बधाई।

श्री सभापति: आपकी बधाई के बाद तो वे कृत-कृत हो गये होंगे।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, इस देश में यह इतिहास है कि रामायण में इस समाज जीवन के आराध्य देव प्रभु श्री राम ने भीलणी के झूठे बेर खाये, मतलब इस समाज को दिल से लगाया है। हमारे आराध्य देव ने भी लगाया है, तो हमें यह अधिकार नहीं है कि हमारा वह छोटा तबक़ा जो अगर किसी न किसी सुविधा से वंचित है, उनको एक तरफ रखने का हमें यह अधिकार नहीं है। इसलिए उनको बराबर की स्थिति में कैसे लाये, इस बात की चिंता हमें करनी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, इतिहास साक्षी है, जब-जब भी समय पड़ा है, चाहे वह आदिवासी क्षेत्र में रहने वाला हमारा भील समाज हो, मीणा समाज हो; अपने देश, राष्ट्र और संस्कृति, सभ्यता के लिए अपनी आहुति देने में भी कभी पीछे नहीं रहा है। इसलिए उनकी चिंता करना जरूरी है।

माननीय सभापति महोदय, अभी पूर्व मंत्री, प्रतिपक्ष के बंधु बोल रहे थे; निश्चित रूप से जनजाति विकास के अन्दर, मतलब यह है कि पूर्ववर्ती सरकार के अन्दर जिस प्रकार की अनदेखी हुई। अब आदिवासी हो या मीणा समाज हो, जंगल से लकड़ी काटकर, उनका जीवनयापन, उनका अपना पेट पालना, परिवार को पालना, उनका एक छोटा-सा काम है। मैं इस बात की निंदा करता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने उन आदिवासियों के लकड़ी काटकर अपना पेट पालने के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक लगा दिया था; 500 रुपये से 25 हजार रुपये का उन पर जुर्माना लगा दिया था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी को कि उन्होंने वापस 25 हजार को 500 पर किया। उन्होंने आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा एक सम्मान का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 2012-13 में राज्य में योजना में 4,216.84 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और खर्च किये 1,251.17 करोड़ रुपये; मतलब, आप तो आधे से भी कम रहे। पूर्व मंत्री बोल रहे थे। ग्रामीण विकास के मामले में भी, जनजाति विकास की ओर से जो किया जाने वाला काम है, उसमें बिलकुल शून्यता रही। माननीय सभापति महोदय, ये आंकड़े हैं, कोई बोलने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में शून्यता रही है इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

अब मैं एक बात पर आता हूं, सभापति महोदय, ये एस टी, एस सी का रिजर्वेशन जो इस देश में लागू हुआ कि कहीं न कहीं हर दबे हुए तबके को बराबरी पर लाना, लेकिन दुर्भाग्य है, ये कोर्ट के माध्यम से जो मीणा और मीना का विवाद चला, उसमें तो मैं नहीं जाता हूं, लेकिन आज पाली, जालौर, सिरोही का जो मीणा है, वह इतना दबा हुआ है। माननीय सभापति महोदय, पाली, जालौर, सिरोही का मीणा जो चौकीदारी या मजदूरी करने का काम करता है, उनको आज रिजर्वेशन का कहीं फायदा नहीं मिलता है। किरोड़ी लालजी इस सदन में नहीं हैं, पिछली बार की सरकार में अशोक गहलोतजी ने हेलिकाप्टर देकर उन पाली, जालौर, सिरोही के मीणों को लुभाने के लिए बहुत भेजा, लेकिन दुर्भाग्य है, कभी यह तो चिंता की होती कि यहां आपके पूरे इस इलाके में पूरा रिजर्वेशन का लाभ, एक-एक परिवार के अन्दर पांच-पांच आई ए एस, छह-छह आई पी एस, और पाली, जालौर, सिरोही के मेरे मीणों का एक भी आदमी चपरासी नहीं, अध्यापक नहीं है; आर ए एस और आर पी एस तो छोड़ दो। यह क्या है? यह वर्ग भेद नहीं तो क्या है? माननीय सभापति महोदय, इस सदन को कहीं न कहीं इस बात की चिन्ता करनी होगी कि यह जो ग्रामीण बेल्ट में ट्राइबल मीणा जो है, वास्तव में जो चला था भील मीणा, अब उसमें बीच में कोमा लग गया; वह जो कुछ भी हुआ, मैं उस बात पर नहीं जाता हूं; मेरे उस पाली, जालौर और सिरोही का मीणा आज भी दबा हुआ है। एक भी आर ए एस अधिकारी नहीं, एक भी आर पी एस अधिकारी नहीं, एक भी आई ए एस नहीं, एक भी आई पी एस नहीं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि उन पाली, जालौर, सिरोही के मीणों के लिए भी कोई न कोई ऐसी व्यवस्था करो, जैसा आपने मेवाड़ में किया वैसा यहां भी करो, जिससे वे मीणा भी उठें। रमेश जी, आप दिल पर हाथ रखकर कहो कि वास्तव में वे मीणा ट्राइबल हैं कि नहीं, दुःखी हैं कि नहीं।

श्री रमेश (सपोटरा): आप अपनी बात कह लीजिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मैं यह कह रहा हूं, आप भी यह अपने मन से कहो कि आपके भाई को आप जगाना चाहते हों।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। आप आसन को संबोधित करें।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, राजपुरोहितजी जो बात कह रहे हैं, यदि वे मेरे साथ चल चलें मेरे गांव में, तो उनको पता लग जाएगा कि हमारे लोग कैसे रहते हैं। उनमें 90 परसेंट लोगों ने तो ट्रेन भी नहीं देखी, हवाई जहाज तो बहुत दूर की बात है, ऊपर से। क्या बात करते हो आप।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, मैं तो यह कह रहा हूं कि इस पूरे समाज को एक कैसे करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को संबोधित करें। किसी भी माननीय सदस्य से न कहें।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): जी। माननीय सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं, मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी को ऊंचा कैसे करें, इसकी चिन्ता होनी चाहिए। इसमें आप सब की चिन्ता रहे, यह मेरी एक शुभकामना है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सिरोही में गौतमजी के मेले में लाखों की तादाद में मीणा समाज के बंधु आते हैं। एक गाऊंकाजी महाराज थे, बहुत पुराने जमाने की बात है, उन्होंने टीकमदासजी मीणा को दर्शन दिये और वहां पर मंदिर बना। उसके बाद में कहा कि साहब हमारे ये मीणा समाज आ रहे हैं, मेले में पानी की सुविधा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तीन दिन यहां पर पानी भरपूर हो जाएगा। तो उस मेले के समय गंगाजी आती हैं और पानी भरपूर होता है। लाखों-लाखों की तादाद में मीणा समाज के आराध्य देव गौतमजी, मेले का आराध्य देव माना जाने वाला वह स्थान, और उस स्थान को आजादी के साठ साल बाद तक पट्टा नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे सिंधियाजी को, पिछली सरकारी में गौतमजी मेले का पट्टा देकर उस समाज के साथ बहुत बड़ा न्याय किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जालौर, सिरोही, पाली के मीणाओं की चिन्ता करना चाहता हूं। मैं मेरे जिले पर आता हूं। माननीय सभापति महोदय, 18 लाख 28 हजार 730 जनसंख्या है जालौर जिले की, उसमें एस टी जनसंख्या 1,78,719 है, 9.77 परसेंट; और मेरे आहौर तहसील की यह जनसंख्या है 2 लाख 52 हजार 160 और उसमें एस टी बंधु मीणा और भील 39,163, मतलब 16.52 परसेंट हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे आहौर विधान सभा क्षेत्र में इतनी बड़ी जनसंख्या 16 परसेंट और उसके बाद में टाडा, माडा में मेरे गांव सम्मिलित नहीं किये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे इन गांवों को, मेरे यहां दस गांव तो ऐसे हैं जहां 50 परसेंट से अधिक पापुलेशन मीणाओं की है और तीन गांव तो ऐसे हैं जहां एक भी घर दूसरी जाति का नहीं है; मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मेरे इन गांवों को टाडा-माडा में, जो भी आपकी व्यवस्था है, वैसे आप सम्मिलित कराने के लिए करें।

यहां पर आहौर और शिवगंज, शिवगंज इसलिए कि वहां गौतमजी का मेला लगता है, इस आहोर और शिवगंज में एक न एक एस टी छात्रावास, छात्रों के लिए एक आवासीय विद्यालय या कोई छात्रावास हो, जिससे वहां का जो ट्राइबल मीणा है, जो वहां पढ़ाई से वंचित है, वह बराबर पढ़-लिख सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो यह व्यवस्था समाज कल्याण विभाग में हमारी सरकार में, उसके बारे में मैं दो पाइंट निवेदन करूंगा, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ये जो-जो भी व्यवस्थाएं आप इस एस सी/एस टी के लिए दे रहे हों, उनमें कहीं न कहीं आप सरलीकरण लाइये। जैसे सामूहिक विवाह, अब सामूहिक विवाह में चार-चार एन ओ सी लेनी पड़ती हैं और यदि उसमें एक एन ओ सी बाकी रह गयी तो उनको अनुदान नहीं मिलता। आप कोई न कोई ऐसा सरलीकरण उन नियमों में लाओ। एक ए सी डी सी के लोन हैं, तो लोन में कोई सरकारी कर्मचारी की एन ओ सी चाहिए; नहीं मिली तो वह वंचित रह जाएगा। मतलब इसमें यह है कि कहीं न कहीं यह हमें इसमें सरलीकरण लाकर इस पिछड़े तबके को, जो वंचित तबका है, इसको बराबर की स्थिति में लायें।

मैं, सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देते हुए कहना चाहूंगा कि यह देश पूरे समाज के जीवन की वसुधैव कुटुम्बकम की परिभाषा से चला है और हम राजस्थान की मुख्य मंत्री को धन्यवाद देकर, राजस्थान में सारे समाज को साथ लिये हम आगे बढ़ते जाएंगे, इतना आगे, इतना आगे उस क्षितिज को पाना है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। डा. फूलचन्द जी भिण्डा साहब। आज आपने भी भगवा पहना है और मंत्रीजी ने भगवा पहना है। यह क्या चक्कर है?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): ऐसा कभी-कभी जिनको भगवा से आपत्ति होती है, उनको दर्शन कराते रहते हैं, जिससे भावना सदा बनी रहे।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापति महोदय, एक सेकंड।

श्री सभापति: आप कुछ कहेंगे भगवा पर?

श्री हीरालाल (निवाई): 1857 में जब हमारे देश की जंगे-आजादी की लड़ाई झांसी की रानी ने लड़ी तो उनकी अंगरक्षक झलकारी बाई कोली थी। मैं तो एक निवेदन करना चाहता हूं, इन लोगों को वास्तव में मिलना चाहिए।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद आपको।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापति जी, मैं जनजाति विकास के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: कहिये, साहब; जरूर कहिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): यह जनजाति जो क्षेत्र है, इसके बारे में मैं पूरे सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि एक बार अपन सब लोग भ्रमण करें और वहां देखें कि वहां मिट्टी कैसी है, वहां पानी कैसा है, कितना पानी है। यह सब देखने के बाद ही यह सदन एक संकल्प पारित करे कि उस जनजाति क्षेत्र को विकसित करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं। लेबर सस्ती है वहां और मिट्टी की बात तो, मैं आपसे निवेदन करूं कि आप तो आयुर्वेद में विश्वास करते हैं, स्वर्ण भस्म सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छी दवाई मानी जाती है, स्वर्ण भस्म नाम की अगर कोई मिट्टी है तो वह बांसवाड़ा में है, खनिज-युक्त। सभापति जी, आप आश्चर्य करेंगे कि डेढ़ फीट लम्बा करेला, एक फीट लम्बी तुरई, लौकी होती है वहां पर। तीन-तीन सिट्टे होते हैं, एक ही मक्का के पेड़ के तीन सिट्टे और साल भर में तीन बार मक्का ली जा सकती है; कपास ली जा सकती है। ऐसी स्थिति है। लेकिन...

श्री सभापति: फिर वह क्षेत्र छोड़ कर आप इधर क्यों आ गये?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): नहीं, रहा न मैं, ठाठ से रहा। मालवीयजी ने भिजवा दिया सी.पी. जोशी साहब से कहकर के कि इनको ले जाओ, ये गड़बड़ करते हैं। इसलिए।

श्री सभापति: जी।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): तो ऐसी स्थिति है। मैं एक निवेदन इसलिए करना चाहता हूं, बोलने भी इसलिए खड़ा हुआ हूं कि साढ़े चार साल

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

तक वहां नमक खाया है, अत: कुछ बातें आपके सामने रखूं। जब भी बरसात होती है तो चार दिन बाद माही डैम ओवरफ्लो होकर चला जाता है, कड़ाणा भर जाता है, उसके बाद समुद्र में चला जाता है। वहां आस-पास में इतना क्षेत्र है। अब राजस्थान नहर 1956 में बनी, गडरा रोड तक जानी थी, लेकिन वह कहां गई? उसको ले आये सरदारशहर बैदजी; उसके बाद फिर गहलोत साहब जोधपुर ले गये; अब माननीया वसुन्धराजी नागौर ले आई, लेकिन वहां जो 22 किलोमीटर पर कुशलगढ़ है वहां आज तक पानी नहीं जा पाया लिफ्ट होकर के। अगर वहां चला जाता है तो सारा कुशलगढ़, उसमें पानी से सिंचाई हो सकती है, ऐसी प्राकृतिक स्थिति उसकी है। लेकिन आज तक न आसपुर गया, न कुशलगढ़ गया और न ऊपर। अभी कह रहे थे, नीनामाजी कह रहे थे कि लिफ्ट कितना करना है, एक किलोमीटर भी लिफ्ट नहीं करना। उसके बाद इनके जो बचे हुए गांव हैं, इनकी कौनसी कांस्टिट्यूएंसी है, वह भूल गया मैं।

श्री सभापति: घाटोल।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, घाटोल। घाटोल के जो बचे हुए गांव हैं, एक किलोमीटर लिफ्ट कर दीजिये पानी को और मैं आपसे निवेदन करूं कि यूं आकार में बहती है, वह पहले उत्तर में आती है, फिर पश्चिम में जाती है, फिर दक्षिण में जाती है, और कहां जाती है, वह पानी कुशलगढ़ के ऊपर से आता है, पूर्व साइड से पानी आता है और माही में आता है और वह इतना जाकर वापस कुशलगढ़ के नीचे जाता है। इस प्रकार की स्थिति है। फिर भी आज तक इंजीनियर्स ने उस पर ध्यान नहीं दिया। क्या मालूम, क्या स्थिति, मेरे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ।

श्री सभापति: ये आपके भी समझ में आने वाली बात है कि हिन्दुस्तान में सारी नदियां ही उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं, केवल चम्बल को छोड़ कर।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): वह ही मैं निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की स्थिति है। इस कारण से बांसवाड़ा के विकास के लिए, इतनी अच्छी मिट्टी, लेबर सस्ती और उसके बाद भी वह गरीब स्थिति में। इसका कारण क्या-क्या है? मुझे माफ करेंगे, यहां जो ट्राइबल क्षेत्र के एम एल ए हैं, इनका दबाव समूह नहीं है। यह मैं इनके मुंह पर कह रहा हूं। अभी कहा गया,

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

17 एम एल ए जीत कर आये हैं। नन्द लालजी के बारे में अभी कह रहे थे, अभी नन्दलालजी के बारे में बार-बार टिप्पणी हो रही थी। 17 एम एल ए हैं, क्या लिफ्ट योजना में, इतनी लिफ्ट योजनाओं में काम हुआ है, कुम्भाराम लिफ्ट योजना तो कितने किलोमीटर से आयी है, लेकिन 23 किलोमीटर तक आज तक नहीं करा पाये। मैं इन सबसे निवेदन करता हूं, आपके माध्यम से माननीया वसुंधराजी से निवेदन करूंगा कि अगली योजना में बांसवाड़ा का पूरा प्लान बने, दीर्घकालीन प्लान बने।

वहां एक और उपज है आम। अपने यहां तो एक तरफ हवा चल जाती है तो दूसरी तरफ आम नहीं आता, एक तरफ ही आम आता है; वहां चारों तरफ आम आते हैं और सबसे पहले आम बांसवाड़ा का आता है। आरोप लगता है कि वनवासी पेड़ काट रहे हैं। आम को काटेगा क्या? शांता कुमारजी ने हिमाचल प्रदेश में पांच साल तक एड देकर पौधे लगवाये, वहां आज सम्पन्न हैं वह। ऐसी सम्पन्नता आ सकती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में। तो आपको आम की खेती करवानी चाहिये और सरकार को केवल पांच साल बाद एग्रो इंडस्ट्री डवलप करनी चाहिये। उसके बाद वे निहाल हो जायेंगे। एक भी पेड़ नहीं कटेगा, आम की खेती कराइए। वहां बिलकुल वातावरण है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरा प्लान बने।

लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, आपको कहना चाहूंगा कि वहां कुएं की दीवार नहीं बनानी पड़ती। अपने आप नीचे पठार है। वहां तो खोदना ही पडता है। दीवार नहीं बनानी पड़ती, केवल लेबर का ही काम है। वहां एक संस्था है, राजस्थान सरकार ने पांच साल में 900 कुएं नहीं खोदे; बांसवाड़ा में जन सेवा समिति है जो 342 तो विद्यालय चलाती है, 40 हजार बच्चे पढ़ते हैं, एक नया पैसा किसी से नहीं लेती, न सरकार से लेती है, न समाज से लेती है, चला रही है, 40 हजार बच्चे, 1,800 अध्यापक हैं; साढ़े नौ सौ कुएं उन्होंने पांच साल में करा दिये, राजस्थान सरकार ने एक कुआं गहरा नहीं कराया। ये कहेंगे कि धर्म क्या कर सकता है? विश्व हिन्दू परिषद् के अन्तर्गत चलने वाला संगठन है जो इतने कुएं चलाता है।

सामान्य तौर पर सदाचार की जब बात करते हैं, आदिवासी खाता-पीता है, लेकिन वहां एक भजन मण्डली की व्यवस्था है। जो भजन मण्डली में जाता है, वह अपने आपको भगत कहता है और पीला गमछा डालता है। आप

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

अभी भगवा की बात कर रहे थे। जब मैं कालेज में था तो उसको पूछता था कि यह गमछा क्यों? वह कहता है कि आपको मालूम नहीं, मैं भगत हूं। मैंने पूछा कि क्या करता है? वह देखो, टेकड़ी पर जो मेरा सगा भाई है, उसके मैं नहीं जाता हूं; वह खाता-पीता है इसलिए मैं नहीं जाता। इस परिवार की कितनी बचत होती है। भजन मण्डली के माध्यम से उसका जीवन स्तर कितना बदल रहा है। इसका हमें अध्ययन करना चाहिये और उसके आधार पर प्लानिंग करनी चाहिये। बांसवाड़ा की यह स्थिति है।

अभी मैं इसमें देख रहा था कि 2013-14 में राज्य योजना में 339 करोड़ का प्रावधान किया, उसमें 22 करोड तो खर्च ही नहीं हुए और केन्द्र से जो पैसा आया उसमें 59 करोड़ खर्च नहीं हुए। क्या कर रहे थे हम? मैं तो फिर कहूंगा आपके माध्यम से, मालवीयाजी ही थे मंत्री, तो फिर भी इतना पैसा बच गया। क्यों बच गया?

श्री सभापति: इस बार तो हो गया ना?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कौशल विकास, जिसको हम लेकर चल रहे हैं, कौशल विकास में 80 लाख रुपये दिये, शून्य खर्च हुआ। स्कूटी वितरण में 10 लाख रुपये दिये, शून्य खर्च हुआ। क्या वनवासी थे, इसलिए खर्च नहीं हुआ? और तो सब कैटेगिरी की स्कूटी बंट गई, वे क्यों नहीं बंटी? कौन देखेगा इसको? सम्पर्क सड़क, कितना पैसा दिया, 5 जिलों में सम्पर्क सड़क के लिये कितना पैसा दिया, 45 लाख। एक एम एल ए को ही दो करोड रुपये दिये हैं। सम्पर्क सड़क बनेगी, यह वनवासियों के साथ मजाक है कि सम्पर्क सड़क के लिए 45 लाख रुपये दिये, उसमें से 17 लाख खर्च हुए। बन गई होगी किसी के फार्म हाउस के पास में। 26 परसेंट, केन्द्र से पैसा आया यह।

स्वरोजगार के लिए 75 लाख रुपये दिये। कितने वनवासी हैं? 73 परसेंट वनवासी रहता है वहां, उसको केवल आपने 75 लाख रुपये दिये, उसमें भी 49 लाख ही खर्च हुए। कैसे विकास हो उनका?

छात्रावास नवीनीकरण और निर्माण हेतु 160 लाख रुपये दिये, शून्य खर्च हुआ। आवासीय विद्यालय में निर्माण हेतु 40 लाख दिये, शून्य खर्च हुआ। वहां मां बाड़ी योजना केन्द्र चलते हैं, उनके लिए कक्षा कक्ष के लिए 264 लाख रुपये, 10 लाख खर्च हुए। यह तो एसेट्स थीं, यह तो वहां प्रोपर्टी बननी थी, इसमें क्या अड़चन आ रही थी? कितनी बुरी स्थिति हैं वहां।

अब मैं कुछ सुझाव ही देना चाहूंगा।

श्री सभापति: हां, वह दीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक तो पानी का पूरा उपयोग हो और उसके हिसाब से हर खेत का प्लान बने। दीनदयालजी की भी परिकल्पना थी, हर खेत को पानी मिले। मिट्टी अच्छी है, यह मैंने आपसे निवेदन कर ही दिया, एक ही खेत पर तीन बार मक्का हो सकती है; खनिज -युक्त मिट्टी है वहां। अपने यहां तो हार्ड मिट्टी है, वह सूखने के बाद लोथा बनती है, वहां बिखरती है; खनिज-युक्त मिट्टी है वहां; सारा खनिज उसमें उपलब्ध है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, यहां बैठे हैं, या नहीं बैठे वे तो, इतने तालाबों की गुंजाइश है, एनिकट की इतनी गुंजाइश है कि वे भरे रहें...

श्री सभापति: गुलाबजी बैठे हैं, सुन रहे हैं आपको।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): गुलाबजी भाई साहब हैं, तो गुलाब जी तो जानते हैं, एनिकट बनाने की इतनी गुंजाइश है; जो पानी समुद्र में जाता है, उसको केवल रोकने का काम ही है और नरेगा में मिट्टी डालकर कच्चे बांध बनाने हैं। ढलान खूब है वहां। इसमें कोई बहुत ज्यादा प्लानिंग की, या बहुत ज्यादा दिमाग की आवश्यकता नहीं है। हांख इतना जरूर है जब भी सरकार बदलती है, अगर कोई टूटेगा, कोई जोन टूटेगा तो सिंचाई विभाग का जोन टूटेगा माही डैम का, माही क्षेत्र का डूबेगा। कौन सुनने वाला है? कौन करने वाला है? वहां बार बार जोन टूटते हैं। एक परमानेंट चीफ इंजीनियर बैठना चाहिये। ट्रायबल सब-प्लान है, जब हमारा 13 परसेंट बजट है, तो क्यों नहीं वहां चीफ इंजीनियर बैठ सकता है? माही डैम में बैठना ही चाहिये। लिफ्ट करके तालाब बनाये जायें और तालाबों से वहां सिंचाई स्वत: हो जाती है। वहां ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है।

इसी प्रकार से, कुशलगढ़ की मैंने बात कर दी, आम की खेती भी मैंने बता दी...

श्री सभापति: लेकिन आम आने बाकी हैं। खेती तो हो गई, अब वहां से आम मंगाओ।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): योजना की राशि पूरी खर्च की जाये। इसके लिए मानिटरिंग के लिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी डिवोशन देना चाहता है, इस समाज के कुछ करना चाहता है, उसको भेजा जाये। हमारे

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

चिकित्सा मंत्रीजी ने यह व्यवस्था की कि अगर ग्रामीण में डाक्टर जायेगा तो 25 हजार रुपये ज्यादा देंगे। मैं कह रहा हूं कि ट्रायबल में जाने वाले अधिकारी को 25 हजार रुपये महीने ज्यादा दो, देखें जाता है या नहीं। और वहां सेवा करने वाले मौजूद हैं, वहां जाने के लिए लोग मौजूद हैं।

खनन का क्या हुआ? सारे देश के सेठों ने आकर वहां खनन पट्टे ले लिये। वनवासियों को दिया क्या? अब जाकर कोई कमेटी बनी है, उसका रिजल्ट आयेगा तब मालूम पडेगा। क्यों नहीं दिये गये उनको पट्टे? वनवासियों को पट्टे नहीं दिये गये। दिये जाते ना। विकास नहीं होता क्या? इसी प्रकार उद्यान विभाग है जिसमें सब्सिडी है, जैसे औषधीय पौधों के लिये 100 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है। राजस्थान में एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। ट्रायबल में ही नहीं, यहां पर भी नहीं हुआ, जबकि ट्रायबल में बहुत ज्यादा औषधीय पौधे उत्पन्न हो सकते हैं।

इसी प्रकार से नरेगा को वहां की प्रत्येक गतिविधि से जोडा जाये। स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बनाया जाये।

माननीय सभापति महोदय, आप आश्चर्य करेंगे, टिफिन लेकर 35-36 लड़कियां एक जीप में, 15 से 25 साल की, मजदूरी करने जाती हैं और जब काम नहीं मिलता है तो भोजन करके वापस आ जाती हैं। जीप पर खड़ी होकर जाती हैं। इतनी कुपोषण की शिकार हैं और इतनी सस्ती मजदूरी है, इतनी लूट है। वहां कभी मिनिमम मजदूरी का एक्ट लागू हुआ क्या, किसी कलक्टर ने लागू करने का प्रयास किया क्या, किसी नेता ने किया क्या प्रयास? नहीं किया। ऐसी स्थिति है वहां मन द्रवित हो जाता है। जिस आश्रम में मैं रहता था, उस आश्रम में दो बहनें काम करने के लिए आती थीं। एक दिन मैंने कहा कि आपका भोजन मैं करुंगा और मेरा भोजन आप खाओगे, वह संकोच कर रही थी और जब उसका टिफिन खोला तो उसमें छाछ में केवल हल्दी का छोकन था, उसमें बेसन नहीं था। बेसन है ही नहीं उनके पास। तीन साल में जब भी मैं मिलता था तो वह चरण स्पर्श करती थी। उनका केवल मैंने भोजन ही किया था। क्या स्थिति है वहां श्रद्धा की। कई बार मैं गांव में जाता था, तो उनके पास एक ढोलक होती है, दो छडी लगाई आम के पत्ते बांधे, उसके नीचे से ले जाते थे। इतना स्वागत करते थे, जब हम वहां जाते हैं। और फिर भी वहां इस प्रकार की कमी है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

यह तो भला हो आपका कि आपने ट्रायबल की सब लड़कियों को नौकरी दे दी उस समय; भला हो गुलाबजी कटारिया का जिन्होंने हर गांव में मिडल स्कूल खोल दी; वसुंधराजी का भला हो जिन्होंने अभी सब जगह हायर सेकण्डरी कर दी। मैं उदाहरण दूंगा आपको, बांसवाड़ा में गर्ल्स कालेज खोला माननीय भैरोंसिंहजी ने, उसमें ट्रायबल की 1,300 लड़कियां पढ़ती हैं। क्या प्रत्येक उप खण्ड पर गर्ल्स कालेज नहीं खोल सकते हम? प्रत्येक उप खण्ड में सरकारी विद्यालय नहीं खोल सकते? एक साल तक कुछ मत करो लेकिन उनके विद्यालय खोल दो और कालेज खोल दो। देखो, ट्रायबल में शिक्षा बढ़ती है, या नहीं बढ़ती। केवल इतने ही तो हैं वे; 27, 28 होंगे ज्यादा से ज्यादा।

आपके टाइम की बात है यह, आपको निवेदन करूं, 1977 में क्या हुआ, और जगह तो पंचायत समिति कम थीं लेकिन हमने 4 पंचायत समिति बढ़वाई थीं, वे भी बांसवाड़ा जिले में बढ़ी थीं, डूंगरपुर में। इस कारण से जब स्कूल खुलीं, गुलाबजी कटारिया और भैरोंसिंहजी शेखावत जब मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री थे, तो प्रत्येक पंचायत समिति में एक लड़कियों का, एक लड़कों का खोलते थे। सबसे ज्यादा स्कूलें 11वीं और 12वीं की बांसवाड़ा में इसलिए खुलीं कि वहां पांच विधान सभाओं में 8 पंचायत समितियां थीं। इस प्रकार की चीजें हमें करनी चाहिए। निश्चित तौर पर उसका लाभ होगा।

इस कारण पूरे सदन से मैं यह निवेदन करता हूं कि एक बार पूरे दिन की डिस्कशन इसी बात पर होनी चाहिए। आपके टाइम ही हुआ यह, 6 कैटेगिरी की जो सर्विसेज हैं उनमें 50 परसेंट आरक्षण किया। अभी उसके लिए अपन ने अलग वह बनाया है। उसका परिणाम जब आएगा, तब हम पर्याप्त मात्रा में वैकेंसी देकर उनको भरेंगे। छात्रावास में, बाहर से जाते हैं, आधी बार नहीं रहते, हाज़िरी करके आ जाते हैं। मुझे सबसे पहले आश्चर्य तब हुआ, जब मैं एक गांव में गया, पूछा कि स्कूल कब से चल रहा है, तो एक पंच बोला कि 13 साल से चल रहा है; पूछा कि कहां चल रहा है; तो बोला कि कहीं नहीं चल रहा; बी डी ओ को पैसा देकर, कोई पैसा ले जाता है, जयपुर साइड का है। मिडल स्कूल सब जगह खुल गई, तो आठ अध्यापक कैसे हुए? लोकल भी एक-दो लग गये, इसलिए विद्यालय चलने लग गये।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इस कारण से मैं चाहता हूं कि सब प्लान पर पूरी स्टडी हो, स्टडी ग्रुप बने, उसके बाद प्लान बने। जैसा कि माननीय सुराणाजी कह रहे थे, उस प्रकार से बैकलाग है; बैकलाग नहीं, आगे का पैसा भी पूरा मिल जाए, तो फतह हो जाएगी। यह मेरा विश्वास है।

श्री सभापति: बहुत धन्यवाद, फूलचन्दजी। गुलाबजी ध्यान रखेंगे। जब ऐसा कोई स्टडी का बनेगा तो आपकी स्टडी का जरूर लाभ लेंगे वे।

श्रीमती शकुन्तला रावत। आज धीरे-धीरे बोले हैं आज तो समझ में आई।

श्री कालीचरण सराफ (उच्च शिक्षा मंत्री): समझ में आया, धीरे-धीरे बोले तो। नहीं तो समझ ही नहीं आता, क्या बोल रहे हैं।

श्री सभापति: हर बात हर आदमी के समझ में नहीं आती, कालीचरण जी। कई बातें ऊपर से चली जाती हैं। कुछ ज्ञान की बात होती हैं ना, वे चली जाती हैं।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, आपकी आज्ञा से मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास और 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, इन मांगों के लिए बजट में जो घोषणाएं हुईं, जो आंकड़े दिये गये, इसमें एक बार तो नारे के रूप में और एक बार मूल मंत्र के रूप में। चेंज सिर्फ

(16.32 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

यह है कि उसका पेज नम्बर चेंज है। एक बार पेज नम्बर तीन पर है, एक बार पेज नम्बर चार पर है। एक बार लिखा, सर्व जन उत्थान और सर्व जन विकास; पहले पेश किया था सर्व जन विकास और सर्व जन उत्थान। सिर्फ वर्ष का चेंज, पेज नम्बर चेंज। घोषणा, सिर्फ घोषणाएं। डेढ़ वर्ष से हम यह सब सुनते आ रहे हैं, राजस्थान की मुख्यमंत्री महोदय ने विजन 20 20 प्रस्तुत किया जिसमें यह रखा कि healthy, educated, gender sensitive, prosperous, and smiling Rajasthan with well-developed economic infrastructure. यह विकास के लिए जो योजनाएं बनाई, गुजरात की तर्ज पर पैडकर योजना, जिसमें बालिकाओं के लिए एक बार लिखा गया सेल्फ ट्रेनिंग प्रोगाम, अब की बार आया है सेल्फ डिफेंस प्रोगाम; आंकड़े दिये गये हैं पांच करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे; मां बाडी केन्द्र खोले जाएंगे। मुझे तो अभी तक डेढ़ साल में कहीं

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

खुला हुआ नजर नहीं आ रहा कि कौनसी विधान सभा क्षेत्र में खुला, कौन से जिले में खुला। मैं बानसूर और अलवर जिले की बात करती हूं जहां पर जनजाति व पिछड़ा वर्ग ज्यादा निवास करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जनजाति ?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अनुसूचित जनजाति। उसमें माडा योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन माडा योजना कहां तक पहुंच पा रही है और कहां पर उसका कार्य हो रहा है? सिर्फ घोषणाएं हो जाती हैं कि बालिका आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे, लेकिन आज तक मुझे तो खुला हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर खोलें तो मैं यहां सदन के माध्यम से ऐसे क्षेत्र, रामपुर, हाजीपुर, हमीरपुर, बामनवास, कांकड, चतरपुरा, बानसूर प्रोपर और नारायणपुर, कोलाड़ा, आदि गांवों में अधिकतर एस टी और एस सी निवास करते हैं। जनजाति परिवार जिनके कार्ड नहीं बने हुए हैं, उनके कार्ड बनने चाहिए। योजनाओं के अन्तर्गत दूर-दूर से आने वाली छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास खोलने चाहिए, जिससे सुविधा मिल सके। अलवर जिले की बी पी एल, ओ बी सी, एस सी, एस टी की जो छात्रवृतियां मिलती हैं, वे समय पर नहीं दी जाती हैं। छात्र लम्बे समय तक चक्कर काटते रहते हैं। नि:शक्त जन, गरीब, मूक, बधिर, अंधे बच्चे हैं, उन्हें भी नि:शुल्क स्कूलों में प्रवेश मिलना चाहिए।

जनजाति क्षेत्रों को, 250 और 500 की आबादी का जो जिक्र किया गया है, ऐसी ढाणियां हैं उनको रोड से जोड़ना चाहिए। ऐसी पिछड़ी हुई ढाणियों में जल संरक्षण के भी प्रबंध होने चाहिए। ऐसी ढाणियों और गांवों को बिजली कनेक्शन और घरेलू कनेक्शन, कृषि कनेक्शन, इन सबकी उनको सुविधा मिलनी चाहिए; सरलीकरण होना चाहिए, जिससे वे खेती करके अपना पालन-पोषण कर सकें। जहां पर ऐसे क्षेत्र है, वहां लघु उद्योग, कुटीर उद्योग की व्यवस्था होनी चाहिए; ट्रेनिंग सेंटर खोलने चाहिए, जिससे उन बच्चों को नौकरियां मिल सकें।

अभी माननीय सदस्य ने कहा था कि जब प्रधान मंत्रीजी हमारे क्षेत्र में आये तब ऊंचे हाथ करवाये गये, तो कोई भी बी एड और एस टी सी किया हुआ छात्र बिना नौकरी का नहीं था, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन इन चीजों से यह दर्शाया जा रहा है कि शायद शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा में वह क्षेत्र पिछड़ा हुआ होगा, इसलिए वहां नौकरी नहीं हैं। नौकरी दी गई, जो बच्चे नौकरी के

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लायक ही नहीं हैं। नहीं बताएं कहां पर बी एड किये हुए, एस टी सी किये हुए प्रधान मंत्रीजी के दौरे से पहले लगे हों।

बानसूर विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति परिवार गाडुलिया लुहार के परिवार रह रहे हैं, जो आवास विहिन हैं; घर नहीं हैं उन्हें नि:शुल्क भूखण्ड एवं भवन निर्माण हेतु अनुदान राशि देनी चाहिए। सरकार को ऐसा प्रावधान बनाना चाहिए। सिर्फ घोषणाओं से ही काम नहीं चलेगा। उन्हें एक छत मिल सके।

स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा देना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहयोगिनी, साथिन का मानदेय बढ़ाना चाहिए। तीन से छह वर्ष की बालकों की अवस्था होती है, गर्भवती महिलाएं, दयनीय महिलाओं को पोषाहार की जो स्वीकृति है, उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए; सरलीकरण भी होना चाहिए।

प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंशकालीन कर्मचारियों को स्थायी करने की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि उनका कार्य अधूरा पडा रहता है, उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। दीपावली के बाद में वहां के अस्थायी कर्मचारी हैं उनको वेतन नहीं मिला है। वह बार-बार विभाग के चक्कर काटते रहते हैं।

विधवा की लड़की की शादी होती है, या वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, तलाकशुदा है, नि:शक्त जन, विकलांग हैं, उनकी पेंशन के लिए भी सरलीकरण होना चाहिए। उनके ऊपर जो पाबंदी है ज्यादा डाक्यूमेंट्स लगाने की, इन चीजों को सरल करना चाहिए। पेंशन को आनलाइन करवाएं तो उनको सुविधा मिलेगी।

कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में एस सी, एस टी की सीटों को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं; इन्हें मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। जैसा बजट में जिक्र किया गया है कि वहां सोलर लाइटें लगाई जाएंगी, पानी की व्यवस्था की जाएगी, तो वह भी होनी चाहिए।

श्रम विभाग द्वारा जो श्रमिकों के जो कार्ड बनाये जाते हैं, सभापति महोदय, उसमें सरलीकरण होना चाहिए। श्रम विभाग की तरफ से हर ग्राम पंचायत में कैम्प लगें, तो जनजातीय क्षेत्र में सभी को फायदा मिल सकता है। लाखों को रोजगार देने की जो बात कही गई थी, तो एस.सी. और एस.टी. के जहां निवास ज्यादा हैं, वहां उन बच्चों को कम से कम इसमें ट्रेनिंग देकर के अस्थायी रोजगार देने का भी, अगर कोई प्रावधान इसमें कहा गया है, इन्फ्रास्ट्रक्चर और यह मिशन योजना बनाई गई है, इनके जरिये दिया जाए।

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

देवनारायण योजना का जो जिक्र किया गया है कि इसमें बजट बढ़ाया जाएगा, बजट बढ़ाने के बाद में मैं तो यह पूछना चाहती हूं, सभापति महोदय, उस बजट को कहां लगाया गया? डेढ़ साल में कहां, कौनसा छात्रावास खोला गया? कोई विद्यालय खोला गया, कोई स्कूटी बांटी गई, कोई ट्राई-साइकिलें बांटी गयीं, या कौनसी जगह पर वह देवनारायण का पैसा खर्च हुआ, सिर्फ, और सिर्फ कागजों में और बजट में ही उसका जिक्र किया गया है। अगर देवनारायण योजना में कहीं कालेज खोले, आवासीय विद्यालय खोले, कोई उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले, आंगनबाड़ी भवन बनाये, तो हम देखें। मुझे डेढ वर्ष से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सचेतक महोदय, देख रहे हैं, मुझे तो कहीं देवनारायण योजना दिखती नहीं, उसका विकास कहीं होता हुआ पूरे राजस्थान में नहीं दिख रहा है कि कौनसी जगह देवनारायण योजना का पैसा खर्च हुआ है। जिला हैडक्वार्टर पर कहीं बनाने का प्रावधान रखा गया, तो वहां भी मुझे कोई आवासीय विद्यालय नहीं दिख रहा है। कोई योजना का कहीं कोई लाभ नहीं दिख रहा है। तो कौनसी कोई नई योजना आप लाने जा रहे हैं देवनारायण योजना में, तो कृपा करके हम भी देखें उसको। डेढ साल से वेट कर रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में आप कौनसा नया काम करेंगे, वह भी हम देखेंगे; या फिर सिर्फ, और सिर्फ, यह कागजों में जो दिया जा रहा है, वही बजट के अन्दर और वापस तीसरे बजट में उसको पेश कर देंगे आप?

वन क्षेत्र में, इसमें लिखा हुआ है बजट में कि वन क्षेत्र में रह रहे परिवार, वंचित जनजाति समूहों को सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी, आवास भी दिये जाएंगे। मैं पूछना चाहती हूं मंत्री महोदय को, मैंने पिछली बार भी उठाया था कि उप स्वास्थ्य केन्द्र और पी.एच.सी. वहां सैंक्शंड है वन क्षेत्र में, लेकिन उसकी परमिशन आज तक नहीं दी गई है। वहां पर भी जनजाति के लोग निवास करते हैं, एस.सी. हैं, एस.टी. हैं, ओ.बी.सी. हैं। तो आप विकास कहां पर कर रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना है, चाहे कोई सी भी यह योजना है, कहां चल रही हैं? कृपा करके डेढ़ साल से तो सिर्फ, और सिर्फ, घोषणाएं हैं। घोषणाओं की सरकार है। काम करने पर, उन कार्यों की घोषणाओं की क्रियान्विति बिलकुल नहीं कर रही है।

सभापति महोदय, हम यह चाहते हैं कि यह काम आगे निकले, जो अपना बजट है, इस किताब से आगे निकल करके गांव और ढाणी तक पहुंचे। धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री भीमा भाई।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़): सम्माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 और 33 पर बोलने का मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

सभापति महोदय, जनजाति विकास के ऊपर पूरे दिन चर्चा रही और सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्र से सदन को बताया। मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, हमारे उदयपुर डिविजन में एक माही सागर का बांध बांसवाड़ा जिले में जनजाति क्षेत्र में बना हुआ है। अगर उस माही डैम के बारे में चर्चा करें तो जितनी भी चर्चा करें, उतनी कम है। जनजाति क्षेत्र में माही इतना बड़ा डैम बना हुआ है, इस डैम का जो चीफ इंजीनियर है, उस चीफ इंजीनियर की पोस्ट तोड़ करके उस डैम की हालत खराब हुई है। उसके लिए मैं हमारे सम्माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इतना बड़ा माही सागर बांध बना और इतना लम्बा विस्तार हुआ, वहां कैनालों की हालत जो बनी हुई है और आज बांसवाड़ा जिले में जो सूखी धरती पड़ी है, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, आनन्दपुरी, पीपलखूंट, आसपास के क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में जो सूखी धरती पड़ी है, उसके ऊपर हम लोग बार-बार मांग करते हैं कि उस क्षेत्र में माही डैम का पानी पहुंचे। लेकिन जब घर का मुखिया ही नहीं होता है। तो उसकी हालत क्या होती है। तो मैं, सभापति महोदय, जल संसाधन मंत्री का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूंगा कि इतने बड़े माही सागर बांध में अगर चीफ इंजीनियर का पद वापस किया जाए और उस माही का विस्तार अगर किया जाए, तो बांसवाड़ा जिले की सूखी धरती जो पड़ी है, आसपास के क्षेत्र में, वहां पर पानी भी पहुंचाया जा सकता है।

राजस्थान में अन्य जिलों में भी पानी की मांग माही से की जा रही है, वहां पर पानी ले लिया जाए, उसके लिए वहां के लोगों को कोई एतराज नहीं है लेकिन कम से कम बांसवाड़ा के आस-पास के लोगों की जो सूखी धरती पड़ी है, वहां पर तो कम से कम सर्वे करवाकर वहां पानी पहुंचाने की योजना बनाई जाए। जनजाति क्षेत्र का करोड़ों-करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, 1975 से आज 40 वर्ष गुजर गये, जनजाति क्षेत्र की जो योजना बनी है, तब से करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है; छोटे-छोटे एनिकटों के नाम से पैसा खर्च हो रहा है, छोटे-छोटे चैक डैमों के नाम से पैसा खर्च हो रहा है, अन्य स्कीमों में जनजाति क्षेत्र में पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन अगर माही डैम की हम विस्तार की बात करें और माही डैम की कैनालों के बारे में बात करें, तो स्थिति बड़ी, दुर्दशा, खराब है।

(श्री भीमा भाई)

तो मैं मेरी सरकार की मुखिया सम्माननीया हमारी सदन की नेता से भी आग्रह करना चाहूंगा कि माही डैम की जो चीफ इंजीनियर की पोस्ट है, वह वापस भरी जाए और माही का जो अधूरा काम पड़ा है उसको वापस हाथ में लिया जाए। एक तरफ तो माही कैचमेंट इलाके के लोगों को तालाब बनाने के ऊपर रोक लगा रखी है, तो दूसरी तरफ सर्वे के लिए हम लोगों को कहीं न कहीं कमजोर किया जाता है, सूखी धरती के लिए। तो मेरा यह आग्रह है कि माही डैम के पानी को क्षेत्र में पहुंचाने के लिए योजना बना करके जनजाति क्षेत्र में पानी पहुंचाया जाये।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे पास में ही मध्य प्रदेश का इलाका है, जहां पर पहाड़ों के अन्दर उबड़-खाबड़ जमीन के अन्दर काफी चैक डैम बना करके, बारहमास उन चैक डैमों के अन्दर पानी लबालब भरा हुआ होता है। लेकिन हम पास में बैठे, राजस्थान के लोग बैठे-बैठे उस पानी को देखते हैं। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी एक योजना बनाएं जिस पर बारहमासी, जंगल के अन्दर भी पानी भरा हुआ रहे तो जंगल के जानवरों को भी पानी पीने का अवसर मिलेगा और नीचे जिन काश्तकारों की जमीन है, उनको भी पानी मिलेगा; कुओं के अन्दर वाटर लेवल ऊपर होगा, हैण्ड-पम्पों में पानी आयेगा, लोगों को पीने के लिए पानी की सुविधा होगी और खेतों के अन्दर भी पानी दिया जा सकता है।

माही के कैचमेंट इलाके के लिए छोटे-छोटे लघु सिंचाई तालाब बनाने के ऊपर रोक लगा रखी है। मेरा निवेदन है कि हर साल माही के बांध को भर करके, गेट खोल करके, पानी निकाल दिया जाता है और समुद्र में वह पानी चला जाता है। तो माही कैचमेंट के अन्दर जो रोक लगी हुई है छोटे-छोटे तालाब बनाने की, एनिकट बनाने की, उस रोक को भी हटाया जाए। वहां पर फोरेस्ट लैंड का जो इलाका है, वहां पर भी छोटे-मोटे चैक डैम बना करके वहां के लोगों को पानी देने के लिए योजना बनाई जाये।

कई प्रकार की योजनाओं में पैसा खर्च हो रहा है लेकिन वहां के लोगों को इतने साल गुजर जाने के बाद भी स्थिति वही की वही बनी हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में महानरेगा का 2005 से शायद कार्य चल रहा है, तो आज तक एक तग़ारी भर कर मिट्टी डाल देते हैं, बारिश के अन्दर वह मिट्टी बहकर समुद्र के अन्दर चली जाती

(श्री भीमा भाई)

है। इसलिये मेरा निवेदन है कि नरेगा की योजना हो, या हमारे जनजाति की योजना हो, छोटे काश्तकार हैं, प्रत्येक काश्तकार को छोटी जमीन के अन्दर ओपन-वेल, कुएं के नाम से पैसा मिले और उस काश्तकार के कुआं खोदा जाये ताकि छोटी जोत में पानी मिल सके और उन लोगों को सुविधा मिल सके।

आज हर क्षेत्र में ऐसी स्थिति बनी हुई है, कई दूरदराज के इलाकों में बिजली का अभाव है, इन काश्तकारों को आज तक बिजली नहीं मिली है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जनजाति क्षेत्र में बिजली का भी विस्तार हो और वहां के लोगों को सुविधा दी जाये।

शिक्षा के बारे में भी कई प्रकार की हमारे क्षेत्र में कमियां हैं। कई प्रकार के स्कूल तो खुले हुए हैं लेकिन अध्यापकों के अभाव में उन स्कूलों की हालत भी बड़ी गम्भीर बनी हुई है। तो मैं शिक्षा की ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में जिन स्कूलों में पद रिक्त पड़े हैं, वहां पर उन रिक्त पदों को भी भरने का काम किया जाए और जनजाति क्षेत्र में जिन स्टूडेंट्स को, पदस्थापित करने के लिए, पदस्थापित जो किये जा रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र में ही पदस्थापित किया जाए ताकि कम से कम, बाहर के लोगों को तो इस तरह से तो नहीं हो कि हमारे क्षेत्र में बार-बार स्कूलों में पद खाली हों। तो मेरा निवेदन है कि जितने भी पदस्थापित शिक्षा विभाग से किये जा रहे हैं, उनको अपने स्थानीय स्तर पर पहले प्राथमिकता दी जाए। अभी-अभी जिन स्टूडेंट्स की शिक्षा विभाग में भर्तियां की गईं आर.पी.एस.सी. से, मेरे क्षेत्र में पद रिक्त होने के बाद में भी कहीं न कहीं अधिकारियों की लापरवाही की वजह से कुछ महिलाओं को भी जिले से बाहर जाना पडा। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब-जब भी इस तरह से अगर नई भर्तियां होती हैं, तो वहां पर लोकल स्तर पर उन लोगों को लगाया जाए।

इसी तरह से सहकारी समितियों के अन्दर भी वही परिस्थिति है। सहकारी समितियों के, तीन-चार पंचायतों के बीच में एक-एक सहकारी समिति है। दूर-दराज के इलाके में, दूर-दराज में बिखरी बस्ती होने के कारण समितियों का भी लाभ नहीं मिल पाता जनजाति क्षेत्र में। तो मेरा निवेदन है कि प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति की व्यवस्था हो ताकि वहां पर लोगों को उसका फायदा मिल सके।

मैं अधिक समय नहीं लेते हुए, यही निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे

(श्री भीमा भाई)

क्षेत्र में अधिक से अधिक लोगों को ओपन वैल कुएं के नाम से पैसा मिले। जनजाति मंत्री महोदय बहुत अनुभव रखने वाले हैं, लम्बे समय से इस सदन में आते हैं, माननीय सभापति महोदय, मैं लम्बा समय नहीं लूंगा लेकिन जनजाति क्षेत्र का पैसा जो खर्च किया जा रहा है, वह प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जनसंख्या के अनुपात में पैसा मिले और आने वाले समय में सभी माननीय सदस्य, जैसा कि अभी बता रहे थे कि प्रत्येक साल जनजाति क्षेत्र का बजट लेप्स होकर चला जाता है, तो मैं जनजाति मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में जनजाति क्षेत्र का पैसा लेप्स नहीं हो। प्रत्येक इलाके में पानी की व्यवस्था हो, पानी के ऊपर पूरा पैसा खर्च हो; शिक्षा के ऊपर भी पूरा पैसा खर्च हो। हास्टलों की जो हालत बनी हुई है, उन हास्टलों की हालत भी ठीक की जाएं और जिन क्षेत्रों में जहां हास्टलों की आवश्यकता है वहां पर हास्टलों को भी पैसा दिया जाए, जहां पर सड़क का सवाल है, जनजाति क्षेत्रों में सड़कों पर भी पैसा खर्च किया जाता है, सड़कों के लिए भी बजट दिया जाए।

माननीय सभापति महोदय, आज इस पवित्र सदन में मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हुए, मेरी बात को समाप्त करूंगा। जय हिन्द। धन्यवाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मंत्रीगण के जवाब आकर, मांगें पारित होने तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या-33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के पारण होने तक बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

आदरणीय केसारामजी चौधरी।

मांग 30 व 33 पर विचार

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, आज जनजाति क्षेत्रीय विकास व सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की मांग संख्या 30 और 33 पर सदन में चर्चा हो रही है। मैं अपने आपको इसमें सम्मिलित करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जिस परिस्थिति में देश आजाद हुआ था और देश आजाद होते ही यह दिमाग में आया कि देश का विकास कैसे किया जाए। देश के विकास में नदी, बांध, पुल, सड़कें, यह विकास के मायने में हर व्यक्ति सोचता है कि देश का सर्वांगीण विकास कैसे हो। इसके लिए जब चिंतन हुआ तो इस संविधान में सरकार ने यह सोचा कि सच्चा अगर कोई विकास है तो गरीबी रेखा में, जो अंतिम रेखा में, सबसे पीछे खड़ा है, उसको आगे लाकर किस तरह से खड़ा किया जाए, उसके लिए चिंतन हुआ और उसके अनुसार राजस्थान सरकार ने भारत के संविधान के भाग-4, राज्य के नीति-निदेशक तत्व से सम्बन्धित अनुच्छेद-46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि, राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा, में अन्तर्निहित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पिछड़ी जाति कल्याण विभाग की स्थापना 1951-52 में हुई थी। वर्ष 1955-56 में इसका नाम समाज कल्याण किया गया। राज्य सरकार ने 21.02.2007 को अधिसूचना जारी कर अब इस विभाग का नाम सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग कर दिया।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास के साथ-साथ समाज के उन गरीब, विधवा, निःशक्तजन, वृद्ध, विमुक्त, घुमंतू, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के आर्थिक एवं शैक्षिक विकास की अनेक योजनाएं विभाग द्वारा उनके उत्थान के लिए प्रारम्भ की गईं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाह रहा हूं कि सामाजिक उत्थान के साथ-साथ इसके अन्तर्गत विभाग द्वारा एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी., विशेष पिछड़ा वर्ग, उनके लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी और आवासीय विद्यालय, अनुप्रति योजना, अनुसूचित जाति

(श्री केसाराम चौधरी)

और अनुसूचित जनजाति पर अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 का क्रियान्वयन विभाग द्वारा किया जाता है। छात्रवृत्ति के लिए, उत्तर-मैट्रिक छात्रावास, मैट्रिक छात्रवृत्ति विद्यार्थियों को दी जाती है, मगर विद्यार्थी आठवीं और दसवीं पास करके, बारहवीं पास करके, दसवीं और बारहवीं पास करके, साल-साल उनको हो जाता है मगर समय पर उनको वह छात्रवृत्ति नहीं मिलती है।

अनुप्रति योजना है, संघ लोक सेवा आयोग में अगर कोई बच्चा, केन्द्र सरकार की योजना के अनुसार, वह प्रारम्भिक परीक्षा में पास हो जाता है तो सरकार उसको 65 हजार रुपये देती है और उसके बाद मुख्य परीक्षा में पास होने पर 30 हजार रुपये देती है और साक्षात्कार होने के बाद में 5 हजार रुपये देकर के, एक लाख रुपये की अनुप्रति योजना चलाती है, जिससे ये गरीब बच्चे, अब आज जिस मुकाम पर ये पहुंचने चाहिए, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए उनके पास पैसे की आवश्यकता होती है, वे अपने कोचिंग कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स लाकर इस समाज में आई.ए.एस. और आई.पी.एस. बन सकते हैं।

इसके साथ ही, अगर आर.ए.एस. और उस कैडर की भी है, तो राजस्थान सरकार 50 हजार रुपये तक ऐसे बालकों को देती है। तो इससे समाज के उन बच्चों में शिक्षा का प्रादुर्भाव होगा। अगर सच्चे मायने में कोई विकास है तो शिक्षा के बिना किसी भी समाज का विकास सही मायने में हो नहीं सकता।

इसलिए समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा और कल्याण अगर सच्चे मायने में करना है तो इन जातियों के लिए शिक्षा को किसी तरह से, अच्छी तरह से शिक्षा कैसे दी जाए, अच्छे छात्रावास कैसे चलें, ये जो छात्रावास चल रहे हैं उन छात्रावासों में उन बच्चों को रहने के लिए और छात्रावास की सुविधा के लिए 1,350 रुपये एक महीने के दिये जाते हैं और टोटल साबुन और उसके मिलाकर अगर कोई पैसे देते हैं तो वह 1,900 रुपये एक महीने का उनके लिए दिया जाता है और साढ़े नौ महीनों का देकर उस एक बच्चे पर 18 हजार 50 रुपये खर्च किये जाते हैं। माननीय सभापति महोदय, आज के

(17.00 बजे)

इस महंगाई के युग में अगर कोई 1,350, मतलब 25 रुपये से भी कम एक टाइम के खाने के अगर एक बच्चे के ऊपर खर्च किये जा रहे हैं, तो उन

(श्री केसाराम चौधरी)

छात्रावासों में खाना किस तरह का दिया जाता होगा, उसकी कल्पना की जा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, इन छात्रावासों में पढ़ने वाले बच्चों को अच्छा खाना मिले, इसके लिए इनके पैसे बढ़ाने चाहिये ताकि वे बच्चे अच्छा भोजन और पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ सकें। जो छात्रावास हैं, उनमें जो महिला या कोई व्यक्ति खाना बनाता है, तो उसको बहुत ही कम रुपये, नरेगा में जितने पैसे मिलते हैं, उससे भी उसको कम पैसे दिये जाते हैं। इससे वह खाना बनाने वाला भी अच्छी तरह से खाना नहीं बनाता और उन बच्चों को इसमें हर टाइम दुविधा आती है। कभी रसोइया भाग जाता है, कभी खाना बनाने वाला नहीं है। कभी बच्चे हाथ से बनाते हैं। तो कोई इस व्यवस्था को देखने वाला नहीं है।

मुझे तो अच्छी तरह से मालूम है कि मारवाड़ जंक्शन में एक अम्बेडकर छात्रावास है मेरे क्षेत्र में, उस अम्बेडकर छात्रावास में पढ़ने वाले बच्चों को जिला स्तर से कोई अधिकारी आकर आज दिन तक नहीं देखता। वहां पर कोई वार्डन भी नहीं रहता। मैं मांग करता हूं कि ऐसे अधिकारियों की मानिटरिंग की जाये कि वे समय पर जाकर छात्रावासों को चैक करें। छात्रावासों की सफाई किये, बिना लिपाई और पुताई का तो पता ही नहीं है कि कब होगी। मैं 1998 से लेकर आज दिन तक मारवाड़ जंक्शन में जो छात्रावास चलता है, उसमें हमेशा जाता हूं 15 अगस्त और 26 जनवरी को। उस छात्रावास में जाकर उन बच्चों की दशा और दिशा को देखता हूं तो मुझे तो दया आती है कि इस तरह से ऐसे छात्रावासों में बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे। अब समाज के विकास की बात करते हैं, तो इसलिए उनको अच्छी शिक्षा के लिए छात्रावास अच्छे होने चाहिये।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाह रहा हूं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से कि अभी तक देश आजाद हुए 68 साल हो गये, मगर मेरे रानी में यह जो इनका चयन होता है एस.सी. और एस.टी. में, तो उनके लिए रंगास्वामी रानी में निवास करते हैं, उन रंगास्वामियों में मारवाड़ जंक्शन में भी निवास करते हैं। तो मारवाड़ जंक्शन का रंगास्वामी तो ओ बी सी में आता है और जो भील जाति है, उनमें आधे परिवार भील हैं। तो इसकी जांच करके, उनको या तो भील में काउंट करें। वह व्यक्ति वास्तव में भील है, मगर

(श्री केसाराम चौधरी)

उनके खाते में सिर्फ रंगास्वामी लिखने के कारण से उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। रानी के ही बंजारा हैं और बंजारों के उनके बंजारा-भाट लिख दिया, इसलिए वे इस एस.सी., एस.टी. रिजर्वेशन में नहीं आते हैं, जबकि बंजारा एस.सी. में आता है। बंजारे लोग जो बैल लेकर चलते थे और बिजनेस करते थे उस जमाने में, उनको बालेदिया भाट भी कहा करते हैं, अलग-अलग जगह पर उनको अलग-अलग नाम से पुकारा जाता है। आप उन दोनों का रानी में सर्वे करवाकर, उनको एस.सी. में लिया जाये, यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही साथ छात्रावासों में जो सुविधाएं हैं, उनके लिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि वे सुविधाएं उन बच्चों को अच्छी मिलें। पूरे जिलों में बालक एवं कन्या छात्रावास 781 चल रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि मेरे भी रानी में एस डी एम हैडक्वार्टर है, वहां पर एक बालिका छात्रावास खोलने की मांग करता हूं, ताकि एस सी और एस टी की बालिकाएं वहां पर पढ़ सकें। यह मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि रानी एस डी एम हैडक्वार्टर पर एक बालिका छात्रावास खोला जाये।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने आर्थिक विकास के लिए जो-जो कार्य किये, उसमें जो बजट मिला, उसको भी पूर्ण रूप से खर्च नहीं किया। आज स्थिति यह है कि 2012-13 में 5,727 लाख रुपये मिले, उसमें से 3,746.25 लाख रुपये खर्च किये। इससे साफ जाहिर होता है कि पूर्ववर्ती सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, किस तरह से केवल वोट बैंक मानकर काम किया, उनके हितों के लिए काम नहीं किया।

मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह जो योजना है विशेष केन्द्रीय सहायता, इस केन्द्रीय सहायता में मेरे क्षेत्र में एक कार्यशाला बनी थी। पाली जिले में 750 कार्यशालाएं स्वीकृत हुई, उनमें से 370 कार्यशालाएं देसूरी के अन्दर बनीं और वह भी कागजों में बनीं। योजनाओं के पैसे तो समाज के उत्थान के लिए बहुत आते हैं, मगर एक भी कार्यशाला नहीं बनी। मैंने उसकी जांच भी करवायी मगर सी.ई.ओ. ने चुनाव आने की वजह से लीपापोती करके उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। 370 कार्यशालाओं में से एक कार्यशाला नहीं बनी और जो दलाल थे, वह जाकर 10 हजार रुपये मिले, उसमें से कहा, तुमने कौनसा घी तोला है, तुझे 10 हजार रुपये मिले हैं, 5 हजार मुझे दे। चैक दिया,

(श्री केसाराम चौधरी)

साथ में बैंक में गया और 5 हजार ले लिये। मौके पर एक भी कार्यशाला बनी हुई नहीं है। तो माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि देसूरी पंचायत समिति की जांच करवाई जाये और 376 कार्यशालाओं में से एक भी कार्यशाला नहीं बनी है। उन कार्यशालाओं की जांच करनी चाहिये।

इसी तरह से पिछड़ा वर्ग वित्त एवं सहकारी विकास निगम लिमिटेड द्वारा जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, उनमें इस परियोजना में कोई मसाला उद्योग लगायेगा तो वह मसाला उद्योग 30 हजार में किसी सूरत में लगा नहीं सकता और उसमें से केवल वह सब्सिडी जो मिलती है, जो अनुदान मिलता हैं, वह लेकर इतिश्री कर देता है। यह परियोजनाएं लागत राशि निम्न प्रकार हैं – एस टी डी, पी.सी.ओ. लगाये तो 80 हजार और मसाला उद्योग लगाये तो 30 हजार। वास्तव में, हकीकत में, इस परियोजना को अगर सफल करना है तो वास्तव में जैसे गाडोलिया लुहार पुराने जमाने से काम करता आया और वह काम करते हुए उसको बहुत बड़ा तर्जुबा है, वह आहट से देखकर बता देता है कि इसके औजार की धार कैसी लगी है, इसकी पाण कैसी चढ़ी हुई है। उसको डवलप करने के लिए गांव के लोगों को सही मायने में जो कार्य कर रहे हैं, उसमें उसको सहायता की जाये। एक गाडोलिया लुहार को हैमर और यह दूसरी चीजें जैसे नई टेक्निक से भट्टी चलाने का और उसमें गरम करने का औजार बनाने का उसको तर्जुबा है तो उसको अगर मकान बनाने के लिये भी 70 हजार किये हमारी सरकार ने, मैं उसका आभार व्यक्त करता हूं मगर ये जो पैसे दिये जाते हैं, वे उनको समय पर मिलते नहीं हैं। इसलिये वह जो योजना है, उसकी क्रियान्विति वास्तविक रूप में होती नहीं है। अगर कोई ढंग से इस योजना की क्रियान्विति करनी है, अगर उसकी मोनिटरिंग उसके ऊपर सही नहीं होगी, तब तक भले ही कितने ही पैसे दे दो, थैले के अन्दर डालते हुए रुपये दिखते हैं, मगर थैला नीचे से फटा हुआ है। पैसे नीचे गिर रहे हैं और लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और ऐसा फायदा उठा रहे हैं। अगर इसको नहीं रोकेंगे, तब तक वास्तव में सही मायने में इनका विकास नहीं हो पायेगा।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एस.सी., एस.टी. अत्याचार अधिनियम 1989 का क्रियान्वयन, इस कानून का उपयोग सही ढंग से होना चाहिये; नहीं तो आजकल भू-माफिया लोग इन लोगों को आगे रखकर इस तरह का गुण्डा गिरोह बना दिया है और शरीफ आदमी इस बात से डरता है कि एस.सी., एस.टी. का मुकदमा बन जायेगा, मेरे ऊपर

(श्री केसाराम चौधरी)

अत्याचार का केस बन जायेगा। वे लोग सिर्फ अपनी जमीन हड़पने और जमीन के ऊपर कब्जा करने के लिए ऐसे लोगों को पैसे देकर उपयोग करते हैं। इसलिए इस चीज पर भी विशेष ध्यान दिया जाये। इनके लिए कानून बना है, उनकी सुरक्षा के लिये, उनकी रक्षा के लिए, उनके अधिकारों का हनन न हो, उसके लिए कि आज भी कहीं-कहीं उनको घोड़ी पर बैठकर शादी नहीं करने देते। ऐसी चीजों में उन पर सही मायनों में रोक लगाई जायेगी तो वास्तव में उनका कल्याण होगा और वह अपने अधिकारों के लिए जीना सीखेगा, मगर कहीं पर दुरुपयोग होता है तो उस पर भी रोक लगनी चाहिये। यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मानसिंह गुर्जर।

श्री मान सिंह (गंगापुर): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 30 और 33 पर चर्चा हो रही है। आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत आभार।

सभापति महोदय, मांग संख्या 30 पर मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से अपनी बात को रखा और निश्चित रूप से इस सदन में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोगों को एक दिशा मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है।

सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा। माननीय मंत्री महोदय, 2008 में अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीया वसुन्धराजी ने एक ऐतिहासिक फैसला किया और इन वर्गों के कल्याण के लिए 282 करोड़ रुपये का एक पैकेज दिया। दुर्भाग्य से सरकार बदल गयी और जैसे ही सरकार बदली, यह बजट 282 करोड़ रुपये से दूसरी सरकार ने केवल 25 करोड़ रुपये का कर दिया। इस प्रकार का जब वर्गों के साथ में होता है तो, सभापति महोदय, आप समझ सकते हैं कि उन वर्गों का कल्याण किस प्रकार से होगा।

मैं, मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करूंगा, ज्यादा पीछे नहीं जाकर के मैं इस कार्यकाल में आने की कोशिश कर रहा हूं और यह कहूंगा कि 2014-15 में

(श्री मान सिंह)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण हेतु 500 करोड़ रुपये का बजट का प्रावधान रखा, जो बहुत सराहनीय है और मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस वर्ग के कल्याण के लिए एक बड़ा दिल कर के 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि इस 500 करोड़ में से इस वर्ग के लिए इस वित्तीय वर्ष में केवल 116 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो मेरा मानना है कि पिछली देनदारियों में ही खतम हो जाएगा। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि जब हम अति पिछड़े वर्ग का कल्याण करना चाहते हैं, उनके उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं, तो इस बजट को आप 100 करोड़ रुपये और बढ़ाने का काम करें, तब जाकर के हम उनके कल्याण के लिए काम कर सकेंगे। सभापति महोदय, यह मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है क्योंकि 116 करोड़ रुपये काफी नहीं हैं, क्योंकि यह पैसा आपकी पिछली देनदारियों में ही चला जाएगा।

सभापति महोदय, हमारे इन वर्गों के कल्याण हेतु सरकार ने स्कूटी योजना शुरू की; एक हजार स्कूटी 50 प्रतिशत लाने वाली बच्चियों को देने की महती योजना सरकार ने शुरू की और उसके माध्यम से बच्चियों के अन्दर इस प्रकार का एक वातावरण बना; गांवों की बच्चियों में पढ़ने का और स्कूटी के लिए कालेज तक जाने का एक वातावरण बना। मैं आपको इसके पीछे एक और कारण भी बताऊं कि इस वर्ष जो एक हजार स्कूटियां दी गयी हैं, उसमें 30 बच्चियां सेम प्रतिशत वाली इसलिए रह गयीं कि एक हजार का लक्ष्य था। माननीय सभापति महोदय, समाज कल्याण विभाग में, जिस विभाग में उस वर्ग के कल्याण के लिए 500 करोड़ रुपये का एक लक्ष्य रखा है, एक वित्तीय वर्ष में 30 बच्चियां, जिन्होंने सेम प्रतिशत में पास की है, अगर वे रह जाती हैं तो आप सोच सकते हैं कि उन बच्चियों के दिल पर क्या गुजरेगी। विभाग के अधिकारी, जिस प्रकार से लकीर-के-फकीर होकर उन 30 बच्चियों को स्कूटी से रोका गया, माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आपका यह समाज कल्याण विभाग उन वर्गों के लिए है जिनके कल्याण के लिए आपको नीचे तक सोचना होगा। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे कहूंगा कि जो 30 बच्चियां रही हैं, मानवीय पहलू के तहत अगर हम उनको स्कूटी देने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ने का काम होगा। अगर हमको लगता है कि हमने पैसा ज्यादा खर्च कर दिया, तो हम अगले वित्त वर्ष में उसको कम कर सकते हैं।

(श्री मान सिंह)

इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस विभाग पर आप अपनी मानिटरिंग करने का काम करें, क्योंकि किस प्रकार से हमारी ब्यूरोक्रेसी इस विभाग के साथ में लापरवाही का काम कर रही है, उसका मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। सरकार ने कहा, इन वर्गों के कल्याण के लिए जो गुरुकुल योजना शुरू की, उस गुरुकुल योजना में 500 बच्चे-बच्चियों को अच्छे स्कूलों में दाखिला देने का, उनका सारा खर्चा सरकार उठाये, उसकी योजना बनायी गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले वर्ष 27 बच्चे ऐसे रह गये जिनको बाकायदा विभाग ने सलेक्ट किया, लेकिन चूंकि टारगेट 500 का था, उन 27 को बाहर रख दिया गया। जब इस बात को माननीय मंत्रीजी के ध्यान में लाया गया और यह तय हुआ, माननीय सभापति महोदय, उसका जो बिन्दु तय हुआ, मैं आपके सामने पढ़कर सुनाऊं, स्कूल शिक्षा विभाग को वर्ष 2014-15 में 500 के स्थान पर 527 विद्यार्थियों को प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में पत्र दिनांक 17.11.2014 के द्वारा शासन उप सचिव (प्रथम), शिक्षा (गुप-1) विभाग को लिखा जा चुका है। 27 विद्यार्थियों को वर्ष 2014-15 में प्रवेश की सहमति एवं अतिरिक्त बजट प्रावधान राशि 13.50 लाख रुपये हेतु पत्रावली वित्त विभाग को भेजी गयी। आयोजना एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त नहीं हो सकी।

माननीय सभापति महोदय, यह वित्त विभाग, आयोजना विभाग, जिस समाज कल्याण विभाग का मंत्रालय, जिस समाज कल्याण विभाग का पूरा डेकोरम, उसका जो सिस्टम उसको स्वीकार करता है कि जो 27 बच्चे-बच्चियां रहे हैं, हमको सामाजिक मूल्यों के तहत में उनको भी प्रवेश देना है और उसका बजट का प्रावधान 500 करोड़ का है, अगर 27 बच्चों पर 13 लाख रुपये अतिरिक्त खर्च हो जाते हैं तो मैं समझता हूं कि कोई इतना बड़ा काम नहीं होता। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से वित्त सचिव महोदय ने इस बात को रोका है, मेरी इस मामले में, मंत्री महोदय, आपसे गुजारिश है कि इस मामले में इस प्रकार से अगर वित्त विभाग काम करेगा तो इन वर्गों के कल्याण में हमको निश्चित रूप से दिक्कत होगी। यह मेरा आपसे अनुरोध है।

सभापति महोदय, इसी के साथ में जो हमारी गुरुकुल योजना है, उसमें हमने तय किया कि हमारे 300 अति पिछड़ा वर्ग की विधवा और बी.पी.एल. परिवारों की बच्चियों को हम अतिरिक्त प्रवेश देंगे। उसका बाकायदा निर्णय

(श्री मान सिंह)

हुआ और निर्णय में अब ये उसमें पढ़ेंगे। 'गुरुकुल योजनान्तर्गत वर्ष 2014-15 में विधवा, परित्यक्ता, बी.पी.एल. परिवार के 300 विद्यार्थियों को अतिरिक्त प्रवेश दिये जाने के सम्बन्ध में पत्रावली वित्त विभाग को भिजवायी गयी। पुन: दिनांक 17.11 को प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग को यू.ओ. नोट प्रेषित कर निवेदन किया गया। वित्त विभाग से सहमति प्राप्त नहीं हो सकी।' माननीय सभापति महोदय, वित्त विभाग टर्न-डाउन करता रहे। इस समाज के उत्थान के लिए सरकार की मंशा साफ है, माननीया, मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा दिल करके 500 करोड़ रुपये का बजट दिया है, मंत्रालय उस पर काम कर रहा है, अपना नोट बना रहा है, सहमति बनती है, अगर वित्त विभाग इस प्रकार से टर्न-डाउन करेगा और विभाग के अधिकारी अगर इस प्रकार की मानिटरिंग करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इस प्रकार से इन वर्गों का कल्याण होगा। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि अति पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए इन विभागों की मानिटरिंग को, माननीय मंत्री महोदय, आप स्वयं देखने का काम करें और आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस बजट को बढ़ा करके स्कूटी को, अगर हमको लगता है कि इसमें ज्यादा है तो 900 कर दो। तो कम से यह तो नहीं होगा कि 30 बच्चियों के दिल पर कोई बात गुजरेगी और वे अपना मनोबल कमजोर करेंगी। इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि चूंकि यह सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है और समाज के उन वर्गों को न्याय मिलना चाहिए; इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप आगे इस मामले में सहानुभूति रखेंगे और आप स्वयं मानिटरिंग करेंगे।

सभापति महोदय, मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पिछली सरकार ने आनन-फानन में एस.बी.सी. वर्ग के कल्याण के हेतु जर्मन राइस पैटर्न पर आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा की, 13 विद्यालय की घोषणा कर दी; वित्त की कोई व्यवस्था नहीं, कोई स्वीकृति नहीं, और उन वर्गों को कहा गया कि आपके यहां विद्यालय खुलेंगे। बहुत दु:ख होता है, आज भी वे पत्रावलियां इधर से उधर घूम रही हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीया मुख्य मंत्रीजी को, माननीय मंत्रीजी को कि उन्होंने इस वर्ष अमरपुर-महुआ, मच्छीपुरा-गंगापुर और बयाना-भरतपुर में तीन जगह उन आवासीय विद्यालयों का शुभारम्भ करने का और उनके काम शुरू कराने के हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह

(श्री मान सिंह)

भी कहना चाहूंगा कि अति पिछड़ा वर्ग का चौपड़ा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अगर हम वास्तव में कल्याण करना चाहते हैं तो पूरे राजस्थान के जिला स्तर पर एक-एक आवासीय बालिका विद्यालय होना चाहिए जर्मन राइस पैटर्न पर। अगर इसका प्रावधान करने का काम सरकार करेगी, माननीय मंत्रीजी इस पर ध्यान देंगे, तो निश्चित रूप से इस वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा मिलेगी, इस वर्ग का कल्याण होगा। मैं पूरे जिले की, राजस्थान प्रदेश की मांग करता हूं कि सब जिला स्तर पर एक-एक आवासीय विद्यालय जर्मन राइस पैटर्न पर किया जावे। उसका भी मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इसी के साथ में एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि एस बी सी वर्ग की भर्तियों में जिस प्रकार से हमारा कार्मिक विभाग लापरवाही करता है और कई बार यह देखने में आया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में भी आप कम से कम इस प्रकार की व्यवस्था करें कि इन वर्गों के हितों के साथ कुठाराघात नहीं हो।

माननीय सभापति महोदय, एक छोटी-सी बात की ओर आपका ध्यान पुन: आकर्षित करना चाहूंगा कि एस बी सी वर्ग में जो बंजारा शब्द है, वह बंजारा जाति हिन्दू है; उसमें मुस्लिम नहीं हैं। इस बात को मैं पहले भी विभाग के संज्ञान में ला चुका। मुस्लिम बंजारों के सर्टिफिकेट बन रहे हैं। मंत्री महोदय, इस मामले में सर्कुलर जारी करें और जो मुस्लिम बंजारा का सर्टिफिकेट बन रहे हैं, वे तुरन्त रुकने चाहिए। बंजारा मुस्लिम ओ बी सी के अन्दर हैं, एस बी सी में नहीं हैं। एस बी सी का जो बंजारा है लवाणा, वह हिन्दू है। उसके साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इसका सर्कुलर तुरन्त जारी होना चाहिए क्योंकि यह हिन्दू बंजारों के लिए है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक और अनुरोध करना चाहूंगा कि जो स्कूटी दी जाती है, वह सरकारी कालेजों में ही दी जाती है। कई जगह ऐसी भी व्यवस्था है कि सरकारी स्कूल बहुत दूर है। अगर हम यह सोचें कि केवल स्कूटी के लिए वह बच्ची वहां पढ़ने जाएगी, मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि कहीं दूर कालेज है, उसको बाकायदा आप एग्जामिन करा लें, वह जो बच्ची परिस्थितिवश प्राइवेट कालेज में एडमिशन लेती है, तो उन बच्चियों को भी स्कूटी का लाभ दिया जाना चाहिए। यह मेरी मांग है।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रमेश मीणा।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 30 जनजाति क्षेत्रीय विकास व मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, आज जनजाति क्षेत्रीय विकास और सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण पर बात हो रही है। काफी माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं और अपनी बात किसी ने पाजिटिव कही है, किसी ने नेगेटिव कही है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे जनजाति क्षेत्रीय विकास के कैबिनेट मिनिस्टर को कहना चाहूंगा कि वर्ष 2014-15 में जो आपका बजट का प्रावधान सरकार ने किया था 560.42 करोड़, उसमें से आपने दिसम्बर, 2014 तक जो राशि खर्च की है, वह 240.61 करोड़ खर्च किये हैं। मात्र 42.93 परसेंट रुपया आप खर्च कर पाये हैं इन 9 महीनों में। आप बात कर रहे थे कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और पिछली सरकार ने यह कर दिया; आपको मौका दिया और आप 9 महीनों में मात्र 42.93 पैसा ही खर्च कर पाये।

कुछ जो योजनाएं थीं, उनमें तो आप एक रुपया भी खर्च नहीं कर पाये हैं। बैंकिंग, गैर-बैंकिंग जो आपकी योजनाएं थीं, जैसे कूप ब्लास्टिंग में आपको 100 का लक्ष्य दिया गया और उसकी आपकी उपलब्धि जीरो है। भूमि आबंटन का लक्ष्य आपको 35 का दिया गया उसमें भी भूमि आपने किसी को आबंटित नहीं की, इन 9 महीनों के अन्दर। व्यक्तिगत पम्प सेट का लक्ष्य 50 का था, उसमें मात्र आपने 5 लोगों को लाभान्वित किया है। आटो रिक्शा का जो लक्ष्य 20 का था, उसमें से 1 व्यक्ति को लाभान्वित किया। एनिकट्स, तालाब, सामुदायिक भवन, सुविधा केन्द्र, आदि के निर्माण का लक्ष्य आपका 95 का था, उसमें से सिर्फ 8 की ही उपलब्धि है आपकी। पैकेज आफ प्रोग्राम (ग्रामीण) का जो लक्ष्य था 19 हजार, उसमें से आपने 4,671 उपलब्धियां प्राप्त की हैं, जो मात्र 24.58 परसेंट है। इसी प्रकार, आपके पैकेज आफ प्रोग्राम (शहरी) की उपलब्धि मात्र 22.97 परसेंट है। कुओं में जो विद्युतीकरण का काम था, वह मात्र 27.15 परसेंट लक्ष्य आपने प्राप्त किया है। दक्षता और विकास की, जो प्रशिक्षण की बात थी, ट्रेनिंग की, उसकी उपलब्धि मात्र आपकी 4.34 परसेंट है। कृषि यंत्र लेने की उपलब्धि 4,700 में से मात्र 764 है, जो मात्र 16.25 परसेंट के टार्गेट प्राप्त किये हैं।

(श्री रमेश)

माननीय सभापति महोदय, आप बात कर रहे थे कि जनजाति का विकास कैसे हो। यह बात बरसों से चली आ रही है, चाहे सरकार भारतीय जनता पार्टी की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे। आज भी वही स्थिति है उन आदिवासी क्षेत्रों में, जो पुराने जमाने में थी। कोई ऐसी बात नहीं लग रही है कि सुधार हो गया है। सत्ता पक्ष के माननीय विधायक इस बात को रो रहे हैं कि हम एक हैण्ड पम्प नहीं लगा पाये माडा के द्वारा।

आप एक दबंग और बहुत सीनियर मंत्री हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारी वित्त मंत्री, मुख्य मंत्री, माननीया सदन की नेता ने जो बजट की 3-4 लाइनें इसमें डाली हैं मात्र, जनजाति क्षेत्रीय विकास का अलग से बजट का प्रावधान होना चाहिए था। इसमें 2-3 जरूर हैं कि आप एक नवीन बालिका खेल छात्रावास का जरूर प्रारम्भ करवा लेंगे अपने लिए, बाकी तो कही 4 आश्रम छात्रावास हैं जो पुराने हैं। एक कोई सहरिया क्षेत्र में 75 लाख रुपये के गैस कनेक्शन की बात है। इस तरह से आपके जो बजट के प्रावधान हैं, उसमें कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि कुछ स्पेशल होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो भी पैसा मिले, वह समय पर खर्च हो।

कुछ मेरे सुझाव हैं कि माडा का जो बजट अलग-अलग स्कीम में मिलता है, आबंटित होता है, उसके डायवर्जन के पावर सरकार को हैं। कलक्टर्स को मात्र 5 लाख रुपये सैंक्शन की पावर है। इसमें मैं चाहता हूं कि कलेक्टर्स की पावर बढ़ाई जाय, 5 से 10 लाख की जाये। कलक्टर को भी 5 लाख तक के डायवर्जन के, जो हैड चेंज की बात है, जो पैसा खर्च नहीं हो पाता और आपकी जो स्कीम हैं, अलग-अलग स्कीम हैं, आपकी कंडिशंस ऐसी हैं कि वे फुलफिल नहीं कर पाते तो लोगों को फायदा नहीं मिलता। इस तरह के जो प्रावधान हैं, उन्हें हटायें।

आपको मंत्री बना रखा है कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दे रखा है लेकिन है कुछ नहीं। लेकिन हम मानते हैं कि आप दबंग आदमी हैं तो इस क्षेत्र में लोगों की मदद करें, गरीब लोगों तक आपका विकास पहुंचे, माडा से ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि मेरे करौली जिले में जो माडा का पैसा आता है, वह मुश्किल से 15 से 20 लाख रुपये आ पाता है।

(श्री रमेश)

वह भी कब आता है, जब मार्च का महीना आ जाए। आबंटन पहले कर देंगे और रिलीज लास्ट में करेंगे उस पैसे को। तो इसमें भी जब आबंटन करें, उसी समय उसको रिलीज किया जाए।

पिछली गवर्नमेंट में 2013 में मंडरायल जो मेरा उपखण्ड है, उसमें नया गांव में एक कन्या आश्रम छात्रावास की सैंक्शन हुई थी, उसकी वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई थी लेकिन कुछ कारणों से वह रुका हुआ है। मैं नहीं कहूंगा कि आपने रुकवा दिया है, ऐसा कोई मेरा मानस नहीं है, लेकिन उस काम को चालू करवाएं, उसकी स्वीकृति दिलवाएं। छोटे-मोटे कोई रीजन होंगे, किसी ने कम्प्लेंट कर दी होगी। उस पैसे को सैंक्शन आप करवाएं। कुछ स्टाफ की कमी है तो उसकी भी पूर्ति करें।

माननीय सभापति महोदय, एक मुद्दा, जो इससे सम्बन्धित जनजाति विकास की बात चल रही थी, तो उस समय हमारे माननीय सदस्य, जो आहौर से आते हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया कि भील और मीणा में कोमे की बात है। इस तरह की जो लोग बात करते हैं, इस तरह से भ्रम का वातावरण फैलाते हैं, उससे सदन के माध्यम से जो मेसेज जायेगा वह गलत जायेगा। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि गजट नोटिफिकेशन है और यह अलग-अलग भील, मीणा, सबके लिए अलग-अलग रिजर्वेशन है। 14 फरवरी, 1950 का है, संवत् 2006 का है, इसमें अंकित है यह मीना। तो उन्होंने कहा कि मीणा और मीना अलग-अलग हैं। इस संदर्भ में मेरा भी एक मामला जुडा हुआ है विधान सभा से। इसके सम्बन्ध में लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। हमारे बच्चों के सर्टिफिकेट भी नहीं बन रहे हैं। जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनने की वजह से उनकी कहीं पोस्टिंग, इंटरव्यू में वेरिफिकेशन की वजह से काफी प्रोब्लम भी हो रही है। ऐसा मुझे पता लगा है कि राज्य सरकार ने भेजा है, ठीक है, अच्छी बात है लेकिन मैं चाहूंगा राज्य सरकार से कि इस मैटर को जल्दी से जल्दी, शीघ्र निपटाए जिससे हमारी प्रोब्लम्स हैं क्षेत्रों में और पूरे राजस्थान में यह प्रोब्लम्स आ रही हैं। यह 'मीना' और 'मीणा' का भ्रम निपट जाए तो अच्छी बात है।

माननीय सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे पास प्रमाण हैं, मेरे खुद का विधान सभा का बताना चाहता हूं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री और गुलाबचन्दजी और समाज कल्याण के मंत्रीजी, मैंने यहीं पर यह आधार कार्ड

(श्री रमेश)

बनवाया था, इसमें 'रमेशचन्द मीणा' लिख दिया। मेरी क्या गलती है? मैंने फार्म भरा था 'मीना'। और यह विधान सभा का कार्ड है इसमें भी 'मीणा' लिखा हुआ है। मेरे पास जो मेरे खुद के, यह मेरा है मूल निवास प्रमाण पत्र, इसमें 'मीना' है और जाति प्रमाण पत्र में 'मीना' है। तो इसमें गलती किसकी है? किसी त्रुटिवश, किसी कारणवश या भूलवश जो गलती हो गई और उसको कुछ लोगों के माध्यम से इस तरह के प्रयास किये जा रहे हैं कि 'मीना' और 'मीणा' अलग-अलग हैं। इस भ्रम की स्थिति को सरकार स्पष्ट करे व आने वाले समय में इस समस्या का समाधान करे।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं अपनी बात कहना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग की इस योजना के माध्यम से वर्ष 2015 में मात्र 169 अभ्यर्थियों को लाभांवित किया गया और उन पर व्यय राशि मात्र 55.69 लाख रुपये थी, जो वर्ष 2000 से और 2015 तक के वर्षों में सबसे कम रही। मैं आपको उसके डाटा भी बता दूं, 2010-11 में 555 छात्रों पर व्यय किये गये 199.47 लाख रुपए और 2013-14 में 728 को लाभांवित किया, उन पर खर्च किये 260.29 लाख रुपये।

इसी प्रकार, उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति, वर्ष 2012-13 में 4,91,712 छात्रों को लाभांवित किया गया और 38,928 लाख रुपये खर्च हुए; वर्ष 2013-14 में 6,58,565 अभ्यर्थियों को लाभांवित किया गया और इस पर खर्चा हुआ 47,434.44 लाख रुपये और आपने वर्ष 2014-15 में 197067 अभ्यर्थियों को लाभांवित किया, 21286.57 लाख रुपये मात्र खर्च किये हैं आपने। आपका जो टार्गेट था उससे कम किया है; एवरेज जो हमारा 2010 और 2014 के बीच में सबसे कम रहा है।

इसी प्रकार, आपकी विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना में प्रत्येक विधवा को पुनर्विवाह के लिए आपका उपहार के रूप में 15 हजार रुपये देने का सरकारी सिस्टम है, उसमें मात्र 2014-15 में 3 विधवाओं को ही लाभांवित कर पाये; मात्र 45 हजार रुपये ही आपने उपहार के लिए दिये।

अब आती है आपके अल्पसंख्यकों की बात। सरकार कहती है कि हम अल्पसंख्यकों के हितैषी हैं, एस सी, एस टी के हितैषी हैं, तो यह आपके सामने जो आंकड़े हैं पी एम एस योजना के अन्तर्गत, हमने जो पैसा खर्च किया 2012-13 में, 2,3150 छात्रों को 1556.28 लाख रुपये, जबकि लक्ष्य था

(श्री रमेश)

केवल 14,800 का लक्ष्य था; वर्ष 2013-14 में 33,259 छात्रों पर 2,296.95 लाख रुपए खर्च किये और आपने, वर्ष 2014-15 में जो लक्ष्य था, आपका 16,371 और आपने छात्रों पर संख्या मात्र 2,914 पर व्यय किया 212.58 लाख रुपये। इससे साफ है कि अल्पसंख्यक समुदाय के प्रति आपकी कितनी सहानुभूति है।

इसी प्रकार अल्पसंख्यक छात्रों की जो एम सी एम छात्रवृत्ति योजना है, उसमें 2014-15 में मात्र 1,611 छात्रों पर 410.11 लाख रुपये व्यय किया, जबकि वर्ष 2013-14 में हमने 2769 छात्रों पर 738.72 लाख रुपये व्यय किया। इसी प्रकार आपने अनुप्रति योजना में 2014-15 में मात्र 7 विद्यार्थियों को, जिसमें आपके आर ए एस भी आते हैं, व्यावसायिक, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी टेक्निकल हैं, व्यवसाय के मात्र आप 7 लोगों को ही लाभांवित कर पाये और 1,60,000 रुपये आपने व्यय किये।

अल्पसंख्यक प्रशिक्षण के लिए आपने 2014-15 में मात्र 1,294 युवाओं को लाभांवित किया और इसका व्यय 594.81 लाख रुपये हुआ और हमने 2013-14 में 5,923 युवाओं को और उस पर खर्चा हुआ 3,353.68 लाख रुपये। माननीय सभापति महोदय, यह समाज कल्याण विभाग की व्यवस्था है कि इन्होंने दिसम्बर तक का जो खर्चा है, वह इस रेशो में किया।

हम बात कर रहे हैं समाज को सुधारने की बात, एस सी, एस टी के लोगों की बात और हमारी सरकार के समय नि:शक्त जन को 'विशेष योग्य जन' का नाम दे दिया था लेकिन सरकार की बजट घोषणा के पैरा नम्बर 93 पर आज भी 'नि:शक्त जन' लिखा जा रहा है। जहां बात आई कि इनको नि:शक्त जन नहीं कहेंगे, आज से इनका नाम विशेष योग्य जन रख दिया जाएगा, लेकिन सरकार इन विशेष योग्य जन के प्रति कितनी गम्भीर है।

माननीय सभापति महोदय, मेरे कुछ सुझाव हैं। राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे बाल गृहों में आज भी सुविधाओं का अभाव है। बच्चों को शिक्षा, सुविधा और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था हो, नहीं तो आये दिन आपको देखने को मिलता है कि बाल गृहों से बच्चे भाग जाते हैं।

इसी के साथ, निजी क्षेत्र में कई एन जी ओ और व्यक्ति अनाथ, बेसहारा और गरीब बच्चों का पालन और प्रशिक्षण का काम कर रहे हैं। ऐसी संस्थाओं का मैं सम्मान करता हूं लेकिन कुछ ऐसी भी संस्थाएं समय-समय

(श्री रमेश)

पर सामने आई हैं जहां पर बच्चों का शोषण पाया गया। ऐसी संस्था के संचालकों के माध्यम से यौन शोषण के मामले हुए हैं और उसमें गिरफ्तारी भी हुईं। तो मेरी इस प्रकार के प्रकरणों में और ऐसी जो संस्थाएं चलाते हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही हो और जो संस्थाएं हैं, उनका एक निर्धारित कार्यक्रम तय किया जाए जिसमें निरीक्षण हो और ऐसी व्यवस्था हो कि बच्चों का भी समय-समय पर पता लगे कि हमारे बच्चे वाकई में उन संस्थाओं में ठीक रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं; क्या उनको प्रताड़ित तो नहीं किया जा रहा, उनका शोषण तो नहीं किया जा रहा; नहीं तो ऐसी कुछ संस्थाएं प्रदेश में आ गई हैं जो शिक्षा के नाम पर, पालन के नाम पर, बेसहारा बच्चों का शोषण कर रही हैं। तो इनको रोका जाना चाहिए।

आज राज्य में लाखों की संख्या में बच्चे कचरा बीनने, मजदूरी करने, भीख मांगने और सड़कों पर जब हम कभी रैड लाइट पर रुक जाते हैं तो काफी बच्चे सामान बेचते हैं, कुछ भीख मांगते हैं। तो उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। एक तरह से राज्य सरकार ऐसे बच्चों को कोई सहायता नहीं दे पाती है। तो सरकार एक ऐसी व्यवस्था करे कि बड़े और बच्चों का सर्वे करवाकर इनकी व्यवस्था करे।

विभाग द्वारा संचालित केन्द्रों में अनाथ, बेसहारा और गरीब बच्चों को रखा जाता है। उनकी शिक्षा अधिकार, आदि की सरकार व्यवस्था करती है। बड़ी अभावपूर्ण परिस्थिति के बाद भी बच्चे वहां पर पढ़ते हैं और जब उनकी उम्र 18 साल हो जाती है तो उनको वहां से निकाल दिया जाता है। अचानक उस 18 साल के बच्चे को सड़क पर छोड़ दिया जाए तो ऐसी स्थिति में वह कहां जाएगा? या तो वह थोड़ा समझदार होगा तो छोटी-मोटी मजदूरी कर लेगा और नहीं तो, वह निराश होकर कहीं अपराध जगत में चला जाएगा, या कहीं कोई ऐसा काम करेगा। उसका जीवन, जो आप लोगों ने 18 साल तक उसको पाला, पढ़ाया, उसकी सुरक्षा की, अब एकदम ही आप उसको सड़क पर छोड़ देंगे। तो आज तक सरकार ने इस बारे में नहीं सोचा है और सरकार भी अपना बचाव करने के लिए भारत सरकार पर डालती है। तो मैं शार्ट में यह कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कि इसमें कोई ऐसी व्यवस्था करें या नीति बनाएं कि हम एक-दो साल, जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता, 22-23 साल का, तब तक वहां पर उसको शिक्षा दिलाएं, किसी योजना के माध्यम से उसको

(श्री रमेश)

तकनीकी शिक्षा दिलवा दें क्योंकि जब उसकी उम्र 18 साल होती है तो ग्यारहवीं, बारहवीं में होगा; उसको आई टी आई करवा दें, या अन्य कोई व्यवस्था, जो उसको तकनीकी रूप से मजबूत कर दे जिससे वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और उसका एक भविष्य उज्ज्वल बने।

आज राज्य में एस सी और एस टी की जनसंख्या का जो अनुपात है, एस सी का 17.81 प्रतिशत और एस टी का 13.46 प्रतिशत है, लेकिन राजस्थान में इन एस सी और एस टी की 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या देखें तो इनका शिक्षा का स्तर कितना है। पुरुष की साक्षरता 80.51 प्रतिशत के आसपास है और महिला की साक्षरता केवल 55.58 प्रतिशत ही रही। तो आजादी के इतने सालों बाद इस आधुनिक तकनीकी युग में समाज का एक तबका वहीं पर खड़ा है जहां छोड़कर आये थे। माननीय सभापति महोदय, सरकार की मुखिया और सरकार के मंत्रीजी विराजमान हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि इनके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाये कि इनके सामाजिक स्तर में सुधार हो, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो और शिक्षा के माध्यम से ये स्वावलम्बी बन सकें और आगे बढ़ सकें।

मैं कहना चाहूंगा कि हमारे माननीय विधायकों ने, सभी ने बात की कि छात्रावासों की स्थिति कितनी जर्जर है और सभी ने यह शिकायत की है। तो मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस पर आपको गम्भीर रहना चाहिये। छात्रावासों की वाकई में स्थिति बहुत गम्भीर है, जर्जर स्थिति में हैं। वहां पर आपने खुद ने जाकर देखा है छात्रावासों को कि वहां पर किस प्रकार का गंदा खाना मिलता है और जो पैसा मिलता है, उसमें भी अनियमितताएं हो जाती हैं, या टेण्डर हो जाते हैं, या जो संचालन करने वाला है, वह भी पैसे को बचा लेता है। जो पैसा मिलता है, वह आज की महंगाई और मार्केट के हिसाब से बहुत कम पैसा मिल पाता है। आज उनके खाने, कपड़े, तेल, कंघा, जूते, जो पैसा मिलता है, उसको यदि मार्केट दर पर देखा जाये तो बहुत कम है। एक तरह से कहें, एग्जाम्पल के तौर पर, तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यह स्थिति है।

हमारे मंत्रीजी भी जानते हैं, और मंत्रीजी तो वैसे भी इस विभाग से दु:खी हैं, क्योंकि जब ये कोटा पधारे थे और नयापुरा के आसपास समाज कल्याण के किसी छात्रावास में गये और इन्होंने वहां की स्थिति को देखा, तो इन्होंने कहा कि मुझे शर्म आती है, मैं इस विभाग का मंत्री हूं। वाकई में शर्म आने वाली बात है क्योंकि आपको जब समाज कल्याण विभाग का मंत्री बनाया

(श्री रमेश)

तो गलत मंत्री बना दिया, क्योंकि यह मामला आपके बीच का नहीं है। इसमें तो एस सी, एस टी का कोई मंत्री होना चाहिये था। आप जिस वर्ग से और जिस स्टेटस से आते हैं, आपको तो शर्म आती है कि आप अभी तक मंत्री हो। आपको तो इस्तीफा, रिजाइन दे देना चाहिये था। पर आप भी, क्या है, उस पालिटिकल क्यू में लगे हुए हो कि कभी आयेगा, मौका मिलेगा, कभी मौका मिलेगा, प्रमोशन हो गया, कभी विभाग बदल दिया जायेगा। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने सवा साल के अन्दर...

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, ये कब तक जातिवाद के दंगे करायेंगे? इस समाज को जातियों में बांटते रहेंगे? अभी भी भूख नहीं मिटी? आजादी के बाद इन्होंने पूरे समाज को अलग-अलग जातियों में बांट दिया, झगड़े-टंटे लगा दिये। अभी भी यहां सदन में भी मंत्री महोदय उस जाति का होना चाहिये, यह आप तय करोगे? कहीं पर तो संतुष्टि करो, भई। हम तो यह कह रहे हैं, एस सी, एस टी और सबका बराबर का दर्जा होगा। एस सी, एस टी का भी हमारा भाई वही बंधु है।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय सदस्य, आप जो बात कह रहे हों, हम अपनी बात कर रहे हैं, एस सी, एस टी की बात कर रहे हैं। आपका सरनेम है राजपुरोहित। जहां भी दुकानें मिल जायेंगी स्वीट्स की या मिठाई की, अच्छी सुन्दर दुकानें, और आपने पूरे प्रदेश में अपना साम्राज्य फैला रखा है। जिस प्रकार का आप लोगों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, वह ठीक नहीं है। आज सब लोग जानते हैं, इस सदन में आये हैं, सब होशियार हैं, सब बुद्धिमान हैं।

मैं कहना चाहूंगा मंत्रीजी से, सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि सवा साल में इन्होंने स्थिति को सुधारने का कोई भी काम ऐसा नहीं किया है। मंत्रीजी जब अपना उत्तर दें तो हमें बता दें। ये सिर्फ बतायेंगे कि फलानी कांग्रेस टाइम में ये गलतियां कीं, यह घोटाला कर दिया, यह गड़बड़ कर दी। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इन सवा साल में क्या प्रयास किये? आपके क्या एचीवमेंट हैं? आपने जो योजनाएं चला रखी हैं, जो पुराने टाइम की चल रही हैं, उनको ही आपने आगे बढ़ाया है। बाकी ऐसा कोई नया काम नहीं किया है।

माननीय सभापति महोदय, दो-तीन बातें हैं मेरी छोटी-छोटी। यह सच्चाई है कि आज के युग में जो संयुक्त परिवार रहते थे, उनमें व्यवस्थाएं इस तरह की आ गईं कि परिवार अलग-अलग रहने लग गये और जो हमारे

(श्री रमेश)

बुजुर्ग हैं, वे अलग-थलग से पड़ गये हैं। तो इसको सरकार ध्यान में रखे; वृद्धाश्रम खोलने पर सरकार विचार करे। हमारे समय में भी इस पर विचार किया गया था लेकिन खोल नहीं पाये। सरकार से मेरा निवेदन है कि इसको बोझ नहीं समझे। एक बात सरकार ने कही है कि वृद्धाश्रम की रेटिंग करेंगे तो रेटिंग करके क्या उसको कोई गोल्ड मेडल देंगे आप? अपना सिस्टम चालू करें और वृद्धाश्रम खोलें और लोगों को लाभान्वित करें।

इसी तरह, हमारे राज्य में मानसिक, विमंदित बच्चे हैं, या बुजुर्ग हैं, या जो बड़े हैं, उनके विद्यालयों में न तो पढ़ने की कोई व्यवस्था है, न कोई उनके लिए विशेष शिक्षक हैं। मैंने एक-दो जगह ग्रामीण और कस्बों में ऐसा देखा है कि उनके रहने की जो व्यवस्था है, जो वहां का रहन-सहन है, जो उनका वातावरण है, वह बिलकुल ही नरक के समान है और उनको उनके हाल पर ही छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में बच्चों और बड़ों का सर्वे करवाया जाये और इनके लिए अलग से बजट का विशेष प्रावधान किया जाये।

इसी तरह से मैं कहना चाहूंगा आपसे, मैं एक ही लाइन में बात बोल दूंगा, सरकार ने सरकारी नौकरियों में विशेष योग्यजन के लिए प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी लेकिन अभी तक किसी भी विशेष योग्यजन को कोई नौकरी सरकार दे नहीं पाई है। हमारे समय में हमने विशेष योग्यजन के लिए स्वरोजगार योजना चलाकर कुछ प्रयास किये थे। आपने तो सिर्फ इस बजट में एक ही बात कही है कि उनके लिए रैम्प बनायेंगे। एक आश्वासन दिया है।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, राज्य में सामाजिक कल्याण और जनजाति उपयोजना के माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार की यह सोच है, जिस प्रकार से सपोटरा से आने वाले माननीय विधायक बता रहे थे, उस सोच से परे हटकर मुख्य मंत्री महोदया की यह सोच है कि हमारे जनजाति क्षेत्र में रहने वाले लोग, पिछड़े तबके के लोग, महिलाएं, बच्चे, नि:शक्तजन और वृद्धजन, इनके उत्थान के लिए मैं ऐसा क्या कर जाऊं जो आने वाले समय तक और लम्बे समय तक न केवल राजस्थान, समूचे देश में याद रहे? उन योजनाओं को लागू करके जाऊं और उसके बाद निरन्तर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दुबारा आये, आगे आये, तो एक रोडमैप

(श्री अभिषेक मटोरिया)

सेट हो जाये और डवलपमेंट का एक नया एजेंडा सेट हो जाये। उन्हीं योजनाओं पर और उनके द्वारा पिछले कार्यकाल में एक ऐसी योजना जो पूरे विश्व में सराही गई, उसके ऊपर मैं अपनी बात यहां रखना चाहूंगा।

इन पेंशन योजनाओं के ऊपर, जो खासकर वृद्धजन, विधवा, महिला, नि:शक्तजन पर केन्द्रित है, इन योजनाओं का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से किया जाता है और बजट से, चूंकि हम डिमांड पर बोल रहे हैं, जो राज्य बजट अभी पेश हुआ वर्ष 2015-16, उस बजट के अनुसार मेरे कांग्रेसी मित्रों से यह भ्रम फैलाने की कोशिश की कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सभी की पेंशन बंद कर दी, पेंशन में कटौती कर दी और पात्र लोगों को अपात्र बना दिया। ऐसा कतई नहीं है। मैं आपको सरकारी आंकड़ों के माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि किस प्रकार वित्तीय कुशलता के माध्यम से हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने और हमारे मंत्री महोदय ने मिलकर इन बजट के आंकड़ों को कागजों पर नहीं, धरातल पर बढ़ाने का काम किया है। वह मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा।

पेंशन योजनाओं के लिए वर्तमान में राज्य सरकार ने कुल 4,025.73 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है। यह राशि गत वर्ष के बजट अनुमान से, आबंटित राशि से 672.14 करोड़ रुपये ज्यादा है। किसी भी राज्य सरकार की सबसे बड़ी अगर उपलब्धि देखी जाये तो आप इस वर्ग के उत्थान के लिए क्या करते हैं, कितना बजट देते हैं, वह पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है और 10-20-30 करोड़ रुपये नहीं, 672.14 करोड़ रुपये है। इसको हम वर्गीकरण में डालें तो इस आबंटित राशि में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 3,022 करोड़ रुपये, विधवा पेंशन के लिए 499 करोड़ रुपये और नि:शक्तजन पेंशन के लिए 260 करोड़ रुपये की राशि बढ़ाई गई है। सभापति महोदय, यह बहुत बढ़िया फिगर है। इसी प्रकार 2014-15 के संशोधित अनुमान में इन तीनों वर्गों की जो बढ़ोतरी हुई, उनको वृद्धावस्था पेंशन में जो इस बार राशि आबंटित हुई है वह 2,690 करोड़, संशोधित अनुमान 3001.4 करोड़ था; विधवा पेंशन जो 2014-15 में बजट अनुमान के अनुसार 451 करोड़ थी, यह 470 करोड़ हुई; और नि:शक्तजन पेंशन भी अनुमानित राशि जो 211 करोड़ थी, वह बढ़कर 234 करोड़ हुई है। यह सारी की सारी योजनाओं की राशि बढ़ी है, किसी भी स्तर पर घटी नहीं है।

2013-14 में पूर्व मुख्य मंत्री महोदय ने एक पहल की थी, उन्होंने

(श्री अभिषेक मटोरिया)

वृद्धावस्था और विधवा पेंशन के अन्दर लाभार्थियों को जो 25 वर्ष या उससे अधिक की जो पात्रता थी, उसको समाप्त किया था। मैं मानता हूं कि यह एक अच्छी पहल थी, पर उन्होंने इस पहल के साथ-साथ एक बहुत बड़ा मिस-मैनेजमेंट क्रीयेट कर दिया। 20 अप्रैल से लेकर 15 जून, 2013 तक उन्होंने शिविर भी लगाये परन्तु उन शिविरों को किसी प्रकार से मैनेज इसलिए नहीं किया गया कि उनका ध्येय अंतिम वर्ष में सिर्फ इतना था कि मैं किस प्रकार से येन-केन-प्रकारेण यह राशि हरेक उस व्यक्ति तक पहुंचाऊं जो पात्र भी नहीं हैं।

हमने इसकी पात्रता सूची पूर्ण रूप से तैयार की, डिपार्टमेंट के लोग बैठे और जो वास्तविकता में गरीब, नि:शक्तजन, विधवा और वृद्धावस्था के दायरे में आता है, लोगों को किस प्रकार हमारी सरकार का, राज्य सरकार का, आम जनता के खून-पसीने का बजट और पैसा मिल सके, उसके लिए वह सूची हमने तैयार की। वह सूची तैयार करने के बाद जो आंकड़े हमारे सामने आये हैं, उनको जानकर, सभापति महोदय, आपको हैरानी होगी कि लाभार्थियों की जो संख्या थी, कुल राशि 2013-14 में पूर्ववर्ती सरकार ने 2,831.9 करोड़ रखी थी, जबकि गहलोत सरकार का जो बजट अनुमान था वह केवल 1,000 करोड़ था। लगभग 1,800 करोड़ रुपये का गैप वे छोड़कर चले गये, उन्होंने 1,800 करोड़ की व्यवस्था नहीं की और सारा ठीकरा हमारी सरकार पर फोड़ने का काम किया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वर्ष 2013-14 में सत्ता सम्भालने के बाद वापस इस 1,800 करोड़ की राशि को 30 करोड़ तक और बढ़ाकर लगभग 3 हजार करोड़ तक ले जाने का काम किया तथा किसी भी पात्र व्यक्ति को इन पेंशनों से वंचित नहीं रखा।

श्री सभापति: यह 2013-14 में बजटीय राशि कितनी थी?

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): किसकी?

श्री सभापति: पेंशन वाली।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): 2013-14 में जो संशोधित अनुमान थे, रिवाइज्ड एस्टिमेट, उनके अनुसार 2831.13 करोड़ की राशि थी और बजट अनुमान था 1012 करोड़।

श्री सभापति: इनकी बजटीय राशि 400 करोड़ ही थी और जब शिविर लगा तो उसके बाद में 1,000 करोड़ की।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): The actual provisions that were made in the Budget were only 400 crores. They proposed 1,000 croress, but the actual estimates were 2,800 crores. The total gap includes 2,200 crores.

श्री सभापति: जबकि estimated families were 40 lakhs.

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों के माध्यम से आपके, हमारे और सबके यह प्रयास रहते हैं कि जो लाभार्थी हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान न हो। और अधिक गहराई में न जाते हुए, मैं बताना चाहूंगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर जो लाभार्थियों की संख्या है, उन दस्तावेजों का अध्ययन करने पर मुझे ज्ञात हुआ कि कुल पेंशन लाभार्थियों की संख्या 31 मार्च, 2013 तक थी, वह केवल 14.40 लाख थी और जब हमारे मंत्री महोदय ने, हमारे विभाग ने मुख्य मंत्री महोदया के आदेशानुसार पुन: उसकी छंटनी की तो यह बढ़कर 15 जून, 2013 को 40.43 लाख और आगे यह संख्या बढ़कर 58.3 लाख हो गई। जब संख्या बढ़ गई, पेंशन बढ़ गई, बजट बढ़ गया, तो यह कौन कह सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आने के बाद बजट की राशि कम की? कतई नहीं, एक परसेंट भी नहीं, और ये आंकड़े वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उसके बाद इन पेंशन योजनाओं के माध्यम से, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार चाहे किसी की भी हो, जो टोटल खर्च है, 1 लाख 37 हजार 700 करोड़, उसका जो बजट एस्टिमेट आपने रखा है, वह इस बार 4 हजार 25 करोड़ का है, अभी तक का अधिकतम। सभापति महोदय, यह केवल 2.9 प्रतिशत है। इसलिए इस प्रतिशत को हमें कहीं न कहीं बढ़ाना चाहिए। पूरे योजना मद में से केवल लगभग ढाई या तीन प्रतिशत अगर हम सामाजिक कल्याण पर खर्च करें, तो वह अभी के लिए कम है। मैं मानता हूं कि बजट उपलब्ध ज्यादा है पर उस प्रतिशत को हमें और अधिक बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए क्योंकि गरीब तबके के, कमजोर तबके के, पिछड़े हुए लोग, जो इन पेंशन पर आर्थिक सम्बल प्राप्त करके अपने जीवन-यापन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए इन पैसों के अलावा कोई जरिया नहीं है। हमें इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, युवा होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान प्रदेश में 42.7, लगभग 43 प्रतिशत की आबादी 18 साल से कम उम्र के बच्चों की है। इन बच्चों का जब तक हम लालन-पालन पोषण

(श्री अभिषेक मटोरिया)

अच्छे से नहीं करेंगे, इनकी नींव मजबूत नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में हमारे युवा किस प्रकार से विदेशों के लोगों से टक्कर ले पायेंगे? यह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राजस्थान वह पहला राज्य है, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जानते हैं, परन्तु हो सकता है कि मेरे जैसा नया सदस्य शायद न जानता हो; राजस्थान देश का वह पहला राज्य है जहां इन बच्चों के कल्याण के लिए, सुरक्षा के लिए और इन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए एक योजना चलाई गई थी जिस योजना का नाम पालनहार योजना था। यह योजना 2007-08 में माननीया मुख्य मंत्री वसुंधरा जी द्वारा चालू की गई थी और इस योजना को पहली बार पूरे देश ने ही नहीं, यूनिसेफ ने, वर्ल्ड बैंक ने और जितनी भी आर्गेनाइजेशंस बच्चों से सम्बन्धित हैं, उन्होंने न केवल सराहा, उन्होंने और स्टेट्स को भी पत्र लिखे 2009-10 में कि आप इस योजना का अध्ययन करिये, यह योजना अपने आप में एक कीर्तिमान वाली योजना है। उन्होंने मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद दिया। बिहार और आन्ध्र प्रदेश वे दो ऐसे प्रदेश थे जिन्होंने इस योजना को, मुख्य मंत्रीजी के यहां लागू करने के बाद, अपने प्रदेश में लागू किया और एक ट्रेंड सेट किया।

उस योजना को धीरे-धीरे हम कैसे आगे बढ़ाएं, बच्चों के भविष्य को हम कैसे मजबूत करें, यह मैं आंकड़ों के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। इस योजना की जो श्रेणियां बनी हैं, उनमें मुख्य रूप से जो बच्चे 18 साल की उम्र से कम हैं, चाहे बालक हैं, चाहे बालिकाएं हैं, जिनके पिता नहीं हैं, पिता की मृत्यु हो चुकी है, या पिता-माता के साथ नहीं रहते, या माता अकेली रहती है, या वे बच्चे अपने रिश्तेदारों के यहां रहते हैं, या वे बच्चे जिनके माता-पिता कारावास भोग रहे हैं, किसी रोग की वजह से उनके साथ नहीं रह पा रहे, और ऐसी बहुत सारी श्रेणियों की जिनके अन्दर पालनहार योजनाओं के तहत उनको लाभ मिलना चाहिए, ऐसे पालनहार को हमारी सरकार प्रति माह एक हजार रुपये दे रही है। इसके अलावा, स्कूल में पढ़ने के लिए 2 हजार रुपये अतिरिक्त, इसके अलावा भी, दिये जाते हैं जिनसे उनके परिवार की सुरक्षा, भत्ता और जिनके यहां वे रहते हैं, चाहे वे उनके रिश्तेदार हों, सगे-सम्बन्धी हों, चाहे उनकी मां हो, जो उन बच्चों को पालते हैं और उन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, उनको हम यह राशि प्रदान करते हैं ताकि उनको किसी प्रकार का आर्थिक बोझ न लगे। इस योजना की जो मंशा थी, जो मूल

(श्री अभिषेक मटोरिया)

उद्देश्य था, वह यह था कि इन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। अगर ये बच्चे एजुकेशन से जुड़ जाएंगे, स्कूल जाएंगे तभी यह राशि मिलेगी। इस लालच में, आर्थिक ताकत प्राप्त करने के लिए वे बच्चे स्कूल गये, न केवल शिक्षा प्राप्त की, बल्कि दोहरा लाभ उठाया। शिक्षा से भी जुड़ गये और वे बच्चे मुख्य मंत्री महोदया की जो सोच थी, वह पालनहार के एक हजार रुपये और स्कूल में पढ़ने वाले को 2 हजार रुपये, दोनों का लाभ उठाया। आज वे बच्चे न केवल राजस्थान, पूरे देश में भविष्य बनने का काम करेंगे। ऐसी सोच अगर कोई रख सकता है तो केवल माननीया वसुंधराजी रख सकती हैं कि उन्होंने यह योजना लागू की। परन्तु बड़े दु:ख की बात है कि पूर्ववर्ती सरकार ने इस योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। धीरे-धीरे हालांकि इन बच्चों की संख्या बढ़ती गई, सरकार द्वारा वर्तमान में 1 लाख 18 हजार बच्चे इस योजना का लाभ ले रहे हैं समूचे 33 जिलों में, किसी एक जिले तक यह सीमित नहीं है। परन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और पेंडेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन बच्चों का, उन पालनहारों का, और शिक्षा से जुड़े हुए उन बच्चों का जो भत्ता, जो राशि, जो सहायता, उन्हें मिलनी थी, वह किन्हीं कारणों से नहीं मिल पाई। बाल अधिकारिता विभाग इसके लिए मुख्य रूप से कार्य करता है।

मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि यह भी एक अपने आप में कीर्तिमान है, पहली बार उस समय पूरे देश में this was the first department that was created in the whole of India. बाल अधिकारिता विभाग देश का पहला एक मात्र विभाग था जो इस पूरे कार्य की देखरेख करता है। इस विभाग के बनने के बाद, इस विभाग के फार्म होने के बाद, समूचे देश में जो अधिकारिता विभाग से सम्बन्धित बड़े-बड़े आई.ए.एस. लोग थे उन्होंने इसका खाका तैयार किया, राजस्थान का एग्जाम्पल लिया और इसको पूरे देश में लागू करने की योजना तैयार हो चुकी है।

सभापति महोदय, मेरा मानना है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम का, सरकारी योजना का क्रियान्वयन कितना अधिक सफल हो, वह उसके मुखिया पर, उसके अधिकारियों पर, उन कर्मचारियों पर और लाभ देने वाले उन लोगों पर निर्भर करता है। इसलिए चूंकि हमारे मंत्री महोदय इसमें पूरे सजग हैं, मुख्य मंत्री महोदया की पूर्ण रूप से निगरानी है और क्रियान्विति, निगरानी और मूल्यांकन, ये तीनों काम हम बड़े अच्छे से कर सकें, इस हेतु मैं चाहूंगा

(श्री अभिषेक मटोरिया)

कि कुछ समय से, आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे स्वयं के जिले में लगभग 4-6 महीने से जो पेंडेंसी चल रही है और जो पालनहार

(18.00 बजे)

राशि का वितरण नहीं हो पा रहा, आप उसमें तेजी लाएं। जो योजना जिस मंशा से शुरू की गयी और पूर्ववर्ती सरकार ने उसको कचरे में डालने का काम किया, उसे आप पुन: गति प्रदान करें।

अभी हाल ही में, 6 महीने पहले एक नई तकनीक द्वारा इस योजना को हमने आगे बढ़ाने का काम किया; पालनहार योजना के तहत आनलाइन आवेदन मांगने का काम किया। यह आई टी का युग है, सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है। इस युग में आनलाइन आवेदन मांगकर हम उन बच्चों को कैसे लाभ दे सकें, यह हमारी सरकार की सोच थी। परन्तु इसमें हम एक भूल कर गये, क्योंकि मैं गांव से आता हूं, दूरदराज बैठे ग्रामीण अंचल में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जहां कंप्यूटर नहीं हैं; बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां बिजली नहीं है। जब मैं पिछले टाइम विधायक बना था तो मेरे स्वयं के विधान सभा क्षेत्र में दो ऐसे ग्राम पंचायत हैडक्वार्टर थे जहां पर विद्युत नहीं थी। इसलिए मैं मान सकता हूं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे दूरदराज के एरिये हैं जहां पर विद्युत नहीं है। जहां कंप्यूटर और विद्युत नहीं होंगे, वहां आनलाइन आवेदन में थोड़ी दिक्कत आएगी। हम वहां पर किस प्रकार संसाधन उपलब्ध कराएं कि वे लोग इसका लाभ ले सकें।

जो 18,890 बच्चों के आवेदन अभी पेंडिंग पड़े हैं, उनको हम त्वरित गति से कैसे निपटा सकें, इस पर हमें विचार करना पड़ेगा। संसाधन जुटाने होंगे, पूरे विभाग को लगाना होगा। जो कर्मचारी, अधिकारी लगभग 50 हजार से लेकर 75 हजार तक की तनख्वाह लेकर इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं, उनको ऐसे संसाधन उपलब्ध कराकर, दफ्तर छोड़कर फील्ड में जाना होगा और मंत्री महोदय के साथ मिलकर इन योजनाओं का उन बच्चों को लाभ देना पड़ेगा ताकि इस योजना को हम और आगे बढ़ा सकें।

इसी प्रकार से एक और दूसरी महत्वपूर्ण योजना इस विभाग के बारे में बताना चाहूंगा, जिसका नाम समेकित बाल संरक्षण योजना है। यह भी 2008-09 में जाते-जाते मुख्य मंत्री महोदया ने इसका खाका तैयार कर लिया था। यह लागू जरूर कांग्रेस की सरकार में हुई थी, लेकिन इसका खाका तैयार

(श्री अभिषेक मटोरिया)

हो गया था। यह सी एस एस है, basically this is a CSF, पूर्ण रूप से केन्द्र द्वारा इस योजना की फण्डिंग मिलती है। इसलिए मैं नहीं समझता कि राज्य को कभी भी इन योजनाओं में बजट की कमी आयी है।

जिला स्तर पर जो जिला बाल कल्याण समिति व किशोर न्याय बोर्ड, बच्चों की देखभाल व संरक्षण के लिए सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाएं हैं, उनको हम पैसा उपलब्ध कराते हैं। इन बच्चों की देखभाल के लिए बाल गृहों में, सम्प्रेक्षण गृहों में, किशोर गृहों में और बालिका गृहों में हम उनको वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं, ताकि ऐसे बच्चे अपने जीवन-यापन में किसी प्रकार पिछड़े नहीं। परन्तु 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में, इन तीनों वित्तीय वर्षों में जो राशि गैर-सरकारी संस्थाओं को मिलनी थी, इसमें एक बड़ा मुद्दा है। सरकारी संस्थाओं को समय पर वित्तीय सहायता मिल गयी, परन्तु इस योजना का जो दूसरा पहलू एन जी ओज के माध्यम से चलता है उनको भी लम्बे समय से, क्योंकि वे भी इन संस्थाओं के बच्चों की देखभाल व संरक्षण करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, उन गैर-सरकारी संस्थाओं को वह राशि अभी तक नहीं मिली है, उसमें विलम्ब हो रहा है। उसको हम यदि आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से यह योजना और अधिक कारगर होगी।

इसके साथ-साथ बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड में जो सदस्य नियुक्त हैं, उनका एक साल से मानदेय व भत्ता बाकी है। अगर उसको हम गम्भीरता से लेंगे तो वे निश्चित रूप से उस लालच में उन बच्चों की और अधिक देखभाल कर पाएंगे। जिला स्तर पर जो समितियां बनी हुई हैं, उनको हम आवश्यक संसाधन और कार्मिक अगर उपलब्ध कराएंगे तो निश्चित रूप से और आगे चल पाएंगी।

आखिर में एक और महत्वपूर्ण बात इस विभाग की मैं बताना चाहूंगा। राज्य में 11 जिलों में विगत 6 माह और उससे अधिक समय से बाल कल्याण समिति और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। यह हमारा सामाजिक दायित्व है कि कार्यकाल पूरा होने के बाद जो नये सदस्य हमें बनाने चाहिए, उसमें कहीं न कहीं हमारी इस मामले में हल्की-फुल्की ढिलाई रही है। हमें उन नये सदस्यों को नियुक्त करना पड़ेगा, उनको यह जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी। खासकर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, दौसा, जैसलमेर, भरतपुर, इन सब में बाल कल्याण समिति और बोर्ड का गठन करके

(श्री अभिषेक मटोरिया)

जो लम्बे समय से पेंडेंसी है, उसको घटाएं। नये सदस्य आएंगे तो निश्चित रूप से इसमें तेजी आएगी और इन बच्चों को इसका लाभ मिल पाएगा।

सभापति महोदय, हालांकि मेरे क्षेत्र में ट्राइबल लोग नहीं हैं, परन्तु मैंने वरिष्ठ सदस्यों से सीखा है कि इस हाउस में आने के बाद विधान सभा के साथ-साथ आपको अपने प्रदेश की बात करनी चाहिए। ट्राइबल, सब-ट्राइबल जो पार्ट है, वह हमारे राजस्थान का है। कौन किस जाति से है, कौन किस धर्म से है, यह मालिक के अधिकार पर निर्भर करता है, परन्तु राजनैतिक धर्म हमारा बनता है कि हम इन मुद्दों को छूकर उनके लिए अधिक से अधिक कार्य करें। मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि किसको मंत्री बनाना चाहिए, कौन किस जाति से आया, कौन आगे; पर हम एक माननीय सदस्य हैं, सब मिलकर ट्राइबल एरिया को हम कैसे आगे बढ़ा पाएं, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। चाहे किसी के विधान सभा क्षेत्र में किसी भी जाति, ट्राइबल, सब-ट्राइबल का कोई भी उपयोजना क्षेत्र में कार्य चलता हो, हम हमारे क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, हम उसको आगे बढ़ाएं; कमियां हैं तो उसे उजागर करना चाहिए।

इसी दृष्टि से 1979 में राज्य में जनजाति आयोजना का गठन किया गया था और तब से लेकर आज तक लगभग 35-40 साल हो गये; कहीं न कहीं जनजाति उपयोजना में निश्चित रूप से बहुत बार देखने को मिला है कि बढ़ोतरी हुई है और कभी-कभार इसमें बजट घटा भी है। आंकड़ों के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जनजाति की संख्या 2001 के आंकड़ों के अनुसार है वह लगभग 71 लाख है। यदि आप इसमें नोर्मल टेंडेंसी के तहत, general practices if applied in this, तो मैं मानूंगा 2011 के अनुसार ये जनसंख्या बढ़कर एक करोड़ तो हो गयी। साढ़े छह करोड़ की जनसंख्या में जहां एक करोड़ जनजाति के लोग बसते हों, तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। उनके उत्थान के लिए, विकास के लिए और समाज की मुख्यधारा से उनको जोड़ने के लिए, इस बजट में हम कैसे बढ़ोतरी कर सकें, हमारी कमी कहां रह गयी और क्या भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए अधिक किया, वह मैं बजट के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा।

योजना आयोग भी यह मानता है कि केन्द्र और स्टेट, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं पिछले 40 साल का आंकड़ा दे रहा हूं, उन दोनों की यह सामूहिक जिम्मेदारी बनती है कि जनजाति की जितनी पोपुलेशन है

(श्री अभिषेक मटोरिया)

उसी के अनुपात में, in proportional ratio factor आप बजट अलाट करें। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान का हम फिगर लें आयोजना बजट का, जो हमारी जनसंख्या बनती है वह 12.6 प्रतिशत है और बजट एलोकेशन 9 प्रतिशत है। हम तीन प्रतिशत पीछे हैं। इस 3 प्रतिशत के गैप को हम कैसे बढ़ा पाएं ताकि ट्राइबल एरिया में यह लाभ झोंपड़ी में बैठने वाले अंतिम व्यक्ति को मिले, हमें इस पर गहन विचार करना पड़ेगा। हमारी सरकार ने इस ओर जो सार्थक कदम उठाये हैं, जिसका लाभ विगत डेढ़ वर्ष से हमें मिल रहा है, उनको हम और अधिक तेजी से लाएं।

इसी कड़ी में, 2007-08 में राज्य का कुल आयोजना व्यय था 10,987 करोड़, उसमें जनजाति का उप-योजना का बजट 423 करोड़ था, अर्थात् 3.86 परसेंट। 2008-09 में यह 12,190 करोड़ कुल बजट था, उसमें 384 करोड़, अर्थात् 3.15 प्रतिशत। 2009-10 में 12,568.73 राज्य का कुल आयोजना व्यय था, उसमें जनजातीय उपयोजना बजट 368 करोड़ था, यानी 2.92 परसेंट। यह सबसे लोएस्ट है कांग्रेस की सरकार में अब तक का। उसके बाद 2010-11 में 14,172 में 729 करोड़, यानी 5.14 प्रतिशत। उसके बाद, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है, उसमें हमने इन आंकड़ों में किस प्रकार बढ़ोतरी की है, 22,796 में से 1,631 करोड़, 7.6 प्रतिशत। उसके बाद 2011-12 में पुन: 20,567 में 1,312; 2012-13 में पुन: लोगों को दिखाने के लिए, भ्रमित करने के लिए, गहलोत सरकार ने इन आंकड़ों का इन्फ्लेशन कर दिया, धरातल पर यह योजना लागू नहीं हो पायी, जनजाति के उस व्यक्ति को उसका लाभ नहीं मिल पाया। लेकिन पुन: हमारी कैबिनेट ने बैठकर यह फैसला लिया कि समूचे ट्राइबल एरिया में इस आयोजना के बजट को हमें बढ़ाना है। तो 2014-15 में 51,511 का जो बजट था, उसमें 4,420 करोड़ रुपये सरकार ने प्रावधान रखा है, अर्थात् 9.598; हम वापस बढ़ोतरी की ओर आ गये। 2015-16 का जो प्रस्तावित बजट है 57,322.77 करोड़ का, उसमें यह राशि बढ़कर 4,626.75, पुन: बढ़ गयी 200 करोड़। आने वाले वित्त वर्ष में यह किस प्रकार और अधिक बढ़ सके, इस पर हम निश्चित रूप से इस बढ़ोतरी को आगे कायम रख पाएंगे।

अपनी बात समाप्त करने से पहले कहना चाहूंगा, 9.4 प्रतिशत का बजट आज तक सर्वाधिक जनजाति क्षेत्र के लिए दिया गया है, वह इस बार के बजट में दिया गया है और किसी प्रकार से एक भी पैसे की कमी और कटौती

(श्री अभिषेक मटोरिया)

इस बजट में नहीं हुई। यह आंकड़ों के माध्यम से निश्चित रूप से मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, वे इस बात को मुझसे बहुत अधिक अच्छी तरह से समझ सकते हैं, आप उस क्षेत्र से आते हैं, सभी विभागों की दोनों उपयोजनाओं के अन्तर्गत दलितों एवं आदिवासियों को सीधे तौर से लाभान्वित करने वाली योजनाओं में निश्चित रूप से हमें और अधिक तेजी लानी होगी, नई-नई योजनाओं को करना पड़ेगा। जनजातीय उपयोजना हेतु जो लघु शीर्ष 796-जनजाति उपयोजना है, वह खोलना अभी बाकी रह गया है। वह जब आप खोल दोगे तो निश्चित रूप से इनके मानदण्ड के अनुसार जो कांग्रेस के समय कम राशि आबंटित हुई थी, उसमें पुन: आपकी सरकार और आप मिलकर और अधिक आबंटन कर पाएंगे। 2012-13 में वास्तविक आंकड़ों के अनुसार जो राजस्व था वह 203.26 था, जो 2012-13 में बढ़कर 322 और 2014-15 में बढ़कर 318 हो गया। इसी में पूंजीगत जो व्यय था, यह जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग के बजट की बात कर रहा हूं, पूंजीगत व्यय 164.9 करोड़ हमारे समय बढ़कर 180.83 और अब 157। उसके बाद कुल बजट जो था जनजाति क्षेत्रीय विभाग का, वह 368.20 करोड़; उसके बाद यह बढ़कर हमारे समय में 503.4 करोड़ हो गया। इस बढ़ोतरी को हमें और अधिक समय तक कायम रखना है। इस वर्ष जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के 597 करोड़ के प्रस्ताव राजस्थान सरकार ने अलग से प्रस्तावित किये हैं, जो पिछले बजट से 115 करोड़ और 121 करोड़ के प्रपोर्शनल रेशों में कहीं अधिक है। हम इस बढ़ोतरी को इन क्षेत्र में, इस उप-योजना में और इस समाज के उत्थान के लिए निरन्तर जारी रखें, तो मैं समझता हूं कि सब-जन-विकास और सब-जन-उत्थान का जो नारा हमने दिया है, वह किसी भी प्रकार से कहीं भी कमजोर नहीं पड़ेगा; वह कारगर साबित होगा। हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं, नि:शक्तजन हैं, विधवा हैं, महिलाएं हैं और जनजाति क्षेत्र से आने वाले लोग हैं, उनका सर्वांगीण विकास होगा, और यह अपने आप में एक कीर्तिमान बजट है।

इस डिमाण्ड पर आपने मुझे बोलने का समय दिया, सारे आंकड़े रखने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अंजू धानका।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मुझे मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास एवं मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर बोलने की अनुमति दी।

अपने क्षेत्र की ही कुछ समस्याएं हैं जो मैं आपके समक्ष रखना चाहती हूं। बहुत लम्बा-चौड़ा भाषण नहीं है। सरकार में जितने भी विधायक हैं, वे सभी बहुत तारीफ कर चुके हैं। अभी अभिषेक मटोरियाजी ने आंकड़ों को इस तरह से पेश किया है कि फंस गये हैं बुरी तरह से; समझ में नहीं आ रहा कि पहले वाला ठीक था, या अब के वाला ठीक है, या आने वाला ठीक होगा। तो यह कब ठीक होगा? सिर्फ ये आंकड़े-आंकड़े ही रह जाएंगे। जिसे कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज दा लास्ट इम्प्रेशन, तो वह आपका फर्स्ट इम्प्रेशन एक साल में दिखाई दे चुका है। इसलिए आप आंकड़ों में अब दुबारा मत फंसाओ, हम 365 दिन का आंकड़ा देख चुके हैं।

मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगी, मैं सिर्फ अपने क्षेत्र की बात करना चाहती हूं। मैं सामाजिक सुरक्षा के तहत यह बात कहना चाहती हूं कि मैं कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र में गई थी तो वहां पर एक छोटा मुझे बच्चा मिला था। एक छोटा बच्चा जो हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है और जो बच्चे होते हैं वे सिर्फ एक ही भाषा समझते हैं। जैसा आप सब जानते हैं, या तो वह प्यार की भाषा समझते हैं, या फिर वह चाकलेट या चीज जिसे कहते हैं, खाने-पीने की चीज, उसकी भाषा समझते हैं। तो उस छोटे से बच्चे ने मुझे एक बात कही थी जो मैं उसकी ज़बान बन करके यहां पर बोलना चाहती हूं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 25 प्रतिशत गरीब बच्चों को अच्छे स्कूलों में एडमिशन दिया जाता है, उसी के तहत उस बच्चे का एडमिशन भी एक बहुत अच्छे स्कूल में हो गया है। मैंने उसके मां-बाप, पेरेंटस को मुबारकबाद दी कि अच्छा है कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में जा रहा है। उस बच्चे से मैंने दो मिनट बात की तो उस बच्चे ने मुझे एक ही अच्छी-सी और इन्नोसेंट-सी बात मुझे कही। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे स्कूल में जा रहे हो, आप कुछ बन जाओगे। तो उसने यह कहा कि कोई फायदा नहीं है, बेकार स्कूल है, वहां खाने के लिए भी नहीं मिलता। मेरा जो दोस्त जिस स्कूल में जाता है, वहां पर तो खाने के लिए भी मिलता है। यानी कि वह बात कर रहा था मिड-डे मील की।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

यहां पर मैं यह कहना चाहती हूं कि बच्चे के लिए खाने की कितनी अहमियत होती है। जैसे हम अख़बारों में पढ़ते हैं, अपहरण वगैरह हो जाते हैं, एक रुपये की टाफी के पीछे भी अपहरण हो जाया करते हैं। ऐसे में जब वह बच्चा पढ़ने अच्छे स्कूल में जाता है लेकिन वापस घूमकर उसको उसी माहौल में आना पड़ता है और वहां उसके उसी के तबक़े के बच्चे जब मिलते हैं और वह जब अपनी बात उनसे शेयर करता है तो वह पाता है कि जिस स्कूल में वे बच्चे उसके दोस्त जा रहे हैं...। वह इतना इन्नोसेंट है, उसे नहीं मालूम कि वह बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करेगा; या उसके दोस्त बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और वह अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है। उसे सिर्फ इतना पता है कि वहां खाने के लिए अच्छा मिलता है।

तो मैं उसी बात को यहां पर रखकर के यह कहना चाहती हूं कि जो सरकारी स्कूलों में पोषाहार योजना लागू है, शिक्षा के अधिकार के नियम के तहत जिन बच्चों को 25 प्रतिशत के अन्तर्गत एडमिशन दिया जाता है, उन बच्चों के लिए पोषाहार योजना लागू होनी चाहिए। इसके लिए चाहे वह पूरे प्राइवेट स्कूल के लोगों को पाबंद कर दिया जाए कि सभी बच्चों को पोषाहार व्यवस्था मिले। लेकिन जो बच्चे सरकारी खर्च पर या 25 प्रतिशत पर जाते हैं, उनके खर्च का पुनर्भरण सरकार दे, ताकि बच्चों में जो एक डिस्ट्रेक्शन होता है कि वहां अच्छा है, यहां अच्छा नहीं है, वह न हो और बच्चा अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा ध्यान दे सके। उसका ध्यान डायवर्ट होता है सिर्फ खाने के पीछे। तो मैं यह कहना चाहती हूं कि प्राइवेट स्कूल्स में भी पोषाहार की व्यवस्था सरकार की तरफ से की जाए, चाहे वह अपने स्तर से करें और 25 प्रतिशत के बच्चों के लिए आप अपनी तरफ से पुनर्भरण करें। इससे उनको शिक्षा प्राप्ति की ओर प्रोत्साहन मिलेगा।

दूसरा, मैं अपने क्षेत्र की बात रखना चाहती हूं कि माडा योजना में तीन गांव ऐसे हैं मेरे यहां पर, बापू गांव, मण्डोलिया की ढाणी, जहां 300 की आबादी होते हुए भी बिजली, पानी, सड़क की कोई सुविधा नहीं है। इसके साथ-साथ, ग्राम किशनपुरा के हाथीपुरा के पास एवं गिरधारीपुरा में बंजारों की ढाणी के स्थान पर भी न बिजली है, न पानी और न सड़क है। उक्त तीनों स्थान माडा योजना के तहत हैं, इसलिए इनकी तत्काल स्वीकृति दिलाई जाए।

मैंने यह भी देखा है कि माडा योजना के तहत जो गांव आते हैं, कई

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

गांव ऐसे हैं, मेरे क्षेत्र में एक गांव है पाटन, वहां पर आज भी बिजली नहीं है। सिर्फ इनके उत्थान की, जनजाति विकास की बात ही करते हैं लेकिन आज भी वही का वही ढर्रा चल रहा है। सिर्फ वे लोग, चाहे मैं अपने आपको इंक्लूड करके कह सकती हूं कि मेरे जैसे लोग या मेरे बराबर के लोग जो इस आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं, वे ही आगे बढ़े जा रहे हैं, लेकिन स्थिति आज भी वही है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि जो छात्रावास एस सी, एस टी के लिए बनाये जाते हैं, मेरे क्षेत्र में तीन छात्रावास बने हुए हैं और तीनों में, आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ बकरियां बंधती हैं दिन में और रात को, शाम को वहां पर शराबियों का ठिया होता है, वहां पर शराबियों का जमावड़ा होता है। यह उन छात्रावासों की हालत है और वह हालत सिर्फ इसलिए है कि क्योंकि प्रशासन उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। पिछली सरकार में वे तीन बन गये, करोड़ों रुपया वहां लग गया लेकिन उनका कोई यूज नहीं है, वे यूजलेस हैं। अगर उनको यूज करना है तो जो अनुसूचित जनजाति के लिए तीन छात्रावास बनाये हैं करोड़ों रुपये लगाकर के, और वहां पर तीन-तीन बच्चे हैं, लेकिन जब वहां पर जांच करने जाते हैं अधिकारी तो चालीस बच्चे रजिस्टर में दिखा दिये जाते हैं। मेरा सिर्फ यह सुझाव है कि अनुसूचित जाति के लिए वहां एक भी छात्रावास नहीं है; अगर तीन-तीन छात्रावासों को डिवाइड कर दिया जाए तीन जातियों में, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और ओ बी सी में, तो सभी का भला उसमें हो सकता है और सभी को उसका लाभ भी मिल सकता है। ये तीन जो मेरे यहां पर हैं, एक तूंगा में है, एक लालगढ़ में है और फतहपुरा में है। ये तीनों भवन सिर्फ भवन बनकर के खड़े हुए हैं, इनका कोई उपयोग नहीं है। सम्पूर्ण उपयोग तब ही हो पाएगा, जब सभी को इसका लाभ मिल पाएगा। अगर इसमें सभी जातियों को सम्मिलित कर लिया जाए, अनुसूचित जाति को भी, जनजाति को भी और ओ बी सी को, तीनों को डिवाइड कर दिया जाए, तो इसका फुल यूज हो सकता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे बस्सी निर्वाचन क्षेत्र में पिछले वर्ष में बी पी एल आवास आबंटन में हुए घोटाले की ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। यह पिछली सरकार की बात है, आपने मुझे पर्ची दी है, लेकिन आपकी ही सरकार की बात आ गई। पिछली सरकार में जो

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

मंत्रीजी थे यहां पर, बी पी एल की ही बात है, बी पी एल परिवारों को जो आवास आबंटन किये गये थे, 2004 से लेकर 2009 तक वहां पर एक पूर्व सरपंच थी जिन्होंने छतों पर बी पी एल बांटे आवास बांटे। वे बी पी एल आवास छतों पर बांटे गये, जिनका कोई रिकार्ड नहीं है; सरकारी कर्मचारियों को बांटे गये।

वहां पर इतने घोटाले हुए, जो बार-बार इस सदन में भी आये हैं, बार-बार मैंने वह मुद्दा भी उठाया है, कभी ध्यानाकर्षण के तहत, कभी किसी प्रश्न काल के तहत, लेकिन क्योंकि पिछली कांग्रेस की सरकार में मंत्री थे और रुतबा रखते थे, मुख्य मंत्री के करीबी थे, उन्हीं के वे रिश्तेदार थे और इसी कारण उस पर कोई कार्यवाही आज तक भी नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप उस पर कार्यवाही करें। उस घोटाले की जांच किसी अधिकारी द्वारा निष्पक्ष करायें और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें।

आज जो यहां बोलने का मकसद था, वह अब मैं बताना चाहती हूं। मैं जिस त्रासदी से, जब से चुनाव हुए हैं, या मैं जब से राजस्थान में आई हूं, सात -आठ साल से मैं यहां पर हूं और जब से मैं यहां पर आई हूं एक त्रासदी है जो मैं झेलती आ रही हूं, वह आरक्षण को लेकर के। मैं आरक्षण से इतनी त्रस्त हूं कि आरक्षण या तो होता ही नहीं; अगर होता, या है, तो इतना मिलता कि उसका पेट भर रहा है तो मेरा भी भर जाए, और मेरा भर जाए तो उसका भी भर जाए। यहां पर आरक्षण कुछ इस तरह से है कि 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है, लेकिन हमें देखना पड़ता है, हमें पार्टियां टिकट नहीं देती हैं। मैं खुला आपको यहां पर बोलना चाहती हूं। क्योंकि सबको अपने-अपने वोटर्स की चिन्ता है, सबके क्षेत्रों में एस सी/एस टी रहते हैं। कोई किसी से पंगा लेना नहीं चाहता है, कोई किसी से दुश्मनी नहीं लेना चाहता है। लेकिन सच तो यही है कि 12 प्रतिशत आरक्षण होने के बावजूद भी मेरी जैसी जाति के लोग बहुत सारे हैं, जैसे गरासिया हैं, भील हैं और तड़वी, इस तरह के कई हैं जो अनुसूचित जनजाति में आते हैं, लेकिन इस हाउस में उन जातियों का एक भी व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इस आरक्षण का लाभ सिर्फ एक विशेष जाति उठा रही है। तो इस विशेष जाति के लोग ...(व्यवधान) इस जाति के अलावा जितने भी हैं सिर्फ नाम मात्र के लोग हैं। परन्तु आज आजादी के 68 साल बाद भी जनजाति के अति पिछड़े लोगों

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

को सामाजिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या? यह मैं सरकार से पूछना चाहती हूं कि हमें सामाजिक सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्या। हम भी उसी अनुसूचित जनजाति के 12 परसेंट के अधिकारी हैं लेकिन हम जब लेने जाते हैं या हम अपना अधिकार हासिल करते हैं, तो हम पर तलवारें खिंच जाती हैं, क्षेत्र पर हम पर हमले हो जाते हैं।

तो मैं यह कहना चाहती हूं कि जब यह आरक्षण इतने व्यापक स्तर पर हमें मिला हुआ है और यहां पर सिर्फ एक जाति को ही लाभ मिला हुआ है, तो क्यों नहीं सरकार ऐसा प्रावधान बना देती है कि इस आरक्षण में एक और आरक्षण दे दिया जाए, पिछड़ों में अति पिछड़ों को आरक्षण दे दिया जाए? क्यों नहीं सरकार इस पर सोच-विचार करती है? (व्यवधान) हां, मैं खुद हूं, मैं खुद हूं, मैं अपने आप से कह रही हूं। पिछड़े से भी अलग आरक्षण की व्यवस्था की जाए जैसे कि हमारे राज्यपाल महोदय, अभी वर्तमान में हैं, वे यू.पी. में पहले भा ज पा के मुख्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने यू.पी. में पिछड़ों में अति पिछड़ों को आरक्षण दिया था। तो अब आपकी भा ज पा की सरकार है, राज्यपाल आपके हैं, कुछ उनसे सीख करके, कुछ आप हमारा भी भला कर दोगे तो बहुत मेहरबानी आपकी होगी।

दूसरा मैं यह कहना चाहती हूं कि आरक्षित वर्ग में ही दो तरह के वर्ग बन गये हैं, अगड़े और पिछड़े। अभी रमेश मीणाजी कह रहे थे, उनका दर्द बयां हो रहा था। तब मुझे, मैंने राजस्थानी में दो लाइनें सीखी हैं कि 'जीं के दूखे पांसू, ऊं के आवे आंसू', जब खुद के दुखी तो बोले और जब दूसरे की दुखाते हैं

(18.22 बजे)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तो हंसते हैं। तो वह जब अपने पर पड़ती है तो पता चलता है। तो ये मैंने दो लाइनें सीखीं, वे मैंने बता दी हैं आपको।

तो उनको सिर्फ यह कहा गया है कि मीणा और भील मीणा अलग होते हैं; मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आरक्षण जिनको मिला हुआ है उनको मिले उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो और भी इनके अधिकारी हैं, उनको इससे वंचित नहीं करना चाहिए। करते तो नहीं हैं लेकिन टांग खिंचाई करने में भी कोई कमी छोड़ते नहीं हैं और उसमें सरकारें पूरा-पूरा उनका साथ भी देती हैं, चाहे फिर वह वोटों के लिए दे, या चाहे कैसे भी दे।

(श्रीमती अंजू देवी धानका)

तो मैं यह कहना चाहती हूं कि आरक्षण की व्यवस्था किया जाना आज की परिस्थिति में आवश्यक हो गया है, वरना स्थिति यह बन रही है कि अब आरक्षित वर्ग में भी अगड़े और पिछड़े दो वर्ग बन गये हैं और उनमें असमानता की खाई निरन्तर चौड़ी होती जा रही है। यह आने वाले समय में एक नये प्रकार के वर्ग संघर्ष को जन्म दे सकती है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी इस बात से पूरा सदन सहमत होगा और मेरी इस मांग का एक स्वर में समर्थन करेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री नन्द लाल मीणा।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने भी पर्ची दी थी, मुझे भी दो मिनट बोलने का मौका दीजिये।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब हो गया। अब कल दे दीजिये आप। विराजिये, कल दे दीजिये। श्री नन्द लालजी मीणा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विशेष बहुत गम्भीर मसला है, मैंने इसके लिए लिखकर भी दिया हुआ है। मैंने अकेले ने नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपकी पार्टी के तीन बोल लिये। अब आप विराजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, और भी मेरे साथी विधायक हैं, उन्होंने भी निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। तशरीफ रखिये। स्थान ग्रहण कीजिये। कृपया स्थान ग्रहण कीजिये। श्री नन्द लाल मीणा। आप अपना नाम कल दिलवा देना।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी लोगों को माननीय सभापतिजी ने बोलने का मौका भी दिया था, उन्होंने हमको आश्वासन भी दिया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री नन्द लालजी मीणा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपसी मैटर है। (व्यवधान) नहीं, अलग से क्या ध्यान रखेंगे?

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): 2012-13 में हमको आरक्षण दिया गया था, परमार राजपूतों को, और आपकी सरकार के आते ही, आपके तहसीलदार ने, आपके एस डी एम ने सर्टिफिकेट बना दिये। बनाने के बाद आप उसको अब कैंसिल कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिये। इस तरह नहीं। माननीय विधायक, इस तरह नहीं। विराजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): आपके अधिकारी कह रहे हैं कि उसको हम नहीं करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मामला बहुत गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष: सब गम्भीर है; हमेशा गम्भीर ही है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): हम आपसे एक मिनट मांग रहे हैं, मात्र एक मिनट का टाइम दे दो।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं। विराजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अकेला मेरा ही विषय नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैटर मेरा अकेले का ही थोड़े है।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये हमारे पूरे समाज का मसला है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन के प्रति अपमानजनक मत बोलिये। आसन के प्रति अपमानजनक मत बोलिये। बैठ जाइये।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या मतलब है ये? आपके सचेतक हमको नाम देते हैं। उनको क्यों नहीं कहते, नाम दें आपका? यहां आप दादागिरी कर रहे हैं। मेरे

(श्री अध्यक्ष)

लिए कह रहे हैं कि दादागिरी करता हूं। बैठ जाइये। मैं कह रहा हूं बैठ जाइये। मुझे नाम लेना पड़ेगा।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): ×××

श्री अध्यक्ष: बैठ जाइये। कोई चले जाने की जरूरत नहीं है। व्यवस्था है यहां की एक। एक व्यवस्था के हिसाब से बोलना पड़ेगा। बैठ जाइये। मैं कह रहा हूं, बैठ जाइये।

श्री नन्द लाल मीणा।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के माननीय सदस्यों को, जिन्होंने जनजाति विकास विभाग के कटौती प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं, मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस वाद-विवाद में लगभग 92 सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव के माध्यम से अपने विचार रखे और इतने महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं, जिन पर गहन चिन्तन करने के बाद आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए योजनाओं के साथ तालमेल बैठाते हुए उन योजनाओं को लागू किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सबसे पहले 1977 में इस विभाग के पहले मंत्री थे। आजादी से लेकर 1977 तक लम्बे समय तक राजस्थान में कांग्रेस का शासन रहा, परन्तु जनजातियों के उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके आर्थिक विकास के लिए, उनके शैक्षणिक विकास के लिए, उनके सामाजिक विकास के लिए, सरकारें तो बनती रहीं, सरकार के प्रतिनिधि उनसे वोट लेकर के जीत कर आते रहे, परन्तु किसी ने भी गम्भीरता से उस पर विचार नहीं किया। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने एक नये विभाग का गठन किया और उस वक्त आप उदयपुर सम्भाग का प्रतिनिधित्व करते थे, इस विभाग का दायित्व आपको दिया गया।

वहां से लेकर अब तक, 2014 तक, शिड्यूल्ड एरिया के बारे में बराबर विचार चलता रहा, राय आती रही, लोग-बाग बराबर मांग भी करते रहे कि ये शिड्यूल्ड एरिया जो 1975 में बना था, इस शिड्यूल्ड एरिया का विस्तार होना चाहिए। आज भी कई सम्माननीय सदस्यों ने मुझे अवगत कराया है कि माडा क्षेत्र में भी और बिखरी आबादी का भी विस्तार होना चाहिए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार, माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता की मांग के हिसाब से

(श्री नन्दलाल मीणा)

शिड्यूल्ड उपयोजना क्षेत्र का विस्तार किया गया। आपको अच्छी तरह से मालूम है, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी तहसील, उदयपुर का गोगुन्दा, मावली, वल्लभनगर, उसके बाद सिरोही का पिण्डवाड़ा, पाली का इलाका, नाथद्वारा का इलाका, ये कई ऐसे स्थान जो शिड्यूल्ड एरिया के पास में लगे हुए इलाके थे और यहां पर आदिवासी बहुल आबादी थी, फिर भी ये शिड्यूल्ड एरिया में सम्मिलित नहीं थे। माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देश के अनुसार जनजाति विकास विभाग ने इस शिड्यूल्ड एरिया के विकास के लिए प्रस्ताव बनाकर के मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किया और मुझे सदन को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल ने उस विभाग द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर, उप-योजना क्षेत्र के विस्तार के लिए जो प्रस्ताव मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किया, सहर्ष स्वीकार करके उसको मंजूरी दी गई। अध्यक्ष महोदय, आज भारत सरकार के पास लगभग एक महीने से वह विचाराधीन है परन्तु मैं सदन को यह भी अगवत कराना चाहता हूं कि वसुंधराजी की सरकार ऐसी सरकार है प्रस्ताव तो भारत सरकार को भेज दिये परन्तु जब तक भारत सरकार से उसकी स्वीकृति नहीं आती, तब तक उस शिड्यूल्ड एरिया में सम्मिलित किये गये इलाके को, बजट के अनुसार उस सुविधा का लाभ उस क्षेत्र को नहीं मिलता; परन्तु माननीया मुख्य मंत्रीजी ने चुनाव के तत्काल बाद यह कहा था कि जो एरिया शिड्यूल्ड एरिया में सम्मिलित होगा, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजे जायेंगे, उसके तत्काल बाद वे सारी सुविधाएं जो शिड्युल एरिया में उन आदिवासियों को दी जाती हैं, जब तक वहां से आदेश पारित होकर नहीं आये, वह ही सुविधा तब तक इस इलाके के लिए भी देय होगी। आज इस खुशी में छोटी सादड़ी का इलाका, राजसमंद का इलाका, कुम्भलगढ़, बाली का, इन सारे इलाकों में जो माडा क्षेत्र में गांव थे, अब टी एस पी में आ गये, उन क्षेत्रों में वित्तीय प्रावधान कर दिये गये हैं, कुछ की स्वीकृतियां भी जारी कर दीं।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं, जैसा कि आहौर से आने वाले माननीय सदस्य ने और कई माननीय सदस्यों ने इस बात की मांग की कि यह शिड्यूल्ड एरिया का विस्तार किया गया, परन्तु माडा क्षेत्र, माडा क्लस्टर, बिखरी आबादी, इसके बारे में विभाग क्या विचार रखता है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार अब विभाग का अगला

(श्री नन्दलाल मीणा)

कदम होगा कि वह माडा क्षेत्र में, बिखरी आबादी में और सहरिया क्षेत्र में, जहां पर आबादी के आधार पर, मापदंड के आधार पर सीमा वृद्धि की जा सकती है, इन माडा क्षेत्र में इन क्षेत्रों का भी विस्तार किया जायेगा, ताकि वहां के रहने वाले लोगों को अधिक से अधिक फायदा मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, आजकल बेरोजगारी की समस्या के साथ लगभग 15 लाख नवयुवकों को रोजगार देने की व्यवस्था के बारे में माननीया मुख्य मंत्री जी की घोषणा हुई है। इस हेतु कौशल विकास के माध्यम से, अध्यक्ष महोदय, ट्रायबल सब-प्लान एरिया में हर जिले में कौशल विकास के माध्यम से वहां पर प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है ताकि अधिक से अधिक बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, आज ही विधान सभा में एक सवाल आया था, 318 जनजाति विकास विभाग के छात्रावासों की जो जर्जर हालत है उसके बारे में क्या व्यवस्था है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में ट्रायबल सब-प्लान एरिया में राजस्थान के लगभग 61 आश्रम छात्रावास, संविधान की धारा 275-ए के अन्तर्गत 700 लाख रुपये देकर उनकी जर्जर स्थिति को सुधारा जायेगा, उनका निर्माण किया जायेगा, उनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा। इसी तरह से माडा क्षेत्र में और बिखरी आबादी में उनका सुदृढ़ीकरण किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, आज भूतपूर्व मंत्री महोदय भेष बदल कर भाषण दे रहे थे, वे यह बता रहे थे कि बांसवाड़ा जिले में कई योजनाओं के पैसों में कटौती कर दी। उस वक्त मैं बोलना चाहता था परन्तु मैंने उचित नहीं समझा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, क्या मुझे इस बात की घोषणा करनी चाहिये कि कांग्रेस के पिछले पांच वर्ष के शासन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही और जो टी एस पी एरिया में इलाके हैं, माढा क्षेत्र के जो इलाके हैं, उन पर काम की जो भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गईं, उनकी तुलना में कौनसा ऐसा इलाका है, किसका विधान सभा क्षेत्र है, जिसमें वार्षिक बजट का 75 परसेंट पैसा वहां खर्च किया? अगर इसके बारे में जांच करते हैं तो सीधी-सीधी नजर आज जो आम विधायक महोदय की पड़ी है कि वहां पर ऐसा हो गया, उस इलाके में ऐसा हो गया; ट्रायबल सब-प्लान एरिया में जो असमान विकास हुआ है, पिछले पांच

(श्री नन्दलाल मीणा)

वर्षों में जो असमान विकास हुआ है, जिसमें आज 10 माननीय सदस्यों ने जनजाति उप-योजना क्षेत्र पर अपने विचार रखें हैं, उन विचारों से स्पष्ट होता है कि आज आप बिजली को देख लो...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इस शब्द का प्रयोग न करें।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं क्षमा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उनके दिल में जो दर्द था, वह दर्द इतना गम्भीर था, जो वह प्रकट करना चाहते थे कि किस तरह से जिसके हाथ में राज की चाबी हो, जिसके हाथ में विकास की जिम्मेदारी हो, जिसके हाथ में पक्षपात-रहित शासन देने की जिम्मेदारी हो, यदि ऐसे लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पक्षपात करते हैं, तो वास्तव में वे नहीं, ये दया के पात्र हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूं, आपको भी अच्छी तरह से मालूम है कि शैक्षणिक दृष्टि से आदिवासी समाज काफी पिछड़ा हुआ है। समाज तो है ही, बालिका शिक्षा में काफी पिछडापन है। इन्होंने कहीं पर भी छात्रावासों की व्यवस्था में न्याय नहीं किया, भेदभाव किया। अपनी घोड़ी छाया में बांधने का प्रयास किया और स्थिति यह बन गई।

आज सवाई माधोपुर, भरतपुर, अलवर और सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य रमेशजी भी कह रहे थे, करौली के, कि अनुसूचित जनजाति में लड़के और लड़कियों के शैक्षणिक स्तर में काफी अंतर है और काफी अंतर होने की वजह से उनका सामाजिक स्टेटस, अगर कोई लड़का पढ़-लिखकर होशियार हो गया, नौकरी में लग गया, आर ए एस आफिसर हो गया, बाबू बन गया, इंजीनियर बन गया तो जिस समय उसकी शादी हुई थी तो वह अनपढ़ बालिका से हुई थी, परन्तु जब वह अफसर बन गया तो उसने तो उसको तलाक दे दिया और पढ़ी-लिखी लड़की को पकड़ लाया। यह सामाजिक असमानता भी बढ़ी है।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): यह सभी समाज में बढ़ी है, आपके ही नहीं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): आज तो मांग संख्या 30 का है, जब नागौर का आये तब बात करना। जहां कहीं भी बढ़ी है तो यह असमानता नहीं बढ़नी चाहिये।

(श्री नन्दलाल मीणा)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, शिड्यूल्ड एरिया में जिला प्रतापगढ में बालिकाओं के लिए तो 20 छात्रावास और बालकों के लिये 23 से ज्यादा; डूंगरपुर में बालिकाओं के लिए 15 छात्रावास और बालकों के लिए 31; सिरोही में बड़ी दयनीय स्थिति है, 3 छात्रावास बालिकाओं के लिये है और 8 बालक छात्रावास। उदयपुर जिला शिड्युल एरिया के हिसाब से इतना बड़ा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, परंतु जो-जो भी ट्रायबल सब-प्लान के मंत्री बने मैं जिले का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने उदयपुर जिले के साथ अन्याय किया। झाड़ोल, कोटड़ा, गोगुन्दा, राजसमंद, खमनौर, यहां पर उनका पगफेरा ही नहीं था। जिसकी वजह से वह सारा समाज, शैक्षणिक दृष्टि से लड़के और लड़कियां पिछड़ते गए।

इसके बाद अध्यक्ष महोदय, इसके बाद मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए। कहां गया? एक कागज था, स्लिप।

श्री अध्यक्ष: आराम से। आराम से।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मिल गई, साहब।

अध्यक्ष महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य माननीय फूलसिंहजी मीणा ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए यह बताया कि जनजाति उप-योजना क्षेत्र में आने वाली नगरपालिकाएं, जिनमें प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, सलूम्बर, डूंगरपुर, सागवाड़ा, इनके इर्द-गिर्द जनजाति समाज के कृषक रहते हैं, अनपढ़ हैं। उनके भविष्य के बारे में कोई विशेष चिंता नहीं होने की वजह से, जिस जमीन पर वे काश्त करते थे, अध्यक्ष महोदय, वह जमीन उनके लिए खातेदारी हक में नहीं आती है, परन्तु नगरपालिकाओं के विस्तार के साथ पेरिफेरी एरिये में आ गयीं। सरकार जब उदयपुर सम्भाग में थी, मैं पहले उदयपुर ग्रामीण से विधायक भी चुना गया था, कुछ कार्यकर्ता मुझसे मिले और यह तकलीफ जाहिर की कि इस पेरिफेरी की वजह से जिन जमीनों पर हम पीढ़ियों से बैठे हुए हैं, कमाकर खा रहे हैं, बाल-बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, उनके कब्जे हैं, हमारे खातेदारी राइट नहीं होने की वजह से वे हमारे खाते में नहीं आईं। आज पेरिफेरी क्षेत्र में आने की वजह से हमको खातेदारी राइट नहीं मिल रहा है।

इसलिए पहले तो मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री नन्दलाल मीणा)

जनजाति विभाग का ट्राइबल रिसर्च इंन्स्टि्टयूट या और कोई संस्था इस बात का सर्वे करेगा कि परम्परागत रूप से, जिस प्रकार वनाधिकार के माध्यम से खातेदारी राइट दिया जा रहा है, उसी तरह से परम्परागत रूप से कोई भी आदिवासी परिवार वहां पेरिफेरी एरिया में आज की तारीख में आ गया है और वह वहां पर परम्परा से रह रहा है, उनको खातेदारी राइट नहीं मिला, इसका सर्वे करके माननीया मुख्य मंत्रीजी के सामने मैं प्रस्तुत करूंगा, ताकि अग्रिम क्या व्यवस्था की जाए उनकी खातेदारी की व्यवस्था में।

इसके साथ-साथ, अध्यक्ष महोदय, घरेलू बिजली; चौरासी से आने वाले माननीय सदस्य कटारा साहब ने बताया कि जब मैं रतनपुर के पहाड़ पर खड़ा होकर देखता हूं गुजरात की तरफ सांवलकाटा, बनास उस इलाके में, तो वहां तो रात को जगमगाहट, सारे गांव की जगमगाहट नजर आती है और इधर देखता हूं, राजस्थान में, राजस्थान में हर जगह, जिसमें झाडोल भी है, कोटड़ा भी है; अध्यक्ष महोदय, मैं कई बार कोटड़ा भी गया हूं, कोटड़ा तहसील में कई गांव ऐसे हैं, गुजरात में होकर जाना पड़ता है; वहां से गुजरने के बाद देखते हैं तो गुजरात वाला गांव, कोटड़ा से थोड़ा आगे चलते हैं, तो वहां लाइटें लगी हुई हैं; आगे चलकर राजस्थान की सीमा आती है, वहां के गांव हैं, वहां पर लाइट का नामोनिशान ही नहीं है। इस साल हम यह व्यवस्था कर रहे हैं कि प्रत्येक जिले में 5 करोड़ रुपये, इस कुटीर ज्योति योजना, दीनदयालजी उपाध्याय के हिसाब से भी समझ लो, उसके अलावा कुटीर ज्योति के जरिये उन आदिवासी परिवारों को एक बत्ती कनेक्शन देकर गुजरात के बराबर खड़ा किया जाए, ऐसी व्यवस्था की जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैंने माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन किया था, जब सरकार उदयपुर सम्भाग में थी तो मैंने यह निवेदन किया था कि लगभग 4-5 लाख आदिवासी मछुआरों को इस टी एस पी एरिया के उन तालाबों पर, उन बांधों पर, जिला परिषद के अन्तर्गत आने वाले बांधों पर, अगर मान लीजिए, फिशरीज का काम, सोसाइटियां बनाकर काम खड़ा किया जाए, तो काफी लोगों को रोजगार मिल सकता है।

अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है, एक बार उदयपुर में शायद आपने ही सर्वे कराया था जयसमंद पर, जयसमंद के आसपास रहने वाले लोग, उनको टीबी नहीं थी। नेशनल हाइवे नम्बर आठ, भुवाना से लेकर

(श्री नन्दलाल मीणा)

रतनपुर तक रहने वाले लोगों को उसके अलावा कई प्रकार की बीमारियां थीं। क्योंकि वे मच्छी का उपयोग करते थे।

तो ज्यादा से ज्यादा इस टी एस पी एरिया में जो अभी तालाब हैं, पंचायत के पास हैं, पंचायत समिति के पास हैं, जिला परिषद के पास हैं,, या इर्रिगेशन के पास हैं, वहां पर सहकारी समितियां मत्स्य आखेट की नहीं है, केवल जयसमंद में हैं, माही पर हैं, कडाणा पर हैं, सोम कमला अम्बा, सोम कागदर पर नहीं हैं; जहां-जहां नहीं हैं, उन स्थानों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और हम कोशिश करेंगे कि प्रतिवर्ष 100 तालाबों पर सोसाइटियां बनें ताकि उन आदिवासी कृषकों को रोजगार मिल सके।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एनिकट के बारे में भी बात हुई; कई लोगों ने यह भी बताया कि कमिश्नर टी ए डी है, रेवेन्यू कमिश्नर जो है अभी, टी ए डी का कमिश्नर अलग होना चाहिए, यह अलग बात है, परन्तु मैं खासकर मालवीया साहब की बात कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब-जब भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब-तब मुझे भी इस विभाग को देखने का मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने, पार्टी ने अवसर दिया। परन्तु मैंने कभी ऐसा मंत्री नहीं देखा कि लिफ्ट पर जाने के लिए, नदी-नाले में जो लिफ्ट लगी हुई है, वहां पर जाने के लिए टी ए डी फंड से डामर रोड बनी, ताकि मंत्री महोदय के पैर में कांटा नहीं चुभ जाए। आज वे कह रहे थे कि उसका पैसा उसको दे दिया। बेणेश्वर का पैसा, मानगढ़ धाम का पैसा, केसरिया जी का पैसा, चुनाव के समय अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा करके 5-5 करोड़ रुपये दे दिये, परन्तु उस 5 करोड़ का खर्चा क्या होगा, कौनसा काम हाथ में लिया जाएगा, यह कहीं पर भी, किसी भी पेपर पर नहीं। कुछ जगह तो ऐसे काम थे जिनको अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने निर्माण की कमेटियां बनाई। स्थानीय एम एल ए, जिला कलक्टर, प्रधान, स्थानीय सरपंच, ये सारे उस कमेटी में मेम्बर हैं, अधिकारी भी इसमें सम्मिलित हैं, वह मिलकर तय करें कि बेणेश्वर में क्या करना है, वे मिलकर तय करें कि मानगढ़ धाम में क्या काम करना है।

आपको बताते हुए मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, अध्यक्ष महोदय, जब शेखावत साहब ने मुझे कमेटी के साथ अण्डमान-निकोबार भेजा था कि वहां फ्रांसीसियों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, क्या

(श्री नन्दलाल मीणा)

अत्याचार किये, कितने लोग अत्याचार से पीड़ित, वहां अण्डमान-निकोबार में उनके स्टेच्यू बनी हैं, उनका नक्शा लेकर आया और यहां मानगढ़ में कुछ करें। अध्यक्ष महोदय, उस नक्शे के आधार पर पैसा भी स्वीकृत हुआ, सरकार कांग्रेस की बन गई, जब दुबारा मैं मानगढ़ धाम पहुंचा, तब मैं एस टी कमेटी का चेयरमैन था, मैंने ज्यों ही वह स्टेच्यू देखा तो मेरी आंखों में आंसू आ गये, अध्यक्ष महोदय। जिनके हाथ में उस्तरा पकड़ाया, वे खुद ही खुद अपने हिसाब से अपने बट्टे लगा रहा है। खा गये पैसे। जांच करवाई। आज वे ही लोग कल परसों कटारियाजी के सामने कह रहे थे कि 11 सरपंच, वह क्यों सस्पेंड कर दिया? अगर यह देखा जाए, वहां निष्पक्ष रूप से अगर जांच की जाए, तो जितना पैसा 5 साल में, जनजाति विकास विभाग का दुरुपयोग किया है, ऐसा आपने कहीं नहीं सुना होगा। (व्यवधान) जांच करानी चाहिए, आपकी राय है?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): सदन की राय है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): तो, अध्यक्ष महोदय, सदन की राय के अनुसार मैं आयुक्त, जनजाति विकास विभाग को अधिकृत करता हूं कि वे तीन महीने में, जो आर्थिक असमानता जनजाति विकास विभाग के कामों की स्वीकृतियों में की है, उन सबकी जांच की जाए, ताकि यह कहा जा सके कि यह पक्षपात राजनैतिक आधार पर किया गया, वोट के आधार पर किया गया।

अध्यक्ष महोदय, अब इंजीनियरिंग कालेज। मुख्य मंत्रीजी ने एक सब-कमेटी का गठन किया कि पिछली सरकार के टाइम पर छह महीने के भीतर-भीतर, तुरत-फुरत में चुनाव में लाभ उठाने की दृष्टि से कौन-कौन-सी वित्तीय स्वीकृतियां जारी कीं, उसकी छानबीन की जाये। बहुत सारे काम तो ऐसे हैं, उस छानबीन की वजह से निरस्त करने पड़े। चूंकि मैं प्रतापगढ़ से निर्वाचित हो करके आता हूं, पिछले पांच वर्ष में प्रतापगढ़ जिले में एक धेला भी नहीं दिया। (व्यवधान) धेला, श्रवणकुमारजी, आपको तो मालूम है ना, अभी चुनाव में दिये होंगे। (व्यवधान) नहीं, नहीं, वहां चुनाव में।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपके राजेन्द्रजी गये थे, देने वाले थोड़े थे। (व्यवधान) हमारे टाइम में क्या हुआ, तभी तो 21 हो गये ना हम। आप लोग करो अच्छा काम।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हां, तो, अध्यक्ष महोदय, यह ईमानदारी से रिएक्ट किया है इन्होंने।

माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र पैटर्न के बारे में अपनी शंकाएं जाहिर कीं। महाराष्ट्र पैटर्न का मतलब ही यही था कि शिड्यूल्ड एरिया में जो स्टेट का बजट है, उसका उस आबादी के प्रतिशत के आधार पर पैसा उस इलाके में आबंटित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले जो मीटिंग हुई थी गुवाहाटी में, उस वक्त मुझे उस मीटिंग में भाग लेने का मौका मिला। उसके बाद दिल्ली में सीतारामजी केसरी समाज कल्याण मंत्रालय के मंत्री थे, महाराष्ट्र पैटर्न लागू हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र गये, ओडिशा गये, आंध्र प्रदेश गये। अपने यहां जो महाराष्ट्र पैटर्न का स्वरूप बनाया है, एक तमाशा है, बंदरबांट है, अध्यक्ष महोदय। पहले आठ विभाग, फिर 14 विभाग। फिर अब मांग संख्या 30 है। अब ये राजेन्द्रजी राठौड़ क्या मुझे घास डालेंगे। अब मेडिकल में क्या-क्या होना चाहिए। इन्होंने कहा, मेरे को टेलीफोन किया, मैं प्रतापगढ़ था, कि प्रतापगढ़ नगरपालिका में एक पी.एच.सी. खोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: आदिवासी तो बहुत मजबूत होते हैं। आप इन पर हावी हो जाना, ये जरूर करेंगे।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मजबूत तो होते हैं, अध्यक्ष महोदय, परन्तु भोले भी होते हैं।

श्री अध्यक्ष: अच्छा।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): आप राणा प्रताप के सैनिक हों, राणा प्रताप के।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उस महाराष्ट्र पैटर्न की वजह से अब हर विभाग में मांग संख्या 30 के अनुसार पैसे बंटे हुए हैं। अब जनजाति विकास विभाग किस-किस विभाग की मानिटरिंग करे। सरकार की तरफ से, वित्त विभाग की तरफ से, मुख्य मंत्री की तरफ से यह आदेश जारी होना चाहिए कि मांग संख्या 30 में यदि जनजाति क्षेत्र के पैसे का बंटवारा किया गया है, आबंटन किया गया है, तो कम से कम जो काम आप करना चाहते हो, वह जनजाति विकास विभाग के आयुक्त की मंशा के बगैर नहीं करोगे।

अब मैंने एक बात कही है, अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 30 में माही

(श्री नन्दलाल मीणा)

भी है, जाखम भी है, सोम कमला अम्बा भी है, सोम कागदर भी है और सेई भी है। यह तो प्राकृतिक सोर्सेज हैं, स्वाभाविक रूप से वहां हैं। अगर यह माही बाड़मेर में होता तो उसके लिए इस विभाग से पैसा थोड़े मिलता उसमें। इसलिए जो प्राकृतिक सोर्सेज हैं, उनके लिए तो स्वाभाविक रूप से स्टेट बजट का पैसा खर्च होना चाहिए।

आज जब हम देखते हैं, यह सहरिया, किशनगंज-शाहबाद, आज ही अधिकारियों से बात कर रहा था मैं, अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो किलो घी, तेल, दाल; तो मैंने पहले कहा था कि यह कोई सहरिया के गले उतरने वाली बात नहीं है। फिर अब मैंने जानकारी की तो वह उपभोक्ता दुकान से, या सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट की दुकान से, ये सामान के कूपन ले लेते हैं और कूपन लेकर राजेन्द्रजी राठौड़ को पकड़वा दिये कूपन।

श्री अध्यक्ष: आज आपकी कृपा राजेन्द्रजी पर ही ज्यादा क्यों हो रही है?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): साहब, मेरा वह आर्डर नहीं किया, इसलिए कह रहा हूं, सब-सेण्टर का, पी.एच.सी. का। वह आर्डर वहां पहुंचा ही नहीं। मैंने कलक्टर को कह दिया, अब यह जनजाति सामुदायिक भवन बनाया है, खाली पड़ा हुआ है, अब राजेन्द्रजी का टेलीफोन आ गया है, यहां पर सब-सेण्टर बना देना, हैल्थ सेण्टर। परन्तु आज दिन तक नहीं किया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): करवा देंगे।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): धन्यवाद, साहब।

श्री अध्यक्ष: आ गये आपके दबाव में। आ गये।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कई सारी समस्याएं हैं, कई बातें हैं। वनाधिकार, जंगलात की समस्या, अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि चुनाव के पहले, यह अभी वाला चुनाव नहीं, उसके पहले वाला चुनाव; चुनाव के पहले जब यह परम्परागत वनाधिकार अधिनियम, 2006 लागू किया तो सब कांग्रेसी भिड़ गये। सीता माता का जंगल, कटारियाजी को पूछें आप, वीरान कर दिया। सब कांग्रेसी पहुंचे कि चार-चार सौ रुपये, एक-एक काश्तकार, जो भूमिहीन काश्तकार, उनसे ले लिये, फार्म भरा दिये और उस पर कब्जा करा दिया। आज सीता माता

(श्री नन्दलाल मीणा)

जंगल की यह हालत है, अध्यक्ष महोदय, वहां फुटबाल खेलो आप दिन में। कोई बात ही नहीं है। यह स्थिति वहां बना दी।

ज्यों ही बी.जे.पी. की सरकार राजस्थान में बनी अभी 2013 में, इसका मैंने परीक्षण किया। परीक्षण में यह पाया गया कि सबसे कम किसानों को, आदिवासियों को, अतिक्रमियों को, परम्परागत जो रहने वाले लोग थे, वहां पर उनको खातेदारी राइट नहीं मिला। मीटिंग करके पीपलखूंट पंचायत समिति को तय किया। उसके बाद अभी विधान सभा सत्र के पहले जब मैं प्रतापगढ़ में था, उस वक्त भी मैंने रिव्यू किया, बात की, तो आज भी मैं यह कह सकता हूं, सब सदन के सामने, आपके सामने यह निवेदन कर सकता हूं कि आज भी मैं वनाधिकार के मामले में संतुष्ट नहीं हूं। जिन लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, पंचायत स्तर पर दरख्वास्त नहीं। राजनीति की गई, राजनीतिक आधार पर उनके फार्म को कंसिडर किया गया। परिणाम यह हुआ कि आज पूरे शिड्यूल्ड एरिया में, जिसमें आप भी आंदोलन में थे, कटारियाजी भी थे आंदोलन में, मैं भी था, वसुन्धराजी स्वयं एम.पी. थीं जब झालावाड़ की तब उस कमेटी की मेम्बर थीं, सबने बैठकर जो मापदण्ड तय किये थे, उसके आधार पर आज एक भी अतिक्रमी को खातेदारी राइट नहीं मिला है। इसलिए हमने बैठकर यह तय किया है कि पीपलखूंट की तरह पूरे शिड्यूल्ड एरिया में, शिड्यूल्ड एरिये के बाहर किस प्रकार की, किस एजेंसी के माध्यम से यह सर्वे करवाया जाए, पुन: सर्वे किया जाकर उनको खातेदारी राइट मिलें, इसकी व्यवस्था की। (व्यवधान)

अंत में, मैं सभी माननीय सदस्यों का, मुख्य मंत्रीजी का, आपका, सबका आभार प्रकट करता हूं कि अपने बहुमूल्य सुझावों से विभाग को अवगत कराया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अरुण चतुर्वेदी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पहले महिला बाल विकास मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: पहले उनका लेवें?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पहले उनका।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास):

(श्रीमती अनिता भदेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के बारे में जो माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव दिये हैं, उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए, आने वाले वर्ष में और हमारी सरकार ने, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो नवाचार किये हैं, उनसे सदन को अवगत कराना चाहूंगी।

महिला और बाल विकास विभाग मानव विकास का एक प्रमुख उपक्रम है। यह विभाग ऐसा वातावरण तैयार करने में संलग्न है जिससे

(19.00 बजे)

हमारे समाज में सर्वाधिक संवेदनशील छह वर्ष तक की आयु के बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को अपनी अभिरुचि, क्षमता और योग्यता के अनुरूप रचनात्मक और उत्पादक जीवन-यापन करने में सहयोग देता है।

समाज की सभी गतिविधियों में महिलाओं की सक्रिय और समान सहभागिता न होने के कारण स्थायी विकास सम्भव नहीं है। महिलाओं के बारे में जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, माननीय स्वामी विवेकानंदजी कि उक्ति को यहां पर उद्धृत करना चाहूंगी, उन्होंने कहा था कि- 'किसी भी राष्ट्र की प्रगति को नापने का सर्वोत्तम थर्मामीटर यदि कोई है तो उनका महिलाओं के प्रति व्यवहार का नजरिया। उस राष्ट्र के कल्याण की कोई सम्भावना नहीं है जहां महिलाओं की दुर्दशा हो। आधी आबादी यदि अशिक्षित और दुर्बल रहती है तो हम समाज की प्रगति की कल्पना नहीं कर सकते।'

महिलाओं की स्थिति के बारे में हमारे जो लक्ष्य हैं, मैं शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर के बारे में बात करते हुए आपको निवेदन करना चाहूंगी कि प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 47 प्रति हजार और मातृ मृत्यु दर 244 प्रति लाख है। यदि बचपन में मां गुजर जाए तो उस बालक की क्या स्थिति होगी, उसका विकास कैसे होगा, इसकी कल्पना बहुत ही चिंताजनक होती है। जो राष्ट्रीय हमारा सूचकांक है क्रमश: 40 और 167 इससे हमारा काफी अधिक है। आई.सी.डी.एस. के तहत संचालित बेहतर पोषण, स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और सुरक्षित मातृत्व और अन्य कार्यक्रमों का संचालन कर 2017 तक शिशु मृत्यु दर को 40 प्रति हजार और मातृ मृत्यु दर को 200 प्रति लाख तक लाने का हमारा लक्ष्य है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी की मैं आभारी हूं, उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली किशोरी बालिकाओं की शिक्षा के साथ-साथ उनकी हैल्थ

(श्रीमती अनिता भदेल)

और हाइजीन के लिए इस बजट में विशेष प्रोविजंस किये हैं। यदि हमारी किशोरी का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसकी शिक्षा ठीक रहती है, वह हाइजीन से सुरक्षित रहती है, तो निश्चित रूप से उसका मानसिक और शारीरिक विकास बहुत अच्छे से होता है और आने वाली पीढ़ी की, वह जो समाज में होती है, उसमें बहुत अच्छा सहयोग समाज के रूप में वह दे सकती है।

आई.सी.डी.एस. डिपार्टमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण काम आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से पोषाहार वितरण का भी कार्यक्रम है। जीरो से छह वर्ष तक के बच्चों, धात्री माताओं और किशोरियों को पूरक पोषाहार उपलब्ध करवाएं ताकि उनके स्वास्थ्य में हम, उनका जो स्वास्थ्य सूचकांक है, उसको प्राप्त कर सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में 304 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से 54,915 आंगनबाड़ी केन्द्र और 6,204 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इनके माध्यम से छह वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती माताओं, किशोरियों और धात्री महिलाओं के समग्र विकास और बेहतर देख-भाल के लिए केन्द्र पर आने वाले लाभार्थियों को रुचिकर पोषाहार उपलब्ध करवाना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए रेसिपी कमेटी की अनुशंसा के अनुसार, आपने देखा होगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे माननीय सदस्य जब बोलते हैं तो जो आंगनबाड़ियों में पोषाहार वितरित किया जाता है उसके बारे में बहुत सारी शिकायतें आती हैं और यह कहा जाता है कि वह रुचिकर नहीं होता है, टेस्टी नहीं होता है, इसलिए बच्चे उसको ग्रहण नहीं करते और फेंक देते हैं। कई-कई बार वह बाजार में बिकता भी है। इसकी भी बहुत सारी कम्प्लेंट्स आती हैं। तो इसको देखते हुए आवश्यक पोषक तत्वों में रुचिकर टेक-होम राशन उपलब्ध करवाने के लिए सी.एस.आर. के तहत निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जा रहा है।

पोषाहार की गुणवत्ता व निरन्तरता की दृष्टि से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों व भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार पोषाहार क्रय, निर्माण और वितरण व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया जा रहा है। 304 परियोजनाओं में से 226 ब्लाक्स ऐसे हैं जिनमें महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से पोषाहार तैयार कर वितरण किया जाता है। शेष जो ब्लाक्स रह गये हैं, उनमें भी आगामी समय में कैसे विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपना

(श्रीमती अनिता भदेल)

कर उनको महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपे। महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से यदि आपूर्ति की जाती है तो महिलाओं को रोजगार भी मिलेगा और पोषाहार की निरन्तरता और गुणवत्ता भी सुनिश्चित हो सकेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बांसवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि सहरिया और कथोड़ी जाति के लिए सरकार ने योजना बंद कर दी, लेकिन माननीय सदस्य को अवगत करवाया गया कि यह योजना बंद नहीं हुई है। मैं उनको एक और जानकारी देना चाहूंगी कि माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों के अनुसार ही आगामी वर्ष में पोषाहार आपूर्ति में स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढ़ाकर, इसकी गुणवत्ता, निरन्तरता और भुगतान व्यवस्था में आवश्यक सुधार के लिए हम सब प्रयत्नशील हैं।

माननीया मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगी कि उन्होंने कुपोषित और अति-कुपोषित बच्चों के बेहतर उपचार के लिए 13 उच्च प्राथमिकता वाले जिले, जो जिले जनजाति क्षेत्र में आते हैं, ऐसे जिलों के दस हजार बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, कुपोषण के लिए, समुदाय आधारित प्रबंधन कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, दस करोड़ रुपये का प्रावधान हुआ है और बारां, डूंगरपुर, धौलपुर, शाहबाद, शाहबाद भी उसमें शामिल है, धौलपुर; इनमें संचालित कुपोषण उप-केन्द्र, जो एम.टी.सी. सेंटर्स, उनमें शय्याओं की संख्या को 10 से बढ़ाकर 20 किया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी और आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी कि पूरे प्रदेश भर में जो 304 हमारी बाल विकास परियोजनाएं हैं, उनके माध्यम से लगभग 60 हजार के आस-पास आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केवल 23,719 आंगनबाड़ी केन्द्र विभागीय भवनों में संचालित हैं और लगभग 20,217 केन्द्र ऐसे हैं जो अन्य विभागों के भवनों में संचालित हैं और 16127 के लगभग केन्द्र ऐसे हैं जो स्वयं के भवन में संचालित नहीं हैं, वे किसी न किसी के किराये के भवनों में संचालित हैं। जो किराये के भवनों में संचालित हैं, उनके कारण से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में उन भवनों के लिए 195 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। भारत सरकार का 75 प्रतिशत अनुदान मिलने के बाद लगभग 17 हजार आंगनबाड़ी भवनों का हम निर्माण करा पाएंगे। इसी प्रकार, नरेगा और ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं के

(श्रीमती अनिता भदेल)

माध्यम से आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, मरम्मत और संवर्धन के लिए तथा स्थानीय समुदाय, दानदाताओं और निजी क्षेत्र का सहयोग लेकर आगामी वर्ष में जितने भी हमारे किराये के भवनों में चल रही हैं आंगनबाड़ियां, उन भवनों का, उन आंगनबाड़ियों को हम स्वयं का भवन उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। मैं इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने 195 करोड़ रुपये का प्रावधान इस मद में हमारे लिए किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि बालक का विकास लगभग जन्म लेने से उसके छह वर्ष तक की आयु पूरी होने तक सम्पूर्ण मानसिक विकास हो जाता है। यदि इस उम्र के बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए तो निश्चित रूप से बड़ा होने पर वह अधिक क्षमता-वर्धक होगा और उसका जो आई क्यू है, वह बहुत अच्छा होगा, ऐसी सब लोग धारणा करते हैं। इस नाते से विभाग ने चयनित 100 आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिशु पालना गृह के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारम्भ किया है। इन केन्द्रों पर कामकाजी माताओं के शिशुओं की देखभाल अतिरिक्त रूप से नियुक्त शिशु पालन कार्यकर्ता के माध्यम से की जाएगी। इस प्रकार 100 केन्द्रों को जहां पालना गृह बनाये जाएंगे, उनको आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विभाग ऐसा है कि एक-एक परियोजना स्वीकृत हुई और एक-एक परियोजना स्वीकृत होते-होते आज इस स्थिति में आये हैं कि हम 304 परियोजनाएं पूरे प्रदेश में संचालित कर रहे हैं। एक-एक परियोजना जब स्वीकृत होती है तो उसमें पदों का वर्गीकरण अलग-अलग प्रकार से होता है। माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर हमने इस पूरे विभाग में पदीय संरचना का वापस पुनर्गठन किया है और पुनर्गठन करते हुए जिला व परियोजना स्तर पर संरचनात्मक स्वरूप से समान रहें, हर ब्लाक में समान पद हों, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम नहीं हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए इन संसाधनों का अति-उत्तम उपयोग हम कर पाएं, इसलिए हमने पदीय संरचना का पुनर्गठन किया है और विभाग में विसंगति को दूर करने के लिए निदेशालय, जिला और परियोजना स्तर पर पदीय संरचना का पुनर्गठन चालू वर्ष में पूर्ण हो चुका है।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का हार्दिक-हार्दिक आभार व्यक्त करना

(श्रीमती अनिता भदेल)

चाहूंगी कि उन्होंने हमें इस पुनर्संरचना, जो विभाग की हुई है, उसमें 121 सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के पद, 155 कनिष्ठ लेखाकारों के पद और 14 मंत्रालयिक कर्मचारियों के नवीन पद स्वीकृत कर इस विभाग को और मजबूत बनाने का काम किया है। इसके लिए हम सब उनके बहुत-बहुत आभारी हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको ज्ञात है कि बहुत लम्बे समय के बाद में ग्राम पंचायतों का और पंचायत समितियों का पुनर्गठन हुआ है। हमारी जो बाल विकास परियोजनाएं हैं, वे भी उन्हीं के अनुरूप संचालित हैं। अब चूंकि राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं का पुनर्गठन कर ऐतिहासिक काम किया है, 47 नई पंचायत समितियां और 223 नई ग्राम पंचायतें बनाई हैं, इस दृष्टि से नवीन बाल विकास परियोजनाओं का सृजन एवं विद्यमान परियोजनाओं का पुनर्गठन आवश्यक है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर हम भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजेंगे। आगामी वर्ष से इन नई समितियों में भी हम पुनर्गठन करके, कैसे बाल विकास परियोजनाओं को संचालित कर सकते हैं, यह आगामी वर्ष में हम करने जा रहे हैं।

मैं पुन: माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगी, क्योंकि बहुत लम्बे समय से बहुत सारे सदस्यों की डिमांड थी कि आप हमारे यहां नई आंगनबाड़ी कब खोलने जा रहे हों, आप नई आंगनबाड़ी कब खोल रहे हों; तो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में 901 नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने की स्वीकृति हमें प्रदान की है और लगभग 1,040.00 लाख रुपयों का व्यय इन नये आंगनबाड़ी केन्द्रों को खोलने पर सरकार पर पड़ने वाला है, जिसका प्रावधान माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में किया है। तो एक बार पुन: उनका बहुत-बहुत आभार, उनका बहुत-बहुत अभिनन्दन।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब भी हम आंगनबाड़ी चलाते हैं, आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित करते हैं, तो अनेकों बार यह शिकायत आती है कि आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता तो पहुंचती नहीं हैं, सहायिका तो बताती ही नहीं है और आशा को क्या काम है, यही नहीं पता है। इन सबका जो मुख्य कारण है, वह यह है कि हम उनका जो प्रशिक्षण होता है, चयन के उपरान्त प्रशिक्षण होता है, वह प्रशिक्षण या तो प्रोपर तरीके से नहीं होता, या जो रिफ्रेशर कोर्स

(श्रीमती अनिता भदेल)

होते हैं बीच-बीच में एक साल बाद, दो साल बाद, उनको वे ठीक प्रकार से संचालित नहीं करते। इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिये, जब यह विभाग हमारे पास आया तो हमने इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की सोची। उसमें जिला स्तर के अधिकारियों की हम कैसे जिम्मेदारी ठहरायें, क्योंकि पूरे सम्पूर्ण राजस्थान भर की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी सेवाओं को और गुणवत्तापूर्वक बनाना एक महत्वपूर्ण बिन्दु था। इसके लिए 20 ए डब्ल्यू टी सी सेंटर्स पूरे राजस्थान में प्रशिक्षण के नाते से काम करते हैं, जो एन जी ओ के माध्यम से चलाये जाते हैं। और वहां सिर्फ जो हमारा उप-निदेशक है, उसका काम सिर्फ यह होता था, उसको लिस्ट बनाकर उन केन्द्रों को आबंटित करना होता था कि इतनी महिलाओं को आपको प्रशिक्षण देना है, बाकी उनका कोई काम नहीं होता था और उनका भुगतान भी डायरेक्ट्रेट स्तर पर होता था। लेकिन अब नई व्यवस्था के तहत उनका भुगतान जिला स्तर पर ही किया जाएगा; जिस जिले में ये सेंटर संचालित हैं, उस जिले के उप निदेशक के माध्यम से उनका भुगतान होगा। साथ में, उनका सुपरविजन भी जिला प्रमुख, कलक्टर के द्वारा नोमिनेटेड किसी प्रतिनिधि द्वारा किया जाएगा ताकि वे समय -समय पर चैक कर सकें। क्योंकि निदेशालय स्तर के अधिकारी सुदूर जाकर उनको, क्योंकि यह पूरे साल भर चलने वाला कार्यक्रम है, प्रशिक्षण पूरे साल भर होता है, क्योंकि 60 हजार आंगनबाड़ी हैं। तो 60 हजार तो कार्यकर्ता हैं, फिर 60 हजार ही सहयोगिनी हैं, फिर नया चयन होता है, एल.एस. का प्रशिक्षण होता है, सी.डी.पी.ओ. का प्रशिक्षण होता है। तो ऐसी स्थिति में पूरे साल भर चलने वाले काम का क्योंकि सुपरविजन ढंग से नहीं हो पाता, इसलिए अब उप निदेशक स्तर पर इस सुपरविजन की व्यवस्था की गयी है और भुगतान की जिम्मेदारी भी अब उनको दी गयी है। तो मैं शायद सोचती हूं कि अब प्रशिक्षण यदि अच्छे से होगा, तो हमारी आंगनबाड़ी जो वर्कर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वे भी ठीक प्रकार से काम कर पाएंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पूरे सत्र में बहुत सारे सदस्यों ने कुछ सवाल लगाये थे, उन सवालों के माध्यम से जानना चाहा था कि हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता का मानदेय कब से पेंडिंग है, कब से आपने भुगतान नहीं किया। तो जब यह सवाल लगा तो हमारे ध्यान में आया कि छह-छह, सात-सात महीने से कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का भुगतान ही नहीं हो रहा

(श्रीमती अनिता भदेल)

है। तो यह बहुत बुरी विकट स्थिति है। ऐसा क्यों है? तब ध्यान में आया कि जो सी.डी.पी.ओ. बहुत अच्छे से काम करती है, टाइम-टू-टाइम काम करती हैं, वहां तो भुगतान हो जाता है उन बाल विकास परियोजनाओं में और जो सी.डी.पी.ओ. ठीक ढंग से काम नहीं करतीं, उनका भुगतान नहीं होता। बार-बार पत्राचार करने के बावजूद भी भुगतान नहीं होता। चूंकि वे तो मानदेय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार की कर्मचारी भी नहीं हैं, उनको वैसे ही कम वेतन मिलता है, ऐसी स्थिति में उसको यदि छह-छह, सात-सात महीने का एक साथ वेतन मिलेगा, तो कैसे विभाग में ठीक प्रकार से अपनी सेवाएं दे पायेंगे? तो इसके उपाय के नाते से हम एक व्यवस्था करने जा रहे हैं। इस समस्या के निराकरण की दृष्टि से एन.आई.सी. का सहयोग हमने लिया है और एन.आई.सी. के सहयोग के माध्यम से राज-पोषण नामक सोफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। इसके माध्यम से मानदेयकर्मियों और मानदेय कर्मचारियों के भत्ते का प्रतिमाह आनलाइन स्थानान्तरण की सुविधा मिल जाएगी जिससे, इस संस्थापन सम्बन्धी सूचनाएं भी आनलाइन होंगी और प्रशासनिक प्रबन्ध और गुणवत्ता भी होगी और उस मानदेय कर्मचारी को जो समय पर वेतन नहीं मिलता था, एक बहुत बड़ी शिकायत विभाग के पास आती थी, उसको वह समय पर वेतन मिलने लगेगा, जैसे आशा सहयोगिनी को समय पर वेतन मिलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बाल विकास परियोजना 304 ब्लाक्स में संचालित है। ऐसी स्थिति में 304 ब्लाक्स में ही हमारे अधिकारियों का पदस्थापन होना चाहिये और अधिकारी उपलब्ध होने चाहिये, पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि बाल विकास परियोजना अधिकारियों के 249 पद, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारियों के 23, महिला पर्यवेक्षक के 215, वरिष्ठ महिला पर्यवेक्षक के 419, ऐसे बहुत सारे पद हमारे विभाग में खाली हैं। इससे विभाग की जो सेवाएं हैं, उनकी गुणवत्ता प्रभावित होती है और हम ठीक प्रकार से उसकी मानिटरिंग, सुपरविजन नहीं कर सकते। माननीया मुख्य मंत्रीजी का पुन: मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस ओर ध्यान देकर, इस गम्भीर समस्या की ओर, उसके समाधान का प्रयत्न किया और हमें स्वीकृति प्रदान की कि पर्यवेक्षकों के 215 पद सीधी भर्ती के माध्यम से, 42 सी.डी.पी.ओ. के पद, 25 ए.सी.डी.पी.ओ. के पद और महिला संरक्षण अधिकारी के 36 पदों को भरने की स्वीकृति उन्होंने हमें प्रदान की है। इस सम्बन्ध में

(श्रीमती अनिता भदेल)

राजपत्रित पदों के लिए आर.पी.एस.सी. को तथा अराजपत्रित पदों के लिए मंत्रालयिक कर्मचारी बोर्ड को हमने अभ्यर्थना भेज दी है और मैं समझती हूं, सभी माननीय सदस्यों की चिन्ता थी कि हमारे पद खाली हैं, पद खाली हैं, तो शायद यह भर्ती हो जाएगी तो पदों के खाली रहने की जो बहुत बड़ी चिन्ता थी, वह हम इसे पूरी कर पायेंगे।

साथ ही, स्निफ और आई.सी.डी.एस. मिशन मोड के तहत जिला स्तर पर और ब्लाक स्तर पर समन्वयक, सहायक समन्वयक और कम्प्यूटर आपरेटर के संविदा आधारित पद स्वीकृत किये गये हैं; निदेशालय स्तर पर विशेषज्ञों के पद स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार संविदा पर कुल 926 कार्मिकों को हमने इस साल लेने का लक्ष्य तय किया है। यह एक बहुत बड़ी संख्या है।

क्योंकि हमारे विपक्षी लोग बोलते हैं, भर्ती नहीं हो रही है, भर्ती नहीं हो रही है; तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये भर्तियां हमारे विभाग के माध्यम से की जा रही हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इम्प्लीमेंट हो जाएंगी?

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): हां, हां। बिलकुल। बिलकुल। तभी तो कह रहे हैं; इम्प्लीमेंट होंगी, तभी कह रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और विषय की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। विभाग में वर्ष 2004-05 में, जब हमारी सरकार थी, ठीक है, झुन्झुनूं से आने वाले माननीय सदस्य को इंगित करके कहना चाहूंगी, जब हमारी सरकार थी तो महिला पर्यवेक्षक और इससे उच्चतर पदों पर पदोन्नति हुई थी। विभाग के कार्मिक प्रबन्धन की दृष्टि से पदोन्नति एक महत्वपूर्ण विषय है, लेकिन पिछले पूरे पांच साल में इन्होंने एक भी पद पर पदोन्नति नहीं की, माननीय अध्यक्ष महोदय, और उसके कारण से कर्मचारियों में बहुत रोष है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): इसका बहुत बड़ा कारण था कि महिला ही मुख्य मंत्री थी, महिलाओं के प्रति उदारता थी।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): पुरुष मुख्य मंत्री होने पर महिलाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं क्या वे?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): नहीं, नहीं। वह तो देख लो ना, आपने किया है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): आप कहना चाहते हैं यह बात?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हां, यही कहना चाहता हूं।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके कारण से बहुत सारे कर्मचारी न्यायालयों में चले गये हैं, कोर्ट में चले गये। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहती हूं कि न्यायालयों के आदेशों की परिधि में रहते हुए आगामी वर्ष विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कर रिक्त पदों को भरा जाएगा।

महिला पर्यवेक्षक संवर्ग के 25 प्रतिशत पद वांछित अनुभव और योग्यता रखने वाली महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षित हैं। रिक्तियों की अवधारणा अवधारित कर इस प्रावधान के तहत विशेष चयन प्रक्रिया द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बालक का मानसिक, जैसा मैंने पहले भी कहा, विकास जीवन के प्रारम्भिक छह वर्षों में हो जाता है। राष्ट्रीय ई.सी.सी. नीति के अनुसरण में राज्य के 20 चिह्नित जिलों में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर 324.80 लाख रुपये व्यय करके ई.सी.सी. दिवसों का आयोजन आगामी एक वर्ष में किया जाएगा। इसके तहत पाठ्यक्रम के रूप में, हमने एक पाठ्यक्रम तैयार किया है और उस पाठ्यक्रम के तहत पुस्तिकाएं छपवाई हैं, जिसमें उनको नाम दिया है किलोल, जिसमें किलोल भाग-1 और किलोल भाग-2 नामक गतिविधि पुस्तिकाएं तैयार कर उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं। इसी प्रकार शाला पूर्व शिक्षा एक्टिविटी के लिए आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रकार गतिविधियों के लिए आवश्यक सामग्री हमने तैयार करा ली है। आगामी वर्ष में इसको हम पूरी तरह से लागू करने जा रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब कोई भी संस्था समाज में अच्छा काम करती है तो सरकारों का, राज का यह दायित्व है कि उसको पुरस्कृत किया जाए, ताकि दूसरों लोगों को भी उससे प्रोत्साहन मिले और वे आगे बढ़कर इस प्रकार की गतिविधियों में हिस्सा लें। पर बहुत दुःख के साथ कहना चाहूंगी कि सरकारों की तरफ से ऐसे लोगों को पुरस्कारों का प्रोविजन होता है और उसके बावजूद भी 2012 से लेकर के अब तक, 2012 में मेरे सामने जो माननीय सदस्य बैठे हैं वे सरकार में थे और उसके बावजूद भी उन्होंने जो केन्द्र सरकार

(श्रीमती अनिता भदेल)

पुरस्कार देती है, जो राज्य सरकार पुरस्कार देती है, उसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की और न वे पुरस्कार दिये गये। मैं आपको बताना चाहूंगी कि माननीया मुख्य मंत्रीजी जब मुख्य मंत्री बनीं तो उन्होंने इस ओर ध्यान दिया। हमारे सुराज संकल्प यात्रा के दौरान एक घोषणा की गयी थी कि हम 'माता यशोदा' पुरस्कार देंगे। यह 'माता यशोदा' पुरस्कार उन आंगनबाड़ी केन्द्रों की कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा जिन्होंने स्वास्थ्य के सूचकांक के लक्ष्यों को अर्जित किया है, टीकाकरण के लिए, चाहे संस्थागत प्रसव के लिए, और उसके तहत हमने पहली बार 8 मार्च, 2015 को पुरस्कार दिये। लगभग-लगभग 28.27 लाख रुपये इस वर्ष इन पुरस्कारों में खर्च किये गये।

इसी के साथ-साथ में, अध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी देते हुए खुशी हो रही है कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए पहली बार राष्ट्रीय स्तर के दो स्त्री शक्ति पुरस्कार राज्य की महिलाओं को मिले हैं। 2012 के बाद यह पहली बार दिया गया। राज्य महिला सम्मान और सर्वश्रेष्ठ साथिन का पुरस्कार भी हमने दिया है। इस प्रकार कुल जो राशि खर्च हुई है, वह 36 लाख 79 हजार रुपये इन पुरस्कारों में हमने इस वर्ष खर्च की है।

मेरा यह कहना है कि जब पुरस्कार है, तय है, राशि तय है, सिर्फ हमें काम ही तो करना है, हमें प्रस्ताव ही तो लेने थे। यदि हम समय पर प्रस्ताव ले लेते, हर वर्ष यह पुरस्कार दे देते, तो चाहे दस महिलाओं को यह पुरस्कार मिलता, वे और ऊर्जा के साथ इस काम को करने में लगतीं। मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा जो काम करने वाला व्यक्ति है, यदि उसकी पीठ थपथपा दी जाए, तो वह और ऊर्जा के साथ में दौड़ कर के काम करता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे अखबारों में कई बार यह बात आती रहती है कि फलां महिला को डायन बताकर के मारा-पीटा और कई बार सम्पत्ति हड़पने के मामले में भी किसी भी महिला को, जिसके कोई आगे-पीछे नहीं होता है, एकल महिला होती है, उसको डायन बता करके, यह तो डायन है, गांव से बाहर निकाल देते हैं, मारते-पीटते हैं और फिर उसको सम्पत्ति से बेदखल कर देते हैं। इस कारण से बहुत सारी खबरें जब अख़बार में आती हैं, तो कोई कानूनी प्रोविजन नहीं होने के कारण से इस प्रकार के लोगों को हम प्रताड़ित नहीं कर सकते। मैं आपको बताना चाहूंगी कि डायन प्रथा जिसको कहते हैं, यह डायन प्रथा राजस्थान के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में ही

(श्रीमती अनिता भदेल)

अधिक है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में तो नहीं होती। यह कु-प्रथा है और अलग-अलग नामों से पूरे राजस्थान भर में प्रचलित है। महिला अधिकारिता विभाग ने इस कु-प्रथा को अपराध घोषित करने और इस कु-प्रथा के माध्यम से जो महिलाएं पीड़ित होती हैं, जिनकी सम्पत्ति हड़पी जाती है, घृणित तरीके से सार्वजनिक रूप से उनको अपमानित किया जाता है, उनको दंडित किया जाता है, ऐसे लोगों को दंडित करने के लिए, इस प्रकार का अपराध करने वाले लोगों को दंडित करने के लिए, हमने एक कानून का प्रस्ताव तैयार कर लिया है और आगामी वर्ष में इस कु-प्रथा के उन्मूलन के लिए इसको कानून का रूप हम दे देंगे, कानून का अमलीजामा इसको पहना देंगे ताकि उन लोगों को पकड़कर के उनको कोई सज़ा दे सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कहा जाता है कि जब तक महिला आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होती, तब तक परिवार और समाज के निर्णयों में उसकी भागीदारी नहीं होती है। जब वह आर्थिक रूप से सशक्त हो जाती है, तब परिवार के लोग भी उसको पूछते हैं और निर्णयों में उससे सलाह-मशविरा भी करते हैं और समाज में भी उसकी महत्वपूर्ण स्थिति बन जाती है। अब महिला आर्थिक रूप से सशक्त बनें, उसके लिए हमारे महिला अधिकारिता विभाग की ओर से स्वयं सहायता समूहों का गठन एक आन्दोलन के रूप में किया जा रहा है। दिसम्बर, 2013 से जनवरी, 2015 तक 12,801 स्वयं सहायता समूहों का गठन कर 1.54 लाख महिलाओं को इससे जोड़ा गया है और 2,819 समूहों को ऋणों से लाभान्वित भी किया गया है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आगामी वर्ष में 15 हजार स्वयं सहायता समूह नये बनाने और उद्यमिता और व्यावसायिक प्रशिक्षण की दृष्टि से बजट में प्रावधान को बढ़ाया है और बढ़ाकर के इस प्रावधान को 95 करोड़ रुपये किया है। आगामी वर्ष में प्रशिक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ और परिष्कृत किया जाकर के अमृता सोसाइटी को अधिक सक्रिय और उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, उनकी ब्रांडिंग करने, उनका वितरण करने, आफ-लाइन और आन-लाइन दोनों तरह से, क्योंकि महिलाएं प्रोडक्ट बना तो लेती हैं पर उनकी मार्केटिंग जब तक नहीं होती, तब तक कोई खरीददार नहीं मिलता; तो हमने अब की बार यह तय किया है कि विभाग के माध्यम से उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करेंगे ताकि उन महिलाओं के उत्पाद हाथों-हाथ बिकें और वे और उत्पाद बनाएं, और ऋण लें। यह व्यवस्था हम आने वाले समय में करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगी कि माननीया वसुन्धराजी

(श्रीमती अनिता भदेल)

की यह बहुत बड़ी दूरदर्शी सोच थी जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में जेण्डर दृष्टिकोण से बजट की समीक्षा के लिए जेण्डर प्रकोष्ठ गठित किया। महिला उत्थान के लिए विभागों द्वारा किये जा रहे प्रयासों को संस्थागत स्वरूप देने और बजटीय प्रावधानों में लैंगिक समानता लाने के उद्देश्य से जेण्डर बजटिंग शुरू करने वाला राजस्थान पहला प्रदेश था। राजस्थान की तर्ज पर अब बाकी के प्रदेश भी इस काम को करने वाले हैं। आज राज्य के सभी विभागों में जो परिव्यय की जेण्डर अवधारणा आयी है, वह समीक्षा होती है, उसमें प्रगति होती है तो हमें यह ज्ञात होता है कि हमारे बजट का कितना परसेंट महिलाओं पर खर्च हो रहा है। यदि कम होता है तो उस ओर हमारा ध्यान जाता है और हम उस ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, पर जब हमें ज्ञात ही नहीं होगा तो फिर हम क्या करने वाले हैं? इसलिए जेण्डर बजटिंग के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो शुरुआत की है, मैं उनका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय नरेन्द्र मोदीजी, जो प्रधान मंत्री भी हैं, और माननीया मुख्य मंत्रीजी, उन्होंने डिजिटल राजस्थान, डिजिटल भारत का सपना देखा है। अब यह डिजिटल भारत और डिजिटल राजस्थान का सपना कैसे पूरा होगा? इस सपने को पूरा करने के लिए महिला अधिकारिता विभाग ने आर.के.सी.एल. के माध्यम से 90 दिन का आर.एस.सी.आई.टी. कोर्स और 30 दिन का डिजिटल सहेली नामक बेसिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया है। वर्ष 2014-15 में दिसम्बर तक 44,298 महिलाओं को हमने नि:शुल्क प्रशिक्षण उपलब्ध कराया कम्प्यूटर का। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने इस बजट में भी सम्भाग के एक जिले में कार्यरत आशा को टैबलेट पी सी देने की घोषणा की है और उन्हें प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया है। आगामी वर्ष में हमारे आंगनबाड़ी पर जो महिला कार्यकर्ता काम करती हैं, जो साथिन काम करती हैं, उन कार्यकर्ताओं को भी, हमारी कोशिश है, हम चरणबद्ध रूप से कम्प्यूटर का बेसिक प्रशिक्षण देने का काम करें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भामाशाह योजना के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। जैसा मैंने पहले कहा कि भामाशाह योजना माननीया मुख्य मंत्रीजी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और यह जैसे-जैसे मूर्त रूप लेगी, निश्चित रूप से प्रदेश की महिलाओं में एक, कहते हैं, कांफिडेंस डवलप होगा, और जब किसी महिला में कांफिडेंस आता है तो निश्चित रूप से वह

(श्रीमती अनिता भदेल)

जोखिम उठाने का काम भी करती है और जब जोखिम उठाने का काम करती है तो उसके परिवार में समृद्धि आती है, प्रसन्नता आती है। यह जो भामाशाह योजना है, उसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। सभी योजनाएं जब इससे लिंक हो जाएंगी तो ये प्रदेश की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ का काम करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बहुत बड़ी कु-प्रथा है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हमारे राजस्थान में दो चीजें हैं, एक तो बाल विवाह और एक कन्या भ्रूण हत्या। अब बड़े दु:ख की बात है कि कन्या भ्रूण हत्या जो है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में उतनी नहीं है जितनी शहरी क्षेत्रों में, और पढ़े-लिखे लोगों के बीच में है। जो पढ़े-लिखे हैं, उनको कौन समझाये, कौन पढ़ाये? अनपढ़ को तो फिर भी समझा सकते हैं, जो अज्ञानी हैं, उसको तो फिर भी शिक्षा दे सकते हैं। अभी हम शक्ति की पूजा कर रहे हैं, नवरात्रा चल रहे हैं, मैं उन पिताओं के लिए एक वाक्य कहना चाहूंगी जिन्होंने अपनी बेटी को कोख में ही मार दिया है, कई लोग बहुत स्वांग रचते हैं, ढोंग रचते हैं, 'बेटी को जिसने मरवा दिया था पत्नी की कोख में, मोहल्ले में लड़कियां ढूंढ रहा है नवरात्रा के कन्या भोज में।' यह ढोंग रचने की क्या जरूरत है? जब बेटी को आप कोख में ही मरवा देंगे तो फिर क्या आवश्यकता है आपको?

तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे जो प्रधान मंत्री हैं माननीय नरेन्द्र मोदीजी और माननीया मुख्य मंत्रीजी हैं, उन्होंने इस गिरते हुए लिंगानुपात पर गम्भीर चिंता व्यक्त की और गम्भीर चिंता व्यक्त करके 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' पर एक बहुत महाअभियान शुरू किया है। मैं चिकित्सा मंत्री महोदय का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने एक लाख लोगों को शपथ दिलायी कि हमको बेटी बचानी है और बेटी को पढ़ाना है।

मुख्य मंत्रीजी ने एक नई पहल की। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो भी बेटियां जन्मती हैं राजस्थान प्रदेश में, उनको मुख्य मंत्री ई-शुभ लक्ष्मी योजना के माध्यम से शुभ संदेश भेजना, यह नई जो पहल है, वह राजस्थान से ही प्रारम्भ हुई है और माननीया मुख्य मंत्रीजी की नवाचार पहल में शामिल है; स्वयं माननीया मुख्य मंत्रीजी बधाई संदेश भेजती हैं। इसके साथ-साथ बहुत गम्भीर हैं इन विषयों पर कि जो हमारे 10 जिले हैं, जहां यह लिंगानुपात बहुत ज्यादा है, बेटियां कम हैं और बेटे ज्यादा हैं, झुंझुनूं, जयपुर, सीकर, दौसा,

(श्रीमती अनिता भदेल)

श्रीगंगानगर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर, इनमें 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' के तहत हम सघन अभियान संचालित करने जा रहे हैं। हां, यह समस्या है तो सभी जगह, लेकिन ये 10 जिले वे हैं जो बहुत हाइट पर हैं।

मैं आपको बताना चाहूंगी कि एक और कुप्रथा है हमारे प्रदेश में, बाल विवाह। यह जो बाल विवाह की कुप्रथा है, वह हमारी शारीरिक, शैक्षणिक, मानसिक और आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा है; सबसे बड़ी बाधा। बालिका वधु की कुप्रथा ने नारी को अधिकांश मामलों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर किया है। समाज में भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति जहां बालिका के जन्म लेने के अधिकार को समाप्त करती है, वहीं बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीतियां महिलाओं के जीवन जीने के अधिकार को वंचित करती हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रही थी कि राजस्थान में इस बाल विवाह के अभिशाप को समाप्त करने के लिए आखा तीज और अन्य जो अबूझ सावे हैं, उन पर विभाग की ओर से और दूसरे विभागों के सहयोग से इस प्रथा को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए हमने गम्भीर प्रयास किये हैं और इन कुरीतियों को खतम करने के लिए सामूहिक विवाह आयोजन हमने प्रारम्भ किया है। यह सामूहिक विवाह आयोजन से हम बाल विवाह की कुप्रथा को किसी हद तक रोक पायेंगे; साथ में, जो दहेज प्रथा है, उस दहेज प्रथा पर भी हम कहीं न कहीं अंकुश लगा पायेंगे; इसके लिए हमारे विभाग की ओर से प्रति जोड़ा 12 हजार 500 रुपये दिया जाता है। 2014-15 में 848 जोड़ों पर 260.37 लाख रुपये का व्यय इस योजना पर हमने किया है। आगामी वर्ष की योजनान्तर्गत हम इस योजना को, अभी माननीय सदस्य, आहौर से आने वाले शंकर सिंहजी राजपुरोहित बता रहे थे कि इस योजना का सरलीकरण किया जाये, निश्चित रूप से आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम योजना को और अधिक कैसे सरल कर सकते हैं, उस ओर भी हम विचार करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): भाषण को सरल कर दो।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): बस, खतम ही हो रहा है। दो ही पेज हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के प्रति घरेलू व बाहरी हिंसा,

(श्रीमती अनिता भदेल)

उत्पीड़न और उसमें असुरक्षा, आजकल बहुत मामले चल रहे हैं। महिलाओं के प्रति अत्याचार के जो मामले हैं, उसमें विपक्ष के सदस्य यह आरोप लगाते हैं कि आपके टाइम में बहुत मामले हो गये हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे लिए और किसी भी प्रगतिशील समाज के लिए यह बहुत ही चिंता का विषय है। यह न केवल सरकार के लिए, बल्कि समाज के लिए भी चिंता का विषय बने, यह बहुत जरूरी है।

राज्य सरकार महिला हिंसा, उत्पीड़न में सहायता के लिए संवेदनशील है। सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर हिंसा से व्यथित या पीड़ित महिला को समुचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में 40 पुलिस थानों में महिला थाना स्तर पर चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिला सलाह एवं सुरक्षा केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से 25,717 शिकायतों में से 21,952 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। इसी प्रकार, घरेलू हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिला को अविलम्ब चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक, पुलिस एवं कानूनी मदद के लिए एक ही स्थान पर जयपुर में राजकीय जयपुरिया अस्पताल में 'अपराजिता वन स्टेप क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर' का संचालन किया जा रहा है। दिसम्बर, 2014 तक इसके माध्यम से 875 महिलाओं को राहत प्रदान की गयी है।

इसी प्रकार, घरेलू हिंसा में महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत राज्य में 607 संरक्षण अधिकारी हमने नियुक्त किये हैं। ये पिछली कांग्रेस सरकार के टाइम में नियुक्त नहीं थे। 112 स्वयंसेवी संस्थाओं का सेवा प्रदाता के रूप में पंजीयन और 13 संस्थाओं को आश्रय गृह के रूप में अधिसूचित किया गया है। मैं आपको बताना चाह रही हूं, आपको करेक्ट करना चाह रही हूं।

इसी प्रकार, महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 को राज्य में लागू किया गया है। इसके तहत 26 जिलों में स्थानीय शिकायत समितियों और 81 विभागों में आंतरिक शिकायत समितियों का गठन किया गया है। वे संस्थाएं जिन्होंने इन समितियों का गठन निर्धारित अवधि में नहीं किया है, उन पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाने का प्रावधान सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपको एक-दो विषय पर और बोलकर के अपनी बात को समाप्त करूंगी।

एक माननीय सदस्य: सरकार ही नहीं सुन रही है।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): नहीं, नहीं, सुन रही है। आप बीच में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप डिस्टर्ब करना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महिलाएं यदि सेल्फ-डिफेंस की ट्रेनिंग ले लेती हैं, अपनी आत्मरक्षा की ट्रेनिंग ले लेती हैं, खुद मजबूत हो जाती हैं, तो कोई भी राह चलता उसके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता। इसी बात की अवधारणा को लेकर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिये जाने के लिए माननीया मुख्य मंत्री ने गुजरात की 'पटका' योजना की तर्ज पर गत वर्ष जयपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया था, जिसमें प्रदेश की लगभग 40 हजार बालिकाओं को और महिलाओं को ट्रेनिंग दी गयी थी। इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आये हैं। इस बात के लिए ही आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपये का व्यय हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी इस योजना पर करने जा रही हैं। पूरे राजस्थान में यह खर्च होगा। यही नहीं, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने महिला उत्पीड़न प्रकरणों में शीघ्र निस्तारण के लिए जयपुर और कोटा में पृथक से विशेष न्यायालय स्थापित किये जाने का प्रावधान किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन करना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता, सुरक्षा के लिए समाज की सोच में परिवर्तन लाये जाने की आवश्यकता है। उसको हम सब मिलकर के लाएंगे, तभी सम्भव होगा। यह नहीं कह सकते कि यह सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, या यह विपक्ष की जिम्मेदारी है। इसके लिए कानूनी प्रावधानों के साथ-साथ मनोवैज्ञानिक, जो मन में बैठी होती है न बात, उसको भी, सोच को भी बदलना होगा। मनोवैज्ञानिक प्रयासों व जागरूकता पैदा करने वाले उपायों को अपनाने की आवश्यकता है।

अंत में...,

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, आप बोल लीजिये, पूरा बोल लीजिये। आप राजेन्द्रजी से प्रभावित मत होइये।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): अंत में मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करते हुए, कि एक महिला और प्रदेश की मुखिया होने के नाते से विभाग को उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी हैं, उन सौगातों के लिए मैं उनका व्यक्तिशः धन्यवाद करती हूं। महिलाओं के

(श्रीमती अनिता भदेल)

जीवन को उन्नत और सुरक्षित रखने के अनेकों उपाय उन्होंने इस बजट में किये हैं। मैं उनका आभार निम्न पंक्तियों के माध्यम से कर अपने वक्तव्य को समाप्त करती हूं :-

'कभी कोमल फूल गुलाब सी,
कभी शक्ति की अवतार सी,
नारी तेरे रूप अनेक।
तू ईश्वर के चमत्कार सी,
किन शब्दों में दूं धन्यवाद,
मुख्य मंत्रीजी, तुम हो सबकी आशा।'

माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगी कि विभाग की मांगों को पारित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अरुण चतुर्वेदी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मांग संख्या 33 के समर्थन में 145 माननीय सदस्यों ने अपने कटौती प्रस्ताव दिये और 18 सदस्यों के द्वारा चर्चा में भाग लिया गया। इन सबके द्वारा जो मार्गदर्शन मुझे मिला है, निश्चित रूप से विभाग की कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने में और अपने काम को आगे बढ़ाने में इन सबका उपयोग करते हुए गति प्रदान करने का प्रयास हम करेंगे। जिन-जिन के कटौती प्रस्ताव मिले हैं, मेरा विभाग 3 दिन में उन सबका जवाब माननीय सदस्यों को प्रेषित कर देगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने भारत के संविधान के भाग 4 राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों से सम्बन्धित अनुच्छेद 46, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों की शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि हेतु सामाजिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक हितों में वृद्धि करते हुए, जीवन स्तर को उठाने में योगदान करने का निर्णय किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग का कार्यभार सम्भालते ही मैंने भगवद्‌गीता में बताये मार्ग का अनुसरण करने का तय किया, 'कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादय:। लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्कर्तुमर्हसि', गीता के तीसरे अध्याय के बीसवें श्लोक में योगेश्वर श्रीकृष्ण कहते हैं कि लोक संग्रहार्थ

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

कर्म करने चाहिए, अर्थात् लोक कल्याण हेतु, इसी से सामाजिक व्यवस्था बनती है; इसी भाव को ग्रहण करने हेतु हमने इन वर्गों की सेवा को प्रसाद के रूप में लेते हुए काम करने का लक्ष्य तय किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह प्रवचन द्विवेदी का है, या चतुर्वेदी का?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): चतुर्वेदी का। रमेशजी नहीं समझेंगे।

विभाग का प्रमुख उद्देश्य सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करना है। इसी के तहत विभाग की महत्वाकांक्षी योजनाओं यथा पेंशन, छात्रवृत्ति, छात्रावासों का संचालन, बाल कल्याण, विशेष योग्य जन के हितार्थ संचालित योजनाओं की दयनीय स्थिति हमें विरासत में मिली है। मान्यवर, मेरा उद्देश्य यहां पर किसी की आलोचना करना नहीं है, लेकिन विभाग का मंत्री होने के नाते जो स्थिति मुझे विभाग से? विरासत में मिली है, उसका निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ, आकलन व विश्लेषण करने का मैं प्रयास कर रहा हूं।

पूर्ववर्ती सरकार ने बिना धरातलीय तैयारी के, आप जानते हैं कि 2013 में पेंशन की जो घोषणा की गई, स्थिति उस समय लगभग यह थी कि किसी को खाने के लिए बुला लो और घर में खाने का पूरा सामान नहीं हो, वह स्थिति हमारी थी। हमने पेंशन की घोषणा की पर बजटीय प्रावधान पूरे नहीं किये। राजस्थान की सरकार की वस्तुस्थिति मैं बताऊंगा जिसकी कई सदस्यों ने चर्चा की है। हमने राजस्थान की सरकार में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने उस बजट के प्रावधान भी पूरे किये।

मान्यवर, मैं यह कहते हुए कि जिन स्थितियों में हम चलें हैं, उसको मैं एक शेर के माध्यम से कहूंगा-

मुश्किल राहें भी आसान हो जाती हैं,
हर राह पर पहचान हो जाती है,
जो लोग मुस्करा कर कहते हैं, मालिक तेरा शुक्र है,
किस्मत उनकी गुलाम हो जाती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इच्छाशक्ति दृढ़ हो, मार्ग स्पष्ट हो, तो लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाता है। हम समाज के सभी वर्गों के उत्थान की प्रतिबद्धता के साथ सरकार में आये। इस कारण चरणबद्ध तरीके से,

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

मात्र वोट प्राप्त करने के लिए नहीं, अपितु सभी वर्गों के कल्याण की योजना को उन तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हैं। मान्यवर, शेर है कि-

इतिहास कहता है, कल सुख था,
विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा
धर्म कहता है, अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है, तो
हर रोज सुख होगा।

मान्यवर, हमने गीता के श्लोक में कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेशु कदाचिन:, उस लक्ष्य को लेकर के, उस ध्येय को लेकर के अपने काम में लगे हैं। फल ईश्वर के हाथ में है पर जिस वर्ग की सेवा करने का हमने संकल्प लिया है, हमने कहा है कि हम जाति आधारित नहीं, बल्कि समतामूलक समाज का निर्माण करने का लक्ष्य हमारी सरकार ने लिया है। सबको समानता का अधिकार मिले, सबको उत्थान की बात रहे, उस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ने का हम प्रयास कर रहे हैं।

मेरे विभाग की कई सारी योजनाएं, जिनके बारे में चर्चा माननीय सदस्यों ने विस्तृत रूप से की है, मैं एक-एक के बारे में, संक्षेप में, 2013-14 में चर्चा पेंशन के बारे में बार-बार की गई और मेरे कांग्रेस के मित्रों ने विधान सभा का चुनाव हारने के बाद से हर चुनाव में एक मुद्दा जनता के बीच में रखा है कि राजस्थान की वर्तमान सरकार ने पेंशन को बंद कर दिया। आपने तो 2013 में जब पेंशन का प्रावधान किया, उसमें बजटीय प्रावधान नहीं किये, मात्र 700 करोड़ रुपये का प्रावधान किया; उस समय का जो खर्च हुआ वह 2,800 करोड़ का हुआ; बाद में 1,500 किए; बाकी मुख्य मंत्रीजी ने बजट 2013-14 का जब रखा, उसमें पूरा प्रावधान करते हुए, पूरा प्रावधान करने की इसमें बात की। आज स्थिति यह है कि 2014-15 बजट में पेंशन हेतु लगभग 3,485 करोड़ रुपये का प्रावधान हमने किया और आज की स्थिति में 3,800 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए, लगभग 56 लाख लोगों को पेंशन देने का काम राजस्थान की वर्तमान सरकार कर रही है। इसलिए कांग्रेस के मित्रों का काम, लगता है, केवल आरोप लगाना उनका काम है। वास्तव में, यथार्थ में हम जिस संकल्पना को लेकर आये हैं, उसको समझना इनके बूते की बात नहीं है।

हमने केवल इतना ही नहीं किया। इन्होंने तो जल्दबाजी में केवल घोषणाएं कीं, और करते हुए कैसे इसका वोट का लाभ मिल जाए, क्योंकि

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर के जो हमेशा से, जिन्दगी भर, राजनीति कांग्रेस ने की है, उसी के तहत घोषणाएं करने का काम इन्होंने किया और उस समय की जो पेंशन की स्कीम बनाई, उसमें कई कमियां छोड़ दीं। उनकी पूर्ति, आज लगातार शिकायतें आती थीं कि व्यक्ति को समय पर भुगतान नहीं होता। मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन जाती थी, ट्रैजरी से हमारे पोस्ट आफिस मनीआर्डर जाता और डाकिया पेंशन का वितरण करता था। हमने सारी व्यवस्था को देखते हुए, इसको कैसे ठीक किया जाए, इसमें कुछ कमियां थीं, हमने इसमें कुछ रिलेक्सेशन करने का काम किया। वेरिफिकेशन का एक क्लाज था, लगातार चल रहा है, लगभग 70 परसेंट के आसपास वेरिफिकेशन हम कर चुके हैं पर जब तक वेरिफिकेशन पूरा नहीं होता, उस क्लाज को सस्पेंड करते हुए, 31 मार्च, 2015 तक इस क्लाज को हमने सस्पेंड किया है, जिसके कारण से पेंशन में विलम्ब नहीं हो। आज की स्थिति यह है कि जनवरी की पेंशन, फरवरी की पेंशन, पेड इन मार्च, यह हम 92 परसेंट पेंशन का भुगतान राजस्थान की वर्तमान सरकार कर चुकी है।

मान्यवर, आगे, राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो महती भामाशाह योजना की शुरुआत की है, 15 दिसम्बर से इसका शुभारम्भ हुआ है, उसके साथ इस पेंशन को भी लिंक किया गया है और हमारा प्लान है कि इसके साथ हम बैंक अकाउंट जो खुलते जा रहे हैं, अगले वित्तीय वर्ष में जितने बैंक अकाउंट खुलेंगे, उन पेंशन-होल्डर्स को उनके पेंशन का भुगतान उनके बैंक अकाउंट में सीधे करने की शुरुआत हम अगले वित्तीय वर्ष से कर देंगे और जैसे-जैसे लोगों के अकाउंट खुलते जाएंगे, उनके डाइरेक्ट बैंक अकाउंट के माध्यम से पेंशन का भुगतान करेंगे। इससे जहां समय पर पेंशन का भुगतान पेंशन-होल्डर को होगा, वहीं पांच परसेंट कमीशन का भुगतान मनीआर्डर के पेटे राजस्थान सरकार को करना पड़ता था, उस बचत को भी, हम 125 या 130 करोड़ रुपये के आसपास भुगतान करते थे, वह पैसा भी बचाकर हम राजस्थान की जनता के विकास के काम में लगाएंगे।

मान्यवर, उत्तर-मैट्रिक की हमारे यहां छात्रवृत्ति की योजना है, एक तो मेरिट की मिडल स्कूल स्तर की होती है वह शिक्षा विभाग के द्वारा दी जाती है, और उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति हमारे विभाग के द्वारा दी जाती है। उस पर लगातार चर्चा होती है, कई बार विधान सभा के माननीय सदस्यों ने यहां प्रश्न भी लगाये। स्थिति यह थी कि 2009 से 2013 तक की, जब हम सरकार में

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

आये, मंत्री बनने के बाद पहली बार जब मैं विभाग में बैठा तो लोगों ने बताया कि पेंडेंसी इतनी है। तो मुझे अपने आप पर, माननीय सदस्य रमेशजी ने कहा कि आपको शर्म क्यों नहीं आती है, मुझे लगता है कि आपके घर में इस प्रकार की स्थिति आएगी तो शर्म आपको भी आएगी; नहीं आती और इस स्थिति पर गर्व की बात होती है, तो उसके बारे में विचार करने की बात होगी। (व्यवधान) सबसे दु:खदायक समस्या।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को मैंने जो डाटा बताये, गलत बताये तो उनको चैलेंज करें। उनको चैलेंज करो आप। (व्यवधान)

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): वह डाटा भी दे रहा हूं आपको, डाटा भी सुनिए। 2009 से 2013 तक आपकी सरकार थी, आप कहते हैं कि हम जन उपयोगी काम करते हैं, 2009 से 2013 तक जिस एस सी, एस टी वर्ग के वोट का दावा करते-करते आप आये, आज स्थिति यह है कि आपका एस सी का एक भी विधायक जीतकर यहां नहीं पहुंचा है।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): कैसे नहीं है? भजनलालजी हैं। आप ऐसे कैसे कहते हैं कि एस सी का नहीं है?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): मैं सुधार लेता हूं, एक भजनलालजी आये हैं वैर से, एक उप-चुनाव में जीतकर आये हैं।

आपने जिनकी बातें कर करके राजनीति 50 सालों से की, उनके हितों के लिए काम किया, उसकी एक बानगी आपके सामने रख रहा हूं। 2009 से 2013 तक जो स्कालरशिप आपको हर महीने देनी थी, हर साल देनी थी विद्यार्थियों को, 6,13,295 छात्रों की छात्रवृत्ति पेंडिंग थी; जो हमारे विभाग ने, सारे अधिकारियों ने मिलकर, उस छात्रवृत्ति की पेंडेंसी को निकालकर, 5 लाख से अधिक पेंडेंसी के मामले क्लीयर कर चुके हैं, उनके पैसे दे चुके हैं, डिस्बर्स कर चुके हैं। बाकी मामले, जिनमें आब्जेक्शंस हैं, उन आब्जेक्शंस के लिए भी हमने तय किया है, हमने 30 अप्रैल तक उन आब्जेक्शंस को दूर करने का समय दिया है कि आप अपने आब्जेक्शंस पूरे कर देंगे, उनकी सबकी स्कालरशिप भी हम क्लीयर कर देंगे। इस बार 2014-15 की स्कालरशिप को भी हम लगातार कर रहे हैं।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

उसमें एक दिक्कत है, दिक्कत नहीं है लेकिन जो वस्तुस्थिति है वह मैं सदन के सामने बता रहा हूं, केन्द्र सरकार के द्वारा हमें 197.57 करोड़ रुपये का एस सी स्कालरशिप के नाते से पेमेंट होता है, जिसमें से 55 करोड़ रुपये अभी तक प्राप्त हो चुके हैं और 142.57 करोड़ रुपये बाकी हैं। मैं भी लगातार दिल्ली गया हूं, हमारे विभाग के अधिकारी भी गये हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी गये हैं; कल भी सामाजिक न्याय मंत्री, केन्द्र सरकार के हैं उनसे मेरी बात हुई है, कल वे गोआ में थे, उनको कहा है और अपने विभाग से उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दिया है।

जल्दी ही पैसा आने के बाद, हमारी कोशिश है, हमने एक टाइम-बाउंड प्रोग्राम बनाया है, एक कलेण्डर बनाया है कि किस तारीख तक विद्यार्थी अपनी एप्लिकेशन देगा, हम स्क्रूटनी करेंगे, स्क्रूटनी करने के बाद कब तक उसका डिस्बर्समेंट हो जाएगा। हमने सबका आनलाइन कर दिया, आनलाइन ही उसकी एप्लिकेशन आती है और आनलाइन ही उसकी पेमेंट करने की व्यवस्था रहती है।

इस स्कालरशिप के कारण से एक दिक्कत और होती है, उसको भी हमने सुगम किया है। हमारे इसकी स्क्रूटनी का काम जो करते थे वह हास्टल के वार्डन और स्टाफ के लोग बड़ी संख्या में लगते थे। हमने इसमें सेल्फ-वेरिफिकेशन का क्लाज डाल दिया। इसके कारण से जो बड़ी संख्या में हमारा स्टाफ लगता था, हास्टल के वार्डन लगते थे, उसमें भी कमी आएगी और वे लोग अपने दूसरे कामों में समय दे पाएंगे। सेल्फ-वेरिफिकेशन के आधार पर जो समय लगता था, वह बचेगा और समय पर इस स्कालरशिप का भुगतान भी हो पाएगा।

इसी प्रकार, एस टी स्कालरशिप का जो पैसा है, उसमें भी 12 करोड़ रुपये केन्द्र सरकार से आने बाकी हैं। वह भी पूरे जल्दी, प्रोसेस है, आ जाएंगे। आने के बाद इस साल में सभी की स्कालरशिप का पेमेंट हम समय पर करने का प्रयास है; जैसे ही आयेंगे, उनका समय पर डिस्बर्समेंट कर देंगे।

हमने तीन स्कालरशिप की योजनाएं और शुरू की हैं। एक, डाक्टर अम्बेडकर आर्थिक पिछड़े वर्ग हेतु उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति। इसमें आर्थिक पिछड़े वर्ग के एक लाख रुपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और स्कालरशिप की इस योजना में विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ता एवं नान-रिफंडेबल फीस की राशि देय होगी।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

एक है, अम्बेडकर घुमन्तू, अर्द्ध-घुमन्तू एवं विमुक्ति जाति हेतु उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग में सम्मिलित जातियों को छोड़कर शेष जातियों के 2 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में विद्यार्थियों को अनुरक्षण भत्ते की राशि देय होगी।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने एक और महती छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है जो समाज के सब वर्गों के लिए है। उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान हैं, आई आई टी है, आई आई एम है, नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें कोई भी राजस्थान का विद्यार्थी सलेक्ट होता है और जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम की जिन परिवार की आय है, उनको 50 परसेंट फीस का रिएम्बर्समेंट राजस्थान की सरकार करेगी। इसकी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है।

मान्यवर, छात्रावासों की स्थिति की बारे में माननीय सदस्यों ने बड़ी चिन्ता व्यक्त की है और मैं भी इस बात से अपने आपको कंसर्न करता हूं, अपने आपको सम्मिलित करता हूं। हम जब आये थे तो वास्तव में छात्रावासों के लिए मैंने कहा, कोटा में सबसे पहले गया। कोटा की जो स्थिति देखी, उससे लगता था, हम समाज के अंग हैं और सरकार ने जिस वर्ग के उत्थान के लिए इन छात्रावासों को खोला है, सरकार बड़ा पैसा उसमें देती है, लेकिन अगर उन तक नहीं पहुंचता और उनकी व्यवस्था नहीं सुधरती, तो कम से कम मुझे लगता है कि विभाग के मुखिया के नाते उस स्थिति में मुझे शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। लेकिन हम पलायन करने वाले नहीं हैं, हम चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनके समाधान की दिशा में प्रयास करते हैं। उस दिशा में मेरे सहित मेरे विभाग के सब अधिकारी प्रयास कर रहे हैं। हमने छात्रावासों की स्थिति को सुधारने के लिए एक तो सभी प्रदेश स्तर के जितने अधिकारी हैं उनको एक टास्क दिया कि हर महीने में एक बार जिला स्तर पर, सबको एक-एक जिले का जिम्मा दिया, वे जिले में जाएंगे और वे वहां जाकर हास्टल्स का इंस्पेक्शन करेंगे, मानिटरिंग करेंगे। इसके कारण से एक इम्प्रूवमेंट की बात बनी है। साथ ही एक 200 पाइंट का हमने एक चार्ट बनाकर भेजा, उसमें बहुत माइनर चीजों को हमने शामिल किया। उदाहरण के लिए, वाश बेसिन के नीचे का पाइप अगर वह टूट गया है तो उसका भी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

लिखकर दो कि टूट गया; किसी हास्टल में अगर किसी दरवाजे का कुन्दा टूटा हुआ है तो वह भी लेकर आओ। ऐसे 200 पाइंट हमने बनाये। उन सबके आधार पर हमने एक पूरा केलकुलेशन किया है कि कितनी मरम्मत के काम हैं जिनकी रिपेयर और मेंटिनेंस के आधार पर उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। इस पार्ट पर हमने करने का प्रयास किया है।

दूसरा, जो 1,900 रुपये हम देते हैं, उसमें से हमने कहा कि 50 रुपया प्रति विद्यार्थी, एक हमारे हास्टल्स में दिक्कत थी कि हास्टल के वार्डन के पास कोई भी फंड नहीं होता जिसके कारण छोटी-मोटी रिपेयर करा सकें। उसको छोटी-मोटी मेंटिनेंस के लिए भी पी डब्ल्यू डी को कहना पड़ता था। पहले पैसा जमा कराता और उसके बाद आता, इसमें समय बहुत लगता था। हमने 50 रुपये प्रत्येक विद्यार्थी के हिसाब से हर हास्टल वार्डन को भेजा और उसको यह अथोरिटी दी कि अपने यहां जो छोटे-मोटे मेंटिनेंस के काम होते हैं, उनको अपने स्तर पर सुधार कर सकता है। इसके कारण भी एक सुधार की गुंजाइश बनेगी।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है और मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि कई छात्रावासों में यह स्थिति है कि आज वहां जितने विद्यार्थी हैं, उनको भी पूरे नहीं दिखाये जाते। वार्डन उसमें कई प्रकार की चीजों को छुपाने का काम करते हैं। मैं एक हास्टल में गया, मैं लगभग हर जिले में आता हूं, मैं हास्टल में जरूर जाता हूं और अचानक जाता हूं, अधिकारियों को बताकर नहीं जाता, जिससे वहां की स्थिति का मुझे पता चल सके और सुधार के लिए कर सकें; मैं एक हास्टल में गया तो मुझे कुछ बालकों ने पूछा कि क्या हर शनिवार, इतवार को घर जाना जरूरी है? मैं इस प्रश्न से चौंका कि यह प्रश्न तो कहीं नियमों में नहीं आता। इससे एक बात समझ में आयी कि शायद वहां के उस वार्डन का इस मामले में कुछ होगा और इन बच्चों को हर शनिवार, इतवार को भेज देते होंगे और भेजकर, इसके माध्यम से जो कुछ भी पैसा होता होगा, उसको कहीं न कहीं एडजस्ट करने की बात होती होगी। यह और भी कई जगह हो सकता है। इस कारण हमने कहा, हमने अपने स्टेट लेवल का जो डायरेक्ट्रेट है, वहां बायोमेट्रिक अटेंडेंस का शुरू कर दिया। साथ ही एक पायलट प्रोजेक्ट के नाते पाली में हमने हास्टल्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस का काम शुरू किया और धीरे-धीरे ग्रेजुअली हम राजस्थान के सब हास्टल्स में बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे जिसके माध्यम से

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

विद्यार्थियों की संख्या वेरिफाई हो और उसमें उन बच्चों को कितनी अटेंडेंस है उसके हिसाब से कितना केलकुलेशन और सुविधाओं का हो सकता है।

साथ ही, हम यह भी एंश्योर करने का काम कर रहे हैं, जो चद्दर है, दरी है, कम्बल है, इनका भी समय पर रिप्लेसमेंट हो। एक टाइम तय है, कितने दिन में धुलेंगे, कितने दिन में बदले जाएंगे। समय पर किया जाय इसको भी हम सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं।

जिलाधिकारियों को कहा है कि वे रेगुलर मानिटरिंग करें, विजिट करें, अपने-अपने क्षेत्रों में जाएं। कई सदस्यों ने कहा कि जिलाधिकारी दौरा नहीं करते। पाली के जिलाधिकारी के लिए पाली से आने वाले सदस्य केसारामजी ने शायद इस बात को अभी कहा था। हमने वहां के जिलाधिकारी को भी कहा है और सब जिलाधिकारियों को कहा है कि हास्टल्स में रेगुलर विजिट करने का काम इसके माध्यम से करें।

राजस्थान की सरकार ने, कुछ ने कहा कि 1,750 से बढ़ाया जाय। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने अपने पिछले 2014-15 के बजट में इस राशि को बढ़ाकर पहले जो हास्टल की राशि विद्यार्थियों को देते हैं, उसमें 1,750 से बढ़ाकर 1,900 की है। उसमें अलग-अलग हैड में तय है कि किस-किस हैड में हम कितना-कितना देंगे।

हमने एक चीज और देखी, कई बार लगता है कि विद्यार्थियों को टीवी, हमने देखा है, कई जगह वह टीवी छात्रावास अधीक्षक के कमरे में रखा है। हमने कहा कि जो कामन रूम है, जहां खाने का कमरा है, वहां इनको रखा जाय; प्रोपर स्टैंड लगें और कौन-कौन से चैनल उसमें चलाने चाहिए, इसको भी हम निश्चित करने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम निश्चित करेंगे कि इन-इन चैनल्स को उसमें दिखाया जाय। साथ ही, कम से कम दो अख़बार हर छात्रावास में जाएं और उनको पढ़ने की प्रक्रिया भी शुरू करें जिससे मानसिक व बौद्धिक विकास की बात विद्यार्थियों में हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पाली के एक बालिका छात्रावास में गया। मैंने उत्सुकतावश, तीन बालिकाएं थीं, छुट्टी चल रही थी, मैंने उन तीन बालिकाओं से पूछ लिया, मुझे एक संशय था कि जिस परिवेश से आती हैं और जिस प्रकार की स्थिति हमारे छात्रावासों में है, मैंने सोचा कि पढ़ाई का वातावरण पूरा नहीं है तो पढ़ाई ठीक नहीं चलती होगी, परिणाम भी उससे इफेक्टेड होता होगा; माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को इस बात पर

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

सुखद आश्चर्य होगा कि जो तीन बच्चियां वहां पर मिलीं, उन तीनों के नम्बर जब पूछे तो 70 से 85 परसेंट तक अंक उन बच्चियों के थे। इस वातावरण में भी इतनी प्रतिभा के साथ वे अपने काम को कर रही थीं।

कई माननीय सदस्यों ने छात्रावास खोलने की बात की है। 2014-15 में तो 11 छात्रावास खोलने की घोषणा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की थी, जिनमें से 6 अनुसूचित जाति और 5 अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों की सैंक्शन जा चुकी है और निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। लेकिन इस वर्ष अभी तक नये छात्रावास खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारा प्रयास भी है कि हम एक बार नये छात्रावास खोलने के स्थान पर, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास करें, उनकी क्वालिटी को बढ़ाने का प्रयास करें, वहां के वातावरण को ठीक करने का काम करें और जो कुछ कंसर्न अलग-अलग सदस्यों ने किया है, उस कंसर्न के हिसाब से उस वातावरण को ठीक करने का प्रयास हमारा रहेगा।

पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार के समय माननीया मुख्य मंत्रीजी ने आवासीय विद्यालयों की घोषणा की थी और राजस्थान में 17 आवासीय विद्यालय उस समय शुरू किये थे, कल्पना यह थी कि इनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, पशुपालक एवं भिक्षावृत्ति में संलिप्त परिवारों के बच्चों को प्रवेश मिले और उनको पूरा शैक्षणिक वातावरण उनमें दिया जाय रेजिडेंशल स्कूल से, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय जो टीचर्स की स्थिति थी, बाद में सरकार ने उसके ऊपर पूरा ध्यान नहीं दिया और टीचर्स की जितनी वेकेंसी थीं, उनको पूरा करने का काम नहीं किया। इसके कारण हम जो एन्वायरन्मेंट देना चाहते थे वह काम पूरा नहीं हो पाया। अब स्थिति यह है, वहां जो वेकेंसीज की स्थिति है, 17 आवासीय विद्यालयों में कुल 418 पद स्वीकृत हैं जिनमें 252 पद रिक्त हैं। अभी कुछ प्रयास करते हुए हमने कुछ तो रिटायर्ड टीचर्स को वित्त विभाग से परमिशन लेकर 71 सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को इन आवासीय विद्यालयों में लगाया है। इसके साथ ही, शिक्षा विभाग के कुछ शिक्षकों के अपाइंटमेंट इंटरव्यू लेकर, एडवर्टाइजमेंट निकाला, उनके इंटरव्यू लिये, और 155 टीचर्स का हमने सलेक्शन करके शिक्षा विभाग को भेजा है डेपुटेशन पर लेने के लिए। शिक्षा विभाग से अनुमति मिलने के बाद, एन ओ सी मिलने के बाद, हम इन आवासीय विद्यालयों में उनका प्लेसमेंट करेंगे जिससे इन विद्यालयों की स्थिति में सुधार किया जा सके और इस वातावरण से आने वाले बालकों को भी ठीक से वातावरण मिल सके, इसका हमारा प्रयास रहेगा।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

आवासीय विद्यालयों में भी मेंटिनेंस का सारा रहता था, इसलिए वहां भी विद्यालय के प्राचार्य को 100 रुपये प्रति छात्र प्रति माह खर्च हेतु अधिकृत हमने किया। इसमें आवासीय विद्यालयों के भवन, शौचालय, स्नानघर की मरम्मत के लिए पी डब्ल्यू डी से इनका तखमीना प्राप्त किया है और 6 करोड़ 53 लाख रुपये का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा है। वहां से वित्तीय स्वीकृति मिलते ही इनके इम्प्रूवमेंट का काम भी हम विभाग के द्वारा शुरू करेंगे।

बीच में लगता है कि कई बार इन हास्टल्स में और आवासीय विद्यालयों में भी ओरियंटेशन के प्रोग्राम होने चाहिए। मैं यह मानता हूं कि सामाजिक न्याय विभाग में काम करने वाले कर्मचारी की या अधिकारी की यह मन:स्थिति होनी चाहिए कि मैं समाज के इस वर्ग की सेवा करने के लिए आया हूं। अगर केवल नौकरी करने के भाव से आया हूं, केवल तनख्वाह प्राप्त करना उद्देश्य है, तो जिस लक्ष्य को प्राप्त करना विभाग चाहता है उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए हमने तय किया कि कुछ ओरियंटेशन के प्रोग्राम में विभाग के कर्मचारियों को लगाया जाय। हमने एन जी ओज को लगाया है, हमने हास्टल्स के वार्डन्स को लगाया है, हमारे जिलाधिकारियों के ओरियंटेशन प्रोग्राम किये। साथ ही आवासीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के भी हमने ओरियंटेशन प्रोग्राम किये और उनको ओरियंट करके, वे कैसे अपनी इस क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसका प्रयास विभाग के अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है।

(20.00 बजे)

दो आवासीय विद्यालयों की घोषणा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने की है, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। निष्क्रमणीय पशुपालकों के आवासीय विद्यालय, हरियाली एवं धनवाड़ा, झालावाड़ में वर्ष 2015-16 से विज्ञान संकाय प्रारम्भ करने की घोषणा की है; विज्ञान संकाय प्रारम्भ किया जा रहा है।

हास्टलों में बिजली के बिल की समस्या रहती थी। इसलिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि हमारी तरफ से, विभाग की तरफ से चाहा गया था और उन्होंने 200 छात्रावासों में सोलर लाइट लगाने का सैंक्शन किया, बजट में घोषणा की है। इसके माध्यम से हम इसमें इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे और बाकी भी प्रयास रहेगा कि बाकी छात्रावासों में भी केन्द्र सरकार से प्रयास करके हम अधिकतम छात्रावासों में सोलर लाइट

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

लगायें। साथ ही, यह कोशिश और है, केन्द्र सरकार से कई बार बात की है, प्रस्ताव भेजा है कि विद्यार्थियों को, जो हास्टल्स में रहते हैं, सर्दी के दिनों में टंकी के पानी से नहाते हैं। मैं कई बार हास्टल्स में गया, वहां जाकर देखा कि दिसम्बर-जनवरी में जब तेज सर्दी पड़ती है तब भी बालक अपनी टंकी से पानी लेकर नहा रहा है। तब हमारे मन में आया और केन्द्र सरकार से बात की है, प्रयास कर रहे हैं कि वहां से अगर हमें पैसा मिल जाता है तो सोलर गीजर लगाने का हमारा प्रस्ताव है। वह होने के बाद, जितना पैसा मिलेगा, इन हास्टल्स में फेजेज में करने का विचार रखते हैं।

इसी प्रकार, 17 आवासीय विद्यालयों में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बजट में घोषणा की है कि 2015-16 में सोलर लाइट की स्थापना की जाएगी।

एक सम्बल ग्राम विकास योजना का, जहां 40 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उन सबको सम्बल ग्राम के नाते शामिल किया गया है और ऐसे 4,110 सम्बल ग्राम राजस्थान में आइडेंटिफाई किये हुए हैं जनसंख्या के आधार पर। अब तक उसके कोई विस्तृत नियम नहीं बने हुए थे, उसके विस्तृत नियम बनाये। अलग-अलग क्षेत्रों में सम्बल ग्राम के नाते से काम हो सकता है। इसमें कहीं पानी की टंकी बनाने की बात है, पक्की सड़क है, पानी की डी एल आर पाइपलाइन, बिजली लाइन के खम्भे, विद्यालय भवन का निर्माण, आदि कराये जा सकते हैं। साथ ही, हमने इसमें यह और जोड़ा कि व्यक्तिगत स्तर पर प्रधान मंत्रीजी ने, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने स्वच्छता का और शौचालय बनाने का अभियान लिया है, उसमें सम्बल ग्राम के आधार पर व्यक्तिगत निर्माण के काम को भी नियम बनाकर हमने इसमें जोड़ा है। इसमें वित्त विभाग की स्वीकृति हमें प्राप्त हो चुकी है। इसको भी इसमें जोड़ने का काम है। योजना में वर्ष 2013-14 में 10 करोड़ की राशि व्यय की गई, 2014-15 में 39.70 करोड़ का प्रावधान है और 2015-16 में 40.60 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। यह माननीय सदस्यों के लिए ठीक है कि आपने 2013-14 में केवल 10 करोड़ का प्रावधान किया था, उसको बढ़ाकर माननीया मुख्य मंत्रीजी ने चार गुना बढ़ाया और 40.60 करोड़ का प्रावधान इसमें रखा गया है।

अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार से हम सब कंसर्न्ड हैं। महिला बाल विकास मंत्रीजी ने भी इस विषय को इंगित किया है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इसकी भी राशि को बढ़ाने का काम किया है। वर्ष 2013-14 में इसके नाते से जो लाभान्वित लोग थे, वे 1,542 थे, 5 करोड़ 91 लाख करोड़ का

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

इसमें व्यय हुआ। 2014-15 में अब तक का जो हमारे पास आंकड़ा है, उसमें 11 करोड़ का व्यय अब तक हम कर चुके हैं, 1,170 लोगों को इसका लाभ देते हुए। यह अभी जनवरी तक का आंकड़ा है, पूरा अभी आया नहीं है, लेकिन इस दिशा में लगातार सबको तुरन्त राहत पहुंचे, यह करने का प्रयास विभाग के द्वारा किया जा रहा है।

अन्तरजातीय विवाह की भी एक योजना हमारे है कि अनुसूचित जाति के लोगों का समाज के अन्य वर्गों में विवाह की बात आती है, तो उसमें अनुदान देने की है। इसके लिए 5 लाख रुपये का सरकार द्वारा प्रावधान है। 2013-14 में 261 कुछ लाभान्वित थे जिसमें 7 करोड़ 26 लाख रुपये का लाभ दिया है। 2014-15 में अब तक 400 लोग इसमें लाभान्वित हुए हैं और 1700 लाख रुपये का अब तक इसमें हम भुगतान कर चुके हैं। इसमें अब तक एक विसंगति थी कि जो लड़का और लड़की अलग-अलग जिलों के होते थे, तो वहां अलग-अलग एप्लाई करना था। अब हमने कहा कि अनुसूचित जाति की महिला जिस जिले से एप्लाई कर देंगे, उसको पर्याप्त मानते हुए उसके आधार पर पैसे मिल जाएंगे।

इसमें अलग-अलग एक टेबल बनी हुई है कि किसको किस चीज के अन्दर, एट्रोसिटी कौनसी होने के बाद कितना-कितना लाभ दिया जाएगा।

इसी प्रकार एस.ए.पी. के नाते से भी, वास्तव में समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको हम चुनौती मानते हैं कि हमारे समाज का दायित्व है, ईश्वर ने उनके साथ कहीं पूरी तरह से न्याय नहीं किया और कोई न कोई शारीरिक विसंगति उनके बीच में रह गई है। तो हम सबका दायित्व है, सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी को माना है और अपने इस दायित्व का निर्वहन करने का प्रयास किया है। हमने 13 फरवरी, 2015 को पहली बार एक रोजगार मेला केवल विशेष योग्यजन के लिए लगाया और उसमें 80 विशेष योग्यजन को रोजगार प्रदान किया गया। मई के महीने में फिर दूसरा मेला लगाने की योजना है। उसके बड़े अच्छे परिणाम आये, रेस्पोंस अच्छा था; लोग भी आये और उनकी सर्विस भी, नौकरी भी लगी। इस कारण मई के महीने में भी इसी प्रकार का मेला लगाने की योजना हमारी है।

पिछले तीन सालों में प्रदेश स्तर की एक समिति बनी है उसकी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। हमने आने के बाद 11.7.2014 को मेरी अध्यक्षता में एक मीटिंग की, जिसमें इस स्कीम के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या मिल रहे हैं,

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

कितने नहीं पहुंचे, उसमें कितनी कमियां हैं और अलग-अलग विभागों के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उस कमेटी के मेम्बर होते हैं, सबको निर्देशित किया कि इसका फालो-अप पूरा करें और जितना अधिकार उन विशेष योगयजन का है, वह पूरा का पूरा उन तक पहुंचना चाहिए। इसको सुनिश्चित करने के निर्देश उस मीटिंग में सबको दिये हैं।

विशेष योग्यजन को राज्य स्तर पर सम्मान देने का भी हमने काम किया है। विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने उपलब्धि अर्जित की है, उनमें 22 ऐसे विशेष योग्यजन का सम्मान हमने किया है जिसमें उनको शाल, प्रशस्ति पत्र और कुछ राशि, अलग-अलग होती है, वह देने का काम किया है ताकि इसके कारण से एक मोटिवेशन का भाव उनमें बने।

अभी तक इसको माननीया मुख्य मंत्रीजी ने भामाशाह योजना के साथ लिंक किया है और इसके कारण से एक तो आइडेंटिफिकेशन का काम हो रहा है कि किस जिले में, किस तहसील में कितने-कितने विशेष योग्यजन हैं। आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उनकी पेंशन टाइम पर पहुंचे, पूरी पहुंचे, उसका बैंक अकाउंट खोलेंगे और सबको पहुंचाने की बात करेंगे। दूसरा, इनके जो लाभ मिलते हैं, यंत्र दिये जाते हैं, सब होते हैं, उनको भी कैम्प लगाकर, भामाशाह का काम पूरा होने के बाद, फेजेज में उन सब संयंत्रों को भी देने का अभियान चलाकर पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। मैं मानता हूं कि कई सदस्यों ने इसमें अपना कंसर्न शो किया है और समाज के जिम्मेदार नागरिक के नाते हम सब का कर्तव्य है। मुझे लगता है कि हमने भी उसी बात को लेकर इनके उत्थान के लिए, इनकी प्रगति के लिए, कैसे काम कर सकते हैं, इसका प्रयास लगातार है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर में एक इसी प्रकार स्पेशल एबल्ड पर्सन्स का जनता कालोनी में होम चलता है और वहां पर अलग-अलग कैटेगिरी के जो स्पेशल एबल्ड बच्चे हैं, वे रहते हैं। इसमें 10 परसेंट की, 20 परसेंट की डेफिशिएंसी, 60 परसेंट से अधिक की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा माननीय सदस्यों से कि अपने जीवन का कोई न कोई, अपने वर्ष का कोई एक दिन वे तय करें और जाकर उन बच्चों के साथ बितायें। इसको अगर तय कर लेंगे तो उनके उत्थान की बात हो जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि वे बच्चे भजन अच्छे करते हैं, टेलरिंग कर

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

रहे हैं, गिफ्ट कार्ड बनाते हैं, हैण्डीक्राफ्ट की चीजें बनाते हैं। हमारा प्रयास यह है, हम चाहते हैं कि हम कुछ और एन.जी.ओज. को इसमें जोड़ेंगे और जोड़कर इनके इन प्रोडक्ट्स की हम मार्केटिंग करें तथा उसके माध्यम से कहीं न कहीं उनमें उत्साह का वातावरण हो। तो इसका समाज में प्रचार भी हो और समाज में भाव खड़ा करने का प्रयास भी हमारे द्वारा किया जाएगा। इसमें जो छात्रवृत्ति की योजना है, उसमें भी 80.83 लाख का व्यय अभी तक हम कर चुके हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, देवनारायण योजना के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने अपना कंसर्न शो किया है। 2008-09 में चौपड़ा कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद देवनारायण योजना बनी और उस समय वर्तमान मुख्य मंत्रीजी ने उस योजना में 110 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा था, 100 करोड़ की योजना तैयार की थी। अब स्थिति यह है कि करते-करते 2014-15 में 41.54 । हमने कई चीजें इसमें शुरू कीं, जैसे गंगापुरसिटी से आने वाले माननीय सदस्य ने कई चीजों पर ध्यान दिलाया, मैंने खुद ने जितने भी गुर्जर समाज के प्रतिनिधि हैं, उनके साथ मीटिंग की और हमने तय किया है कि उनके साथ नियमित बैठेंगे और इसकी मानिटरिंग करेंगे कि फेजेज चलते हुए पूरे काम समय पर हों और उनका सबको समय पर लाभ पहुंचे।

कुछ चीजें आपने बताई हैं, स्कूटी की बात है, मैं प्रयास करूंगा, आपकी बात बिलकुल सही है और समझ में आने वाली है कि एक हजार बच्चियों को स्कूटी दी, 30 बालिकाएं ऐसी हैं जिनकी उन एक हजार में से तीस बालिकाओं के बराबर मेरिट है। अब यह जस्टिफाइड है कि अगर बराबर मेरिट थी तो उस समय देते समय ध्यान रखना चाहिए था और एक हजार में से पहले ही 970 कर देते, इनको भी एडजस्ट कर देते। लेकिन वित्त विभाग ने अभी हमारी इस रिक्वेस्ट को टर्न-डाउन किया है। आगे हम प्रयास करेंगे और आने वाले वर्षों में इन बालिकाओं को भी इसमें एडजस्ट करके, आने वाले समय में ऐसी कोई चीज आती है, विसंगति आती है, तो इस विसंगति को ध्यान में रखते हुए, कहीं एक ही मेरिट के दो-तीन बच्चे होते हैं तो उनका समावेश करके उसी सीमा में इसका लाभ दिया जाए, इसका हमारा प्रयास रहेगा।

कुछ जगहों पर कुछ दिक्कतें थीं, एक तो महुवा में और एक अलवर में कालेज का निर्माण; बयाना में इसी तरह का था। बयाना में जमीन की दिक्कत थी और उस जमीन का अलाटमेंट हो गया, कालेज का निर्माण शुरू हो

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

गया है। अलवर में भी जमीन आइंडेटिफाई हो गई है और माननीय खाद्य मंत्री महोदय इस विषय में लग रहे हैं और शायद उसका आदेश भी निकल गया होगा,

निकलने के बाद उसका निर्माण काम शुरू हो जायेगा। इसी प्रकार, महुवा में बहुत सारे डिस्प्यूट थे, वे हमने समाप्त कर दिये हैं। उसके बाद वहां पर भी भवन का निर्माण प्रारम्भ हो चुका है और कम्प्लीट होने की स्थिति में है।

लगातार प्रयास है, यह जो अनुप्रति योजना, इसमें भी है। अनुप्रति योजना में भी हम लगातार, 2014-15 में, यह बात सही है, पिछले दिनों जितनी एप्लिकेशंस आई थीं, उन एप्लिकेशन के हिसाब से हमने दिया। आर ए एस और आई ए एस की परीक्षाओं में विलम्ब और इसके कारण से नहीं होने के कारण बहुत सारे विद्यार्थी इसमें नहीं ले पाये। 10 लाख रुपये का बजट का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध माह फरवरी, 2015 तक 2.45 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। जो एप्लिकेशंस आईं, हमने कर दिये हैं। इतना प्रावधान किया।

आने वाले पांच वर्षों के लिए पिछले बजट में माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप के नाते 500 करोड़ रुपयों के प्रावधान के पैकेज की घोषणा की है। हम उसका बजट बनाकर, सब बैठकर, आवश्यकतानुसार कहां-कहां किस चीज की जरूरत है। इसमें राजस्थान के पांच जिले और नौ तहसीलें आती हैं। यह चौपड़ा कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इनमें जो काम हैं, उन्हीं पांच जिलों और नौ तहसीलों में हो सकते हैं। एक सुझाव यह आया, किसी माननीय सदस्य ने, शायद गंगापुर सिटी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हर जिले में एक आवासीय इसका खोला जाये, अभी तक इसका प्रावधान नहीं है। मैं एक बार इसको एग्जामिन कराऊंगा और नियम कहीं परमिट करते होंगे तो इसको देखकर कैसे कर सकते हैं, यह देखकर उसका प्रयास करेंगे।

मान्यवर, महिला कल्याण के नाते केवल महिला कल्याण मंत्री ही नहीं, हमारे पास भी कुछ योजनाएं हैं। बी पी एल परिवार की पुत्रियों के विवाह हेतु 10,000 रुपये की सहायता, मैट्रिक पास कन्या के विवाह हेतु 5,000 रुपये व स्नातक कन्या के विवाह हेतु 10,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जा रही

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

है। 2014-15 में अब तक 8,000 महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह पर 10,000 रुपये की सहायता दी जा रही है। इसमें 2014-15 में 300 को लाभान्वित किया गया है।

कई जगह महिला सदन भी हैं। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनमें नवजीवन संचार करने के लिए जयपुर में महिला सदन एवं अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर एवं भरतपुर में नारी निकेतन संचालित किये जा रहे हैं। भरतपुर सम्भाग मुख्यालय पर इस वर्ष नारी निकेतन प्रारम्भ किया गया है। इसी प्रकार, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा नारी निकेतनों में निराश्रित विधवा एवं अवांछित परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से स्वयंसिद्धा योजना संचालित की जा रही है। महिला सदन एवं नारी निकेतनों में आवासित महिलाओं में विवाह-योग्य महिलाएं होती हैं। उनमें 30 आवासनियों का विवाह कराकर पुनर्वास करने की कार्रवाई प्रारम्भ की जा चुकी है। कई माननीय सदस्यों ने...

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): पति के निधन पर विधवा पेंशन मिलती है, और जब पत्नी खतम होती है तो उसको विधुर पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिये। वह बेचारा बड़ा दु:खी होता है।

एक माननीय सदस्य: बढ़िया सुझाव है यह।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, स्पेसिफिक रूप से कुछ बतायेंगे तो उसी एक केस के बारे में सब मिल-जुलकर तय कर लेंगे। सरकार की कोई योजना इसके बारे में नहीं है, विधुर पेंशन की कोई योजना नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन कोई व्यवस्था करे। वैसे तो हम आसन की आज्ञा से बंधे हुए हैं और आसन अगर कोई निर्देश देगा सरकार को, तो संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उस पर विचार करेंगे। अगर आपका निर्देश हो तो श्रीमुख से फरमायें। (व्यवधान)

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): इसमें जो शादी वाला सिस्टम है, इसमें मंत्री महोदय से निवेदन है कि इसको डबल किया जाये।

श्री अध्यक्ष: यह विधुरों के बारे में सुझाव आया है, अविवाहितों के बारे में नहीं आया है।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन को विशेषाधिकार है। एकल पुरुष के बारे में भी अगर आसन कहेगा तो विचार करने की बात हो सकती है। (व्यवधान)

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): अध्यक्ष महोदय के लिए तो यह बात हो सकती है, न तो शादी की है और न विस्तार किया है। इसलिए हमें भी पेंशन मिलनी चाहिये। यह ग्रामीण स्तर पर कई बार मामला उठता है, हुक्म। तो उसको सहायता देनी चाहिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आश्रित को नौकरी मिलती है।

श्री अध्यक्ष: फैमिली प्लानिंग में तो बहुत गलत कर रहे हैं ऐसे लोग।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के तहत एक सूचना निवेदन करना चाह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सूचना क्या है?

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): अभी दो घंटे पहले ब्यावर में दो घटनाएं घटी हैं बहुत जबरदस्त। एक तो 12वीं क्लास में पढ़ने वाला लड़का, हेडा अस्पताल, ब्यावर में भीड़भाड़ वाले एरिया के अन्दर दिन में वहां पर तीन लड़के मोटरसाइकिल पर आये और उसका मर्डर करके चले गये। अभी सूचना आई है। पुलिस उनको पकड़ नहीं पाई है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप बैठिये। नहीं, ऐसी सूचना नहीं। नोट नहीं किया जाये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिलकुल नहीं। आप गुलाबजी से मिल लीजिये। यह सूचना का नहीं है। आप गुलाबजी से पर्सनली मिल लीजिये। यहां देने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं। अंकित नहीं किया जाये। नोट नहीं हो।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप विराजिये। नहीं, आप विराजिये। आप विराजिये।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: हां, तो गुलाबजी बैठे हैं गृह मंत्रीजी। नहीं।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ×××

श्री अध्यक्ष: नहीं, सदन में सदन से नहीं। आप गृह मंत्रीजी से मिल लीजिये। बैठिये। एक नई व्यवस्था चालू कर रहे हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य ने और कई माननीय सदस्यों ने वृद्धाश्रम के बारे में और वृद्धों के बारे में चिंता व्यक्त की है। (व्यवधान) मैंने कहा है, कई सदस्यों ने। मैं मानता हूं कि यह एक बड़ी चुनौती है। संयुक्त परिवार जिस तरह टूट रहे हैं और संस्कारों की क्षीणता के कारण से बड़े पैमाने पर माता-पिता आज वृद्धाश्रम की ओर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मुझे ध्यान आता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष था तो भीलवाड़ा गया था। भीलवाड़ा में एक वृद्धाश्रम के उद्‌घाटन के लिए मुझे बुलाया गया था। सम्भवत:, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो शायद माहेश्वरी समाज का था और उद्‌घाटन में सामान्यत: लोग यह कहते हैं कि व्यापार बढ़ना चाहिये, प्रगति होनी चाहिये; मैंने वहां कहा कि मेरा प्रयास, मेरी कामना रहेगी कि वृद्धाश्रम खाली रहे और कोई नहीं आये, सब अपने घरों में सुरक्षित रहें, ठीक तरह से रहें। लेकिन आज स्थिति यह है कि मैं उसी विभाग का मंत्री हूं जिसने मुझे सामाजिक दायित्व को निर्वहन करने का काम दिया है। राजस्थान सरकार ने इस बात को मानते हुए, जहां हम वृद्धाश्रम को सरकार के स्तर पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं बहुत बड़े पैमाने पर एन जी ओ को, स्वयंसेवी संगठनों को भी इसमें जोड़कर उसका कहीं न कहीं अधिकतम लाभ पहुंचे, ऐसा हमारा प्रयास है।

अभी वृद्ध कल्याण के लिए प्रत्येक सम्भाग पर राजकीय वृद्धावस्था की योजना पुष्कर, बीकानेर, भरतपुर एवं जोधपुर में संचालित है। कोटा में भवन लगभग पूर्ण हो चुका है और जयपुर एवं उदयपुर में भवन निर्माण पूरा होने वाला है, वह निर्माण की प्रक्रिया में है। कोटा, उदयपुर एवं जयपुर में वर्ष 2015-16 में राजकीय वृद्धाश्रम प्रारम्भ किये जायेंगे। बीकानेर के राजकीय वृद्धाश्रम में वृद्धों को दी जाने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, अतिरिक्त निर्माण कार्य में अतिरिक्त सुविधा देने हेतु रामप्रताप हनुमानदास मूंदड़ा ट्रस्ट, देशनोक (बीकानेर) के साथ पी पी पी योजना पर एम ओ यू किया गया है और वह प्रारम्भ भी हो गया है। उन्होंने दे दिया है और वृद्ध ठीक तरह से रह रहे हैं। वृद्धाश्रम संचालन नियम, 2006 के अन्तर्गत 62 वृद्धाश्रम स्वयंसेवी

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें लगभग 1,000 वृद्ध लाभान्वित हो रहे हैं।

मैं पाली गया था, वहां पर कई एन जी ओ के द्वारा वृद्धाश्रम चलते हैं। पाली से आने वाले माननीय सदस्य शायद यहां पर हैं नहीं। वहां जिस वृद्धाश्रम में मैं गया, वहां देश भर के लोग रहते हैं। एक प्राइवेट संस्था के द्वारा चलता है, एन जी ओ चलाती है, 'अपना घर' शायद चलाता है और वहां जाकर मैंने देखा। वह सारे राजस्थान में एक बिलकुल उदाहरण है, इसकी मैं कई बार चर्चा भी करता हूं, वहां कोई एन जी ओ खाने की व्यवस्था नहीं करता, नाश्ते की व्यवस्था नहीं करता, समाज करता है और कहीं न कहीं, जिसका मैंने सभी से आग्रह किया है कि अपने जीवन के साथ जोड़ें, समाज के लोगों ने उसे अपने जीवन के साथ जोड़ दिया कि हर किसी का जन्म दिन होगा, शादी की सालगिरह होगी, बच्चे का जन्म दिन होगा, या कोई विशेष दिन है, तो नाश्ता मेरी तरफ से, दोपहर का खाना मेरी तरफ से, दोपहर की चाय और दोपहर का खाना। यह भी कोई वहां के कर्मचारी वितरित नहीं करते। समाज के सम्पन्न, सामर्थ्यवान लोग वहां आते हैं और उनको खिलाकर, सबको वितरित करते हैं। कोई बीमार होता है तो उसका पूरा संचालन, दिन भर की व्यवस्था, दिन भर की कार्य योजना, वह सब बनाते हैं और बैठकर उन सबकी चिंता वे करते हैं।

एक अभिनव उदाहरण है जिसकी चर्चा हम करते हैं और चाहते हैं, उसी तरह के कई जगहों पर ऐसे चल रहे हैं, और जगह भी इसी प्रकार के वृद्धाश्रम खड़े हों। इसका भी प्रयास है। इसीलिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा, जिसकी कुछ माननीय सदस्यों ने कटाक्ष के रूप में चर्चा की है, आज समाज में ऐसे सामर्थ्यवान लोग भी हैं जो कहते हैं कि जिनको आज परिस्थितियों के कारण वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है; पेइंग कैपेसिटी उनकी है, वे कहते हैं कि चाहे कितना भी पैसा देना पड़े, हम देने को तैयार हैं लेकिन उनको एक कैटेगिरी के ओल्ड-एज होम चाहिये, वृद्धाश्रम चाहिये। इसलिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इस तरह कहीं जन-सहभागिता के आधार पर यह वृद्धाश्रम जो कैटेगरी आधार पर, स्टार कैटेगरी के खोलने की बात की है, इसके लिए हम प्रयास शुरू करेंगे और जल्दी ही इनको बनाकर समाज के उन सामर्थ्यवान, सम्पन्न लोग हैं जो उनमें रह सकते हैं, और साथ में हम यह कोशिश करेंगे नियम बनाते समय कि इसको किसी न किसी समाज के और कामों के साथ भी जोड़ें। इसका भी प्रयास हम करेंगे।

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

एक चर्चा हुई है, कई माननीय सदस्यों ने कहा कि अनुप्रति योजना में कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैं केवल इसमें इतना ही बताना चाहूंगा, 2014-15 में अब तक 296 अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन राशि दी गई है। यह बात सही है कि आर ए एस की परीक्षा नहीं होने के कारण से कई सालों से एप्लिकेशंस कम आईं, लेकिन जितनी आईं, उन सबको हमने इसमें रिलीफ देने का काम किया है।

एक चुनौती हमारे सामने है, एक एस.सी., एस.टी. कारपोरेशन चलता है, उसमें हमने कहा, जो ऋण देते हैं उसमें हमने एक एम ओ यू किया है आरमोल के साथ, उसमें 14.2.2014 को एक अनुबंध किया और उसमें 546 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस बार भी हमने एक प्रक्रिया बढ़ाई है और उनके साथ एम ओ यू हमारा तैयार हो रहा है, एम ओ यू होते ही इसको भी हम जोड़ने का काम, स्किल के साथ जोड़कर के, उसका लोन देकर के काम शुरू करें, इस बात का प्रयास हमारा है।

एक कंसर्न माननीय सदस्यों ने इस बात के ऊपर किया है कि कुछ हमारे नियम में ऐसा प्रावधान है कि 18 साल की उम्र के बाद हम छात्रावासों में बच्चों को नहीं रख सकते, यह नियमों में प्रावधान है। नियम तो हमारे स्तर पर हम नहीं बदल सकते, लेकिन इतना जरूर प्रयास है, एक चीज हमने कही है, बच्चों को शुरू से ग्यारह, बारह साल, कोई साल तय करें, उसके बाद से उसको किसी न किसी ट्रेड के साथ जोड़कर के उसको ट्रेंड करने का काम करे, जिससे कि 18 साल की जब उम्र उसकी हो, उसको कहीं या तो आरमोल के साथ जोड़कर के या किसी इंडस्ट्रियल हाउस के साथ जोड़कर उसके जॉब की व्यवस्था भी हो जाए। यह बात सही है, कुछ लोगों ने जो कंसर्न शो किया, कुछ समाचार पत्रों ने भी लिखा और अनुभव में भी आया है कि वे बच्चे, 18 साल के बाद जब हम अपने छात्रावासों से उनको निकाल देते हैं, कोई भिक्षावृत्ति में लग जाते हैं, कोई क्रिमिनल कामों में लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई न तो काम है और न रहने की व्यवस्था होती है। ऐसी स्थिति में किसी न किसी गलत काम में लगने की उनकी सम्भावना हमेशा बनी रहती है।

मान्यवर, कुछ सदस्यों ने कुछ विषय उठाये हैं, एक तो पालनहार का विषय है, हम भी इससे काफी कंसर्न्ड हैं। पालनहार की स्थिति यह है कि

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

काफी प्रयास करने के बाद भी हम इसको गति नहीं दे पाये हैं। अब इसके जो नियम इस प्रकार के बने हुए हैं, उन नियमों में शिथिलता देने की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। अभी स्थिति यह है कि कई ई-मित्र के माध्यम से इनके फार्म आते हैं और जिस प्रकार की शिक्षा की स्थिति नीचे तक है, उसके कारण से फार्म में अगर थोड़ी-सी भी डेफिशिएंसी है तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। उसको पता नहीं चलता और इसके कारण से डेफिशिएंसी बनी रहती है। जिसको रिलीफ चाहिए, वह रिलीफ उसको नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हमने तय किया है, एक तो नियम की समस्या को देखते हुए, पालनहार संचालन नियम, 2015 को दो सप्ताह में बनाकर लागू कर दिया जाएगा; साथ ही जो भी नीचे तक इस काम में लगे हुए लोग हैं, उन सबके प्रशिक्षण की व्यवस्था भी हम करेंगे कि अलग-अलग एजेंसीज, जो लोग करते हैं, उनको प्रशिक्षित करके वे फार्म भरवायें। साथ ही, बी डी ओ के स्थान पर, अभी तक यह स्थिति है कि गांवों में बी डी ओ और शहरों में कहीं एस डी ओ, एस डी एम के माध्यम से ये फार्म हमारे पास स्क्रूटनी हो करके आते हैं। जो ई-मित्र के माध्यम से आते हैं, उनके पास जाते हैं, वे जांच करते हैं और करने के बाद हमारे पास भेजते हैं। हम इसमें एक ओर कर रहे हैं कि हम ए डी स्तर पर, हमारे जो सहायक निदेशक हैं, उसके स्तर पर इन सब फार्मों को लेकर जांच हो जाए और जांच के बाद रिपोर्ट आ जाए। तब इस बात को आगे बढ़ाने की बात है।

साथ ही, बाल अधिकारिता के दो नवीन किशोर न्याय बोर्ड का गठन भी किया गया है। उसमें एक जयपुर किशोर बोर्ड जयपुर ग्रामीण का गठन किया जाना है, वह करने की घोषणा इसमें है। जयपुर में एक नवीन बाल कल्याण समिति का गठन किशोर न्याय अधिनियम, 2000 के तहत; जयपुर में पूर्व से कार्यरत बाल कल्याण समिति के कार्यों की अधिकता को देखते हुए देखभाल एवं संरक्षण आवश्यकता वाले बच्चों के मामलों के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु जयपुर में एक अन्य नवीन बाल कल्याण समिति का गठन किया जाना है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी के सहयोग से हमने एक ओर घोषणा की है, विजया राजे सिंधिया बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। यौन शोषण, विभिन्न तरह की हिंसा से पीड़ित बालिकाओं एवं उनके परिवार को आवश्यक बाल संरक्षण सेवाएं, जिनमें आवश्यक परामर्श, कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से लाभ तथा पीड़िता को मुआवजा प्रतिकर दिलवाया जाएगा। साथ

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

ही, योजना में 18 वर्ष से कम आयु की बालिका, जिसने स्वयं अथवा अपने मित्र का बाल विवाह, यौन शोषण, कोई हिंसा रोकी है, उसे राज्य सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा। ऐसी विजया राजे सिंधिया बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना हम शुरू कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने मीणा-मीना विवाद के बारे में चर्चा की थी। मैं बताना चाहूंगा कि अपने प्रक्रिया के नियमों के नियम-272 (1) में जो सब-ज्युडिस मामले होते हैं, उसमें चर्चा करने का निषेध है। इस कारण मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगा।

एक खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने और कुछ और सदस्यों ने भी यह बात कही कि पालनहार योजना में दो बच्चों को ही लाभान्वित किया जा रहा है। इसमें केवल नाता जाने वाली और विधवा माता, दो है; उनकी तीन संतानों का; इसमें कई अलग-अलग नौ कैटेगरी हैं, एक तो अनाथ बालक-बालिका के सभी बच्चे, उनको सभी पालनहार देते हैं। न्यायिक प्रक्रिया से मृत्यु दण्ड, आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के सभी बच्चे, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की तीन संतान, पुनर्विवाहित विधवा माता के सभी बच्चे, एड्स पीड़ित माता-पिता के सभी बच्चे, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता-पिता के सभी बच्चे, नाता जाने वाली माता की तीन संतान, विकलांग माता-पिता की सभी संतान, तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की सभी संतान, इसमें अलग-अलग हैं, जीरो से पांच साल तक 500 रुपये प्रति माह, 18 वर्ष की आयु तक 1,000 रुपये प्रति माह। जैसा कुछ सदस्यों ने बताया, मुझे ध्यान है, नोहर से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तृत रूप से और केसारामजी ने भी उस सम्बन्ध में जानकारी दी; यह बात सही है कि उसमें हम एक चीज जोड़ रहे हैं कि विधवा और ये नाता जाने वाली जो महिलाएं हैं, इनके जो तीन बच्चों का भार है, इसको हटाकर के इनके भी सभी बच्चों को देने का हम प्रावधान इसमें करने की बात करते हैं।

खैरवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने अनाथ बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की बात की है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत संचालित राजकीय व गैर-राजकीय घरों में अनाथ बच्चों के लिए नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था है। इसी तरह निजी विद्यालयों में भी 5 परसेंट कोटा का प्रावधान है। यह पहले से ही प्रावधान है। इसके साथ खैरवाड़ा

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

से आने वाले विधायक ने एक बात कही कि छात्रावासों में कई प्रकार की कमियां हैं। उसमें हमने विस्तृत चर्चा की है। सुधार की दिशा में जो कमियां, हम भी मानते हैं, उनके लगातार सुधार की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं।

बागीदौरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ विषयों की तरफ ध्यान दिलाया, एक ओल्ड-एज पेंशन, मैंने उसकी विस्तृत चर्चा की है। विभाग के कई छात्रावास, उन्होंने कहा, किराये पर चल रहे हैं। कुल छात्रावास, अब तक 699 राजकीय छात्रावासों में से केवल 633 छात्रावास राजकीय भवनों में संचालित हैं, शेष 66 छात्रावास किराये के भवनों में हैं। बांसवाड़ा जिले में केवल एक छात्रावास सेना आवास किराये के भवन में संचालित है। छात्रावास हेतु बी आर जी एफ योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य निर्माणाधीन है। इसी तरह उन्होंने अनुप्रति योजना की बात की है, उसकी मैंने चर्चा की है।

बानसूर से आने वाले माननीय विधायक ने देवनारायण योजना के सम्बन्ध कहा, उसके बारे में भी मैंने विस्तृत रूप से चर्चा उसमें की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेष केन्द्रीय सहायता के तहत पाली में बनायी जाने वाली 750 कार्यशालाओं में, अभी चर्चा बहुत हुई कि हमने काम बहुत किये, हमने नहीं किये। उसकी एक बानगी रख रहा हूं।वैसे तो पेंशन की बात आई, स्कॉलरशिप में आई, बनायी गयी 750 कार्यशालाओं में से 376 कार्यशालाएं पंचायती समिति देसूरी में कागजों में बनी हैं। यह मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था। पहले भी माननीय सदस्य ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस विषय में रखा। अब 2010 से 2012 तक 313 कार्यशालाओं की स्वीकृति मिली। इनमें से 5 कार्यशाला पूर्ण पाई गईं, पांचों में पूर्ण भुगतान कर दिया गया। 313 कार्यशालाओं में से 4 कार्यशालाएं अपूर्ण हैं, जिनमें एक किश्त 4 हजार रुपये का भुगतान किया किया। स्वीकृत 313 कार्यशालाओं में से 144 बनी ही नहीं, लेकिन उनका भुगतान भी हो गया। स्वीकृत 313 कार्यशालाओं में से 160 कार्यशालाओं का निर्माण कार्यशाला योजना के प्रावधान के तहत नहीं किया गया व उनको भुगतान कर दिया गया। (व्यवधान)

अब क्या है कि मैं किस-कहां जन्म लूंगा, यह तो मेरे अधिकार में नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं जिन संस्कारों से निकलकर आया हूं, उन संस्कारों ने मुझे यह जरूर कहा है कि हम जाति के आधार पर बात

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

नहीं करते हैं। हम समाज के उत्थान का संकल्प लेकर चलें, इसकी मैंने चर्चा अभी की है। शायद माननीय सदस्यों ने जिस विषय को उठाया, वे उस पृष्ठभूमि के बारे में सोच ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते।

सपोटरा से आने वाले माननीय सदस्य, श्री रमेश मीणाजी ने, आपने कहा कि भिक्षावृत्ति करने वाले बच्चों और बड़ों का सर्वे कराकर उनकी समुचित व्यवस्था की जाए। यह चुनौती है और इसको हम मानते हैं कि इस विषय के ऊपर चिन्ता करनी चाहिए। इसलिए हमने एक इसका पुनर्वास अधिनियम, 2012 राज्य में 25 सितम्बर, 2014 से लागू कर दिया है। उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त अधिनियम में सर्वे, प्रशिक्षण एवं पुनर्वास का प्रावधान किया गया है। क्योंकि जब तक इसमें सब चीज जुड़ेंगी, हम मानते हैं कि इसमें समाज कल्याण विभाग का भी है, इसमें मेडिकल एंड हैल्थ डिपार्टमेंट का है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, शिक्षा डिपार्टमेंट का है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का है और इसमें कौशल विकास को भी जोड़कर उसके माध्यम से लोगों को पुनर्वासित कर सकते हैं।

एक आपने और कहा था कि विभागीय छात्रावासों की स्थिति गम्भीर है। आपके यहां सपोटरा में मंडरायल में एक छात्रावास है। जैसा मैंने बताया कि दो सौ पाइंट बनाकर एक रिपोर्ट मंगाई है। उन सभी 29 जिलों से 63 छात्रावासों के लिए कुल 943 लाख के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिनमें एक मंडरायल आपके विधान सभा क्षेत्र का है। छात्रावास की मरम्मत हेतु 18.50 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसे भी शीघ्र स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ घोषणाएं हैं, उनको मैं एक बार बताना चाहता हूं। हम पेंशन सोफ्टवेयर में एक ऐसी व्यवस्था डाल रहे हैं कि उस व्यक्ति को किस बैंक अकाउंट में गई, कब कई और कब यहां से चली गई, इसकी पूरी सूचना उसके पास पहुंच जाएगी। इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं, जिसके कारण से समय पर आदमी के पास सूचना पहुंच जाए, क्योंकि वृद्ध आदमी कई बार घर बैठा होता है। हम बैंक अकाउंट में पैसा भेजेंगे, या मनीआर्डर से जिनके पास जा रहा है, उनको भी। तो मनीआर्डर से जब तक ये आन-लाइन में ट्रांसफर नहीं होता, तब तक मनीआर्डर वाले के पास आ जाएगा कि कब आपको पेमेंट हो गया, कब निकाला। इसका पूरा एक सोफ्टवेयर तैयार

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

कर रहे हैं, इसको सुनिश्चित कर रहे हैं। ...(व्यवधान) उसका एक सोफ्टवेयर बना रहे हैं।

छात्रवृत्ति के विषय में मैंने बताया कि तीस अप्रैल तक का हमने समय दिया है आक्षेप दूर करने का और उसके बाद ओ बी सी की छात्रवृत्ति में हमारे पास जितना बजट है, उसके हिसाब से करते हैं। पहले, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक अनुभव आया। जब हम आये तो ओ बी सी की छात्रवृत्ति का विषय आया। बजट कम था, काफी लोगों के बाद में केसेज आये तो ध्यान में आया कि नीचे के अधिकारियों ने जो डिस्बर्स किया, उसमें जो व्यक्ति डिजर्व करता था उसको तो नहीं मिली और जो नहीं करता था उसको मिल गई। उदाहरण के लिए, पहले बी पी एल को मिलनी चाहिए, ए पी एल को नहीं मिलनी चाहिए। तो वो सिस्टम था। बजट कम होने के कारण, ए पी एल को तो स्कालरशिप मिल गई, लेकिन बी पी एल को नहीं मिली। तो हमने ऐसे पिछले साल से 1 टू 6 कैटेगरी डिफाइन कर दीं कि इन कैटेगरी के लोगों को ही प्रायोरिटी के आधार पर देंगे और जहां हमारा बजट खतम हो जाएगा, हम उसको रोक देंगे।

पहले था कि ओ बी सी की स्कालरशिप कैरी फारवर्ड नहीं होती थी। एस सी/एस टी की कैरी फारवर्ड होती थी इसकी कैरी फारवर्ड नहीं होती थी इसको हमने किया कि जो 1 टू 6 कैटेगरी हैं, उसमें बी पी एल, विशेष योग्य जन, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता, विधवा की बच्ची, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं के बच्चों के 31 मार्च, 2015 तक के लम्बित आवेदनों को कैरी फारवर्ड कर आगामी वित्तीय वर्ष में लाभान्वित कर दिया जाएगा।

छात्रावासों के विषय में मैंने बताया कि एक तो दो सौ सोलर लाइट का कहा; एक चीज और तय की है, एक दिक्कत कई बार आती थी कि अलग-अलग छात्रावासों के हास्टल वार्डन्स अपने हिसाब से खाने की क्वालिटी और सब कुछ तय करते थे। हमने यहां स्टेट लेवल पर कानफेड के साथ एक एग्रीमेंट किया है, हम क्वालिटी तय करेंगे; हर हास्टल से हम रिक्वायरमेंट लेंगे और रिक्वायरमेंट लेने के बाद उसकी एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल सबको समय पर पहुंचे, इसको सुनिश्चित करके उसी क्वालिटी का खाना सब बच्चों को मिले, इसको एंश्योर करने का काम हम कर रहे हैं।

एक मांग कई बार आई लोगों की, छात्रावास खोलने की या सीटें

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

बढ़ाने की। अभी तक कोई हमारे पास प्रस्ताव ऐसा नहीं है जिसमें नया छात्रावास खोलने का प्रावधान हो। इस साल में इसलिए हमने तय किया है, गुणवत्ता बढ़ाने का हम इस बार प्रयास करेंगे और माननीय मुख्य मंत्री महोदय, ने भी दस करोड़ छात्रावासों की कंडिशन को इम्प्रूव करने के लिए, मरम्मत के लिए और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए दिये हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। इसकी बहुत जरूरत थी हमें।

एक चीज रही है हमारे यहां, हम थोड़ा-सा सीटों में रि-शफल करेंगे, जो सीट बढ़ाने की बात है। एक जगह तो हास्टल में कैपेसिटी चालीस की है, पचास की है और वहां बच्चों ने एडमिशन लिया तीस ने। तो हमारे पास बीस खाली पड़ी हैं और कहीं पचास की है वहां साठ की एप्लिकेशन हैं। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, टेबल बना करके, सारा रि-शफल करेंगे और जहां खाली पड़ी होंगी, वह दूसरी जगह शिफ्ट करके, बच्चों की जितनी डिमांड होगी, जितनों को मैक्सिमम कर पाएंगे, उनको एडजस्ट करने का प्रयास हम इसमें करेंगे।

बच्चों के हास्टल में रहने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए हम प्रतियोगिताएं आयोजित करेंगे, खेलकूद की प्रतियोगिताएं।

अभी मानगढ़ धाम के बारे में बहुत चर्चा हुई। गोविन्द गुरुजी के इतिहास के बारे में माननीय मालवीयजी ने भी कहा और बाकी सदस्यों ने भी कहा है। हम सब भी उनकी बात कर-करके अपने आपको गौरवान्वित अनुभव करते हैं। ऐसे महापुरुषों के जीवन के बारे में उन बच्चों को शिक्षा दें और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, शहर के लेवल पर, प्रदेश स्तर पर, हम कोई प्रतियोगिताएं करें, खेलकूद की प्रतियोगिताएं करें और इसी प्रकार की और बौद्धिक प्रतियोगिताएं करके, उनके स्टेटस को, हम कहीं न कहीं शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास करने का प्रयास एक हमारा रहेगा इसमें।

इसी प्रकार, मैंने जैसे बाली की बालिकाओं का उदाहरण दिया, एक था कि हम बच्चों को कहीं न कहीं, इनकी तो आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अच्छे कोचिंग इंस्टिट्यूट में जा सकें। इनमें से जो बच्चे जाना चाहेंगे और हमारे पास जितनी सीट होंगी, हम ये जो एलन और इस तरह के जितने इंस्टिट्यूट कोटा में और जगह-जगह चलाते हैं, उन सब प्रतिष्ठित इंस्टिट्यूट्स

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

में बात करके कोटा में और जयपुर में उनको प्रवेश दिला करके, उनकी फीस को रिएम्बर्स करके, उनकी कोचिंग की व्यवस्था हम करें, इसका प्रयास हमारे विभाग द्वारा किया जाएगा। इसको हम सुनिश्चित करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक हमने प्रयास किया, एक सामाजिक समरसता का भाव सभी में पैदा करने के हिसाब से हमने अपने छात्रावासों में पिछले साल एक आदेश निकाला। उसको हम इस साल, पिछली साल तो लागू नहीं किया था, इस साल से हम लागू करेंगे उसको। इसमें हमने कहा कि मान लीजिये, अनुसूचित जाति वर्ग का कोई छात्रावास है, तो जिस वर्ग का छात्रावास है उस वर्ग के साठ प्रतिशत विद्यार्थी और बाकी, जैसे अनुसूचित जाति वर्ग का अगर छात्रावास है तो साठ प्रतिशत अनुसूचित जाति मय स्वच्छकार, स्वच्छकारों को प्राथमिकता, दस प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, पन्द्रह प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग एवं विशेष पिछड़ा वर्ग, पन्द्रह प्रतिशत आर्थिक पिछड़ा वर्ग। एक सामाजिक समरसता खड़ा करने के लिए हम साठ परसेंट उस वर्ग के लिए, बाकी सब वर्गों के लोग भी उसमें रहें, इसका हमने आदेश निकाला है और इसको आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक संशोधन है। मेरे देवगढ़ में एक हास्टल है जिसमें आपका यह जो मैला ढोने वाला जिस परिवार का बच्चा हो, वह बच्चा हमारे वहां है ही नहीं और कोटा हमारे पास हमेशा खाली रह जाता है। तो इसमें कम से कम एस सी/एस टी के बच्चों को तो इससे सहायता मिल सकती है। ये हमारे हमेशा ही दिक्कत आती है।

श्री अध्यक्ष: वह आ जाएगा।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): अपन बात कर लेंगे। मैं बता दूंगा इस बारे में।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): एक, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी निवेदन है कि जयपुर जिले में सबसे ज्यादा गुर्जर समाज के लोग रहते हैं लेकिन देवनारायण बोर्ड में नहीं हैं। शामिल किया जाए देवनारायण बोर्ड में।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। हां, मंत्रीजी।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): एक पाली जिले में हमने बायोमैट्रिक के आधार पर बच्चों की अटेंडेंस को पायलट प्रोजेक्ट में शुरू किया है जिससे स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को हम एंश्योर करेंगे। धीरे-धीरे इसको फेजेज में हम सारे राजस्थान में बढ़ायेंगे।

एक, सामाजिक आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु आवासीय विद्यालयों में ई-ट्यूशन का प्रावधान किया जाएगा।

विशेष योग्यजन के लिए मई में एक कैम्प लगाने की मैंने बात की है, एक कैम्प लगाकर कृत्रिम अंग इनको देने की व्यवस्था हम करेंगे। साथ ही, विशेष कैम्प लगाकर इनके नि:शक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जाएंगे और उनकी आवश्यकतानुसार कृत्रिम अंग सहायता उपलब्ध कराई जाएंगे।

साथ ही, एक केन्द्र सरकार के यहां, हमारे चालीस परसेंट पर हम स्पेशली एबल्ड हैं, उसमें वहां 80 प्रतिशत से अधिक अगर किसी की विकलांगता है, तो केन्द्र सरकार उसको मोटराइज्ड साइकिल देने की बात करती है। मैं माननीय सदस्यों से सबसे अनुरोध करूंगा कि केन्द्र सरकार का यह है कि अगर दस परसेंट पैसा, लगभग 60 हजार के आसपास आती है एक मोटराइज्ड साइकिल, उतना पैसा दे दिया जाए तो नब्बे परसेंट केन्द्र सरकार दे देगी उसको। मैं एक व्यक्तिगत भी आपको पत्र भेजूंगा और यहां सदन के माध्यम से भी आग्रह करता हूं कि इसमें अपन दस परसेंट दे दें तो अपने-अपने क्षेत्रों में जो 80 परसेंट से अधिक विकलांगता वाले जो लोग होंगे, उनको मोटराइज्ड साइकिल उपलब्ध कराने का प्रयास हम केन्द्र सरकार के सहयोग से करने का करेंगे। एम एल ए लैड, एम पी लैड से दे सकते हैं।

श्रीमती अनिता भदेल (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): एम एल ए एम पी लैड में अलाऊ है क्या?

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): है शायद। और बात कर लेंगे इसकी। (व्यवधान) नहीं है तो पंचायत राज से बात करके कर लेंगे अपन।

श्री अध्यक्ष: शांत रहें। मंत्रीजी सम-अप कर रहे हैं।

श्री अरुण चतुर्वेदी (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): पालनहार योजना 2005 में अनाथ बच्चों हेतु लागू की गई थी। विगत वर्षों में योजना में कई संशोधन कर नौ श्रेणियों के बच्चों को लाभान्वित किया गया। जैसा मैंने

(श्री अरुण चतुर्वेदी)

कहा कि हम दो महीने में करके, पालनहार की मैंने बात की है, उसके नियमों में हम संशोधन करेंगे।

एक जो हमारे एस सी/एस टी का कारपोरेशन है, उसके माध्यम से आर एस एल डी सी से वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति के बी पी एल परिवारों के 18 से 35 वर्ष की आयु के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया जाकर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस हेतु एम ओ यू प्रक्रियाधीन है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूरे सदन से मेरा आग्रह है कि अनुदान की मांग संख्या 33 पारित की जाए।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मुझे भी कहना है, बाकी रह गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि मांग संख्या 30 पारित की जाए।

श्री अध्यक्ष: पहले यही पारित करुंगा।

मांग संख्या 30 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 93,68,23,80,000/- (तिरानवे अरब अड़सठ करोड़ तेइस लाख अस्सी हजार) तक की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33 का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 60,65,58,91,000/- (साठ अरब पैंसठ करोड़ अट्ठावन लाख इक्यानवे हजार) की राशि प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 24 मार्च 2015 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.41 बजे मंगलवार, दिनांक 24 मार्च, 2015 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

अनुपस्थित सदस्य का तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में कृषकों को कृषि यंत्रों पर देय अनुदान

313. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में खेती के काम आने वाले कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाता है? यदि हां, तो कौन-कौन से कृषि यंत्रों पर कितनी राशि, किस-किस योजना के तहत? गत दो वर्ष में जोधपुर सम्भाग में कितने कृषकों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन किया व कितने कृषकों को किन-किन कृषि यंत्रों पर अनुदान स्वीकृत हुआ और कितने आवेदन वर्तमान में लम्बित हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र लूणी में किसानों के लिए लूणी कस्बे में मृदा प्रयोगशाला स्थापित करने का विचार रखती है यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वर्तमान फसल बीमा में कृषि क्षेत्र में अनजान जोखिमों, अनिश्चितताओं, प्राकृतिक आपदाओं, कीट-व्याधि प्रकोप व प्रतिकूल मौसम से अधिक सुरक्षा करने के प्रावधानों को सम्मिलित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार ''राजीव गांधी कृषक साथी योजना'' में कृषि कार्य के दौरान कृषक की मृत्यु पर कृषक परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाने व इसके नियमों में सरलीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं में खेती के काम आने वाले अनुमोदित कृषि यन्त्रों पर अनुदान देय है। योजनावार एवं श्रेणीवार कृषि यंत्रों पर देय अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

गत दो वर्षों में जोधपुर सम्भाग में 4,853 कृषकों ने कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए आवेदन किया, जिनमें से 4,476 कृषकों को अनुदान स्वीकृत हुआ, जिसका जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र लूणी में मृदा परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(कृषि मंत्री)

(3) भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में दो फसल बीमा योजनाएं मौसम आधारित फसल बीमा योजना (21 जिलों में) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (12 जिलों में) क्रियान्वित की जा रही हैं। उक्त फसल बीमा योजनाओं के मापदण्ड परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

उक्त योजनाओं में अतिरिक्त प्रावधान भारत सरकार द्वारा ही किया जा सकता है।

(4) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी योजना में कृषि कार्य करने के दौरान कृषक की मृत्यु पर कृषक परिवार को देय सहायता राशि रु. 1.00 लाख को बढ़ाकर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 03.12.2014 के द्वारा रुपये 2.00 लाख की गई है। योजना क्रियान्विति के दिशा-निर्देश परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की शैक्षणिक योग्यता में छूट

317. श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रत्येक राजस्व गांव में आंगन बाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रेगिस्तानी क्षेत्र के जिले बाड़मेर, जैसलमेर के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यकर्ता, सहायिका, साथिन व सहयोगिनी आदि की शैक्षणिक योग्यताओं में छूट देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु विशेष बजट राशि का आबंटन करके निर्माण कार्य करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। राज्य सरकार वंचित क्षेत्र में आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने का विचार रखती है, जिसका मापदण्ड राजस्व गांव न होकर जनसंख्या है। भारत सरकार के दिनांक 10-04-2007 के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में सेवा से वंचित 150-400 की जनसंख्या पर मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं 400-800 की जनसंख्या पर आंगनबांड़ी केन्द्र स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है।

वंचित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत कराने के लिए उप निदेशक द्वारा प्राप्त प्रस्ताव परीक्षण-उपरान्त भारत सरकार को भिजवाये जाते हैं। भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाते हैं।

नवीन केन्द्र स्वीकृति हेतु मापदण्ड की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में निर्धारित मापदण्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी तथा साथिन हेतु न्यूनतम योग्यताधारी महिला उपलब्ध नहीं होने पर शैक्षणिक योग्यता में शिथिलन का प्रावधान किया हुआ है। बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में भी ये प्रावधान लागू हैं । शैक्षणिक योग्यता में शिथिलन हेतु प्रावधान परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार स्वीकृत आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु विशेष बजट आबंटन करने का विचार नहीं रखती है, परन्तु वर्ष 2015-16 के वार्षिक बजट में आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण हेतु 195 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। भारत सरकार द्वारा अपने हिस्से की 75 प्रतिशत राशि प्राप्त होने के उपरान्त भवनों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 'अ'

नवीन आंगनबाड़ी स्वीकृत करने के प्रावधान

नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने की सामान्य गाइडलाइन भारत सरकार के आदेश दिनांक 10.04.2007 द्वारा निर्धारित है। इसके अनुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने के मापदण्ड निम्नलिखित हैं-

ग्रामीण/शहरी क्षेत्र	150-400 जनसंख्या पर 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 400-800 जनसंख्या पर 1 आंगनबाड़ी केन्द्र 800-1600 जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी केन्द्र 1600-2400 जनसंख्या पर 3 आंगनबाड़ी केन्द्र इसके पश्चात प्रत्येक 800 के गुणक पर 1 आंगनबाड़ी केन्द्र
जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्र	150-300 जनसंख्या पर 1 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र 300-800 जनसंख्या पर 1 आंगनबाड़ी केन्द्र 800-1600 जनसंख्या पर 2 आंगनबाड़ी केन्द्र 1600-2400 जनसंख्या पर 3 आंगनबाड़ी केन्द्र इसके पश्चात प्रत्येक 800 के गुणक पर 1 आंगनबाड़ी केन्द्र

परिशिष्ट 'ब'

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता मापदण्ड

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के लिए शैक्षणिक योग्यता विभाग के परिपत्र क्रमांक 67725 दिनांक 06.08.2014 के द्वारा निर्धारित है, जो कि निम्नानुसार है-

कार्यकर्ता	न्यूनतम 10वीं पास
मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका	न्यूनतम 8वीं पास

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता

यदि किसी परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका पद हेतु न्यूनतम योग्यताधारी महिला उपलब्ध नहीं होने पर केन्द्र को क्रियाशील करने की दृष्टि से न्यूनतम शैक्षणिक योगयता में शिथिलता प्रदान कर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हेतु न्यूनतम 8वीं पास तथा मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका हेतु 5वीं पास महिला का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकता है।

आशा सहयोगिनी के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मापदण्ड

आशा सहयोगिनी के चयन हेतु निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एआरएचएम के आदेश क्रमांक एफ21/एनआरएचएम/आशा-4/2011-12/16016 दिनांक 05-11-12 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता

जिसमें राज्य सरकार की अनुमति से शिथिलन का प्रावधान है।

साथिन के चयन हेतु शैक्षणिक योग्यता मापदण्ड

साथिन के चयन हेतु आयुक्त महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ16(1)माविका/84-97/4597 दिनांक 01-03-11 के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास है।

न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता

ग्राम सभा द्वारा आठवीं कक्षा तक उत्तीर्ण महिला का चयन इस शर्त पर किया जा सकेगा कि ग्राम पंचायत मुख्यालय में आठवीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता की कार्य करने की इच्छुक महिला उपलब्ध नहीं है।

जनजाति आश्रम छात्रावासों के जर्जर भवनों की मरम्मत

318. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश के जर्जर जनजाति आश्रम छात्रावासों की मरम्मत हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि राजकीय आश्रम छात्रावास बड़गामा, बालिका सीमलवाड़ा, गन्धवापाल, डुंका आदि छात्रावासों के भवन जर्जर अवस्था में हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार इनकी मरम्मत हेतु राशि आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायत विकास नगर, दरियाटी, मुनावाड़ा, पोहरी, खातुरात, करावाड़ा, झौथरी आदि स्थानों पर नये छात्रावास स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा प्रदेश में संचालित आश्रम छात्रावास जो कि जर्जर अवस्था में है एवं मरम्मत योग्य नहीं है ऐसे छात्रावासों का पुनर्निमाण विभाग द्वारा करवाया जाता है, एवं जर्जर छात्रावास जो मरम्मत योग्य है उनकी मरम्मत विभाग को उपलब्ध राशि विभिन्न मद यथा जनजाति कल्याण निधि संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत नियमित रूप से करवाया जाता है। वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में प्राप्त राशि एवं स्वीकृति का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजकीय आश्रम छात्रावास बड़गामा, बालिका सीमलवाडा एवं डुंका, जर्जर अवस्था मे नही है परन्तु आवश्यकतानुसार मरम्मत कार्य कराये गये है। आश्रम छात्रावास गंधवापाल की सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आंशिक पुनर्निमाण एवं वृहद मरम्मत के कार्य प्रस्तावित किये गये थे अत: आंशिक पुनर्निमाण एवं वृहद् मरम्मत का कार्य स्वीकृत किया गया है। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) सरकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा उक्त स्थानो पर नये छात्रावास की आवश्यकता का आंकलन करने के उपरान्त नये छात्रावास बनाने के प्रस्ताव प्राप्त होते है, तो राशि संसाधन उपलब्धता के आधार पर छात्रावास स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-अ

1. जनजाति उपयोजना क्षेत्र हेतु वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालय के मरम्मत रख-रखाव के लिए निम्नांकित विवरण अनुसार राशि प्राप्त हुई व कार्य स्वीकृत हुए-

(राशि लाख रु.)

क्र. सं.	मद	क्षेत्र	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	योग	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि
1	संविधान की धारा 275 (1) मद	उपयोजना क्षेत्र	250.00	450.00	700.00	61	198.80
	योग		250.00	450.00	700.00	61	198.80
2	जनजाति कल्याण निधि	उपयोजना क्षेत्र	680.00	-	680.00	87	680.00
3	जनजाति कल्याण निधि	माडा	190.00	-	190.00		
4	जनजाति कल्याण निधि	बिखरी क्षेत्र	50.00	-	50.00		
5	जनजाति कल्याण निधि	सहरिया	80.00	-	80.00		
	योग		**1000.00**	-	**1000.00**	**87**	**680.00**

संविधान की धरा 275 (1) मद अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में आश्रम छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालय के मरम्मत रख-रखाव हेतु 500.00 लाख का प्रावधान किया गया है।

2. वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 में आश्रम छात्रावासों जो कि जर्जर हैं एवं असुरक्षित के पुर्ननिर्माण हेतु निम्नांकित विवरण अनुसार राशि प्राप्त हुई व कार्य स्वीकृत हुए-

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	मद	क्षेत्र	वर्ष 2013-14	वर्ष 2014-15	योग	स्वीकृत कार्य संख्या	स्वीकृत राशि
1	जनजाति कल्याण निधि	उपयोजना क्षेत्र	313.30	1106.27	1419.57	21	4445.03

3. वर्ष 2015-16 में आश्रम छात्रावासों के पुनर्निर्माण हेतु निम्नानुसार राशि का प्रावधान किया गया है-जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत 2700.00 लाख।

परिशिष्ट 'ब'

राजकीय आश्रम छात्रावास बड़गामा, बालिका सीमलवाड़ा एवं डुंका के मरम्मत हेतु स्वीकृत की गई राशि का विवरण

(राशि लाखों में)

छात्रावास का नाम	वित्तीय स्वीकृति क्रमांक/दिनांक	राशि	वि.वि.
आश्रम छात्रावास बड़गामा	30832-43/04.10.13	6.20	5.19 लाख व्यय, कार्य पूर्ण
आश्रम छात्रावास बालिका सीमलवाड़ा	14284-93/23.06.14	47.34	10.38 लाख व्यय, कार्य प्रगति पर
आश्रम छात्रावास डुंका	30832-43/04.10.13	7.20	6.23 लाख व्यय, कार्य पूर्ण

राजकीय आश्रम छात्रावास गंधवापाल के (वृहद मरम्मत एवं आंशिक पुनर्निर्माण कार्य हेतु स्वीकृत राशि का विवरण

छात्रावास का नाम	वित्तीय स्वीकृति	राशि	वि.वि.
आश्रम छात्रावास गंधवापाल	25283-95/13.10.2014	112.74	(वृहद मरम्मत एवं आंशिक पुनर्निर्माण कार्य), कार्यादेश

अलवर एवं भरतपुर जिलों में विद्युत सुधार प्रोजेक्टों पर व्यय राशि

319. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल विद्युत छीजत, उत्पादन एवं आपूर्ति का कितना प्रतिशत है? विद्युत छीजत के क्या-क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अलवर जिले में 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक कितनी विद्युत छीजत हुई तथा इसकी रोकथाम हेतु क्या-क्या उपाय किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अलवर एवं भरतपुर जिले के मेवात क्षेत्रों में एवं भरतपुर जिले में अवैध कनेक्शनों एवं विद्युत चोरी को रोकने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में विद्युत कम्पनियों द्वारा विद्युत छीजत कम करने के लिए 1 जनवरी, 2014 से 31 जनवरी, 2015 तक विद्युत सुधार प्रोजेक्टों में कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2013-14 में विद्युत उत्पादन एवं आपूर्ति में छीजत का प्रतिशत 27.45 है। विद्युत छीजत के मुख्य कारण विद्युत के पारेषण व वितरण में तकनीकी छीजत व वितरण में वाणिज्यिक छीजत होना है।

(2) अलवर जिले में जनवरी, 2014 से जनवरी, 2015 तक हुई वितरण हानि का विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है। विद्युत छीजत को कम करने के लिए विद्युत तंत्र सुदृढ़ीकरण यथा नये सब-स्टेशनों का निर्माण, लाइनों का भार संतुलन, दोषपूर्ण मीटरों को बदलना एवं अन्य सुधार कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

(3) राज्य सरकार विद्युत चोरी रोकने के लिए कृत संकल्पित है। विद्युत चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निगम द्वारा अलवर एवं भरतपुर जिलों में सतर्कता जांच हेतु अधिशासी अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर डिस्काम, अलवर/भरतपुर/बहरोड़ एवं सहायक अभियन्ता (सतर्कता), जयपुर डिस्काम, किशनगढ़बास व डीग में पदस्थापित हैं। उनके एवं क्षेत्र के पवस अभियन्ताओं द्वारा अपने-अपने क्षेत्राधिकार में सतत सतर्कता जांच की जाती है। विद्युत चोरी बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित किया जाकर समय-समय पर विशेष/गहन सतर्कता

(ऊर्जा मंत्री)

जांच अभियान चलाकर दोषियों की धरपकड़ की जा रही है। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा विद्युत चोरी की रोकथाम हेतु अलवर एवं भरतपुर जिलों में विद्युत चोरी निरोधक पुलिस थाना क्रमश: अलवर, बहरोड़, भरतपुर व डीग में स्थापित किये गये हैं, जिनके द्वारा विद्युत चोरी अपराधों में दर्ज अभियोगों पर त्वरित अनुसंधान किया जाकर दोषियों के विरुद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम-2003 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(4) विद्युत छीजत कम करने के लिए विभिन्न विद्युत तंत्र सुधार/अपग्रेडेशन एवं अन्य कार्यों के लिए वर्ष 2013-14 व 2014-15 में क्रमश: 1,934.92 एवं 2,013.75 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।

प्रपत्र-अ

Statement showing of Energy avail., energy sold & % Distribution Losses during Jan. 2014 to Jan. 2015 in Alwar Distt.

(Units in Lack)

Billing Month	Energy Avail	Energy Sold	% Distribution Losses
Jan-14	5318.66	3360.13	36.82
Feb-14	5293.60	3427.16	35.26
Mar-14	4777.79	3398.02	28.88
Apr-14	4693.62	3090.56	34.15
May-14	4254.24	3292.58	22.60
Jun-14	4786.65	3252.64	32.05
Jul-14	4787.90	3415.73	28.66
Aug-14	5083.66	3460.47	31.93
Sep-14	4853.92	3468.66	28.54
Oct-14	4795.31	3794.21	20.88
Nov-14	5296.69	3966.68	25.11
Dec-14	5073.51	3508.18	30.85
Jan-15	5804.06	3737.81	35.60

राजकीय बांगड़ चिकित्सालय (पाली) में प्रसूताओं की देखभाल हेतु नियुक्त महिलाओं का मानदेय

320. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(1) पाली के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में प्रसूता महिला एवं नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु कितनी महिलाएं कब से नियुक्त हैं एवं इनको मानदेय का भुगतान किस-किस मद से कब-कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त महिलाओं के मानदेय हेतु अब तक सरकार द्वारा कब-कब कितना-कितना बजट आबंटित किया गया एवं राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, बांगड़ अस्पताल द्वारा इसके अतिरिक्त कितनी राशि का भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त महिलाओं को वर्तमान में मानदेय नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो कब से व क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, बांगड़ अस्पताल, पाली को उसके द्वारा दिये गये मानदेय की राशि एवं महिलाओं के बकाया मानदेय का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यशोदा योजना के अन्तर्गत पाली के राजकीय बांगड़ चिकित्सालय में प्रसूता महिला एवं नवजात शिशुओं की देखभाल हेतु 12 महिलाओं (यशोदाओं) एवं इनके कार्यों के सुपरविजन हेतु 2 यशोदा सुपरवाइजर की नियुक्ति वर्ष 2009-10 में की गई थी । इनको मानदेय का भुगतान नहीं किया जाता है, अपितु कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि का ही भुगतान किया जाता है।

इन यशोदाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक नार्वे इन्डिया पार्टनरशिप इनिशियेटिव (निपि) मद से एवं वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक एन एच एम मद से किया गया है, जिसका माहवार विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है ।

(2) उक्त महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु वर्ष 2009-10 से वर्ष 2014-15 तक कुल राशि रुपये 32,60,579/- (बत्तीस लाख साठ हजार पांच सौ उनयासी) आबंटित की गयी है, जिसके विरुद्ध राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, बांगड़ अस्पताल, पाली द्वारा राशि रुपये 29,93,662/-

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(उनतीस लाख तिरानवे हजार छह सौ बासठ) का भुगतान किया गया है, जिसका वर्षवार विवरण निम्नानुसार है –

वर्ष	**आबंटित की गई राशि (रुपये में)**	**भुगतान की गई राशि (रुपये में)**
2009-10	279488.00	121321.00
2010-11	500000.00	629100.00
2011-12	283091.00	497216.00
2012-13	500000.00	495304.00
2013-14	250000.00	609913.00
2014-15	1448000.00	640808.00
योग	**3260579.00**	**2993662.00**

वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2013-14 में यशोदाओं की प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के स्तर से राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पाली को आबंटित राशि अपर्याप्त होने के कारण राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पाली द्वारा यशोदाओं को राशि रुपये 8,45,695/- (आठ लाख पैंतालीस हजार छह सौ पिचानवे) का भुगतान आर.एम.आर.एस. मद से किया गया था । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा वर्ष 2014-15 में बजट आबंटन कर राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पाली को उक्त राशि रुपये 8,45,695/-(आठ लाख पैंतालीस हजार छह सौ पिचानवे) का पुनर्भरण कर दिया गया है।

(3) राजकीय बांगड़ चिकित्सालय, पाली में कार्यरत यशोदाओं को माह फरवरी, 2015 तक की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(4) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, पाली को बजट आबंटित कर दिया गया है तथा राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, बांगड़ अस्पताल, पाली द्वारा किये गये भुगतान का समायोजन एवं यशोदाओं को माह फरवरी, 2015 तक की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मनोहरथाना में काश्तकारों को फसल की क्षतिपूर्ति का भुगतान

321. श्री कंवर लाल (मनोहरथाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा के.सी.सी., सहकारी या फसली ऋण लेते समय उनसे फसल बीमा की किश्त की कटौती कर फसल बीमा किया जाता है तथा उक्त बीमा कम्पनियों द्वारा फसल क्षति उपरान्त किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में अब तक कितने काश्तकारों को कितनी राशि का फसली बीमा मुहैया कराया गया है? गत तीन वर्षों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) झालावाड़ जिले में फसल बीमा के तहत गत तीन वर्षों में कितनी राशि तहसीलवार फसली ऋण से कटौती करके बीमा कम्पनियों को लाभान्वित किया गया है तथा बदले में बीमा कम्पनियों के द्वारा कितने किसानों को लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में मौसम आधारित फसल बीमा योजनान्तर्गत बीमित हुए कृषक, बीमा कम्पनी द्वारा पात्र बीमित कृषकों को दिये गये बीमा क्लेम का वर्षवार विवरण परिशिष्ट- 1 पर संलग्न है।

(2) झालावाड़ जिले में मौसम आधारित फसल बीमा योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। फसल बीमा योजना ऋणी कृषकों के लिए अनिवार्य है, जबकि गैर-ऋणी कृषकों के लिए स्वैच्छिक। विगत तीन वर्षों में झालावाड़ जिले में इस योजनान्तर्गत बीमित कृषक से काटी गई कृषक हिस्सा राशि एवं बीमा कम्पनी द्वारा लाभान्वित किये गये कृषकों का विवरण परिशिष्ट-2 पर सलंग्न है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना के अन्तर्गत आने वाली तहसीलों की खरीफ 2011 से रबी 2013-14 तक के बीमित कृषक, बीमा क्लेम (मुआवजा) एवं लाभान्वित कृषकों का विवरण

वर्ष	मौसम	तहसील	बीमित कृषक संख्या	बीमा क्लेम राशि (करोड़ में)	लाभान्वित कृषक संख्या
वर्ष 2011-12	खरीफ 2011	अकलेरा	10657	0.27	1202
		मनोहरथाना	11953	0.00	0
		असनावर	-	-	-
	रबी 2011-12	अकलेरा	9985	0.13	5020
		मनोहरथाना	11171	1.00	8083
		असनावर	-	-	-
वर्ष 2012-13	खरीफ 2012	अकलेरा	14598	0.00	0
		मनोहरथाना	9449	0.03	2486
		असनावर	-	-	-
	रबी 2012-13	अकलेरा	14042	3.59	14042
		मनोहरथाना	20584	10.04	20584
		असनावर	-	-	-
वर्ष 2013-14	खरीफ 2013	अकलेरा	15484	2.06	15484
		मनोहरथाना	15833	3.62	15833
		असनावर	3064	1.54	3064
	रबी 2013-14	अकलेरा	18378	0.37	4007
		मनोहरथाना	21784	0.32	10302
		असनावर	2486	1.88	2016
तीन वर्ष का योग			**179468**	**24.85**	**102123**

परिशिष्ट-2

जिला झालावाड़

वर्ष	मौसम	तहसील	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (राशि करोड़ में)	बीमा क्लेम (राशि करोड़ में)	लाभान्वित कृषक संख्या
वर्ष 2011-12	खरीफ 2011	अकलेरा	0.44	0.27	1202
		असनावर	0.00	0.00	0
		गंगधार	0.31	0.00	0
		झालरापाटन	0.64	0.00	0
		खानपुर	0.66	1.34	4790
		मनोहरथाना	0.46	0.00	0
		पंचपहाड़	0.59	0.00	0
		पिड़ावा	0.95	0.00	0
	रबी 2011-12	अकलेरा	0.31	0.13	20
		असनावर	0.00	0.00	0
		गंगधार	0.29	0.48	2856
		झालरापाटन	0.82	0.53	6573
		खानपुर	0.67	1.05	4991
		मनोहरथाना	0.51	1.00	8083
		पंचपहाड़	0.91	3.65	12643
		पिड़ावा	1.13	5.97	10679
वर्ष 2012-13	खरीफ 2012	अकलेरा	0.56	0.00	0
		असनावर	0.00	0.00	0
		गंगधार	0.32	0.20	10413
		झालरापाटन	0.81	0.24	8261
		खानपुर	0.78	1.08	10934
		मनोहरथाना	0.41	0.00	2486
		पंचपहाड़	0.79	0.00	0
		पिड़ावा	0.94	0.00	16
	रबी 2012-13	अकलेरा	0.47	3.59	14042
		असनावर	0.00	0.00	0

वर्ष	मौसम	तहसील	कृषक द्वारा देय प्रीमियम (राशि करोड़ में)	बीमा क्लेम (राशि करोड़ में)	लाभान्वित कृषक संख्या
वर्ष 2012-13	रबी 2012-13	गंगधार	0.47	5.39	12220
		झालरापाटन	0.12	9.67	19220
		खानपुर	0.80	7.18	9442
		मनोहरथाना	0.62	10.04	20584
		पंचपहाड़	1.41	18.89	27389
		पिड़ावा	1.92	32.00	25327
वर्ष 2013-14	खरीफ 2013	अकलेरा	0.59	2.06	15484
		असनावर	0.31	2.30	4596
		गंगधार	0.89	3.33	28446
		झालरापाटन	1.05	4.59	18920
		खानपुर	1.12	3.44	17734
		मनोहरथाना	0.58	3.62	15833
		पंचपहाड़	1.41	2.24	31372
		पिड़ावा	1.77	4.15	30661
	रबी 2013-14	अकलेरा	0.82	0.37	4007
		असनावर	0.42	2.82	3024
		गंगधार	1.04	1.07	15168
		झालरापाटन	1.43	4.49	10002
		खानपुर	1.67	5.42	15975
		मनोहरथाना	0.58	0.32	10302
		पंचपहाड़	1.97	3.47	24760
		पिड़ावा	2.67	9.85	36864
तीन वर्ष का योग			**37.41**	**156.24**	**495619**

भादरा (हनुमानगढ़) में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय की स्थापना

322. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हनुमानगढ़ जिले में पुलिस उपाधीक्षक, कार्यालय कहां-कहां पर स्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री संजीव कुमार)

(2) क्या यह सही है कि भादरा में उपखण्ड होने के बावजूद पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय नहीं होने की वजह से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है?

(3) क्या विभिन्न जन-प्रतिनिधियों एवं संगठनों द्वारा भादरा में उपाधीक्षक कार्यालय खोलने की मांग की गई है? यदि हां, तो किन-किन ने और कब-कब?

(4) क्या उक्त मांग पर जिला पुलिस प्रशासन से उक्त कार्यालय खोलने बाबत विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो कब? रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त समस्या को देखते हुए भादरा में उक्त कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) हनुमानगढ़ जिले में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय हनुमानगढ़, संगरिया, नोहर एवं रावतसर में स्थापित हैं। इनके अतिरिक्त, कार्यालय पुलिस उप अधीक्षक एस सी/एस टी सैल हनुमानगढ़ में स्थापित है।

(2) यह सही है कि भादरा में पुलिस उपाधीक्षक का कार्यालय नहीं है। भादरा में जनता की पुलिस सम्बन्धी शिकायतों के निवारण हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक का कार्यालय स्थित है।

(3) जिला हनुमानगढ़ के भादरा में पुलिस उपाधीक्षक (सी.ओ.) कार्यालय खोलने हेतु मांग माननीय विधायक, भादरा से पत्र दिनांक 08.06.2014 द्वारा प्राप्त हुई है।

(4) उक्त मांग पर रिपोर्ट अति. महानिदेशक पुलिस (पुनर्गठन), राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 1044-46 दिनांक 07.07.2014 से प्राप्त हुई है, जिसकी प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) राज्य सरकार के राजस्व विभाग के आदेश दिनांक 20.01.2014 द्वारा पुलिस उपखण्डों का पुनर्गठन/सृजन किये जाने के सम्बन्ध में श्री परमेश चन्द्र, सेवानिवृत्त, आई.ए.एस. की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। समिति के सुझाव तथा वित्तीय संशोधनों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उप अधीक्षक पुलिस कार्यालय (सी.ओ. आफिस) को खोले जाने के सम्बन्ध में विचार किया जावेगा।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सवाई माधोपुर में खेल स्टेडियम का निर्माण

323. राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में स्टेडियम का निर्माण करवाया जाना आवश्यक है?

(2) क्या सरकार दशहरा मैदान को खेल स्टेडियम के रूप में विकसित कर खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे ।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर के पत्रांक प. 36(11)(15) सामान्य/09/10640-10648 दिनांक 13.09.2012 के द्वारा सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर स्टेडियम निर्माण हेतु खसरा संख्या 1570 रकबा 1.65 व खसरा संख्या 1586 रकबा 5.19 कुल रकबा 6.84 हैक्टेयर भूमि (दशहरा मैदान) युवा मामले एवं खेल विभाग को हस्तान्तरित की जा चुकी है।

सवाई माधोपुर में स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग को उपलब्ध करवाई गई राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	स्वीकृत राशि प्रदानकर्ता	राशि (लाखों में)
1	विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास मद	2.12
2	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास मद	6.00
3	युवा मामले एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार	15.00
	कुल योग	**23.12**

उक्तानुसार उपलब्ध करवाई गई राशि के अन्तर्गत कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कार्यालय भवन का निर्माण करवाया जा चुका है।

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

सवाई माधोपुर स्टेडियम के अन्य कार्यों हेतु विभाग में प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण किया गया । परीक्षण उपरान्त समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अर्न्तगत राशि स्वीकृत करने की कार्यवाही (वित्तीय वर्ष 2015-16 में) विचाराधीन है ।

निवाई के गांवों में सरकारी भूमि पर बने मकानों का नियमन

324. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार सिवाय चक, चारागाह व अन्य भूमि पर वर्षो से मकान बनाकर रह रहे आवासीय मकानों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र निवाई के ग्राम ढूढियां में गुर्जरों की ढाणी, मोहम्मद नगर ढाणी, कैलाशपुरी खसरा नं. 876, 878, 814 प्रदोष नगर, हाडी कलां में रहम्मतभाटा की ढाणी, प्यावड़ी में गैर-मुमकिन नाड़ी ककराज कलां में सिवायचक भूमि पर बसे हुए निवासियों के मकानों का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सिवायचक एवं अन्य गैर मु. राजस्व भूमियों पर दिनांक 01.01.1995 से पूर्व आवास गृह व जानवरों के बाड़े बनाकर किये गये अतिक्रमणों को नियमन करने के निर्देश परिपत्र क्रमांक प. 9 (6) राज-6/2000/02 दिनांक 30.01.06 द्वारा जारी किये गये थे। तत्पश्चात् परिपत्र क्रमांक प. 9 (6) राज-6/2000/01 दिनांक 11.01.08 द्वारा दिनांक 01.01.1995 की अवधि को बढाकर दिनांक 01.01.2000 तक किया गया । तत्पश्चात् परिपत्र क्रमांक प. 9 (6) राज-6/2000/01 दिनांक 10.01.13 द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर दिनांक 01.01.2005 तक कर दिया गया है ।

(2) विधान सभा क्षेत्र निवाई की तहसील पीपलू में स्थित ग्राम ढूण्डिया में गुर्जरों की ढाणी अलग से कोई राजस्व ग्राम नहीं है। ढूंढिया ग्राम में ही गुर्जरों की ढाणी है, जो ख.नं. 622 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा किस्म सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। जिसमें 40 परिवार निवास करते है। मोहम्मद नगर

(राजस्व राज्य मंत्री)

ढाणी में ख.नं. 388 रकबा 0.7 बीघा गै.मु. बाडा, 392/1 रकबा 5.5 बीघा किस्म बंजड, 393 रकबा 14.5 बीघा बंजड, 394 रकबा 19.19 बीघा चरागाह, 397/1 रकबा 13.11 बीघा किस्म चरागाह दर्ज रिकार्ड है। कैलाशपुरी राजस्व ग्राम में ख.नं. 876/1 रकबा 24.02 बीघा किस्म चरागाह जिसमें 23 मकान, बाडे बने हुए है तथा ख.नं. 878/3 किस्म नहरी बी.वि. आरक्षित रकबा 5 बीघा में 5 मकान, बाड़े हैं तथा 814/1 किस्म चरागाह रकबा 8.01 बीघा में 10 मकान बाडे बने हुए हैं तथा ग्राम प्रदोषनगर में कोई मकान, बाड़े नहीं है। इस ग्राम के निवासियों ने ग्राम पीपलू के ख.नं. 2950 रकबा 3.10 बीघा किस्म चरागाह भूमि ग्राम पीपलू में दर्ज रिकार्ड है। जिसमें 8 मकान व 7 बाड़े बने हुए है। हाडीकलां के ख.नं. 1669 रकबा 2.04 बीघा किस्म बंजड में 22 मकान, बाड़े बने हुए है तथा रहमत भाटा की ढाणी में ख.नं. 1669 किस्म बंजड रकबा 5.04 बीघा में 21 मकान, बाडे बने हुए है। ग्राम प्यावडी में ख.नं. 52 गै.मु. नाडी रकबा 0.05 बीघा में 1 मकान बाडा है। ग्राम प्यावड़ी में ख.नं. 992 रकबा 44.05 बीघा किस्म गै.मु. तालाब सिवायचक दर्ज है। जिसमें लगभग 41.10 बीघा में 150 परिवार निवास कर रहे हैं। शेष रकबा 2.15 बीघा मौके पर खाली पड़ा हुआ है। इन ग्रामों के प्रस्ताव तैयार करवाये जाकर उपखण्ड अधिकारी पीपलू से मंगवाया जा रहा है।

पीसांगन (अजमेर) में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र की स्थापना

325. श्री रामनारायण (नसीराबाद) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पीसांगन (अजमेर) में जिले का धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो कब? स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिले का धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र स्वीकृति के पश्चात् भी जमीन/भवन के अभाव में संचालित नहीं किया जा सका है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्र स्वीकृति के पश्चात भी संचालित नहीं होने के लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा सरकार दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2012-13 में प्रत्येक जिले की एक पंचायत समिति में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र स्थापित किये जाने की स्वीकृति दी गई थी। इसके लिए जिले में पंचायत समिति व स्थान का चिह्निकरण करने तथा चयन उपरांत भूमि आबंटित करने के लिए सम्बन्धित जिला प्रमुख, जिला परिषद की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। अजमेर जिले की उक्त समिति द्वारा पंचायत समिति पीसांगन में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया गया । राज्य सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति परिशिष्ट 'अ' पर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, अजमेर का आदेश परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पीसांगन में स्वीकृत धन लक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र का संचालन प्रारम्भ नहीं किया जा सका है।

धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र के भवन निर्माण हेतु चिन्हित पंचायत समिति पीसांगन में नि:शुल्क भूमि उपलब्ध नहीं थी, अत: सक्षम स्तर पर निर्णय लेकर बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं, पीसांगन (अजमेर) के कार्यालय एवं गोदाम के लिये पंचायत समिति मुख्यालय पर आबंटित भूमि 1500 वर्ग गज में से 500 वर्ग गज भूमि धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केंद्र के निर्माण के लिए चिह्नित करवाई गई। निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर की स्वीकृति दिनांक 24.09.2013 परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है ।

पंचायत समिति पीसांगन (अजमेर) धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र के निर्माण की कार्यकारी एजेंसी है जिसके द्वारा वर्तमान में केन्द्र का निर्माण कार्य प्रगति पर है । भूमि के चिह्निकरण एवं आबंटन के निर्णय सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लगने के कारण धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र पीसांगन का निर्माण देरी से प्रारम्भ हुआ है ।

(3) अजमेर में धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र हेतु जिला स्तरीय समिति द्वारा पंचायत समिति पीसांगन को चिह्नित किया गया। पंचायत समिति पीसांगन में नि:शुल्क भूमि आबंटित करवाने के प्रयास किये गये। नि:शुल्क भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण बाल विकास परियोजना, पीसांगन के कार्यालय एवं गोदाम हेतु आबंटित 1500 वर्ग गज भूमि में से 500 वर्ग गज भूमि पर धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र के भवन निर्माण का दिनांक

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री

24.09.2013 को सक्षम स्तर से निर्णय लिया गया । इसके पश्चात भवन निर्माण हेतु नियुक्त कार्यकारी एजेंसी जिला परिषद, अजमेर द्वारा दिनांक 31.07.2014 को वित्तीय स्वीक़ति जारी की गई एवं दिनांक 30.10.2014 को धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र निर्माण हेतु कार्यादेश दिया गया ।

भूमि के चिह्निकरण एवं आबंटन के निर्णय सम्बन्धी प्रक्रिया में समय लगने के कारण धनलक्ष्मी महिला समृद्धि केन्द्र पीसांगन का निर्माण देरी से प्रारम्भ हुआ है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

किसानों द्वारा डिमाण्ड राशि जमा कराने पर निश्चित अवधि में विद्युत कनेक्शन

326. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि किसानों द्वारा डिमाण्ड राशि जमा नहीं कराने के कारण उनकी फाइल निरस्त कर दी जाती है, जबकि पूर्व में 500 रुपये जमा करा कर फाइल पुन: खोल दी जाती थी? यदि हां, तो पूर्व की व्यवस्था में संशोधन किये जाने का क्या कारण है?

(2) क्या सरकार जिन किसानों द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करा दी गई है, उनको एक निश्चित अवधि में विद्युत कनेक्शन जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में प्रचलित कृषि कनेक्शन नीति 2004 (संशोधित दि. 31.03.07 तक) के अनुसार कृषि आवेदन की सभी श्रेणियों के लिए मांग पत्र रजिस्टर्ड पत्र द्वारा 90 दिन में राशि जमा करने हेतु भेजा जाता है। उक्त समयावधि में मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराने पर आवेदन पत्र बिना किसी अन्य सूचना के रद्द किये जाने का प्रावधान है। निरस्त पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने का निर्णय वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता व वर्तमान में लम्बित आवेदकों के मद्देनजर समय-समय पर लिया जाता है। इस सम्बन्ध में अन्तिम बार दिनांक 01.04.2013 को 500 रुपये जमा कराने पर निरस्त कृषि पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने के आदेश जारी किये गये थे, जो दिनांक 15.05.2013 तक प्रभावी थे। वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) जी हां। कृषि श्रेणी के आवेदकों द्वारा डिमाण्ड राशि जमा करवाने के पश्चात् विभागीय औपचारिताएं पूर्ण करने पर आवेदन तिथि से वरीयता बनाकर एवं संसाधनों की उपलब्धता अनुसार शीघ्रतिशीघ्र विद्युत कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है। सामान्यतया 90 दिन में कृषि कनेक्शन दिये जाने का प्रयास किया जाता है।

प्रदेश के चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ

327. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1990-91 एवं 1991-92 में नियुक्त चिकित्सकों को सरकार द्वारा 10, 20 एवं 30 वर्ष पर ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चिकित्सकों की सरकार से समय-समय पर हुई वार्ता में हुए समझौते के अनुसार डी.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चिकित्सकों से कनिष्ठ एवं वरिष्ठ चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान कर दिया गया है? यदि हां, तो उन्हें किन नियमों तथा किन समझौतों के तहत उक्त परिलाभ प्रदान किया गया है तथा वंचित चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. का लाभ नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त चिकित्सकों को लगभग 25 वर्ष की लम्बी सेवा अवधि के उपरांत भी ए.सी.पी. का लाभ तथा सरकार एवं चिकित्सकों के बीच हुए समझौते के अनुसार डी.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? क्या उपरोक्त विलम्ब में कोई अधिकारी/कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार अब उपरोक्त चिकित्सकों को 10, 20 व 30 वर्ष पर ए.सी.पी. का लाभ तथा सरकार एवं चिकित्सकों के बीच हुए समझौते के अनुसार डी.ए.सी.पी. का लाभ प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम, 2008 के नियम 19 एवं 20 के अन्तर्गत उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार राज्य सेवा के अधिकारियों को 10, 20 एवं 30 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर ए सी पी का लाभ प्रदान किया गया है ।

(2) जी हां। अखिल राजस्थान राज्य सेवारत चिकित्सक संघ एवं तत्कालीन सरकार की मंत्रीमण्डलीय उपसमिति के बीच वार्ता उपरान्त हुए समझौते दिनांक 11.07.2011 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2012 द्वारा नियम 24बी एवं 24बीबी जोड़ा जाकर चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का प्रावधान किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 की छायाप्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। वरिष्ठ चिकित्सकों से कनिष्ठ चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. की स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है।

विद्यमान नियमों के अन्तर्गत डी.ए.सी.पी स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति दिये जाने से उत्पन्न विसंगतियों के निराकरण हेतु तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अभिसंसा पर दन्त चिकित्सा सहित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और समकक्ष पद/कनिष्ठ विशेषज्ञ, जिनकी सन्तोषप्रद सेवा दिनांक 11.07.2011 को 12 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष एवं 24 वर्ष से अधिक तथा 2 वर्ष की सेवा उक्त पदों पर पूर्ण कर चुके हैं, को दिनांक 11.07.2011 से डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नत करने हेतु डी.ए.सी.पी. नियमों में 3 अतिरिक्त अपवाद जोड़े जाने प्रक्रियाधीन हैं।

(4) अखिल राजस्थान राज्य सेवारत चिकित्सक संघ एवं तत्कालीन सरकार की मंत्रीमण्डलीय उपसमिति के बीच वार्ता उपरान्त हुए समझौते दिनांक 11.07.2011 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 2012 द्वारा नियम 24बी एवं 24बीबी जोड़ा जाकर चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति प्रदान की जा रही है। विद्यमान नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार पदोन्नत किये जाने की कार्यवाही सतत रूप से की जा रही है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(5) जी हां। नियमों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार चिकित्सकों को दिनांक 11.07.2011 से पूर्व 10, 20 एवं 30 वर्ष की सन्तोषजनक सेवा पूर्ण करने पर देय ए.सी.पी. का लाभ दिया जा रहा है।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 में उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत पदोन्नति का लाभ दिया जा रहा है। उक्त प्रावधानों के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के द्वारा 3,103 चिकित्सकों को डी.ए.सी.पी. स्कीम के अन्तर्गत उच्च पदों पर पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं। विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

झालावाड़ एवं बारां जिले की गौशालाओं को देय सहायता राशि

328. श्री रामचन्द्र (डग) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में किन-किन गौशालाओं को सरकार द्वारा कितनी-कितनी राशि की आर्थिक सहायता दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गौशालाओं को गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? वर्ष एवं मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) झालावाड़ एवं बारां जिले की किन-किन गौशालाओं को गत पांच वर्षों में कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) नई गौशालाओं को शामिल करने हेतु क्या-क्या नियम/शर्तें निर्धारित हैं? नियमों एवं शर्तों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की पंजीकृत/अपंजीकृत गौशालाओं को वित्तीय उपलब्धता अनुसार विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदान दिया जा सकता है। वर्तमान में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा अभावग्रस्त क्षेत्र में अभाव अवधि के दौरान राशि रुपये 50 प्रतिदिन प्रति बड़े पशु तथा राशि रुपये 25/- प्रतिदिन प्रति छोटे पशु अनुदान दिये जाने का प्रावधान है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) गौशालाओं को गत पांच वर्ष में दिये गये अनुदान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) जिला झालावाड़ एवं बारां की जिन गौशालाओं को राज्य सरकार की ओर से अनुदान/सहायता राशि उपलब्ध करवाई गई, का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(4) नई गौशालाओं को, गौशाला अधिनियम, 1960 की धारा 5 के अन्तर्गत पंजीकरण करवाकर सम्मिलित किया जा सकता है। गौशाला पंजीकरण की प्रक्रिया के मापदण्ड परिशिष्ट-2 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चित्तौड़गढ़ जिले में अपहरण की घटनाओं पर कार्यवाही

329. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में गत दो वर्षों में अपहरण की कितनी घटनाएं घटित हुई हैं? माहवार, स्थानवार एवं अपहृत व्यक्तियों की आयुवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पुलिस द्वारा उक्त घटनाओं पर किस-किस स्तर पर क्या-क्या कार्यवाही की गई एवं कितने प्रकरणों में पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ में अपहरण जैसे बढ़ते अपराधों को रोकने के लिये कोई विशेष कदम उठाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चित्तौड़गढ़ में विगत दो वर्षों में अपहरण की 377 घटनाएं घटित हुई हैं, जिनका माहवार, स्थानवार एवं अपहृत व्यक्तियों की आयुवार विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम 5, 3 एवं 8 पर अंकित है।

(2) पुलिस द्वारा उक्त घटनाओं में विभिन्न स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित है। 377 प्रकरणों में से थाना स्तर पर 349 व वृत्ताधिकारी स्तर पर 27 एवं 1 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर पर कार्यवाही की गई तथा जिला चित्तौड़गढ़ में विगत दो वर्षों में अपहरण के कुल

(गृह मंत्री)

377 प्रकरणों में से 346 प्रकरणों में अपहृत व्यक्तियों को दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त हुई है।

(3) जिला चित्तौड़गढ़ मे अपहरण के अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में जिला स्तर पर मानव तस्करी निरोधक यूनिट गठित होकर कार्यरत है तथा समस्त थानाधिकारियों को भी अदमपता रहे प्रकरणों की तलाश हेतु विशेष तौर पर निर्देशित कर शेष अपहृत लोगों की तलाश करवाई जा रही है। इसी सन्दर्भ में आपरेशन स्माइल अभियान भी चलाया जाकर लापता बच्चों की स्क्रीनिंग की गई है तथा शेष रहे अपहृत व्यक्तियों की तलाश हेतु उनका बायोडाटा को मिसिंग ट्रैकिंग साइट पर अपडेट किया जा रहा है। प्रकरण विशेष में टीमें गठित कर लापता लोगों की तलाश हेतु भरसक प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

ब्यावर में गांवों की सरकारी भूमि का आबादी भूमि में परिवर्तन

330. श्री शंकरसिंह (ब्यावर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ब्यावर विधान सभा क्षेत्र में कई गांव सिवायचक और चरागाह तथा वन भूमि पर बसे हुए हैं? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ब्यावर में ग्राम रामसर मौहल्ला चरागाह भूमि पर तथा सरवीना वन विभाग की भूमि पर बसे हुए हैं? क्या सरकार उक्त ग्रामों सहित विभिन्न सरकारी भूमि पर बसे गांवों के लोगों को राहत देने के लिए सरकारी भूमि को आबादी भूमि में परिवर्तन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां ब्यावर विधान सभा क्षेत्र के कई गांव सिवायचक और चरागाह तथा वन भूमि पर बसे हुए हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

(राजस्व राज्य मंत्री)

क्र.स	चारागाह भूमि पर बसे ग्राम	सिवायचक भूमि पर बसे ग्राम	वन विभाग की भूमि पर बसे ग्राम
1	राजियावास	-	-
2	रामसर मौहल्ला	-	-
3	गणेशपुरा	-	-
4	बलाड	बलाड	
5	-	गढ़ी थोरियान	गढ़ी थोरियान
6	रूपाहेली	रूपाहेली	-
7	मालीपुरा	-	-
8	सोवनिया	-	-
9	बनेवडी	-	-
10	बाडिया श्यामा	-	-
11	बाडिया जग्गा	-	-
12	रामसर बलाईयान	-	-
13	--	गोहाना	-
14	-	नरबदखेड़ा	-
15	भोजपुरा	-	-
16	सिंघाड़िया	-	-
17	मालपुरा	-	-
18	सरमालिया	-	-
19	मकरेडा	-	-
20		-	सरवीना (वन विभाग की 10 बीघा भूमि पर लगभग 30 मकान बने हुए हैं।)

(2) जी हां। कुछ व्यक्तियों द्वारा ब्यावर के ग्राम रामसर मौहल्ला में चरागाह के ख.नं. 129 रकबा 29 -11-10 बीघा भूमि में 05 मकान, ख.नं. 194/1 रकबा 29-17-00 बीघा में 04 मकान ख.नं. 92 रकबा 50-09-10 बीघा

(राजस्व राज्य मंत्री)

में 03 मकान बने हुए हैं। उक्त ख.नं. अलग-अलग जगह पर स्थित हैं। ग्राम सरवीना में वन विभाग की 10 बीघा भूमि पर लगभग 30 मकान बने हुए हैं।

राज्य सरकार द्वारा चरागाह एवं सिवायचक सरकारी भूमि को आबादी भूमि में करने हेतु समय-समय पर परिपत्र जारी किये गये हैं, जिनके अनुसार कार्यवाही की जाती है तथा वन विभाग की भूमि के प्रस्ताव आबादी हेतु प्राप्त होने पर वन विभाग की अनापत्ति पर नियमानुसार वन भूमि के बदले अन्य किस्म की भूमि के प्रत्यावर्तन की कार्यवाही की जाती है।

महिला बाल विकास अधिकारियों द्वारा सरकारी आदेशों की अवहेलना

331. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा 73वें संशोधन के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग से सम्बन्धित जिला स्तर तक की गतिविधियों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किया गया है एवं इस सम्बन्ध में दिनांक 2 अक्टूबर, 2010 को मुख्य सचिव, राजस्थान एवं प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आदेश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त आदेश द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर पदस्थापित कार्मिकों को सम्बन्धित पंचायती राज संस्थाओं के अधीन किया गया है?

(3) क्या यह सही है कि जिला स्तर पर पदस्थापित अधिकारियों/ कर्मचारियों व ब्लाक स्तर पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति, भ्रमण एवं अनुशासनिक कार्यवाही, ए.सी.आर. भरने के अधिकार सम्बन्धित पंचायती राज संस्था को सौपे गये हैं? यदि हां, तो कोटा जिले में उक्त आदेश से प्रभावित महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से अब तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, कोटा अथवा सम्बन्धित विकास अधिकारी पंचायत समिति से कब-कब अवकाश स्वीकृत कराये गये; भ्रमण अनुमोदित करवाये गये; ए.सी.आर. प्रस्तुत कीं व अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण प्रस्तुत किये गये? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

(4) क्या यह सही है कि मुख्य सचिव महोदय व प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 2 अक्टूबर, 2010 की अक्षरश: पालना विभाग के जिला ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है, जिससे उक्त आदेश फौरी साबित हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला स्तर एवं ब्लाक स्तर पर पदस्थापित कार्मिकों को सम्बन्धित पंचायती राज संस्थानों के अधीन किया गया है।

(3) जी हां। जिला स्तर पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों व ब्लाक स्तर पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की अवकाश स्वीकृति, भ्रमण एवं अनुशासनिक कार्यवाही, ए सी आर भरने के अधिकार सम्बन्धित पंचायती राज संस्था को सौपे गये हैं। अनुशासनिक कार्यवाही में 17 सी सी ए की शक्तियां जिला परिषद/ पंचायत समिति में निहित है, परन्तु 16 सी सी ए की शक्तियां महिला एवं बाल विकास विभाग के पास सुरक्षित हैं। हस्तान्तरित स्टाफ के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में सम्बन्धित जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के द्वारा प्रतिवेदित करने/समीक्षा करने का प्रावधान किया गया है।

कोटा जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्मिकों द्वारा आदेश जारी होने की दिनांक से अब तक मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, कोटा अथवा सम्बन्धित विकास अधिकारी पंचायत समिति से स्वीकृत कराये गये अवकाश, अनुमोदित करवाये गये भ्रमण, प्रस्तुत की गयीं ए.सी.आर. एवं अनुशासनिक कार्यवाही के प्रकरण की सूचना परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। जिला, ब्लाक व ग्राम पंचायत पर कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों को पंचायती राज विभाग के अधीन किया जा चुका है एवं विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्देशों की पालना की जा रही है।

(प्रति व सूचना पुस्तकालय में रखी गयीं)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश की वार्षिक योजना में उपलब्ध कराई गई राशि

446. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) : क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत तीन वर्षों में सरकार ने किन-किन राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थानों को विकास कार्यों के लिये ऋण लेने हेतु आवेदन किया तथा कितनों ने उक्त आवेदनों पर सहमति देते हुए राज्य को ऋण देना स्वीकार किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत तीन वर्षों में प्रदेश को कितना ऋण किस-किस काम के लिये किन-किन स्रोतों से प्राप्त हुआ है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार को वर्ष 2012, 2013 व 2014 की वार्षिक योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार ने कितनी-कितनी धनराशि किस-किस मद में उपलब्ध करवाई गई? वर्ष व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त में से कितनी-कितनी राशि सरकार द्वारा व्यय की गई और कितनी व्यय की जानी शेष है? योजनावार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत तीन वर्षों में (2011-12 से वर्ष 2013-14 तक) विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए किया गया आवेदन तथा उनकी सहमति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में (2011-12 से वर्ष 2013-14 तक) प्रदेश को जिन-जिन परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त हुआ है, उनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) राज्य सरकार को वार्षिक योजना 2011-12 से 2013-14 तक केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि का वर्षवार व मदवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) उक्त में से व्यय की गई राशि का मदवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में सोलर लाइट की सब्सिडी के लिए दायरा बढ़ाने की योजना

447. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में खेतों पर सोलर लाइट लगाने हेतु वर्तमान में कौनसी योजना सरकार द्वारा संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश में किसानों के खेतों एवं घरों पर सोलर लाइट लगाने हेतु कोई योजना शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रदेश में घरेलू सोलर लाइट के लिए सब्सिडी का दायरा बढ़ाकर जनता को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में घरेलू उपयोग हेतु 1 किलोवाट घरेलू लाइट 30 प्रतिशत अनुदान पर (केन्द्र सरकार द्वारा देय) निर्धारित शर्तें पूर्ण करने पर उपलब्ध करवायी जा रही है। इस लाइट का उपयोग खेतों पर भी किया जा सकता है।

(2) राजस्थान सरकार द्वारा अविद्युतीकृत गांवों व ढाणियों में घरेलू उपयोग हेतु सोलर स्टैण्ड-अलोन आफ ग्रिड स्कीम के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये के अनुदान हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्रावधान प्रावधित हैं। इस योजना की गाइडलाइन बनाने का कार्य प्रगति पर है।

(3) उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में बढ़ाई गई विद्युत दरों में संशोधन

448. श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में विद्युत दरों में 17 प्रतिशत वृद्धि किस आधार पर की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार बढ़ाई गई विद्युत दरों को वापस लेने या उनमें संशोधन कर कम करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रति वर्ष 3 प्रतिशत की दर से विद्युत दरों में वृद्धि करने का फार्मूला तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार बिजली चोरी व छीजत रोकने का अभियान शुरू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा वितरण निगमों के व्यय व विद्युत आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए विद्युत दरों में बढ़ोत्तरी की गई है।

(2) जी नहीं। विद्युत दरें राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

(3) जी नहीं। विद्युत दरों का निर्धारण राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(4) बिजली चोरी, छीजत रोकने के लिए सतर्कता जांच करना एक सतत प्रक्रिया है। समय-समय पर विशेष अभियान चला कर विद्युत चोरी सम्भावित क्षेत्रों में सतर्कता जांच की जाती है।

अस्थायी स्थानान्तरण में कर्मचारी की वरिष्ठता एवं लीयन का निर्धारण

449. श्री भजन लाल जाटव (वैर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) लिपिकीय सेवा नियम 1999 के नियम 37(V) (1) के प्रावधानानुसार सेवा की विशेष अत्यावश्यकताओं में राजस्व मण्डल किसी कर्मचारी का एक जिले से अन्य जिले में अस्थायी रूप से स्थानान्तरण कितनी समयावधि के लिये कर सकता है? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रावधान में किये गये अस्थायी स्थानान्तरण में स्थानान्तरित कर्मचारी को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं पैतृक गृह जिले से प्राप्त होंगी अथवा अस्थायी स्थानान्तरित जिले से प्राप्त होंगी? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अस्थायी स्थानान्तरण के कारण स्थानान्तरित कार्मिक का लीयन एवं वरिष्ठता पैतृक जिले में रहेगी अथवा नहीं? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के नियम 37 (v)(1) के प्रावधानानुसार सेवा की विशेष आवश्यकताओं में राजस्व मण्डल को एक जिले से अन्य जिले में स्थायी रूप से स्थानान्तरण करने के लिये अधिकृत किया गया है, किन्तु कितनी समयावधि के लिये किया

(राजस्व राज्य मंत्री)

जा सकता है, समयावधि अंकित नहीं है। नियम की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रावधान में किये गये अस्थायी स्थानान्तरण में स्थानान्तरित कर्मचारी को वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं पैतृक गृह जिले से प्राप्त होंगी अथवा अस्थाई स्थानान्तरित जिले से प्राप्त होगी, नियमों में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) स्थानान्तरित कार्मिकों की वरिष्ठता का निर्धारण राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिक वर्गीय सेवा नियम, 1999 के भाग-VI नियम 37 के उप नियम-5 (2) के अन्तर्गत किया जाता है। नियमों की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सोजत में विधायक कोष से की गई अनुशंसा की पालना

450. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सोजत में विधायक कोष से वर्ष 2008 से 2014 तक विद्युत लाइन व सौर लाइटें कहां-कहां पर लगाई गयीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2012 में विधायक द्वारा की गयी विद्युत लाइन लगाने हेतु अनुशंसा के बावजूद भी अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वाह नहीं करते हुए कार्य पूर्ण नहीं किया गया? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नही, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर डिस्काम के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र सोजत में विधायक कोष से वर्ष 2008 से 2014 तक लगाई गई विद्युत लाइनों का विवरण प्रपत्र 'अ' व सौर लाइट लगाने का विवरण प्रपत्र 'ब' पर उपलब्ध हैं।

(2) जी नहीं। वर्ष 2012 में विधायक महोदया द्वारा घांचियों की प्याऊ से रामबाग तक रोड लाइट विस्तार हेतु अनुशंसा की गई थी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 21.10.2014 को जारी की गई एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 19.12.2014 को जारी की गई। इसमें 315 मीटर एल. टी. लाइन विस्तार के प्रस्तावित कार्य हेतु तखमीना राशि रुपये 18,000 दिनांक 14.3.2015 को प्राप्त हुई, जिसका कार्य प्रगति पर है।

परिशिष्ट–अ

विधान सभा क्षेत्र सोजत में विद्युत लाइन सम्बन्धित स्वीकृत कार्य

क्र. सं.	अनुशंषा वर्ष	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्यकारी संस्था	वित्तीय स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	कार्य प्रारम्भ तिथि	विवरण
1	2010-11	सोजत	मंगलाजी का रेतिया पर रोड लाइट कार्य	XEn-JVVNL Sojat city	621/21.05.2010	33900	05.06.2010	कार्य पूर्ण दिनांक 10.06.2010
2	2010-11	सोजत	बेरापिपलिया से मालियों के शमशान तक रोड लाइट कार्य	XEn-JVVNL Sojat city	621/21.05.2010	72300	05.06.2010	कार्य पूर्ण दिनांक 10.06.2010
3	2010-11	सोजत	बेरा दुर्गावा से टिकमजी की ढिमडी तक रोड लाइट कार्य	XEn-JVVNL Sojat city	337/09.06.2010	37500	28.06.2010	कार्य पूर्ण दिनांक 30.06.2010
4	2012-13 (अप्राप्त) 2014-15 (प्राप्त)	सोजत	घाचियों की प्याउ से राम बाग तक रोड लाइट कार्य	XEn-JVVNL Sojat city	1189/19.12.2014	18000	-	कार्य की अनुशंसा दिनांक 01.10.2014 को प्राप्त कार्य प्रगतिरत
5	2009-10	सोजत	फलिया पगार करमावास पट्टा का विद्युतीकरण कार्य	XEn-JVVNL Sojat city	1952/14.12.2009	116000	10.01.2010	कार्य पूर्ण दिनांक 31.03.2010

क्र. सं.	अनुशंसा वर्ष	विधान सभा क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्यकारी संस्था	वित्तीय स्वीकृति दिनांक	स्वीकृत राशि	कार्य प्रारम्भ तिथि	विवरण
6	2013-14	सोजत	गुडा बिजा पंचायत पोकरिया नाडी विद्युतीकरण कार्य	XEn-JVVNL Sojat city	382/06.09.2013	300,000	-	प्रगतिरत
7	2014-15	सोजत	गजनाई गांव सिरोला नाडा गबोलिया बाडिया का विद्युतीकरण कार्य	XEn-JVVNL Sojat city	-	150,000	-	तकनीकी स्वीकृति अप्राप्त

(आशुतोष गुप्ता)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, पाली

परिशिष्ट-ब

वर्ष 2008 से 2014 तक विधान सभा क्षेत्र सोजत में लगाई गई सोलर लाइटों की सूची

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत का नाम जहां/सोलर लाइट लगी है	कार्यकारी एजेन्सी	पंचायत समिति	सोलर लाइटों की सं.
1	सोजत	खोडिया	ग्राम पंचायत खोडिया	सोजत	30
2	सोजत	गुडा बींजा	ग्राम पंचायत गुडा बींजा	सोजत	10
3	सोजत	सरदारसमंद	ग्राम पंचायत सरदारसमंद	सोजत	20
4	सोजत	हरियामाली	ग्राम पंचायत हरियामाली	सोजत	10
5	सोजत	गुडाकलां	ग्राम पंचायत गुडाकलां	सोजत	15
6	सोजत	गुडा रामसिंह	ग्राम पंचायत गुडा रामसिंह	सोजत	10
7	सोजत	बिराटिया कलां	ग्राम पंचायत बिराटिया कलां	रायपुर	26

(आशुतोष गुप्ता)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, पाली

राज्यकर्मियों की तीसरी संतान पर ए.सी.पी. पर रोक

451. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्यकर्मियों के 01 जून, 2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने पर ए.सी.पी. रोकने का प्रावधान नियमों में किया हुआ है? यदि हां, तो क्या? सम्बन्धित आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री हीरालाल)

(2) क्या यह सही है कि ए.सी.पी. दिये जाने की मूल भावना राज्यकर्मियों की पदोन्नति नहीं होने से उनको होने वाले नुकसान की भरपाई करने की रही है? यदि हां, तो क्या ए.सी.पी. को पदोन्नति के समकक्ष मानकर ही ए.सी.पी. के नियम लागू किये गये हैं? यदि नहीं, तो किस प्रकार? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि 01 जून, 2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने पर राज्यकर्मियों को ए.सी.पी. के साथ-साथ पदोन्नति से भी वंचित किया जा रहा है, जो कि दोहरा नुकसान है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि कार्मिक विभाग द्वारा भी राज्य कर्मचारियों के 01 जून, 2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने पर पदोन्नति पांच वर्ष तक रोकने का नियमों में प्रावधान किया हुआ है? यदि हां, तो क्यों? सम्बन्धित आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार राज्यकर्मियों की पदोन्नति आगे खिसकाने एवं ए.सी.पी. से वंचित करने से हो रहे दोहरे नुकसान को रोकने के सम्बन्ध में कोई आदेश/स्पष्टीकरण जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् किसी कार्मिक के दो संतानों की संख्या में वृद्धि होने पर उसे ए.सी.पी. का लाभ स्वीकृत नहीं करने का प्रावधान किया गया है। वित्त विभाग द्वारा जारी ज्ञापन क्रमांक प. 14(88) वित्त/नियम/2008 पार्ट-I तथा प. 14(88)वित्त/नियम/2008 पार्ट-II दिनांक 31.12.2009 की प्रतियां परिशिष्ट 1 एवं 2 पर संलग्न हैं।

(2) राज्य सरकार के कार्मिकों के एक ही पद पर लम्बे ठहराव को दृष्टिगत रखते हुए ए.सी.पी. नियमों के तहत वेतन उन्नयन किये जाने का प्रावधान किया गया है। ए.सी.पी. को पदोन्नति के समकक्ष नहीं माना गया है। पदोन्नति में पदोन्नति पद की ग्रेड पे स्वीकृत की जाती है, जबकि ए.सी.पी. में रनिंग पे बैण्ड एवं ग्रेड पे के उत्क्रम (Hierarchy) में आगामी ग्रेड पे स्वीकृत करने का प्रावधान है।

(वित मंत्री)

(3) जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियत्रंण के उद्देश्य से दिनांक 01.06.2002 को या उसके पश्चात् सरकारी कर्मचारियों के दो से अधिक संतान होने पर पांच पदोन्नति वर्षों तक पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाता है। पदोन्नति की पात्रता के लिए किये गये प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए उस कार्मिक को ए.सी.पी. स्वीकृत नहीं की जाती है।

(4) जी हां। ऐसे राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति पर पांच भर्ती वर्ष तक विचार नहीं किया जाता है। वस्तुत: कार्मिक (क-2) विभाग द्वारा अधिसूचना दिनांक 20.06.2001 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.04.2003 एवं 24.02.2011 जारी करने का मूलत: उद्देश्य राष्ट्र की जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन करना है। (परिशिष्ट-3)

(5) जी नहीं। इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई स्पष्टीकरण/आदेश जारी करने का कोई विचार नही है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीमल्या पुलिस थाना (कोटा) में नवीन गांव जोड़ने की योजना

452. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के ग्राम भाण्डाहेडा, गुहाना टहला, केशवपुरा कालोनी, चोममालियान, आदि गांव, जो तहसील दीगोद के अन्तर्गत आते हैं और ये गांव पूर्व में कैथून थाना के अधीन आते थे, को सरकार ने सांगोद रोड देवली माझी थाना के अधीन कर दिया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त गांवों से सीमल्या थाना नजदीक पड़ता है, जो तहसील कार्यालय, उपखण्ड कार्यालय दीगोद जाने के लिए रास्ते में पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार क्षेत्र के लोगों की सुविधा हेतु उक्त गांवों को सीमल्या पुलिस थाने के अन्तर्गत जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.27(क)(7)गृह-2/2013 दिनांक 28.05.2013 के द्वारा कोटा जिले में पुलिस थाना देवली

(गृह मंत्री)

मांझी नया सृजित किया गया, जिसके तहत प्रश्न में अंकित गावों को इस नव सृजित थाने के अन्तर्गत किया गया ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पुलिस थाना व पुलिस सर्किलों के क्षेत्राधिकार का पुनर्गठन करने हेतु डा. परमेश चन्द्र आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस क्रम में समस्त जिला पुलिस अधीक्षकों/आयुक्तालयों को थानों का पुनर्सीमांकन करने हेतु कमेटी द्वारा प्रस्ताव चाहे गये हैं। तदनुसार ही कार्यवाही की जा सकेगी।

बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर के थानों में हत्या के दर्ज प्रकरण

453. श्री नवनीत लाल (घाटोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर जिलों में कितने थाने संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रत्येक थाने में गांवों की संख्या निश्चित की जाती है? यदि हां, तो प्रत्येक थाने में गांवों की संख्या कितनी-कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त जिलों के थानों में गत पांच वर्षों में कितने हत्या के प्रकरण दर्ज किये गये व उनमें से कितनों में चालान पेश किया गया? थानेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला बांसवाडा में 16 थाने, जिला प्रतापगढ़ में 15 थाने तथा जिला डूंगरपुर में 13 थाने संचालित हैं। थानों के नाम संलग्न परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 2,3 व 4 पर अंकित हैं।

(2) प्रत्येक थाने के सृजन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में थाने के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम भी अधिसूचित किये जाते हैं। जिला बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व जिला डूंगरपुर के थानों के अन्तर्गत आने वाले गांवों की संख्या व गांवों के नाम जिले वाइज व थानावाइज संलग्न परिशिष्ट "ब" के कालम संख्या 2, 3, 4 व 5 पर अंकित हैं।

(गृह मंत्री)

(3) जिला बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर में दिनांक 01.01.2012 से 28.02.2015 तक हत्या के कुल 283 प्रकरण दर्ज होकर 184 प्रकरणों में चालान किये गये हैं। दर्ज प्रकरणों की संख्या जिलावाइज व थानावाइज संलग्न परिशिष्ट "स" के कालम संख्या 2, 3, 4 व 5 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-454

(स्थगित)

भिवाड़ी (अलवर) में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का सृजन

455. मास्टर मामन सिंह यादव (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार तिजारा विधान सभा क्षेत्र के आपराधिक क्षेत्र होने के कारण व उक्त क्षेत्र को अपराध-मुक्त करने के लिये पुलिस बल की संख्या बढ़ाने एवं ग्राम गोठड़ा, खिदरपुर, शेखपुर-इशरौदा, बुपकाहेड़ा, शाहबाद, जरौली, साहडोद, राबड़का टोल नाका पर पुलिस चौकी बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) भिवाड़ी एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होने व एक लाख से अधिक आबादी होने के कारण क्या सरकार उक्त स्थान पर द्वितीय पुलिस अधीक्षक का पद व कार्यालय सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तिजारा विधान सभा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिए पर्याप्त पुलिस बल स्वीकृत है।

नवीन पुलिस चौकियों के सृजन का निर्णय क्षेत्र की आवश्यकता तथा वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत लिया जाता है।

(2) विधान सभा क्षेत्र तिजारा के भिवाड़ी में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

भीम (राजसमन्द) में नवीन उप कारागृह का निर्माण

456. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हरिसिंह रावत)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भीम के उप कारागृह के बन्दी गृह के सभी कैदी अव्यवस्था के कारण भाग गये थे? यदि हां, तो कब? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन उप कारागृह बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) दिनांक 20.08.2012 को उप कारागृह, भीम में 19 बंदी निरुद्ध थे, जिनमें से 10 बंदी फरार हुए थे। फरार सभी बंदी पुन: जेल दाखिल हो चुके हैं। जांच से फरारी की पृष्ठभूमि में सुरक्षाकर्मियों की कमी एवं कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही पायी गई।

(2) वर्ष 2014-15 की बजट घोषणा में घनी आबादी के बीच आई जेलों को बाहर स्थानान्तरित कर नवीन जेल भवनों के निर्माण के प्रथम चरण में भीम उप कारागृह को भी सम्मिलित किया गया है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश की जेलों में कैदियों पर हमले

457. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विगत पांच वर्षो में राज्य की कुछ जेलों से अनेक कैदी फरार होने में सफल रहे? यदि हां, तो कैदी व कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के किसी जेल में कैदियों के पास हथियार, मोबाइल या संदिग्ध सामग्री भी मिली है? यदि हां, तो इस सम्बध में दोषी लोगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त वर्षो में राज्य की जेलों में बंद कैदियों ने दूसरे कैदी पर प्राणघातक हमला किया है? यदि हां, तो कहां पर, किसने, किस पर हमला किया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जेल से कोर्ट की पेशी पर गए कैदी भी फरार होने में कामयाब रहे? यदि हां, तो कौन, कहां व किस प्रकार? इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत 5 वर्षों में फरार हुए बंदियों एवं उनमें से पुन: गिरफ्तार बंदियों की सूचना परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। फरारी की घटनाओं में दोषी पाये गये कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(2) इस सम्बन्ध में गत 5 वर्षों में दोषी पाये गये बंदियों एवं कार्मिकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण क्रमश: परिशिष्ट "स" व "द" पर संलग्न है।

(3) जी हां। इन घटनाओं का विवरण, मय की गई कार्यवाही परिशिष्ट "य" पर संलग्न है।

(4) जी हां। पुलिस विभाग से प्राप्त सूचना के आधार पर पेशी पर लाने/ले जाने के दौरान पुलिस अभिरक्षा से फरार बंदियों का विवरण परिशिष्ट "र" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर जिले के थानों में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

458. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में गत 3 वर्षों में मादक/अवैध हथियारों के कितने प्रकरण कौन-कौन से जिलों में कब-कब सामने आये एवं इन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में गत 2 वर्षों में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मंदिरों में चोरी, चेन स्नैचिंग की घटनाओं के कितने प्रकरण दर्ज किये गये व इनमें से कितने प्रकरणों में न्यायालय में चालान पेश किया गया? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अजमेर जिले के थानों में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध जांच के कितने प्रकरण लम्बित हैं एवं उक्त प्रकरणों पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में गत 3 वर्षों में मादक/अवैध हथियारों के दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) प्रदेश में गत 2 वर्षों में हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, मंदिरों में चोरी, चेन स्नैचिंग की घटनाओं एवं न्यायालय में चालान पेश किये गये प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) अजमेर जिले के थानों में कार्यरत कार्मिकों के विरुद्ध जांच के 22 प्रकरण लम्बित हैं। उनमें की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बारां जिले में माडा योजना के तहत कराये गये कार्य

459. श्री रामपाल (बारां-अटरू) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास के लिए माडा योजना पूरे प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है? यदि हां, तो बारां जिले में तहसील स्तर पर इस योजना के तहत कौन-कौन से कार्य किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बारां जिले की तहसील बारां, अटरू, किशनगंज, शाहबाद एवं अन्ता में माडा योजना के तहत पिछले तीन वर्षों में कितने परिवारों को लाभान्वित किया गया? उक्त क्षेत्र में कौशल विकास स्वरोजगार के लिए कितनी-कितनी राशि से कहां-कहां किस एजेन्सी के मार्फत कार्य स्वीकृत कर क्रियान्वित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना के अन्तर्गत कौशल विकास स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति विकास के लिए प्रदेश में माडा के 18 जिलों के 44 लघु खण्डों में योजना क्रियान्वित की जा रही है। बारां जिले में तहसील स्तर पर करवाये जाने वाले कार्यों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) बारां जिले की तहसील किशनगंज एवं शाहबाद पूर्ण रूप से सहरिया योजना में चयनित हैं। इसके अलावा, बारां, अटरू, अन्ता में माडा योजनान्तर्गत गत तीन वर्षों में 380 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। सूची परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

कौशल विकास स्वरोजगार के लिए निम्नानुसार राशि से एजेन्सी के मार्फत प्रशिक्षण कार्य स्वीकृत कर लाभार्थियों को प्रशिक्षण जिला मुख्यालय बारां पर दिलवाया जाकर क्रियान्विति की गई :-

1. राजस्थान मिशन आन स्किल एण्ड लाइवलीहुडस, जयपुर, राशि 2.83 लाख रुपये, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीकल, मधुमक्खी पालन।
2. व्यावसायिक प्रशिक्षण/किट वितरण आर.एम.ओ.एल., राशि 4.74 लाख रुपये, इलेक्ट्रीकल वायरिंग, मोटर वाईडिंग, कम्प्यूटर, कारीगर, प्रशिक्षण।
3. प्रबन्धक, राजस्थान नालेज कोरपोरेशन जयपुर राशि 1.42 लाख रुपये, कम्प्यूटर प्रशिक्षण।
4. राजस्थान रूरल इन्डस्ट्रीज आफ डवलपमेंट मेनेजमेन्ट जयपुर/उदयपुर राशि 3.36 लाख रुपये, बाडी विकास, सिलाई प्रशिक्षण।

(3) जी हां। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम, जयपुर एवं विभाग के मध्य एम ओ यू दिनांक 18.02.2015 को निष्पादित किया जा चुका है। उक्त एम ओ यू के तहत कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत युवक एवं युवतियों को रोजगार परक लघु अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें रोजगार / स्वरोजगार से जोड़ा जावेगा।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

टोंक के स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

460. श्री अजीत सिंह (टोंक) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र टोंक के सआदत चिकित्सालय एवं अन्य प्राथमिक चिकित्सालयों तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में किस-किस श्रेणी के पद स्वीकृत हैं व उनमें से कितने पद रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त चिकित्सालय में सी.टी. स्कैन व न्यूरोसर्जन की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोंक के अधीन आने वाले चिकित्सा संस्थानों में स्टाफ के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का संस्थावार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी ए सी पी

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(चिकित्सकों)/विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

विधान सभा क्षेत्र टोंक में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के शेष चिकित्सकों की नियुक्ति के समय यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(2) आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर जिला चिकित्सालय टोंक में सी.टी स्कैन मशीन उपलब्ध करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

न्यूरोसर्जन सुपरस्पेशिलिटी की सुविधा मेडिकल कालेज से सम्बद्ध चिकित्सालयों में ही उपलब्ध है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले किसी भी चिकित्सालय में न्यूरोसर्जन का पद स्वीकृत नहीं है। इसलिए जिला चिकित्सालय टोंक में न्यूरोसर्जन की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की योजना

461. श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना की लागत प्रति वर्ष कितनी आयेगी व उससे कौन-कौन लाभान्वित होंगे? क्या इसके लिये कोई सानुग्रह तय किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। बजट भाषण 2014-15 में स्वास्थ्य बीमा योजना की घोषणा की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) सेवा प्रदाता बीमा कम्पनी के चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम के रूप में निविदा प्रस्तुत करने के उपरान्त ही वास्तविक लागत की गणना हो पायेगी। बजट घोषणा के अनुसार, राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अधीन आने वाले परिवार को प्रति वर्ष सामान्य बीमारियों एवं गम्भीर बीमारियों हेतु कवर किया जायेगा । इसमें लाभार्थी को राजकीय चिकित्सा संस्थानों के साथ-साथ निजी चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से भी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा सकेगी।

परिशिष्ट-अ

पूर्ण planning और समुचित सुविधाओं की व्यवस्था किये बिना नि:शुल्क दवा तथा नि:शुल्क जांच योजनाओं के शुरू करने से राजकीय अस्पतालों पर भारी दबाव पड़ा है। साथ ही, पड़ौसी राज्यों के निवासियों के राज्य के अस्पतालों में उपचार के लिए भारी संख्या में आने के कारण भी अस्पतालों की व्यवस्था चरमरा गई है। इन दोनों योजनाओं के लिए पात्र व्यक्तियों की समीक्षा के साथ-साथ यह आवश्यक है कि insurance के माध्यम से राज्य की गरीब और वंचित जनता को निजी अस्पतालों में भी उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जाये। अत: मैं राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत पात्र सभी परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की घोषणा करती हूं। इस योजना का लाभ भामाशाह कार्ड मिलने के साथ-साथ मिलने लगेगा। इस योजना के अन्तर्गत राज्य के लगभग 67 प्रतिशत परिवार लाभान्वित हो सकेंगे और ये राजकीय और accredited निजी अस्पतालों में Indoor patient के रूप में भी अपना उपचार करा सकेंगे। सामान्य बीमारियों के लिए प्रति परिवार 30 हजार रुपये तथा चिन्हित गम्भीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का insurance coverage होगा। ऐसे परिवारों को OPD रोगी के रूप में नि:शुल्क दवायें और जांच की सुविधा भी मिलती रहेगी।

सुजानगढ़ व बीदासर के चिकित्सालयों में सुविधाओं का विस्तार

462. श्री खेमाराम (सुजानगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील सुजानगढ़ एवं तहसील बीदासर में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने बेड के कौन-कौन से चिकित्सालय/सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप स्वास्थ्य केन्द्र कब-कब से कहां-कहां संचालित हैं? उक्त में

(श्री खेमाराम)

से कौन-कौन से सरकारी भवनों में संचालित हैं तथा कौन-कौन से किराये या निजी/अनुदानित भवनों में संचालित हैं?

(2) उपरोक्त चिकित्सालयों में किस-किस श्रेणी के कौन-कौन से पद कितने-कितने सृजित हैं? इनमें कौन-कौन से पद कब-कब से रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) उपरोक्त चिकित्सालयों में कौन-कौनसी सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या सरकार उक्त चिकित्सालयों में और सुविधाओं का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसी, कहां-कहां पर, व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील सुजानगढ़ एवं बीदासर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों के नाम, उनकी स्वीकृति वर्ष एवं उनमें स्वीकृत शय्याओं की संख्या तथा भवन के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) तहसील सुजानगढ़ एवं बीदासर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों एवं अराजपत्रित संवर्ग के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की रिक्ति दिनांक सहित संख्या विवरण परिशिष्ट-'ब' एवं 'स' पर संलग्न है।

जी हां। पदोन्नति के रिक्त पदों को डी ए सी पी (चिकित्सकों)/ विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

तहसील सुजानगढ़ एवं बीदासर में चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को प्रतीक्षा सूची के शेष अभ्यर्थी चिकित्सकों की नियुक्ति के समय यथासम्भव प्राथमिकता के आधार पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

अराजपत्रित संवर्ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को विभागीय स्तर पर की जाने वाली भर्ती अथवा स्थानान्तरण के समय भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) तहसील सुजानगढ एवं बीदासर के चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध सुविधाएं निम्नानुसार हैं।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ.पी.डी./आई.पी.डी., संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, सामान्य आपरेशन, सीजेरियन सेक्शन, न्यू बोर्न केयर कार्नर,

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

नि:शुल्क जांच योजना के तहत एक्स-रे, ई.सी.जी. एवं समान्य लैब जांच, नि:शुल्क दवा, इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में सामान्य बीमारियों हेतु ओ.पी.डी.आई.पी.डी., संस्थागत प्रसव, टीकाकरण, राष्ट्रीय कार्यक्रम, नि:शुल्क जांच योजना के तहत लैब की सामान्य जांच, नि:शुल्क दवा, इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों में प्राथमिक उपचार, संस्थागत प्रसव, राष्ट्रीय कार्यक्रम, टीकाकरण, नि:शुल्क दवा, इत्यादि सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं।

आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर उक्त चिकित्सा संस्थानों में आवश्यकतानुसार सुविधाओं के विस्तार करने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

करौली के चिकित्सालयों में निःशुल्क दवा योजना के तहत दी जाने वाली दवाओं का अभाव

463. श्री घनश्याम (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश में नि:शुल्क दवा एवं नि:शुल्क जांच योजना प्रारम्भ की गई थी? यदि हां, तो क्या उक्त योजना अभी भी चालू है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि गत एक वर्ष से करौली जिले के चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवाइयों के अभाव होने के कारण आम मरीज को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में प्रदेश में स्वाइन फ्लू जैसी भयंकर बीमारी फैली हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में इसकी रोकथाम हेतु अब तक क्या उपाय किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि करौली जिले के चिकित्सालयों में मरीजों की जांच हेतु पर्याप्त स्टाफ का भी अभाव है, जिससे मरीज की समय पर जांच नहीं होने के कारण उनकी मृत्यु हो रही है? यदि हां, तो सरकार उक्त जिले में कब तक पर्याप्त स्टाफ लगा देगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पूर्ववर्ती सरकार द्वारा राज्य में नि:शुल्क दवा एवं नि:शुल्क जांच योजना प्रारम्भ की गई थी, जो अब भी निरन्तर सुचारू रूप से संचालित है।

(2) विगत एक वर्ष से करौली जिले के चिकित्सालयों में नि:शुल्क दवाइयों के अभाव में किसी भी मरीज को परेशानी की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। चिकित्सा संस्थानों में उपचार के लिये आने वाले मरीजों को नि:शुल्क दवाइयों की सुविधा का लाभ मिल रहा है।

(3) जी हां। राज्य में स्वाइन फ्लू के रोकथाम हेतु निम्न उपाय किये जा रहे हैं:-

1. राज्य के सभी जिला, उप जिला एवं सैटेलाइट चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आइसोलेशन वार्ड बनाये गये हैं।

2. राज्य के सभी जिला, उप जिला एवं सैटेलाइट चिकित्सालय तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर रेपिड रेस्पोंस टीमों का गठन किया गया है।

3. स्वाइन फ्लू के पोजिटिव केस की सूचना मिलते ही सम्बन्धित क्षेत्र में रेपिड रेस्पोंस टीम भेजकर जांच एवं सर्वे किया जा रहा है। सम्भावित मरीजों को आवश्यक दवा, टेमी फ्लू का वितरण किया जा रहा है।

4. स्वाइन फ्लू पोजिटव केस के सम्पर्क में आने वालों को टैमी फ्लू दी जा रही है।

5. ओ पी डी में तेज बुखार, खांसी, गले में दर्द, नाक बहने वाले मरीजों का विशेष ध्यान देकर टेमी फ्लू दी जा रही है।

6. स्वाइन फ्लू में इन्फ्लूएन्जा-लाइक इलनेस (आई.एल.आई) का घर-घर सर्वे का कार्य किया जा रहा है।

7. सभी चिकित्सा संस्थानों पर स्वाइन फ्लू के उपचार हेतु सभी आवश्यक औषधियां उपलब्ध हैं।

8. स्वाइन फ्लू रोग के बारे में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

9. किसी भी क्षेत्र में स्वाइन फ्लू के सम्भावित रोगियों की जांच हेतु जिला, उप जिला एवं सैटेलाइट चिकित्सालय पर सैम्पल लिया जाकर वायरल

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

ट्रांसपोर्ट मीडिया (वी.टी.एम.) के माध्यम से मेडिकल कालेज प्रयोगशाला में भिजवाया जाता है, जिसकी जांच रिपोर्ट 24 घंटे में प्राप्त कर सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भिजवा दी जाती है।

(4) जी नहीं। करौली जिले के चिकित्सालयों में मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना के अन्तर्गत पर्याप्त स्टाफ है। स्टाफ के पद रिक्त होने पर आवश्यकतानुसार मुख्य मंत्री नि:शुल्क जांच योजना (एम एन जे वाई) के अन्र्तगत वित्त विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन एवं लेबर एक्ट के अनुसार दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं, जिनके अनुसरण में इन चिकित्सालयों में उक्त सुविधा प्रदान करने हेतु पर्याप्त स्टाफ आवश्यकतानुसार लिये गये हैं। मरीजों की समय पर जांच की जा रही है। जांचें नहीं होने के कारण किसी मरीज की मृत्यु की सूचना विभाग को प्राप्त नहीं हुई है।

प्रदेश में लागू गैर-जरूरी कानूनों को समाप्त करने की कार्यवाही

464. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्तमान में कौन-कौन से कानून प्रभाव में हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त में से कुछ कानून वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गैर-जरूरी हो चुके हैं? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में लागू गैर-जरूरी कानूनों को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किन-किन को कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में कानूनों की संख्या में कमी करने हेतु गत दो दशकों में किये गये प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत दस वर्षों में कौन-कौन से गैर-जरूरी कानून समाप्त किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्तमान में राजप्रमुख द्वारा जारी 09 आर्डिनेन्स और राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियमित 398 मूल अधिनियम प्रभाव में हैं। सूची प्रदर्श-1 पर संलग्न है।

(विधि एवं विधिक कार्य मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसे उपरोक्त वर्णित 09 आर्डिनेन्स और मूल 398 एक्ट की समीक्षा की आवश्यकता है।

जी हां। समीक्षा के प्रयोजन से ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय मीटिंग दिनांक 17.12.2014 में निर्णय लिया गया है कि निरसन योग्य अधिनियमों/प्रावधानों का परीक्षण किया जायेगा।

विभिन्न विभागों में परीक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभिन्न विभागों से प्राप्त सूचना (इनपुट) को संकलित करने के बाद गैर-जरूरी कानूनों की सटीक संख्या से अवगत कराया जा सकेगा।

(3) राज्य में विधि आयोग की रिपोर्ट के क्रम में, राजस्थान विधियां निरसन अधिनियम, 1997 (1997 का अधिनियम संख्या-7) बनाया गया था, जिसके द्वारा 303 अमेण्डिंग एक्ट रिपील किये गये थे। वर्ष 2007 में प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा "गवर्नेन्स एण्ड जूडिशियल रिफार्म्स" पर एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी के विभिन्न कार्यों (terms of reference) में एक कार्य प्रचलित कानूनों की समीक्षा करना भी था। पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रिमण्डल-निर्णय संख्या 190/2008 दिनांक 19.12.08 में आगामी 05 वर्षों की कार्य योजना हेतु नीतिगत दस्तावेज के संकल्प निर्धारित किये गये। विधि विभाग से सम्बन्धित संकल्प (12.01) यह था कि वर्तमान प्रचलित कानूनों की समीक्षा एवं सरलीकरण के लिए 03 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की समिति का गठन किया जायेगा, जिसके क्रम में विधि एवं विधिक कार्य विभाग के आदेश संख्या प.10(44)न्याय/08 दिनांक 14.12.09 के द्वारा कानूनों की समीक्षा के लिये एक समिति बनायी गयी। इस समिति ने दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 को 10 विधियों के सम्बन्ध में सुझाव दिये, किन्तु किसी अधिनियम विशेष के निरसन का सुझाव नहीं दिया।

(4) विगत वर्षों में The Rajasthan Police (Integration) Ordinance, 1949; The Rajasthan Private Universities Act, 2005; The Rajasthan Right to Information Act, 2000 को रिपील किया गया।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

दूदू के स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण

465. श्री प्रेम चन्द बैरवा (दूदू) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रेम चन्द बैरवा)

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू में दिसम्बर, 2008 से दिसम्बर, 2013 तक कौन-कौन से स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या उक्त अवधि में खोले गये स्वास्थ्य केन्द्रों के पास स्वयं के भवन की व्यवस्था है अथवा वैकल्पिक भवनों में संचालित हैं? क्या सरकार भवन-रहित स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दूदू के अन्तर्गत दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2014 तक क्रमोन्नत/नवीन स्वीकृत किये गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र दूदू में दिसम्बर 2008 से दिसम्बर 2014 तक क्रमोन्नत/नवीन खोले गये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन की व्यवस्था के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

जी हां। 5 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की एवं 31 उप स्वास्थ्य केन्द्रों में से 4 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उक्त में से शेष रहे चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी करवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सहाड़ा (भीलवाड़ा) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

466. श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के किन-किन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र व सरकारी डिस्पेंसरियों पर चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ की सुविधा उपलब्ध है व किन-किन पर नहीं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ के स्वीकृत, कार्यरत तथा रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार एवं पदवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर मेडिकल कालेज में पदोन्नति लाभ से वंचित सहायक आचार्य

467. श्री भंवरसिंह (कोलायत) : क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विभागीय आदेश क्रमांक: प. 16 (25)एमई/ ग्रुप-1/96 पार्ट दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 के द्वारा चिकित्सा शिक्षकों के एक ही पद पर ठहराव को समाप्त करने के लिये मूल पदों को समाप्त कर इतनी ही संख्या में पदोन्नति हेतु सृजित किये गये सहायक आचार्य, पैथोलोजी के पदों में से मेडिकल कालेज, बीकानेर में वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के दो पद समाप्त करते हुये सहायक, आचार्य पैथोलोजी के दो पद सृजित किये गये थे?

(2) मेडिकल कालेज, बीकानेर में कार्यरत जिन दो वरिष्ठ प्रदर्शकों को अत्यधिक ठहराव का आधार मानते हुए उक्त दो सहायक आचार्य के पद सृजित किये गये थे, इन्हें पदोन्नति का लाभ कब दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दो वरिष्ठ प्रदर्शकों के पद समाप्त किये जाकर सहायक आचार्य के पैथोलोजी में वित्त व्यय विभाग की आई.डी. संख्या 2596 दिनांक 01.10.2008 के द्वारा प्राप्त सहमति के आधार पर सृजित किये गये हैं।

(2) जी हां। पैथोलोजी के वरिष्ठ प्रदर्शक पदों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जाकर डा. सुधा पंकज मीणा को वर्ष 2008-09 में एवं डा. धर्मपाल सोनी को वर्ष 2009-10 में सहायक आचार्य के पद पर पदोन्नति दी गई। उक्त दोनों चिकित्सक शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति का लाभ दिया गया है।

उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर कार्यरत प्रसाविकाओं को क्वार्टर उपलब्ध कराने की योजना

468. म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियुक्त प्रसाविकाओं का मकान किराया भत्ता काटा जा रहा है, जबकि उनके रहने की कोई सुविधा नहीं है?

(2) क्या सरकार उप स्वास्थ्य केन्द्र पर भी पी.एच.सी. की तरह क्वार्टर की अलग से सुविधा देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त प्रसाविकाओं के मकान किराये भत्ते की कटौती बंद करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिन उपकेन्द्रों के राजकीय भवन निर्मित/उपलब्ध हैं, वहां महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का नियमानुसार मकान किराया भत्ता काटा जाता है।

(2) जी नहीं। उप स्वास्थ्य केन्द्र के भवन में ही प्रसाविका का आवास होता है। उप स्वास्थ्य केन्द्र पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की तरह अलग से आवास गृह निर्मित करवाये जाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। जिन उपकेन्द्रों के राजकीय भवन निर्मित/उपलब्ध हैं, वहां पदस्थापित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के मकान किराया भत्ते की कटौती नियमानुसार की जाती है।

सेदरिया पावटा (आहौर) में नई पी.एच.सी. की स्थापना

469. श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र आहौर के सेदरिया पावटा (आहौर) में नई पी.एच.सी. खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

ग्राम सेदरिया एवं पावटा पंचायत समिति आहौर, जिला जालोर के अन्तर्गत आते हैं। उक्त दोनों ग्रामों में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है। ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति आहौर में आगामी वित्तीय वर्षो में वित्तीय संसाधन की उपलब्धता/गुणावगुण के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के प्रयास किये जायेंगे।

हमीनपुर ग्राम पंचायत (सूरजगढ़) में प्रस्तावित पी.एच.सी. केन्द्र

470. श्री सुन्दरलाल (पिलानी) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पिलानी की सूरजगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत हमीनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। ग्राम पंचायत हमीनपुर, पंचायत समिति सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं के अन्तर्गत आती है। उक्त ग्राम में वर्तमान में उप स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत है।

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्डानुसार सामान्य क्षेत्र में 30 हजार एवं जनजाति/रेगिस्तानी क्षेत्रों में 20 हजार की ग्रामीण जनसंख्या पर 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने का प्रावधान है।

ग्रामीण जनसंख्या आधारित निर्धारित मानदण्ड के अनुसार वर्ष 2011 की अनुमानित ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर पंचायत समिति सूरजगढ़ में 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता के विरुद्ध 10 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। इसलिए ग्राम पंचायत हमीनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश में दुधारु पशुओं के लिए बीमा योजना

471. श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जोगाराम पटेल)

(1) प्रदेश में किस-किस श्रेणी के कुल कितने पशुधन हैं? गत 10 वर्षों में किस-किस श्रेणी के पशुधन में कमी या वृद्वि हुई? क्या सरकार पशुधन के संरक्षण हेतु किसानों व पशुपालकों को कोई विशेष सहायता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या, व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार पशुपालकों व किसानों की सुरक्षा हेतु दुधारु पशुओं का अलग से बीमा करने की कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में पशुगणना प्रति पांच वर्ष में की जाती है। पशुगणना वर्ष 2007 एवं 2012 का तुलनात्मक विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है ।

पशुओं के संरक्षण के लिए प्रदेश में निम्नलिखित योजनाएं संचालित हैं:-

1. पशुधन आरोग्य चल इकाई;
2. पशुधन नि:शुल्क आरोग्य योजना;
3. पशुओं में टीकाकरण;
4. पशु रोग निदान प्रयोगशालाएं;
5. पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम;
6. पशुधन नस्ल सुधार योजना;
7. पशु मेलों का आयोजन व विस्तार कार्यक्रम;
8. गौशाला विकास कार्यक्रम; एवं
9. चारा विकास कार्यक्रम;

वर्तमान में पशु धन संरक्षण के लिए पशुपालकों को पृथक से कोई विशेष सहायता दिया जाना विचाराधीन नही है।

(2) जी हां। नेशनल लाइवस्टाक मिशन अन्तर्गत रिस्क मेनेजमेंट के तहत दुधारु पशुओं का अनुदानित दरों पर बीमा करवाये जाने के लिए केन्द्र सरकार से राशि प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव पूर्व में ही प्रेषित किये जा चुके हैं। प्रस्ताव केन्द्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है।

Annexure-1

Rajasthan					
Livestock Census- 2012					
S. No.	**Species**	**2007**	**2012**	**Change**	**% of Change**
1	Cattle	12119512	13324462	1204950	9.94
2	Buffalo	11091974	12976095	1884121	16.99
3	Sheep	11189855	9079702	-2110153	-18.86
4	Goat	21502996	21665939	162943	0.76
5	Horse & Ponies	25438	37776	12338	48.5
6	Mules	886	3375	2489	280.93
7	Donkeys	102130	81468	-20662	-20.23
8	Camel	421836	325713	-96123	-22.79
9	Pigs	208556	237674	29118	13.96
	Total	56663183	57732204	1069021	1.89
1	Rabbits	9301	13542	4241	45.6
2	Dogs	1246036	569575	-676461	-54.29
3	Poultry	4993620	8024424	3030804	60.29

डूंगरपुर जिले में संचालित कृषि उपज मण्डियां

472. श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) डूंगरपुर जिले में कृषि उपज मण्डियां कहां-कहां पर संचालित हैं? क्या उक्त मण्डियों में कृषि भवन हैं व कितनी-कितनी दुकानें कहां-कहां व किस-किस को आबंटित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार डूंगरपुर जिले के हर पंचायत समिति मुख्यालय पर कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में कृषि उपज मण्डी समिति, डूंगरपुर तथा इसके अन्तर्गत गौण मण्डी आसपुर, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा संचालित हैं। डूंगरपुर मण्डी के अधीन मुख्य मण्डी यार्ड डूंगरपुर एवं गौणमण्डी यार्ड आसपुर निर्मित हैं। मुख्य मण्डी यार्ड डूंगरपुर एवं गौण मण्डी यार्ड आसपुर में निर्मित/आबंटित दुकानों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.6(22)कृषि/ग्रुप-2/96 दिनांक 20.3.2012 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार नवीन कृषि उपज

(कृषि विपणन मंत्री)

मण्डी समिति बनाने हेतु 40 लाख रुपये प्रति वर्ष मण्डी शुल्क से वार्षिक आय के मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार निर्धारित हैं। पंचायत मुख्यालय आसपुर, सांगवाड़ा, सीमलवाड़ा पर स्थित गौण मण्डियां एवं पंचायत मुख्यालय बिछीवाडा, देवड़ा, झोधरी, साबला, गलियाकोट, चिखली उक्त आदेश दिनांक 20.3.2012 में निर्धारित मापदण्ड पूर्ण नहीं करते हैं, जिसके कारण उक्त पंचायत मुख्यालयों पर स्वतंत्र मण्डी बनाया जाना सम्भव नहीं है।

परिशिष्ट 'अ'

मुख्य मण्डी यार्ड डूंगरपुर एवं गौण मण्डी यार्ड आसपुर में निर्मित/आबंटित दुकानों का विवरण

मुख्य मण्डी डूंगरपुर

नाम निर्मित सम्पत्ति	संख्या	क्रमांक	आबंटित व्यापारिक फर्म का नाम	दुकान संख्या
दुकान गोदाम मय प्लेटफार्म	15	1.	मै. इब्राहिम फुट सेन्टर, डूंगरपुर	ए-5
		2.	मै. मोहम्मद रफीक एण्ड ब्रदर्स, डूंगरपुर	ए-6
		3.	मै. राजेश ट्रेडिंग कम्पनी, डूंगरपुर	ए-7
		4.	मै. सीमा फुट एण्ड वेजीटेबल, डूंगरपुर	ए-8
		5.	मै. सिराज मोहम्मद एण्ड सन्स, डूंगरपुर	ए-9
		6.	मै. आशा फुट मर्चेन्ट, डूंगरपुर	ए-11
		7.	मै. शब्बीर केला भण्डार, डूंगरपुर	ए-12
		8.	मै. रमजान अली उस्मान अली, डूंगरपुर	ए-13
		9.	मै. शंकर सब्जी भण्डार, डूंगरपुर	ए-14
		10.	मै. के.के. फ्रूट एण्ड वेजीटेबल, डूंगरपुर	ए-15
		11.	मै. भारतीय खाद्य निगम, डूंगरपुर	ए-1
		12.	मै. भारतीय खाद्य निगम, डूंगरपुर	ए-2

नाम निर्मित सम्पत्ति	संख्या	क्रमांक	आबंटित व्यापारिक फर्म का नाम	दुकान संख्या
		13.	मै. भारतीय खाद्य निगम, डूंगरपुर	ए-3
		14.	रिक्त ए ब्लाक	
		15.	रिक्त ए ब्लाक	
फुटकर दुकान	16	1.	मै. उस्मान फ्रूट सेन्टर, डूंगरपुर	सी-16
		2.	मै. जब्बार अली उस्मान, डूंगरपुर	सी-18
		3.	मै. सोनारिया सब्जी भण्डार, डूंगरपुर	सी-19
		4.	मै. ए.ए. आलू भण्डार, डूंगरपुर	सी-20
		5.	मै. रफीक फल एवं सब्जी भण्डार, डूंगरपुर	सी-21
		6.	मै. राजा फ्रूट एण्ड सब्जी भण्डार, डूंगरपुर	सी-22
		7.	मै. ऋषभ सब्जी भण्डार, डूंगरपुर	सी-23
		8.	मै. चित्तौडा ट्रेडिंग कम्पनी, डूंगरपुर	सी-24
		9.	मै. केसरियाजी सब्जी भण्डार, डूंगरपुर	सी-25
		10.	रिक्त सी ब्लाक	
		11.	मै. नाथू फल एण्ड सब्जी भण्डार, डूंगरपुर	सी-26
		12.	मै. आशा फ्रूट सेन्टर, डूंगरपुर	सी-27
		13.	मै. कचरूलाल नारायणलाल, डूंगरपुर	सी-28
		14.	मै. जे.के. आलू भण्डार, डूंगरपुर	सी-29
		15.	मै. महादेव फ्रूट एण्ड वेजीटेबल मर्चेन्ट, डूंगरपुर	सी-31
		16.	रिक्त डी ब्लाक	

नाम निर्मित सम्पत्ति	संख्या	क्रमांक	आबंटित व्यापारिक फर्म का नाम	दुकान संख्या
गौण मण्डी आसपुर				
दुकान गोदाम मय प्लेटफार्म	5	1.	मै. न्यू भाग्य ट्रेडिंग कम्पनी, आसपुर	ए-1
		2.	मै. भुखिया ट्रेडिंग कम्पनी, आसपुर	ए-2
		3.	मै. नथमल ऋषभलाल, रींछा, आसपुर	ए-3
		4.	मै. कमलेश ट्रेडिंग कम्पनी, आसपुर	ए-5
		5.	रिक्त ए ब्लाक	
फुटकर दुकान	5	1.	मै. केसरीमल प्रवीण कुमार, आसपुर	बी-1
		2.	रिक्त 4 बी ब्लाक	

परिशिष्ट 'ब'

राजस्थान सरकार

कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.6(22)कृषि/ग्रुप-2/96 जयपुर, दिनांक 20 मार्च, 2012

निदेशक,

कृषि विपणन विभाग,

राजस्थान जयपुर।

विषय :- नयी कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये जाने बाबत।

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक पं.1(84)निकृवि/नियमन/श्रीमाधोपुर/12/53357 दिनांक 13.03.2012

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 27.2.99 के द्वारा नयी कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु निर्धारित मानदण्ड 20 लाख रुपये वार्षिक आय को आधोलंधित करते हुए 40 लाख रुपये प्रति वर्ष वार्षिक आय के मानदण्ड निर्धारित किये जाते हैं।

भवदीय,

उप शासन सचिव

झुंझुनूं जिले में संचालित कृषि विज्ञान केन्द्र

473. श्री नरेन्द्र कुमार (मण्डावा) : क्या तकनीकी शिक्षा [कृषि] मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि झुंझुनूं में कृषि विज्ञान केन्द्र संचालित है? यदि हां, तो उसमें किस-किस संवर्ग के कितने-कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त में संचालित मिट्टी-पानी प्रयोगशाला से गत 2 वर्षों में जिले के कितने किसानों के मिट्टी व पानी के नमूने प्राप्त हुए व उनमें से कितनों का परीक्षण कर कितनों को लाभान्वित किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। कृषि विज्ञान केन्द्र में संवर्गवार निम्न पद स्वीकृत व रिक्त हैं-

क्र.सं.	संवर्ग पद	स्वीकृत पद	रिक्त
1.	शैक्षणिक	7	2
2.	अशैक्षणिक	9	4

(2) जी हां। वर्तमान में विश्वविद्यालय के अधीनस्थ सभी कृषि विज्ञान केन्द्र में भर्ती प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

(3) कृषि विज्ञान केन्द्र, झुंझुनूं में मिट्टी व जल प्रयोगशाला स्थापित है। गत दो वर्षों (2013-14 व 2014-15) में मिट्टी व पानी के 1,035 नमूने प्राप्त हुए तथा सभी का परीक्षण कर 1035 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत निजी चिकित्सालय के प्रमाण-पत्र को मान्यता

474. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजीव गांधी कृषक साथी योजना के अन्तर्गत किसान की दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है? यदि हां, तो कितनी एवं इसके मानदण्ड क्या हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित कुमार)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजना में किसान को सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर सरकारी चिकित्सालय से इलाज का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही सरकार द्वारा सहायता दी जाती है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सर्प काटने के इलाज का प्रमाण पत्र राजकीय चिकित्सालयों के साथ-साथ निजी चिकित्सालयों का भी मान्य करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना के अन्तर्गत देय सहायता राशि का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। स्थानीय राजकीय चिकित्सक का प्रमाण पत्र योजना के प्रावधानानुसार सर्पदंश की दुर्घटना को प्रमाणित कराये जाने के उद्देश्य से अनिवार्य किया हुआ है।

(3) जी नहीं। सर्प काटने के प्रकरणों में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना अन्तर्गत सहायता दिये जाने हेतु राजकीय चिकित्सालयों के अलावा निजी चिकित्सालयों के प्रमाण पत्रों को मान्य किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पीपल्दा में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा स्वीकृत कार्य

475. श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गत पांच वर्षो में कौन-कौन से कार्य कितनी राशि के स्वीकृत किये गये हैं? कार्यो की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण कराये जा चुके हैं एवं कितने कार्य अधूरे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषि विपणन बोर्ड द्वारा मण्डी समितियों के माध्यम से कार्य स्वीकृत करने हेतु पूर्व में निर्धारित नियमों में फेरबदल कर नये नियम लागू किये गये हैं? यदि हां, तो नये नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में गत पांच वर्षों में स्वीकृत किये गये कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(2) विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में स्वीकृत 47 कार्यों में से 45 कार्य पूर्ण हो चुके हैं। शेष कार्य प्रगति पर हैं। विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(3) जी हां। सम्पर्क सड़कों/नवीन निर्माण के निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु जारी नवीन आदेश दिनांक 31.12.2014 की प्रति संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश की गौशालाओं को देय अनुदान

476. श्रीमती गोलमा (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कितनी गौशालाएं कहां-कहां संचालित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गत पांच वर्षों में उक्त गौशालाओं को कुल कितना अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि समुचित देखरेख एवं चिकित्सा के अभाव में गौशालाओं में गायें मर रही हैं? यदि हां, तो इस हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत कुल 1,462 गौशालाएं पंजीकृत हैं। जिलेवार संख्या परिशिष्ट-अ पर संलग्न है ।

(2) गत पांच वर्षों में प्रदेश की गौशालाओं को रु. 241.83 करोड़ का अनुदान वितरित किया गया ।

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 व राजस्थान गौशाला नियम 1964 के अन्तर्गत राजस्थान की सम्भागवार व जिलावार गौशालाओं की संख्या 31 जनवरी, 2015 तक निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	सम्भाग	जिला	जिलेवार पंजीकृत गौशालाएं	गौवंश संख्या
1.	अजमेर	अजमेर	29	8888
2.		टोंक	17	2980
3.		भीलवाड़ा	34	6729
4.		कुचामनसिटी	65	17436
5.		नागौर	153	29539
		कुल	**298**	**65572**
6.	भरतपुर	भरतपुर	9	4277
7.		धौलपुर	6	559
8.		करौली	5	579
9.		सवाई माधोपुर	18	1309
		कुल	**38**	**6724**
10.	बीकानेर	बीकानेर	56	28153
11.		चूरू	82	27511
12.		हनुमानगढ़	83	48329
13.		श्रीगंगागनर	53	24238
		कुल	**274**	**128231**
14.	जयपुर	जयपुर	77	13207
15.		दौसा	7	779
16.		अलवर	20	4249
17.		सीकर	142	22587
18.		झुन्झुनूं	38	9179
		कुल	**284**	**50001**
19.	जोधपुर	जोधपुर	158	50660
20.		जैसलमेर	71	23532
21.		बाडमेर	32	17916

क्र.सं.	सम्भाग	जिला	जिलेवार पंजीकृत गौशालाएं	गौवंश संख्या
22.	जोधपुर	जालौर	75	41715
23.		पाली	112	46939
24.		सिरोही	22	64310
		कुल	**470**	**245072**
25.	कोटा	कोटा	13	2795
26.		बून्दी	7	1507
27.		बारां	9	3920
28.		झालावाड़	15	2033
		कुल	**44**	**10255**
29.	उदयपुर	उदयपुर	12	1934
30.		बांसवाड़ा	3	610
31.		चित्तौड़गढ़	19	3674
32.		डूंगरपुर	5	66
33.		प्रतापगढ़	5	845
34.		राजसमन्द	10	6015
		कुल	**54**	**13144**
		महायोग	**1462**	**518999**

पूर्व सचिव, जिला क्रीड़ा परिषद को देय सुविधाएं

477. श्री सुरेन्द्र पारीक (हवामहल) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर में कितने कर्मचारी किस-किस पद पर पदस्थापित हैं?

(2) चौगान स्टेडियम की सुरक्षा हेतु कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इन पर गत तीन वर्षों में कितना-कितना व्यय किया गया? कर्मचारियों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) पूर्व सचिव, जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर को राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप उनको दी जाने वाली पेंशन, चिकित्सा पुनर्भरण एवं समय-समय पर संशोधित महंगाई भत्ते आदि का भुगतान समय पर करने हेतु

(श्री सुरेन्द्र पारीक)

परिषद ने वर्तमान में क्या व्यवस्था कर रखी है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार पूर्व सचिव, जिला क्रीड़ा परिषद को पेंशन, चिकित्सा पुनर्भरण, समय-समय पर संशोधित महंगाई भत्ते आदि का भुगतान समय पर करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर में नियुक्त/पदस्थापित कर्मचारियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	एजेन्सी का नाम	पद का नाम	कार्यरत कर्मचारी	
			नियुक्ति	पदस्थापित
1	जिला क्रीड़ा परिषद	बेलदार	2	-
2	जयपुर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को-आपरेटिव सोसायटी, जयपुर	कनिष्ठ लिपिक	-	1
3	जयपुर एक्स सर्विस मैन वेलफेयर को-आपरेटिव सोसायटी जयपुर	सफाई कर्मचारी	-	3
4	जयपुर एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर को-आपरेटिव सोसायटी, जयपुर	बागवान	-	1
5	जयपुर एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर को-आपरेटिव सोसायटी, जयपुर	चौकीदार (गोविन्दगढ़ स्टेडियम में)	-	1
6	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर	खेल अधिकारी	-	1
7	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर	प्रशिक्षक	-	4
8	राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद, जयपुर	कनिष्ठ लिपिक	-	1
9	भारतीय खेल प्राधिकरण, नई दिल्ली	प्रशिक्षक	-	1

(युवा मामले एवं खेल मंत्री)

(2) चौगान स्टेडियम की सुरक्षा हेतु 7 सुरक्षाकर्मी जयपुर एक्स, सर्विसमैन वैलफेयर को-आपरेटिव सोसायटी के मार्फत कार्यरत हैं । इन पर विगत तीन वर्षों में निम्नानुसार व्यय हुआ है: -

क्र.सं.	अवधि	राशि
1	1 जनवरी, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक	3,54,960 /-
2	1 जनवरी, 2013 से दिसम्बर, 2013 तक	4,02,690 /-
3	1 जनवरी, 2014 से दिसम्बर, 2014 तक	4,52,067 /-

कर्मचारियों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

1. श्री धर्मपाल सिंह,
2. श्री सुरेन्द्र सिंह,
3. श्री सतपाल,
4. श्री अशोक,
5. श्री सीताराम,
6. श्री जयसिंह, एवं
7. श्री जगदीश।

(3) पूर्व सचिव, जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पेंशन, चिकित्सा पुनर्भरण एवं समय-समय पर संशोधित महंगाई भत्ते, आदि का भुगतान राजस्थान सरकार के नियमानुसार जिला क्रीडा परिषद, जयपुर द्वारा किया जाता है ।

(4) जी हां। पूर्व सचिव, जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर के पेंशन, चिकित्सा पुनर्भरण एवं समय-समय पर संशोधित महंगाई भत्ते आदि का भुगतान राजस्थान सरकार के नियमानुसार जिला क्रीड़ा परिषद, जयपुर द्वारा किया जाता है।

भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अलवर में खेल प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

478. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अलवर में केन्द्र सरकार के सहयोग से भारतीय खेल प्राधिकरण के खेल प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या अलवर में उक्त खेल प्रशिक्षण केन्द्र खोल दिये गये हैं? यदि हां, तो कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां।। वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा संख्या 187 के द्वारा अलवर में केन्द्र सरकार के सहयोग से साई सेन्टर खोलने की घोषणा की गई थी ।

(2) भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा अलवर में साई ट्रेनिंग सेन्टर का संचालन किया जा रहा है ।

प्रदेश के बुनकरों पर बकाया ऋण माफ करने की योजना

479. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में बुनकर संघ के अधीन अब तक कितनी समितियां पंजीकृत हैं? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त समितियों/बुनकरों के उत्थान के लिए गत पांच वर्षों में कोई योजना के तहत उन्हें लाभान्वित किया गया है? यदि हां, तो योजनावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बुनकरों को पूर्व में कच्चे धागे का माल देकर दरियां, बेडशीट, कम्बल, तौलिये, इत्यादि माल तैयार करवाकर सरकार द्वारा खरीदा जाता था, जिससे बुनकरों को रोजगार प्राप्त होता था, किन्तु अब प्रदेश के बुनकर गत 20-25 वर्षों से बेरोजगार हो चुके हैं? क्या सरकार कोई योजना बनाकर इन्हें रोजगार देने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त समितियों/बुनकरों पर वर्तमान में जिला उद्योग केन्द्र/ केन्द्रीय सहकारी बैंक का कितना ऋण बकाया है? समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतन लाल जलधारी)

(5) क्या सरकार उक्त समितियों/बुनकरों के बकाया ऋण को माफ करने या उक्त ऋण को चुकाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में बुनकर संघ की पंजीकृत ए श्रेणी की 7, बी-श्रेणी की 485 सदस्य समितियां एवं सी-श्रेणी की 3 सदस्य समितियां हैं। समितिवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) गत 5 वर्षो में राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लि. को राज्य सरकार से निम्न योजनाओ में राशि प्राप्त हुई है।

क्र.सं.	योजना का विवरण	वर्ष	प्राप्त राशि
1.	मुख्य मंत्री बजट घोषणा (वित्तीय पुनर्गठन हेतु)	2012-13	250 लाख
2.	मुख्य मंत्री बजट घोषणा (वित्तीय पुनर्गठन हेतु)	2013-14	500 लाख
3.	मुख्य मंत्री बजट घोषणा	2013-14	505 लाख

(बुनकर संघ के कतिन एवं बुनकरों को आवश्यक उपकरण एवं कार्यशील पूंजी के पेटे अनुदान राशि उपलब्ध कराने हेतु)

(3) जी हां। बुनकर संघ द्वारा पूर्व में सदस्य समितियों को कच्चा माल (सूत) देकर उत्पादित माल राज्य सरकार के विभागों/उपक्रमों की मांग अनुसार बिक्री किया जाता था। वर्तमान में भी सदस्य समितियों द्वारा उत्पादित तैयार माल राजकीय विभागों/उपक्रमों को बिक्री किया जाता है।

राज्य सरकार की क्लस्टर विकास योजना भारत सरकार की एकीकृत हाथकरघा विकास योजना तथा वर्तमान में काम्प्रीहेंसिव हैण्डलूम डवलपमेंट स्कीम एवं बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बुनकरों का सुदृढीकरण किया जा रहा है।

(4) उद्योग विभाग द्वारा बुनकर/बुनकर समितियों को वर्ष 1960 से हाथकर्घा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ऋण दिया गया है। जिला उद्योग केन्द्रों से वर्ष 2013-14 में प्राप्त सूचना अनुसार 365 बुनकरों का राशि 16,12,479/- तथा 291 बुनकर समितियो का 2,21,98,827/- रु. का ब्याज

(उद्योग मंत्री)

बकाया है। (सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है) बुनकर/समितियों द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक से लिये गये ऋण एवं बकाया ऋण की सूचना राज्य सरकार स्तर पर संकलित नहीं की जाती है।

(5) इस बाबत अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

आसीन्द में ग्रेनाइट उद्योग की स्थापना

480. श्री राम लाल गुर्जर (आसींद) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र आसीन्द में ग्रेनाइट सोफ्ट स्टोन का अथाह भण्डार है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सरकारी उद्योग स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र आसींद में तहसील आसींद में ग्रेनाइट समूह की चट्टानें लगभग 30 किलोमीटर लम्बाई और 2 से 5 किलोमीटर चौड़ाई में पायी जाती हैं। उक्त चट्टानें कहीं-कहीं पर ब्लोकेबल प्रकृति की होकर ग्रेनाइट ब्लाक माइनिंग के लिए उपयुक्त हैं। वर्तमान में आसींद विधान सभा क्षेत्र में खनिज ग्रेनाइट के खनन पट्टे निकट ग्राम कटार, दौलतगढ, बोरेला, झालरा, में प्रभावशील हैं।

सोफ्ट स्टोन के महत बदनोर क्षेत्र में फिलाइट शिष्ट का खनन किया जाता है, जिसमें खनन पट्टे/क्वारी लाइसेंस शीतला का चौड़ा एवं बिकरिया में प्रभावशील हैं।

(2) राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य, जिसमें आसींद विधान सभा क्षेत्र भी सम्मलित है, में उद्योग स्थापना हेतु प्रयत्नशील है। राज्य सरकार द्वारा किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना नहीं की जाती है, अपितु राज्य सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने की दृष्टि से उद्यम सहयोगी नीतियों से सकारात्मक वातावरण सृजित किया जाता है ताकि राज्य में अधिक से अधिक पूंजी निवेश आकर्षित कर उद्योग स्थापित हो सकें एवं राज्य के बेरोजगार युवाओं हेतु रोजगार के अवसर सृजित हो सकें। उद्योग स्थापना के

(उद्योग मंत्री)

लिए निवेशक उद्योग हेतु स्थान का चयन करता है जहां पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त सभी सहायता/सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है।

निजी व्यक्तियों द्वारा ग्रेनाइट पर व फिलाइट शिष्ट पर आधारित कटिंग/पालिशिंग यूनिट्स लगाई जा सकती हैं।

सिद्धि विनायक कम्पनी, निम्बोल (पाली) द्वारा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

481. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैतारण जिला पाली के निम्बोल स्थित 'निरमेक्स नामक' सिद्धि विनायक कम्पनी ने किसानों से भूमि बिना भू-रूपान्तरण के एवं बिना बंटवारे के विभिन्न खसरों पर अतिक्रमण किया है? यदि हां, तो किस-किस खसरे पर तथा कितने खसरे न्यायालय में विचाराधीन होते हुए भी उत्पादन शुरू कर दिया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सिद्धि विनायक कम्पनी की राजस्व गांव/ढाणी से दूरी नोर्म्स के अनुसार नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार सम्बन्धित अधिकारियों व कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) सिद्धि विनायक कम्पनी के किन-किन खसरों के लिटिगेशन हैं एवं इन लिटिगेशन को किस अधिकारी द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या सरकार उक्त के दायित्व निर्वाहन को निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सिद्धि विनायक कम्पनी ने गैर-मुमकिन गोचर भूमि से रास्ता निकाला है एवं अनुसूचित जाति के किन-किन खसरों को अधिग्रहण किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील क्षेत्र जैतारण के ग्राम निम्बोल में स्थित "निरमेक्स नामक" सिद्धी विनायक कम्पनी ने बिना रूपान्तरण एवं बिना बंटवारे के निम्नांकित क्रयशुदा खसरों पर सीमेन्ट प्लान्ट से सम्बन्धित औद्योगिक गतिविधियों हेतु भूमि को कार्य में लिया है :-

(राजस्व राज्य मंत्री)

ख. नं.	रकबा	किस्म	कम्पनी का हिस्सा
392	35.16	बा.दो.	11.18
437	16.13	बा.दो.	8.07
462	10.15	बा.दो.	9.14
383	5.11	बा.दो.	4.03
		योग	**34.02**

निम्नांकित ख.नं. वे हैं जिनका रूपान्तरण हो चुका है लेकिन बंटवारा नहीं हुआ है:-

ख. नं.	रकबा	किस्म	कम्पनी का हिस्सा
461	4.07	बा.दो.	2.03
439	27.06	बा.दो.	23.13
		योग	**25.16**

निम्नांकित ख.नं. वे हैं जो सीमेंट प्लांट की बाउण्ड्री में हैं किन्तु बिना रूपान्तरण शुदा हैं एवं अन्य कृषकों के नाम हैं:-

ख. नं.	रकबा	किस्म	कम्पनी का हिस्सा
442	8.15	बा.दो.	08.15
400	20.04	बा.दो.	20.04
		योग	**28.16**

न्यायालय में विचाराधीन खसरे ग्राम निम्बोल के 417 रकबा 20.00, बीघा 437 रकबा 16.13 बीघा, 442 रकबा 08.15 बीघा, 433 रकबा 7.03 बीघा, 436 रकबा 5.08 बीघा एवं 439 रकबा 27.06 बीघा है। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण में खसरा नम्बर 417 रकबा 20.00 बीघा का प्रकरण संख्या 38/13 अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम प्रकाश वगैरा, खसरा नम्बर 442 रकबा 08.15 बीघा का उक्त न्यायालय में प्रकरण संख्या 138/11 व 201/11 के अनवान क्रमश: गोविन्द सिंह बनाम भंवरू वगैरा व छोटूलाल बनाम भींयाराम वगैरा जिनमें न्यायालय का स्थगन आदेश है। खसरा 437 रकबा 16.13 बीघा में उक्त न्यायालय के प्रकरण रा.वा. संख्या

(राजस्व राज्य मंत्री)

83/2013 एवं रा.वा. संख्या 132/14 अनवान प्रदीप गुलिया बनाम मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंन्ट प्रा.लि. वगैरा, रा.वा. संख्या 203/12 जोधसिंह बनाम सिद्धी विनायक (उक्त वाद राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली के न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ) रा.वा. संख्या 140/13 प्रीतमसिंह बनाम जोधसिंह एवं रा.वा. संख्या 205/11 कन्हैयालाल बनाम जोधसिंह विचाराधीन है। रा.वा. सं. 83/13 के साथ प्रा.पत्र संख्या 118/13 एवं 132/14 में स्थगन आदेश है। प्रा.पत्र संख्या 132/14 मे प्रदत्त आदेश की निगरानी संख्या 5248/14 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है।

खसरा नम्बर 433 रकबा 7.03 किस्म बा.दो. व खसरा 436 रकबा 05.08 किस्म बा.दो. प्रकरण संख्या 235/12 उक्त न्यायालय में अनवान सतीश बनाम प्रकाश वगैरा का प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश है।

इसी ग्राम के खसरा नम्बर 439 रकबा 27.06 बीघा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के प्रकरण सं. 9/13 अनवान पूनाराम बनाम मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट प्रा.लि. विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश है।

ग्राम डूंगरनगर तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 761/1 रकबा 91.05 बीघा किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली में प्रकरण संख्या 28/14 अनवान समंदर कंवर बनाम लक्ष्मण भाई वगैरा का विचाराधीन है। प्रकरण में स्थगन जारी है।

उक्तानुसार लीटिगेशन विचाराधीन होते हुए भी कम्पनी ने अपने उपयोग में लेकर उत्पादन शुरु कर दिया है।

ग्राम सिणला के खसरा नम्बर 867 रकबा 46.08 बीघा किस्म गै.मु. मगरी का प्रकरण विचाराधीन है। जो सिद्धी विनायक लि. को लीज पर आबंटित की गई है। परन्तु उक्त खसरा में मा. न्या. अपर जिला न्यायाधीश जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 11/14 अनवान नारायण लाल बनाम जिला कलक्टर पाली वगैरा में स्थगन आदेश है। भूमि मौके पर खाली है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(2) सिद्धी विनायक कम्पनी का सीमेन्ट प्लाण्ट का मुख्य प्रवेश द्वार निम्बोल सिणला सड़क पर खुलता है। इस प्रवेश द्वार से लेकर सीमेंट प्लांट की बाउण्ड्री के अन्दर स्थित सभी भूमियों पर औद्योगिक गतिविधियां हो रही हैं। इस प्लांट की दक्षिण दिशा की बाउण्ड्री से ग्राम निम्बोल की आबादी सीमा 2.900 कि.मी. दूरी है एवं उत्तरी-पश्चिमी दिशा की बाउण्ड्री से ग्राम सिणला की आबादी सीमा 0.300 कि.मी. दूरी है। डूंगरनगर की आबादी सीमा से प्लांट की बाउण्ड्री 4.300 किमी दूर है।

ग्राम डूंगरनगर का खसरा नम्बर 761/1 रकबा 91.5 बीघा किस्म गै.मु. औद्योगिक प्रयोजनार्थ है, जो ग्राम डूंगरनगर की आबादी सीमा से 1.900 कि.मी. व सिणला ग्राम की आबादी सीमा से 0.700 किमी दूर है।

उक्त कम्पनी की परिधि क्षेत्र से 1.5 किमी के अन्दर सिणला ग्राम आता है, जो डिगरणा ग्राम पंचायत का ग्राम है। उक्त दूरी राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजनार्थ संपरितर्वन) नियम 2007 के नियम 4(सी) के द्वारा निर्धारित दूरी से कम है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच उपरान्त नियम विरुद्ध आबंटन या रूपान्तरण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(3) न्यायालय में विचाराधीन खसरे ग्राम निम्बोल के 417 रकबा 20.00 बीघा, 437 रकबा 16.13 बीघा, 442 रकबा 08.15 बीघा, 433 रकबा 7.03 बीघा, 436 रकबा 5.08 बीघा एवं 439 रकबा 27.06 बीघा है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण में खसरा नम्बर 417 रकबा 20.00 बीघा का प्रकरण संख्या 38/13 अनवान लक्ष्मीनारायण बनाम प्रकाश वगैरा, खसरा नम्बर 442 रकबा 08.15 बीघा का उक्त न्यायालय में प्रकरण संख्या 138/11 व 201/11 के अनवान क्रमश: गोविन्द सिंह बनाम भंवरू वगैरा व छोटूलाल बनाम भींयाराम वगैरा जिनमें न्यायालय का स्थगन आदेश है।

खसरा 437 रकबा 16.13 बीघा में उक्त न्यायालय के प्रकरण रा.वा. संख्या 83/2013 एवं रा.वा. संख्या 132/14 अनवान प्रदीप गुलिया बनाम मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेंन्ट प्रा.लि. वगैरा, रा.वा. संख्या 203/12 जोधसिंह बनाम सिद्धी विनायक (उक्त वाद राजस्व अपील अधिकारी महोदय पाली के

(राजस्व राज्य मंत्री)

न्यायालय से रिमाण्ड होकर प्राप्त हुआ) रा.वा. संख्या 140/13 प्रीतमसिंह बनाम जोधसिंह एवं रा.वा. संख्या 205/11 कन्हैयालाल बनाम जोधसिंह विचाराधीन है। रा.वा.सं. 83/13 के साथ प्रा.पत्र संख्या 118/13 एवं 132/14 में स्थगन आदेश है। प्रा.पत्र संख्या 132/14 में प्रदत्त आदेश की निगरानी संख्या 5248/14 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है।

खसरा नम्बर 433 रकबा 7.03 किस्म बा.दो. व खसरा 436 रकबा 05.08 किस्म बा.दो. प्रकरण संख्या 235/12 उक्त न्यायालय में अनवान सतीश बनाम प्रकाश वगैरा का प्रकरण विचाराधीन है, जिसमें स्थगन आदेश है।

इसी ग्राम के खसरा नम्बर 439 रकबा 27.06 बीघा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली के प्रकरण सं. 9/13 अनवान पूनाराम बनाम मैसर्स सिद्धी विनायक सीमेन्ट प्रा.लि. विचाराधीन है जिसमें स्थगन आदेश है।

ग्राम डूंगरनगर तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 761/1 रकबा 91.05 बीघा किस्म औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि पर माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी पाली में प्रकरण संख्या 28/14 अनवान समंदर कंवर बनाम लक्ष्मण भाई वगैरा का विचाराधीन है। प्रकरण में स्थगन जारी है।

ग्राम सिणला के खसरा नम्बर 867 रकबा 46.08 बीघा किस्म गै.मु. मगरी का प्रकरण विचाराधीन है। जो सिद्धी विनायक लि. को लीज पर आबंटित की गई है। परन्तु उक्त खसरा में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश जैतारण द्वारा प्रकरण संख्या 11/14 अनवान नारायणलाल बनाम जिला कलक्टर पाली वगैरा में स्थगन आदेश है।

विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन उक्त लिटिगेशन सिद्धी विनायक कम्पनी एवं अन्य सहखातेदारान/पक्षकारान के मध्य ही विचाराधीन है राज्य सरकार/अधिकारी मात्र प्रफोर्मा पक्षकार है। इसलिये राज्य/अधिकारी स्तर पर लिटिगेशन को नजर अन्दाज करने की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। लिटिगेशन के बाबजूद निर्माण करने के लिए कम्पनी उत्तरदायी है। इस सम्बन्ध में विस्तृत जांच उपरान्त नियम विरुद्ध आबंटन या रूपान्तरण पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(4) सिद्धी विनायक कम्पनी द्वारा ग्राम सिणला के खसरा नम्बर 735/5 रकबा 2.70 हैक्टर गै. मु. गोचर भूमि मे से रास्ता निकालकर स्वयं के व्यय से सड़क बनाई गई है। उक्त भूमि जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक: एफ 12(3) (1) राज/13/326 दिनांक 11.02.2014 के द्वारा ग्राम सिणला ग्राम पंचायत डिगरणा तहसील जैतारण के खसरा नम्बर 735/5 रकबा 314.03 बीघा किस्म गै.मु. गौचर मे से 2.70 हैक्टर (16.13 बीघा) भूमि किस्म राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के तहत खारिज करते हुए सार्वजनिक रास्ते हेतु आरक्षित की गई है।

रास्ते के प्रयोजनार्थ अनुसूचित जाति की भूमि का अधिग्रहण नही किया गया है।

श्रीगंगानगर जिले के गांवों में श्मशान एवं हड्डी रोडा भूमि का आरक्षण

482. श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न ग्रामों में श्मशान हेतु भूमि आरक्षित नहीं है? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रीगंगानगर जिले के विभिन्न ग्रामों में मृत पशुओं के लिये हड्डी रोडा भूमि की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो ऐसे गांवों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त ग्रामों में उक्त भूमियों हेतु आरक्षण की व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिन गांवों में भूमि श्मशान हेतु आरक्षित नहीं है, उनकी सूची संलग्न है।

(2) जी हां । जिन गांवों में मृत पशुओं के लिये हड्डी रोडी हेतु भूमि की व्यवस्था नहीं है, उनकी सूची संलग्न है।

(राजस्व राज्य मंत्री)

(3) जिला कलक्टर से श्मशान हेतु भूमि आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाकर भूमि आरक्षण की कार्यवही की जावेगी ।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीकर जिले में गौशालाओं हेतु भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरण

483. श्री झाबर सिंह खर्रा (श्रीमाधोपुर) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में गत दस वर्षो में गौशालाओं के लिए कहां-कहां भूमि आबंटन के प्रस्ताव किन-किन के द्वारा प्रस्तुत किये गये और उनमें से अब तक किन-किनको, कहां-कहां, कितनी-कितनी भूमि गौशालाओं हेतु आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में गौशालाओं हेतु भूमि आबंटन के कितने प्रस्ताव सरकार के पास किन कारणों से लम्बित हैं? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार गौशालाओं हेतु भूमि आबंटन के लम्बित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण हेतु नियमों में संशोधन/शिथिलता देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सीकर जिले में गत दस वर्षो में कहां-कहां गौशालाओं के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव किस-किस के द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं और उनमें से अब तक किन-किन को कहां-कहां कितनी-कितनी भूमि गौशालाओं हेतु आबंटित की जा चुकी है, का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य सरकार/जिला कलक्टर के स्तर पर कुल 19 प्रकरण विचाराधीन हैं, जिनमें गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा ।

(3) जी नहीं ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सरकारी विभागों में लीज राशि की बकाया वसूली के प्रकरण

484. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या राजस्व राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बाबूसिंह)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों से लीज राशि के करोड़ों रुपये बकाया चल रहे हैं? यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि कब से बकाया है? विभागवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त बकाया राजस्व वसूली हेतु कार्यवाही की गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां । प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों/निगमों/उपक्रमों के विरुद्ध लीज पेटे दिनांक 31-3-2014 तक राशि रुपये 48,07,63,357/- बकाया थी। विभागवार/निगमवार/उपक्रमवार जिलेवार/वर्षवार बकाया का विवरण परिशिष्ट '1' संलग्न है ।

(2) जी हां । सम्बन्धित जिला कलक्टरों के स्तर पर प्रकरणवार वसूली की कार्यवाही की जाती है । राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर एवं राज्य सरकार के स्तर से भी समय-समय पर वसूली की समीक्षा की जाकर प्रभावी वसूली हेतु सभी सम्बन्धितों को निर्देशित किया जाता है ।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दांतारामगढ़ में सामाजिक कल्याण कोष के तहत जमा कराई गई राशि में अनियमितता की जांच

485. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) बाल विकास परियोजना, दांतारामगढ़, सीकर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, सहयोगिनी की कुल कितनी राशि सामाजिक कल्याण कोष में वर्ष 2007 से अब तक जमा करवाई गई?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष में 2 बार जमा होने वाली राशि योजना के शुरू होने से लेकर अब तक की राशि वर्ष 2014 में बाल विकास परियोजना अधिकारी, दांतारामगढ़ द्वारा एक साथ एक मुश्त जमा करवाई गई है? उक्त के साथ पेनल्टी के रूप में कितनी राशि जमा करवाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त वित्तीय अनियमितता की जांच उपनिदेशक एवं ए.ए.ओ., सीकर द्वारा की गई है? यदि हां, तो इसकी जांच रिपोर्ट तथा दोषियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बाल विकास परियोजना अधिकारी, दांतारामगढ़ (सीकर) द्वारा वर्ष 2007 से अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं सहयोगिनी के प्रीमियम/राज्यांश की कुल रुपये 28,36,542/- की राशि मानदेय/महिला कल्याण कोष में सामूहिक बचत एवं बीमा योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम में जमा करवायी गयी।

(2) जी नहीं। उक्त योजना के प्रारम्भ से अक्टूबर, 2010 की राशि समय-समय पर बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जमा करवाई गई है। अप्रैल, 2011 से अक्टूबर, 2013 की राशि रुपये 11,90,584/- माह मई, 2014 में जमा कराई गई है। उक्त के साथ ब्याज की राशि रुपये 1,70,645/- है। योजना प्रारम्भ से लेकर अब तक जमा राशि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। उक्त अनियमितता बाबत उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, सीकर द्वारा जांच की जा रही है एवं दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव भिजवाने के लिए उप निदेशक को निर्देशित किया गया है।

परिशिष्ट-अ

Statement showing the detail of Mahila Kalyan Kosh Priemeium deposited by the CDPO Dataramgarh in the LIC

S. No.	Month of Premium	Amount	Int.	Total	Deposit Date
1	Oct. 2006	26031	0	26031	21.3.2007
2	April. 2007	126219	0	126219	11.10.07
3	Oct. 2007	144256	0	144256	11.04.08
4	Apr. 2008	165775	0	165775	19.09.08
5	Oct. 2008	163328	0	163328	28.02.09
6	April 2009	164086	0	164086	7.09.09
7	Oct. 2009	167092	0	167092	16.04.10
8	April 2010	159013	0	159013	20.12.10
9	Oct. 2010	163518	0	163518	29.05.14
		1279318	**0**	**1279318**	
10	April 2011	163518	45682	209200	28.05.14
11	Oct. 2011	160314	37550	197864	28.05.14
12	April 2012	171588	32494	204082	28.05.14
13	Oct. 2012	171408	26143	197551	28.05.14
14	April 2013	178497	18722	197219	28.05.14

S. No.	Month of Premium	Amount	Int.	Total	Deposit Date
15	Oct. 2013	174794	10054	184848	28.05.14
		1020119	170645	1190764	
	DD charges	-180	0	-180	
		1019939	**170645**	**1190584**	
16	April 2014	178551	3661	182212	20.01.15
17	Oct. 2014	180990	3438	184428	16.03.15
	Total	359541	7099	366640	
	Grand Total	**2658798**	**177744**	**2836542**	

बामनवास में महिला बाल विकास अधिकारी का पदस्थापन

486. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बामनवास, सवाई माधोपुर में महिला बाल विकास अधिकारी के पद स्वीकृत हैं? यदि हां, तो गत 10 वर्ष से इस पद पर कौन-कौन अधिकारी पदस्थापित रहे? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार महिला बाल विकास अधिकारी के पद पर नियमित रूप से कार्य करने वाला अधिकारी पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बामनवास, सवाई माधोपुर में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 2 पद स्वीकृत हैं, जिनमें 1 पद परियोजना बामनवास एवं 1 पद परियोजना, बोली में स्वीकृत है। गत दस वर्षों में परियोजना बौंली में 8 वर्ष 9 माह बाल विकास परियोजना अधिकारी पदस्थापित रहे तथा 1 वर्ष 3 माह अतिरिक्त प्रभार रहा। गत दस वर्षों में परियोजना बामनवास में 1 वर्ष 7 माह बाल विकास परियोजना अधिकारी पदस्थापित रहे तथा 8 वर्ष 5 माह अतिरिक्त प्रभार रहा। गत दस वर्षों में अतिरिक्त प्रभार एवं पदस्थापित अधिकारियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग में वर्तमान में बाल विकास परियोजना अधिकारी के 239 पद रिक्त चल रहे हैं। सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले पदों

(महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री)

में से कार्मिक विभाग द्वारा अभ्यर्थी उपलब्ध कराने पर बाल विकास परियोजना अधिकारी के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

परिशिष्ट-अ

बाल विकास परियोजना अधिकारी बौंली (सवाई माधोपुर) के पद पर पदस्थापित अधिकारियों एवं अतिरिक्त कार्यभार का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	अवधि		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
बाल विकास परियोजना अधिकारी बौंली (सवाई माधोपुर)				
1	हनुमान प्रसाद शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी	30-4-2005	20-7-2005	पदस्थापित
2	इन्दूशेखर शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गंगापुरसिटी	21-7-2005	24-8-2005	अतिरिक्त चार्ज
3	विजय प्रकाश गौतम, बाल विकास परियोजना अधिकारी	25-8-2005	31-7-2007	पदस्थापित
4	विजय प्रकाश गौतम, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सवाई माधोपुर ग्रामीण	1-8-2007	22-8-2007	अतिरिक्त चार्ज
5	दया सारस्वत, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	22-8-2007	5-7-2008	पदस्थापित
6	द्वारिका प्रसाद, बाल विकास परियोजना अधिकारी, खण्डार	5-7-2008	16-12-2009	अतिरिक्त चार्ज
7	केदार नारायण शर्मा, विकास अधिकारी बौंली	16-12-2009	22-2-2010	अतिरिक्त चार्ज
8	सुख देवी, महिला पर्यवेक्षक/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी	23-2-2010	23-10-14	पदस्थापति
9	विजय सिंह, विकास अधिकारी बौंली	27-10-14	12-1-15	अतिरिक्त चार्ज
10	शिल्पी मीणा, सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी, सवाई माधोपुर ग्रामीण	12-1-15	लगातार	अतिरिक्त चार्ज

बाल विकास परियोजना अधिकारी बामनवास (सवाई माधोपुर) के पद पर पदस्थापित अधिकारियों एवं अतिरिक्त कार्यभार का विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	अवधि		विशेष विवरण
		कब से	कब तक	
बाल विकास परियोजना अधिकारी बामनवास (सवाई माधोपुर)				
1	मंगलचन्द फुलवारिया, बाल विकास परियोजना अधिकारी	20-10-2004	6-11-2005	पदस्थापित
2	इन्दूशेखर शर्मा, बाल किवास विकास परियोजना अधिकारी, गंगापुरसिटी	6-11-2005	3-3-2006	अतिरिक्त चार्ज
3	विजय प्रकाश गौतम, बाल विकास परियोजना अधिकारी	4-3-2006	19-7-2006	पदस्थापित
4	कैलाश चन्द शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी	20-7-2006	22-8-2007	पदस्थापित
5	कैलाश चन्द शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी, गंगापुरसिटी	23-8-2007	1-1-2011	अतिरिक्त चार्ज
6	राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, बाल विकास परियोजना अधिकारी	12-1-2011	21-4-2011	पदस्थापित
7	सुख देवी, महिला पर्यवेक्षक/सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी, बौंली	22-4-2011	30-4-2011	अतिरिक्त चार्ज
8	हरिप्रसाद मीना, बीईईओ, बामनवास	1-6-2011	17-7-2012	अतिरिक्त चार्ज
9	कैलाश चन्द मीणा, बीईईओ, बामनवास	18-7-2012	15-9-2014	अतिरिक्त चार्ज
10	कमलेश कुमार जांगिड़, बीईईओ बामनवास	29-10-2014	लगातार	अतिरिक्त चार्ज

अलवर जिले में आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण

487. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2014-15 के बजट में प्रदेश में कितने नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित थे व कितने आंगनबाड़ी केन्द्र कहां-कहां खोले गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 2014-15 के बजट में 850 आंगनबाड़ी भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? यदि हां, तो वर्ष 2014-15 में अलवर जिले में कुल कितने आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण किया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्ष 2014-15 के बजट में प्रदेश में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोले जाने प्रस्तावित नहीं थे, जिसके कारण प्रदेश में कोई भी नया आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं खोला गया है।

(2) जी हां। बजट घोषणानुसार वर्ष 2014-15 में प्रदेश में 4,850 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण प्रस्तावित था । बजट घोषणा परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। परन्तु भारत सरकार द्वारा आंगनबाड़ी भवन निर्माण हेतु अपने हिस्से की 75 प्रतिशत राशि की स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण बजट घोषणानुसार भवन निर्माण नहीं किया जा सका है।

अलवर जिले में भी वर्ष 2014-15 की बजट घोषणानुसार विभागीय बजट से भवनों का निर्माण नहीं हुआ है, किन्तु अलवर जिले में अन्य योजनाओं के अन्तर्गत 35 आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु भवनों का निर्माण किया गया है, जिनकी तहसीलवार सूची परिशिष्ट ''ब'' पर संलग्न है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 17 मार्च, 2015)

अजमेर सम्भाग में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद

326. श्री मानसिंह किनसरिया (परबतसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि गत दो वर्षों में प्रदेश के अजमेर सम्भाग में सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर की गई चने की खरीद लक्ष्य से कम रही? यदि हां, तो कितनी?

(श्री मानसिंह किनसरिया)

(2) क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में अजमेर सम्भाग में समर्थन मूल्य पर की जाने वाली चने की खरीद को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) चने की खरीद हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई लक्ष्य आबंटित नहीं किये गये थे और न ही भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर चने की खरीद हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। किसानों द्वारा निर्धारित समयावधि में निर्धारित मापदण्डानुसार जितनी भी मात्रा लाई जाती है, उसको क्रय कर लिया जाता है।

वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद नहीं की गई एवं वर्ष 2014-15 में अजमेर सम्भाग में 531605.40 क्विंटल चने की खरीद राजफैड के केन्द्रों पर की गई। वर्ष 2014-15 में अजमेर सम्भाग में समर्थन मूल्य पर चने की खरीद का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न हैं।

(2) समर्थन मूल्य पर चने की खरीद हेतु आवक की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि बाजार में तत्समय चने के भाव समर्थन मूल्य से अधिक हैं अथवा कम। खरीद केन्द्र पर निर्धारित मापदण्ड की गुणवत्ता के आने वाले चने की खरीद की जाती है।

परिशिष्ट-1

वर्ष 2014-15 में अजमेर सम्भाग में राजफैड को आबंटित केन्द्रों पर समर्थन मूल्य पर की गई चने की खरीद का जिलेवार/केन्द्रवार विवरण

क्र.सं.	नाम जिला	नाम केन्द्र	खरीद मात्रा (क्विंटल)
1	अजमेर	किशनगढ़	64658.30
2		केकड़ी	41391.55
3		विजयनगर	18071.95
4		सरवाड़	42046.90
5		नसीराबाद	14739.05
6	नागौर	नागौर	8461.85
7		मेड़ता	99340.50
8		कुचामन	20499.05

क्र.सं.	नाम जिला	नाम केन्द्र	खरीद मात्रा (क्विंटल)
9	भीलवाड़ा	गुलाबपुरा	29558.65
10		भीलवाड़ा	17409.30
11		शाहपुरा	49003.15
12		जहाजपुर	9524.20
13	टोंक	उनियारा	3851.00
14		टोडारायसिंह	33398.00
15		निवाई	6216.00
16		टोंक	20691.00
17		मालपुरा	44570.50
18		देवली	8174.45
		कुल योग अजमेर सम्भाग	**531605.40**

परिशिष्ट-1

तारांकित प्रश्न संख्या-311 का विवरण

प्रपत्र 'अ'

क्र.सं.	जिले/वृत्त का नाम	वितरित की गई सीएफएल की संख्या
1.	अलवर	550804
2.	भरतपुर	313138
3.	धौलपुर	89580
4.	दौसा	190312
5.	करौली	156584
6.	जयपुर शहर	647532
7.	जयपुर जिला	629116
8.	झालावाड़	201148
9.	बारां	164144
10.	कोटा	310996
11.	बून्दी	175292
12.	सवाई माधोपुर	201130
13.	टोंक	250346
14.	अजमेर	590634
15.	भीलवाड़ा	477406
16.	नागौर	537352
17.	झुन्झुनूं	457884
18.	सीकर	517128
19.	चित्तौड़गढ़	275688
20.	प्रतापगढ़	136432
21.	राजसमन्द	274232
22.	डूंगरपुर	249618
23.	बांसवाड़ा	251670
24.	उदयपुर	562556
25.	जोधपुर (जिला वृत्त)	243014

क्र.सं.	जिले/वृत्त का नाम	वितरित की गई सीएफएल की संख्या
26.	जोधपुर (शहर वृत्त)	314658
27.	पाली	570176
28.	सिरोही	222332
29.	जालौर	283598
30.	बाड़मेर	315946
31.	जैसलमेर	86532
32.	बीकानेर	359412
33.	हनुमानगढ़	426474
34.	श्रीगंगानगर	413920
35.	चूरू	464786
	योग	**11911570**

परिशिष्ट-2

तारांकित प्रश्न संख्या-312 के विवरण व सूची

परिशिष्ट 'अ'

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड़ में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का पदवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसिन)	1	1	-	
2	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	1	-	चिकित्सा अधिकारी पद के विरुद्ध कार्यरत है।
3	कनिष्ठ विशेषज्ञ (नेत्र)	1	1	-	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) पद के विरुद्ध कार्यरत है।
4	कनिष्ठ विशेषज्ञ (हड्डी रोग)	1	1	-	चिकित्सा अधिकारी पद के विरुद्ध कार्यरत है।
5	कनिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	1	-	चिकित्सा अधिकारी पद के विरुद्ध कार्यरत है।
6	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1	1	-	चिकित्सा अधिकारी पद के विरुद्ध कार्यरत है।
7	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (बीसीएमओ)	1	1	-	
8	चिकित्सा अधिकारी	5	5	-	
9	चिकित्सा अधिकारी (दन्त)	1	1	-	
10	नर्सिंग अधीक्षक प्रथम	1	-	1	

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
11	नर्सिंग अधीक्षक द्वितीय	1	1	-	
12	नर्स श्रेणी प्रथम	7	7	-	
13	नर्स श्रेणी द्वितीय	21	18	3	
14	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	2	-	2	
15	वरिष्ठ लैब टेक्नीशियन	1	1	-	
16	लैब टेक्नीशियन	3	3	-	
17	रेडियोग्राफर	1	1	-	
18	सहायक रेडियोग्राफर	2	-	2	
19	दन्त टेक्निशियन	1	-	1	
20	फार्मासिस्ट	1	1	-	

परिशिष्ट–ब

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहरोड़ में उपलब्ध उपकरणों की सूची निम्न प्रकार हैः-

क्र.सं.	उपकरण का नाम
1	ECG Machine
2	X-Ray Machine
3	Dental X-Ray Machine
4	Operation Table
5	Labor Table
6	Labor Table
7	Incubator
8	Phototherapy
9	Dental Unit
10	Auto Analyzer
11	CBC Machine
12	Semi Analyzer
13	Boyls Apparatus
14	All Gynae & OBST Instrument
15	Pluse Oxymeter
16	Multi Parameter

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट-अ

तारांकित प्रश्न संख्या-314 का विवरण

गत 5 वर्षों में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की सूची

क्र. सं.	अपराध सं. व दिनांक	मुख्य अभियुक्त का नाम व पता	पद	टाइप	वर्तमान स्थिति
1	65/2010 दि. 25.03.2010	अतुल कुमार गर्ग	सी.एम.डी. (आर एफ सी)	पद का दुरुपयोग	दिनांक 28.11.2011 को चालान न्यायालय में पेश
2	220/2010 दि. 04.08.2010	अर्जुन राम मेघवाल	कलेक्टर	पद का दुरुपयोग	अन्तिम प्रतिवेदन
3	326/2010 दि. 20.10.2010	पी.सी. किशन	कलेक्टर	पद का दुरुपयोग	विभागीय स्तर पर कार्यवाही किये जाने हेतु स्वपूर्ण टिप्पणी भिजवाने का निर्णय लिया गया।
4	139/2011 दि. 20.04.2011	पी.सी. किशन	सचिव	पद का दुरुपयोग	अन्तिम प्रतिवेदन
5	22/2012 दि. 27.01.2012	अतुल कुमार गर्ग	सी.एम.डी. (आर एफ सी)	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित
6	366/2012 दि. 10.09.2012	रवि शंकर श्रीवास्तव	सचिव	पद का दुरुपयोग	अन्तिम प्रतिवेदन

क्र. सं.	अपराध सं. व दिनांक	मुख्य अभियुक्त का नाम व पता	पद	टाइप	वर्तमान स्थिति
7	367/2012 दि. 10.09.2012	रवि कुमार श्रीवास्तव	सचिव	पद का दुरुपयोग	अन्तिम प्रतिवेदन
8	216/2013 दि. 24.05.2013	विपिन कुमार शर्मा	प्रमुख शासन सचिव	पद का दुरुपयोग	अन्तिम प्रतिवेदन
9	570/2013 दि. 20.12.2013	उमराव सालोदिया	चेयर मैन (राजस्व मण्डल)	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित
10	39/2014 दि. 31.01.2014	नवीन कुमार जैन	कलेक्टर	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित
11	40/2014 दि. 31.01.2014	नवीन कुमार जैन	कलेक्टर	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित
12	277/2014 दि. 11.08.2014	लाल चन्द असवाल	सी.ई.ओ. (नगर निगम जयपुर)	आय से अधिक सम्पत्ति (आकस्मिक चैकिंग)	अपराध अन्तर्गत धारा 8, 13(1)(डी)(ई),13 (2), 15 पीसी एक्ट 1988 एवं 120बी भा.द.सं. में प्रमाणित पाये जाने पर चालान माननीय न्यायालय में दिनांक 21.11.2014 को पेश किया जा चुका है। प्रकरण में महत्वपूर्ण व ठोस साक्ष्यों का संकलन करने हेतु 173(8) सी.आर.पी.सी. के तहत अनुसंधान जारी हैं।

क्र. सं.	अपराध सं. व दिनांक	मुख्य अभियुक्त का नाम व पता	पद	टाइप	वर्तमान स्थिति
13	337/2014 दि. 23.09.2014	लाल चन्द असवाल	सी.ई.ओ. (नगर निगम जयपुर)	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित
14	338/2014 दि. 23.09.2014	लाल चन्द असवाल	सी.ई.ओ. (नगर निगम जयपुर)	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित
15	339/2014 दि. 23.09.2014	लाल चन्द असवाल	सी.ई.ओ. (नगर निगम जयपुर)	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित
16	340/2014 दि. 23.09.2014	लाल चन्द असवाल	सी.ई.ओ. (नगर निगम जयपुर)	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित
17	341/2014 दि. 23.09.2014	लाल चन्द असवाल	सी.ई.ओ. (नगर निगम जयपुर)	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित
18	370/2014 दि. 15.10.2014	दामोदर शर्मा	कमिश्नर	पद का दुरुपयोग	अनुसंधान लम्बित

परिशिष्ट-4

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-30 मुख्य शीर्षक जनजाति क्षेत्रीय विकास के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में बाली के जनजाति क्षेत्रों में विदेशी ''मिशनरियों'' की गतिविधियों पर निगरानी रखवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

2. विधान सभा क्षेत्र आहौर के दस गांवों में जहां मीणा आबादी 30% से 50% तक है, उन्हें माडा घोषित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

3. अलवर जिले के जनजाति क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
4. अलवर जिले में वंचित जनजाति के परिवारों के राशन कार्ड बनवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में देवनारायण योजना अन्तर्गत जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. अलवर जिले में देवनारायण योजना को पूर्णतया लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. अलवर जिले में जनजाति छात्रावासों में भोजन एवं सफाई व्यवस्था की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ललित कुमार (किशनगंज) :

8. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज-शाहाबाद में खेखा जाति के परिवारों को भी सहरिया एवं कैथोड़ी जाति के व्यक्तियों की तरह दो किलोग्राम दाल, दो किलोग्राम तेल एवं एक किलोग्राम देशी घी नि:शुल्क उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

9. जिला डूंगरपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा कुएं गहरे

करवाने एवं ब्लास्टिंग से नये कुएं खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

10. जिला डूंगरपुर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों की मरम्मत की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

11. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति परिवारों में घरेलू कनेक्शन देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में जनजाति बालिका छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग का बजट केवल टी.एस.पी. क्षेत्र में खर्च करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

म. रणधीर सिंह भीण्डर (वल्लभनगर) :

14. विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर के माडा व टी.एस.पी. गांवों में विकास कार्य स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री बंशीधर (खण्डेला) :

15. विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के जनजाति क्षेत्र में माडा योजना से ज्यादा बजट प्रावधान कर विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

16. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में जनजाति विभाग से सार्वजनिक चबूतरे व सामुदायिक भवन स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नवनीत लाल (घाटोल) :

17. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के जनजाति क्षेत्र में नहरों व तालाबों के पानी से वंचित क्षेत्र में कुएं खुदवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र घाटोल के जनजाति के काश्तकारों के कुओं को गहरा कराने एवं मलबा निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

19. बांसवाड़ा जिले में जनजाति क्षेत्र के छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृतलाल (सलूम्बर) :

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में एनिकट निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

21. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जनजाति क्षेत्र में विकास के लिए पुलिया निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के जनजाति क्षेत्र विकास के लिए नई सड़कें बनाने व पुरानी सड़कों पर डामरीकरण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आंगनबाड़ी, महाबाड़ी निराश्रित बालकों को प्रोत्साहित करने के स्कूलों का निर्माण व नई स्कूल खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में जनजाति क्षेत्र के विकास में नि:शक्तजन बालक व बालिका को नि:शुल्क स्कूल प्रवेश व छात्रवृत्ति दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

25. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में भील बस्ती का जनजाति विकास योजनान्तर्गत विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम) :

26. विधान सभा क्षेत्र भीम में टाडा-माडा योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आवासीय एवं अन्य विकास कार्यों से जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

27. विधान सभा क्षेत्र बानसूर के ग्राम रामपुर, बानसूर एवं नारायणपुर में जनजाति बालिका छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

28. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के आदिवासी इलाके में समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

29. तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ के जनजाति बाहुल्य गांवों को ''माडा'' में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. तहसील क्षेत्र छोटी सादडी जिला प्रतापगढ़ के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के गांवों, मजरों व ढाणियों को सड़क मार्ग से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र को जनजाति उप योजना क्षेत्र (टी.एस.पी.) में सम्मिलित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के गांवों, मजरों, ढाणियों में जलस्तर बनाए रखने एवं सिंचाई सुविधा के लिए वाटर हार्वेस्ट्रींग स्ट्रेक्चर, तालाब आदि निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

33. उपखण्ड मुख्यालय छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ में जनजाति क्षेत्र विकास विभाग का बालक छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़) :

34. विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जनजाति के परिवारों का उत्थान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

35. विधान सभा क्षेत्र कपासन में अनुसूचित जनजाति के गरीब व्यक्तियों के परिवारों का सर्वे कराकर आर्थिक स्थिति मजबूत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

36. सम्पूर्ण राजस्थान में बसे अनुसूचित जनजाति के किसानों को प्राथमिकता से कृषि कनेक्शन दिलाने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री लक्ष्मीनारायण बैरवा (चाकसू) :

37. विधान सभा क्षेत्र चाकसू के माडा क्षेत्र में सी.सी. रोड बनवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

38. विधान सभा क्षेत्र नगर में एस.टी. को दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं को सरल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

39. महाराजा पेटर्न के आधार पर राज्य के जनजाति के व्यक्तियों का विकास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

40. प्रदेश में जनजातियों के कल्याण हेतु व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी कर केन्द्र सरकार से अगली किश्त प्राप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

41. बाड़मेर जिले में भील जनजाति के विकास के प्रयास करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

42. विधान सभा क्षेत्र बायतू में एस.टी. की बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर महाविद्यालय स्तर का छात्रावास खुलवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अंजू देवी धानका (बस्सी) :

43. विधान सभा क्षेत्र बस्सी में माडा योजना में चयनित ग्रामों में विकास करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

44. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के तहसील दीगोद में डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

45. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के तहसील कनवास व सागोद के गांवों को माडा योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

46. विधान सभा क्षेत्र सांगोद के तहसील कनवास व तहसील सागोद के गांवों को डांग क्षेत्र विकास योजना में शामिल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

47. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के आदिवासियों को लघु उद्योगों को लगाने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

48. डूंगरपुर जिला मुख्यालय तथा पंचायत समिति मुख्यालय पर जनजाति कम्युनिटी हाल का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

49. डूंगरपुर जिले में नि:शुल्क बिजली कनेक्शन आदिवासियों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

50. डूंगरपुर जिले में जनजाति आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

51. डूंगरपुर जिले में जनजाति के विकास के लिए स्वरोजगार को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

52. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के माडा योजना में शामिल गांवों में सड़क निर्माण किए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

53. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ के माडा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों में विकास कार्य हेतु बजट दिए जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भीमा भाई (कुशलगढ़) :

54. विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में जनजाति उपयोजना अन्तर्गत आवासीय विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) :

55. जनजातिय क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र की आबादी के अनुपात में बजट में प्रावधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

56. जनजाति क्षेत्र के आर्थिक व सामाजिक पिछड़ेपन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री दलीचन्द डांगी (मावली) :

57. विधान सभा क्षेत्र मावली में टाडा माडा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले गांवों का विकास करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

58. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में जनजाति क्षेत्र में बच्चों की उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

59. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में जनजाति क्षेत्र में फ्लोराइडयुक्त जल योजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

60. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा की प्रमुख योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

61. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में जनजातिय आवासीय विद्यालयों के कल्याण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

62. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में जनजातिय क्षेत्र में परम्परागत खेती को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

63. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में जनजाति वर्ग में आने वाली बिखरी हुई आबादी जो अलवर जिले में निवास करती है, के लिए विशेष योजना न बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

64. जनजाति क्षेत्र झाडौल एवं कोटड़ा में गरीबी के स्तर को देखते हुये विशेष योजना न बनाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

65. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी के राजस्व ग्राम को माडा क्षेत्र विकास योजना में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में जनजातिय छात्रों के लिए छात्रावास की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

67. जनजाति क्षेत्रीय विकास से सम्बन्धित सभी कार्यों के लिए एक ही विभाग गठित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

68. प्रदेश में पिछड़ी जातियों के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

69. प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र के व्यक्तियों की स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. महिला विकास विभाग द्वारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में अनुकूल मौसम होते हुए भी आम की खेती को बढ़ावा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की बिखरी हुई आबादी के विकास के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

72. प्रदेश में आदिवासी क्षेत्र के व्यक्तियों को शिक्षा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

73. विधान सभा क्षेत्र दौसा में माडा योजनान्तर्गत आने वाले गांवों में सड़क, छात्रावास, पानी आदि के विकास कार्य करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

74. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में निवास करने वाले जनजाति ढोली समाज के लोगों के लिए आवास व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर के जनजातिय छात्रावास में स्टाफ सहित सुचारू व्यवस्था करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जनजाति की लड़कियों की शादी में ज्यादा आर्थिक सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

77. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में जनजाति भूमिहीन लोगों को कृषि भूमि उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

78. विधान सभा क्षेत्र मसूदा के बिखरी जनजाति के बालक एवं बालिकाओं हेतु छात्रावास स्वीकृत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र मसूदा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को समाज की मूलधारा से जोड़ने के लिए बच्चों का शैक्षणिक स्तर सुधारने एवं पुनर्वास के लिए अनुदान दिये जाने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

80. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर में माडा योजना में सम्मिलित ग्रामों में विकास कार्य के अन्तर्गत सड़क व छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

81. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की 18 ग्राम पंचायतों में जनजाति क्षेत्रीय विकास मद से एनिकट स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

82. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में स्थित पंचायतों में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-एक सामुदायिक भवन निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी की 18 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर एक-

एक सार्वजनिक चबूतरा निर्माण की स्वीकृति जारी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू) :

84. विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में एस.टी. छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

85. विधान सभा क्षेत्र लूणी में जनजाति क्षेत्रीय विकास एरिया का पुनर्गठन करने एवं समीक्षा कर विकसित क्षेत्र को इस एरिया से बाहर निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र लूणी में जनजाति क्षेत्रीय विकास का जो लाभ उन क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को मिलता है ऐसा ही लाभ व वन क्षेत्रों के पड़ोस वाले समान भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्रों में रहने वाले गरीब आदिवासियों को भी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

87. जनजाति क्षेत्रीय विकास क्षेत्र की नई ग्राम पंचायत मुख्यालय को प्रधान मंत्री सड़क योजना से जोड़े जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

88. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में जिला परिषदों के माध्यम से संचालित विभागीय योजना में कोटा जिले को आबंटित राशि में वृद्धि करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

89. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विभाग द्वारा संचालित व्यक्तिगत लाभ की योजनाओं की प्रभावी मानिटरिंग की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

90. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में विशेष पैकेज राशि देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

91. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जनजाति क्षेत्र में औद्योगिक विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए, कुटीर उद्योग परामर्श व प्रचारार्थ ''गैर सरकारी संगठनों'' को अनुदान देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

92. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जनजाति क्षेत्र में विदेशी मिशनरियों द्वारा शिक्षा व सेवा के माध्यम से किये जा रहे धर्मान्तरण को रोकने के लिए कारगर कदम उठाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

परिशिष्ट-5

मांग संख्या 33– सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर

कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-33 मुख्य शीर्षक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाये-

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

1. राज्य के प्रत्येक 60 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त वृद्ध को वृद्धावस्था पेंशन दिये जाने की योजना में सुधार की आवश्यकता पर पर चर्चा के लिये।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना) :

2. विधान सभा क्षेत्र सिवाना में असहाय लोगों के लिए चलने वाली विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर) :

3. विधान सभा क्षेत्र आहौर के भाद्राजून उप तहसील या हरीपाली या रामा में अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

राजकुमारी दियाकुमारी (सवाई माधोपुर) :

4. विधान सभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के मकसूदनपुरा देवनारायण मंदिर पर बालिका आवासीय विद्यालय बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

5. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वंचितों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, पालनहार योजना का लाभ दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
6. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में नये आगंनबाड़ी केन्द्र खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।
7. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

8. विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में इंदिरा आवास की दूसरी व तीसरी किश्त दिलवाने व नये इंदिरा आवास मंजूर करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

9. जिला अलवर में स्थानीय छात्रावासों में सफाई, भोजन, बिस्तर एवं फर्नीचर व्यवस्था को सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

10. विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में सामाजिक पेंशन योजना में प्रशासनिक लेट लतीफी के कारण जरूरतमंद लोगों को पेंशन पाने में हो रही दिक्कतों एवं सामाजिक पेंशन राशि बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

11. विधान सभा क्षेत्र लूणी में समाज कल्याण के केरू, धवा, धुन्धाड़ा, लूणी, मोगड़ा कलां में नये छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

12. विधान सभा क्षेत्र लूणी में समाज कल्याण विभाग के झंवर स्थित छात्रावास में व्यवस्थाओं को त्वरित सुधारने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

13. विधान सभा क्षेत्र लूणी में महाराणा प्रताप योजना में स्वीकृत आवासों की राशि शीघ्र जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा) :

14. विधान सभा क्षेत्र रानीवाड़ा के रानीवाड़ा एवं जसवंतपुरा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावास खोलने एवं विकलांग, विधवा एवं वृद्धावस्था पेंशन समय पर उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़) :

15. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन का समय पर भुगतान करने एवं पालनहार योजना के तहत मिलने वाली राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

16. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कस्तूरबा गांधी आवासों में कम्प्यूटर स्वीकृत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री अमृत लाल (सलूम्बर) :

17. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में गरीबों को पेंशन दिलाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

18. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में हर पंचायत स्तर पर बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

19. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में आर्थिक स्थिति से पिछड़े परिवारों को नि:शुल्क कृषि भूमि आबंटित कराने के लिए विभागीय पहल की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

20. विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में दृष्टिहीन व अपंग व्यक्तियों के परिवारों के बच्चों को छात्रवृति मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुशील कटारा (चौरासी) :

21. राज्य में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावास भवनों की मरम्मत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

22. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान सरकारी बैंकों द्वारा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

23. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में समाज कल्याण के छात्रावास खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

24. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में स्वयं सहायता समूह को कम ब्याज पर अधिक ऋण दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

25. विधान सभा क्षेत्र चौरासी में पेंशनधारियों को समय पर पेंशन नहीं मिल पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री शैतानसिंह (पोकरण) :

26. विधान सभा क्षेत्र पोकरण के भणियाणा में समाज कल्याण छात्रावास का निर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

27. विधान सभा क्षेत्र पाली में नवजीवन योजना में अधिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलकर बच्चों को प्रवेश देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) :

28. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार वितरण में अनियमितता बरते जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

29. प्रदेश में विधवाओं की पुत्रियों की शादी हेतु सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

30. विभाग द्वारा विकलांग, विधवा व वृद्धावस्था पेंशन योजना का सरलीकरण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

31. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में नये आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने एवं रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

32. विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की ग्राम पंचायत नाथड़ाऊ में राजकीय अनुसूचित जनजाति छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) :

33. विधान सभा क्षेत्र पाली में पालनहार योजना में पात्र विधवाओं को उनकी संतान हेतु मिलने वाली राशि में अत्यधिक विलम्ब होने एवं लम्बित प्रकरणों में तत्काल राशि दिलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

34. विधान सभा क्षेत्र पाली में नवजीवन योजना में बावरी (चौकीदार) साठिया एवं शहरी भील जातियों को जोड़कर इन्हें भी बेहतर शिक्षा एवं सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

35. पाली शहर में निवास करने वाले गाडोलिया लोहार परिवारों का व्यापक सर्वे कराकर आवास विहीन परिवारों को नि:शुल्क भूखण्ड एवं भवन निर्माण हेतु अनुदान देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर) :

36. प्रदेश में मूक-बधिरों को भी पेंशन स्वीकृत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री घनश्याम (टोडाभीम) :

37. विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रावासों की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

38. करौली जिले के अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृति का भुगतान समय पर दिलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा) :

39. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्बाहेड़ा में संचालित छात्रावास की सीटें 60 से बढ़ाकर 100 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

40. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा में कालेज स्तर विद्यार्थी के छात्रावास खुलवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

41. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की छोटी सादड़ी में उच्च माध्यमिक स्तर तक की बालिकाओं के लिए छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़) :

42. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास में मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

43. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) उपखण्ड मुख्यालय पर अनुसूचित जाति/जनजाति एवं गरीब वर्ग की बालिकाओं हेतु नवीन आवासीय छात्रावास की स्थापना कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

44. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ (अजमेर) की पंचायत समिति एवं तहसील मुख्यालय अराई पर संचालित राजकीय अम्बेडकर छात्रावास की आवास क्षमता 25 से बढ़ाकर 50 छात्र कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

45. विधान सभा क्षेत्र जायल में वृद्धावस्था पेंशन का समय पर भुगतान न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) :

46. विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा देय छात्रवृति समय पर नहीं मिल पाने से विद्यार्थियों का अध्ययन बाधित होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) :

47. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में एस.सी., एस.टी. एवं अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नये आगनबाड़ी केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

48. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में सामाजिक पेंशन योजना के तहत बंद पेंशनों को पुन: शुरू करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

49. विधान सभा क्षेत्र सांचौर में महिला एवं बाल विकास अधिकारी के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री अर्जुन लाल जीनगर (कपासन) :

50. राजस्थान के सभी गरीब व्यक्तियों के परिवारों की सर्वे करवाकर आर्थिक स्थिति मजबूत करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

51. विधान सभा क्षेत्र कपासन में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड चित्तौड़गढ़, बी.सी.डब्ल्यू. व सी.सी.डब्ल्यू. सीमेन्ट फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की कमजोर स्थिति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश धाकड़ (बेगूं) :

52. विधान सभा क्षेत्र बेगूं के गंगरार एवं बेगूं में ओ.बी.सी. छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) :

53. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के डूगला एवं बड़ी सादड़ी में स्थित समाज कल्याण विभाग छात्रावासों में सीटों को बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती अनीता (नगर) :

54. विधान सभा क्षेत्र नगर द्वारा स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

55. विधान सभा क्षेत्र नगर में देवनारायण योजना के अन्तर्गत आवासीय विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

56. विभाग द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहयोगिनी व साथिन का मानदेय बढ़ाये जाने व आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गर्भवती एवं दयनीय महिलाओं को दिये जाने वाले पोषाहार हेतु स्वीकृत राशि तथा 3 से 6 वर्ष के बालकों को दिये जाने वाले पोषाहार की राशि को बढ़ाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

57. विधान सभा क्षेत्र नगर में नवजीवन योजना के अन्तर्गत चयनितों को लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

58. विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर में वृद्धावस्था आश्रम हेतु भूमि आबंटन करने व भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

59. प्रदेश में संचालित छात्रावासों में कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों का स्थाईकरण करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

60. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार व प्रभावी क्रियान्वयन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

61. राज्य में वृद्धावस्था, विधवा, परित्व्यक्ता, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन पेंशन नियमों में लगायी गयी अनेक पाबंदियों को हटाकर पेंशन योजना का लाभ अधिकाधिक व्यक्तियों को पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री कैलाश चौधरी (बायतू) :

62. विधान सभा क्षेत्र बायतू में विकलांग व अक्षम विद्यार्थियों के लिए विशेष श्रेणी के आवासीय विद्यालय की स्थापना जिला मुख्यालय पर करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

63. प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

64. समाज में पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर पिछड़ा वर्ग कल्याण केन्द्रों की स्थापना की जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण) :

65. राज्य के विभिन्न जिलों में सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से देय पेंशन से वंचितों को लाभ दिलाने के लिए विशेष कैम्प के आयोजन की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

66. विधान सभा क्षेत्र कोटा दक्षिण में मंद बुद्धि व अन्य विशेष योग्यजनों को शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिये विशेष योग्यजन विद्यालय को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री हीरालाल नागर (सांगोद) :

67. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अन्तर्गत समय पर पेंशन नहीं

मिलने के कारण लाभार्थियों को हो रही परेशानियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

68. प्रदेश में ओ.बी.सी., बी.पी.एल. विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृति देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) :

69. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में विभाग के कार्यालय एवं छात्रावासों में रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

70. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित विभिन्न छात्रावासों में छात्रों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

71. विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़-रेनवाल में छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर) :

72. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में ब्लाक लेवल पर समाज कल्याण विभाग का कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

73. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में विभिन्न छात्रावासों में रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

74. अजमेर जिले के शेष रहे 8 छात्रावासों में कार्मिकों का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

75. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में विकास अधिकारी को हस्तांतरित 6 योजनाओं का पैसा भी पंचायत समिति के मार्फत देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

76. विधान सभा क्षेत्र पुष्कर के गंगवाना में विभाग के छात्रावासों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री देवेन्द्र कटारा (डूंगरपुर) :

77. डूंगरपुर जिले के आदिवासियों को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

78. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत थाणा, गामड़ी अहाड़ा, देवल में बालिका छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

79. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों की पेंशन आन-लाइन खातों में जमा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

80. विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर की ग्राम पंचायत थाणा, गलन्दर, घूधरा, गडा मोरैया खैडा कच्छवासा में समाज कल्याण छात्रावास खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

81. डूंगरपुर जिले के जनजाति विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) :

82. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ में लम्बित पड़े वृद्धावस्था पेंशन प्रकरणों को समय पर निपटारा नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

83. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में छात्रावास खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शत्रुघ्न गौतम (केकड़ी) :

84. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम गोयला में अम्बेडकर छात्रावास की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

85. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम जूनियां में नवीन देवनारायण आवासीय छात्रावास की स्थापना करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

86. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में विभिन्न छात्रावासों में छात्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

87. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के ग्राम नापाखेड़ा में अनुसूचित जनजाति (एस.टी.) का नवीन आवासीय छात्रावास की छात्र संख्या 50 करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

88. विधान सभा क्षेत्र केकड़ी में संचालित विभिन्न छात्रावासों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री भंवरसिंह (कोलायत) :

89. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना की पेंशन का भुगतान डाकघर के अलावा राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से भी करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

90. बीकानेर जिले में वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग योजना की पेंशन समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

91. प्रदेश में वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन योजना के योग्य लोगों को दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अलका सिंह (बांदीकुई) :

92. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में जिला स्तर पर स्कूटी व ट्राइसिकल का वितरण नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

93. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

94. प्रदेश में विकलांगों को जिला स्तर पर विभाग द्वारा ट्राइसिकल वितरण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

95. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में देवनारायण आवासीय विद्यालयों की उचित व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

96. विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में देवनारायण योजना को माडा योजना की तर्ज पर क्रियान्वित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

97. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति समय पर नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

98. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में विधवा पुत्री विवाह योजना के अन्तर्गत मिलने वाली सहायता राशि के समय पर न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

99. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में अनुसूचित जाति के छात्रावासों में गन्दे बिस्तरों एवं शौचालयों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

100. पं. दीनदयाल शेखावाटी विश्वविद्यालय में एस.सी., एस.टी. के छात्रों के लिए हास्टल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्रीमती अनिता कटारा (सागवाड़ा) :

101. समाज में हो रहे महिला अत्याचारों को रोकने एवं उनकी सुरक्षा व कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

102. डूंगरपुर जिले में बालक-बालिकाओं के कल्याण के लिए बनाई गई प्रमुख योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

103. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में समाज में महिलाओं की भूमिका एवं उनकी सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

104. डूंगरपुर जिले में महिला कल्याणकारी योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

105. विधान सभा क्षेत्र सागवाड़ा में समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री विजय बंसल (पप्पू बन्डा) (भरतपुर) :

106. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा में आकस्मिक घटना घटित होने पर तुरन्त राहत दी जाने हेतु विधायक निधि का 10 प्रतिशत आरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. मंजू बाघमार (जायल) :

107. विधान सभा क्षेत्र जायल में गुरु गोलवलकर योजना के तहत कराये जाने वाले कार्यों की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

108. विधान सभा क्षेत्र जायल में संचालित आवासीय छात्रावास, कस्तूरबा छात्रावास तथा अनुसूचित जाति के छात्रावासों में सीटों (नामांकन) की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

109. विधान सभा क्षेत्र जायल में देवनारायण योजना के अन्तर्गत आवासीय विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) :

110. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के संनिर्माण श्रमिकों में श्रम विभाग द्वारा प्राप्त कार्डधारी परिवारों को साइकिल/बीमा राशि/कन्या विवाह सहयोग राशि/शिशु जन्म के परिलाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

111. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास के संनिर्माण से सम्बन्धित श्रमिकों के विशेष कैम्प आयोजित न करने से श्रम कार्ड नहीं बनने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

112. अलवर जिले में सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिये विशेष योजना न चलाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

113. विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिये विशेष प्रावधान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी) :

114. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में समाज कल्याण विभाग से विकलांग लोगों को ट्राई साइकिल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

115. विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में विकलांगों के कल्याण हेतु विकलांगता पेंशन में वृद्धि की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर) :

116. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पेंशन का भुगतान समय एवं पारदर्शिता से करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

117. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में छात्र-छात्राओं की देय छात्रवृति में हुई अनियमितता की जांच कराने एवं छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

118. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर के विकलांगों को सभी विभागों में आरक्षित भर्ती के तहत भर्ती करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

119. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में शारीरिक विकलांगों के लिए ट्राई मोटरसाइकिल आबंटित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

120. विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में विधवा, परित्यक्ता, वृद्धा, विकलांग सभी पेंशन आवेदन पंचायत स्तर पर ही लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) :

121. प्रदेश में सामाजिक कल्याण में लगी हुई सहयोगिनियों को प्राप्त सुविधाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

122. प्रदेश में बाल श्रम से बच्चों को मुक्त कर शिक्षा, भोजन, आवास, स्वास्थ्य सुविधा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

123. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर की विधवाओं को समय पर पेंशन, पालनहार योजना का लाभ न मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये।

124. प्रदेश में वृद्ध पेंशनरों की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

125. प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) :

126. सीकर के राजकीय स्वच्छकार कन्या छात्रावास के भवन के लिए भूमि आबंटन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

127. सीकर में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए स्वीकृत महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास को चालू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

128. सीकर के राजकीय सावित्री बाई फूले महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास में फर्नीचर उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

129. सीकर जिले के छात्र जो अन्य राज्यों में अध्ययनरत हैं उनको छात्रवृत्ति आबंटन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा) :

130. समाज कल्याण विभाग के दौसा कार्यालय में कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

131. दौसा में सावित्री बाई फूले राजकीय कन्या छात्रावास आनंद स्कूल के जर्जर भवन की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

132. दौसा में राज. महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावास में पानी की सुचारू व्यवस्था करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

133. दौसा में राज. अम्बेडकर छात्रावास प्रथम के भवन की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

134. विधान सभा क्षेत्र दौसा में पेंशन से वंचित लोगों का सर्वे नये सिरे से करवाकर पेंशन जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सोनादेवी (रायसिंहनगर) :

135. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में बावरी समाज धर्मशाला रायसिंहनगर व विजयनगर में मीटिंग हाल की व्यवस्था के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

136. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में ढोली समाज को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण में सम्मिलित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

137. विधान सभा क्षेत्र रायसिंहनगर में महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से गृह जिले में पदस्थापन के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

138. विधान सभा क्षेत्र रायसिंह नगर में 8 मार्च महिला दिवस के लिए कमेटी हाल बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

139. प्रदेश में एकल, परित्याग एवं विधवा को गृह जिले से बाहर अन्य जिले में रखने के दुहरे व्यवहार के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्रीमती सुशील कंवर (मसूदा) :

140. प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत विधवा पुत्री के विवाह पर रुपये 10,000/- के सरकारी अनुदान को बढ़ाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री गोरधन (धोद) :

141. विधान सभा क्षेत्र धोद में एस.सी., एस.टी. के कालेज छात्रों की छात्रवृत्ति बढ़ाई जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा) :

142. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में अपात्र व्यक्तियों का पुन: सर्वे कर नाम हटाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) :

143. विधान सभा क्षेत्र लूणी में मुख्य मंत्री बी.पी.एल. जीवन रक्षा कोष योजना की प्रभावी व्यवस्था एवं इसका अधिकतम लाभ गरीबों को देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) :

144. विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर के तखतगढ़, सांडेराव, खेरवा व भांवरी में समाज कल्याण छात्रावास स्वीकृत करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।

145. प्रदेश में पूर्ण रूप से अंधे नागरिकों को जो नौकरी करने के इच्छुक हों, उनके लिए अतिरिक्त आरक्षण सुनिश्चित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये।